खण्ड-374, अंक-4
मंगलवार, 22 माघ, शक संवत् 1907
(11 फरवरी, 1986 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | 1 |
| अतारांकित प्रश्न 28 का उत्तर अंग्रेजी में आने पर आपत्ति एवं उसका स्थगन (जारी) .. .. .. | 2 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | 3–79 |
| अतारांकित प्रश्न 28 का उत्तर अंग्रेजी में आने पर आपत्ति एवं उसका स्थगन | 79–81 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या–113 का सुसंगत उत्तर न दिए जाने पर व्यवस्था का प्रश्न .. .. .. .. | 81–82 |
| जनपद शाहजहांपुर तथा बरेली मण्डल में सरसों, आलू तथा गेहूं में रोग लगने से फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 82 |
| इटावा जनपद के कृषकों के धान बिक्री का बकाया मिल मालिकों द्वारा भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 82–83 |
| जिला प्रशासन बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले श्री राम नारायण उर्फ ठिकुली पाण्डे को प्रताड़ित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 83 |
| बस्ती जनपद के वाल्टरगंज और खलीलाबाद चीनी मिल बन्द होने से मजदूरों में भुखमरी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 83–84 |
| इलाहाबाद जनपद के महाविद्यालयों के छात्रों को झूठे मुकदमें में फंसाने तथा गिरफ्तारी के विरुद्ध छात्रों द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 84 |
| आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 84 |
| फैजाबाद जनपद में नहर व माइनरों के कटान से हजारों एकड़ फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 84–85 |
| दि0 6–2–86 को सदन में घटी घटना के सन्दर्भ में कतिपय सदस्यों के विरुद्ध कोतवाली, हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. .. .. .. | 85–95 |
| कानपुर नगर में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के सन्दर्भ में कृषि मन्त्री द्वारा गलत बयानी करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. .. | 96–97 |
| 'माया' पत्रिका में छपे एक लेख के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास .. .. .. .. | 97–98 |
| कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. .. | 98–109 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. | 109–144 |
| वित्तीय वर्ष 1985–86 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किए गये) .. | 144 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. | 144 |
| नत्थियां .. .. .. .. | 145–214 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

———

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभीमदस्य उपस्थित थे:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री | मेरठ | रतन स्वरूप, श्री | बुलन्दशहर |
| अरविन्द तिवारी, श्री | जालौन | रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन) | बरेली |
| किरनपाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर | रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री | फैजाबाद |
| केशरी सिंह, कर्नल | बस्ती | राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| गौरी शंकर भइया, श्री | बलिया | राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री | एटा |
| निर्भय पाल शर्मा, श्री | सहारनपुर | राजेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| फजलुल बारी, श्री | गोण्डा | रामगोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| फूल सिंह सौदाई, श्री | मुजफ्फरनगर | राम लाल, श्री | सीतापुर |
| बलजीत सिंह, श्री | मथुरा | राम सागर, श्री | बाराबंकी |
| बलदेव सिंह आर्य, श्री | उत्तरकाशी | विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री | बलिया |
| ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री | फर्रुखाबाद | शिवेन्द्रसिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | गोरखपुर |
| भीखा राम, श्री | आजमगढ़ | सखावत हुसैन, श्री | गाजियाबाद |
| मंगलदेव, श्री | गोण्डा | सन्तन बड़थ्वाल, श्री | चमोली |
| मुहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर | सुखदा मिश्रा, श्रीमती | इटावा |
| मोहम्मद मसूद खां, श्री | आजमगढ़ | सुग्रीव सिंह, श्री | देवरिया |
| मोहम्मद हयात, हाजी | मुरादाबाद | सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री | रायबरेली |
| योगेन्द्र कुमार सिंह, श्री | बदायूं | हर नारायण सिंह, श्री | रायबरेली |

नोट:—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्यमंत्री भी अनुपस्थित थे।

**मंगलवार, 11 फरवरी, 1986 ई0**

**अतारांकित प्रश्न सं0 28 का उत्तर अंग्रेजी में आने पर आपत्ति एवं उसका स्थगन**

**श्री अध्यक्ष–**

आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर अंग्रेजी में आने के कारण मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

मान्यवर, बड़ी कृपा की कि आपने व्यवस्था दे दी लेकिन केवल स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। आप सरकार की भर्त्सना करने की कृपा करें। यह पहला मौका नहीं है इसके पहले भी मैं एक से अधिक बार आपका ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं। हमारी नियमावली के नियम 282 में स्पष्ट लिखा है कि सदन की भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार की साफ व्यवस्था के बावजूद सरकार की तरफ से बराबर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा। मान्यवर, आप सरकार की शास्ति करें, भर्त्सना करें और निर्देशित करें कि इस प्रकार का कार्य सरकारी पक्ष से नहीं होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष–**

मैंने स्थगित कर दिया है, जवाब तलब किया है।

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

मैं प्रश्नोत्तरकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अनावश्यक समय नहीं लेना चाहता हूं, इससे अन्य माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा। प्रश्नोत्तर-काल के बाद मैं व्यवस्था के रूप में इसको उठाऊंगा।

मैंने निर्णय दे दिया।

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

आप निर्देशित करें सरकार को, इस प्रकार का कार्य भविष्य में नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा। अगर आप सरकार को निर्देशित नहीं करेंगे तो यही गलती पुनः होगी। जिस प्रकार से इस सरकार के मंत्रियों को गलत बयानी करने का अभ्यास होता जा रहा है। श्री नरेन्द्र सिंह ने गलत बयानी की कि कानपुर में हड़ताल है।

**श्री अध्यक्ष–**

यह मुनासिब नहीं है।

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा, उस पर आप निर्देशित करें।

**श्री मैनेजर सिंह–**

हमारे भोजपुरी में एक कहावत है- "भैंस के आगे बीन बजावे, खड़ी भैंस पगुराय।" सवाल क्या है, जवाब क्या है, निर्णय क्या है ? कुछ समझ में नहीं आता है।

**श्री अध्यक्ष–**

वह तो आप ठीक कह रहे हैं।

## प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### अस्पतालों में हाउस जाब करने वाले डाक्टरों एवं इन्टर्नीशप करने वाले डाक्टरों का वेतनमान

**1–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अस्पतालों में हाउस जाब करने वाले डाक्टरों को 1100 रु0 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है जबकि इन्टर्नीशिप करने वाले डाक्टरों को केवल 500 रु0 प्रतिमाह दिया जाता है? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है? क्या मंत्री जी इन्टर्नीशिप करने वाले को कम से कम 675 रु0 प्रतिमाह दिलाने के आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां। हाउस जाब करने वाले डाक्टरों को वेतन के साथ अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। यह छात्र एम0बी0बी0एस0 पास करने के पश्चात् हाउस जाब करते हैं। इन्टर्नीशिप करने वाले छात्र मेडिकल स्नातक नहीं होते। इन्टर्नीशिप एम0 बी0बी0एस0 कोर्स का एक भाग है और प्रशिक्षण की अवधि में मात्र सहायता के लिए 500 रु0 मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

अन्य जूनियर डाक्टरों के साथ-साथ इन्टर्नर्स की छात्रवृत्ति में वृद्धि का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री शारदा प्रताप–

मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि जूनियर डाक्टरों के साथ-साथ इन्टर्नर्स की छात्रवृत्ति का मामला शासन के विचाराधीन है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

इसी माह के अन्त तक।

श्री शारदा प्रताप–

क्या शासन ने यह निर्णय लिया है कि 84 से हाउस जाब वालों को 12 सौ रुपये तथा इन्टर्नीशिप वालों को 675 रुपया दिया जायेगा? यदि हां, तो अभी तक शासनादेश जारी क्यों नहीं किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अभी सम्मानित सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताया कि मामला शासन के विचाराधीन है। इस माह के अन्त तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा फिर कैसे निर्णय हो गया?

श्री कल्यान सिंह–

इन्टर्नीशिप के लिए प्रस्ताव क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मामला विचाराधीन है, तो प्रस्ताव जो भी हो।

### प्रदेश में बाढ़ से पीड़ित काश्तकारों को गेहूं के बीज एवं खाद हेतु दिया गया अनुदान

**2–श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री जयराम वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1985 में प्रदेश की नदियों में आई भीषण बाढ़ एवं वर्षा से बरबाद एवं पीड़ित काश्तकारों को सहायतार्थ फसल बोने के लिए खाद और बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या 16 करोड़ रुपयों की

धनराशि प्रदेश के कृषि विभाग को दी है? यदि हां, तो क्या उसको वितरित करने का आदेश 20 दिसम्बर, 1985 को दिया, जब बुआई का समय समाप्त हो चुका है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

केन्द्रीय सरकार ने 15.71 करोड़ रुपये की धनराशि बाढ़ग्रस्त एवं अति-वृष्टि से प्रभावित जनपदों के लघु एवं सीमान्त कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु प्रदान की है।

जी नहीं।

गेहूं के बीजों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने के आदेश दिनांक 18-11-1985 को तथा फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर लघु सीमान्त कृषकों को क्रमश: 25 तथा 33 1/3 प्रतिशत अनुदान दिये जाने के आदेश दिनांक 29-11-1985 को निर्गत हुए । यह समस्त सुविधायें सहकारी समितियों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वितरित ऋणों के समक्ष क्रय किए कृषि निवेशों पर 1-10-1985 से पूर्वगामी तिथि से अनुमन्य की गयी तथा नकद बिक्री पर यह सुविधायें शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य की गयी । बाद में दिनांक 16-12-85 को तीनों प्रकार के रसायनिक उर्वरकों एवं सूक्ष्म तत्वों पर अनुदान की सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके आदेश संख्या 8190-266-ए0एस0ई0ओ0-बाढ़ अनुदान-85-86 क्या दिनांक 21 दिसम्बर, 1985 को निर्गत हुआ ? तथा दूसरे सामान्यत: आई0आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत लघु और सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत और सवा 33 प्रतिशत की छूट प्रतिवर्ष सामान्य परिस्थितियों में मिलती रही है। उसका आदेश भी आपने किसानों की बुवाई का समय समाप्त होने के बावजूद 29 दिसम्बर, 1985 को टेलेक्स से सूचित किया। क्या यह सत्य है? 29 दिसम्बर को जो टेलेक्स भेजा वह अंग्रेजी में है जिसके अन्त में लिखा है कि यह टेलेक्स से सूचना दी है और जी0 ओ0 पीछे आ रहा है। आपने 21 दिसम्बर को जी0ओ0 निर्गत किया है। हर कलेक्टर के पास पहुंचने में 7-8 दिन का समय लगा। मेरा निवेदन है कि समूचे प्रदेश का लघु और सीमान्त कृषक बाढ़ और वर्षा से पीड़ित था। उसे सहायता बुवाई का सीजन समाप्त होने के बाद भी बीज और खाद देने में सरकार अक्षम रही। क्या यह सत्य है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बहुत ही समय से खाद और बीज किसानों को पहुंचा। इसमें कोई देरी नहीं हुई। जहां तक अनुदान का प्रश्न है, जैसे-जैसे केन्द्र से धन इसमें प्राप्त होता गया, हम रिलीज करते रहे। इसमें कोई विलम्ब नहीं है। किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है। प्रदेश में कहीं भी खाद और बीज की शिकायत नहीं आयी।

श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके इस कथन

का कि सभी लघु और सीमान्त किसानों को खाद और बीज दे दिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि बस्ती जिले की बांसी, मिठवल और खेसरा विकास खण्डों में बहुत से किसानों को खाद और बीज नहीं मिल पाया है। क्या इस सूचना के आधार पर अब उन्हें दिलवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पी0 और के0 का उपयोग बुआई के समय होता है। इस समय नाइट्रोजन की जरूरत है और वह किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा चुकी है। यदि कहीं कमी है तो उपलब्ध करा दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप देखें। मूल प्रश्न जो है, उसका उत्तर इन्होंने दिया है "जी नहीं"। मान्यवर, मैंने उद्धरण कोट किया, जी0 ओ0 का हवाला दिया। जी0 ओ0 का जो नं0 है–8190-266 ए0 एस0 ओ0 बाढ़ अनुदान 85-86, दिनांक 21 दिसम्बर, 1985। आप जवाब देते हैं कि जी नहीं। मेरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि बुवाई का सीजन जो किसान का है 25 नवम्बर तक आखिरी समय है, 20 दिसम्बर को एक सामान्य जी0 ओ0 जा रहा है। मान्यवर, अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये गलत बयानी की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बीज किसान खेत में बो चुका है, उसको बैंक से ऋण मिला नहीं, कोआपरेटिव सोसाइटी से धन मिला नहीं, उन लघु सीमान्त कृषकों को जो वंचित रह गये हैं, उनको आप कब तक अनुदान दे पायेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां तक बीज का प्रश्न है, मैंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि 18-11-85 को गेहूं के बीज पर अनुदान के आदेश हुए कि 50 प्रतिशत अनुदान गेहूं के बीज पर दिया जायेगा लघु और सीमान्त कृषकों को। 18-11-85 का जो आदेश है उसकी संख्या है 9438, दिनांक 18-11-85 है, जिसमें बीज पर 50 प्रतिशत का छूट लघु और सीमान्त कृषकों को दी गयी है। उसके बाद मान्यवर, 29-11-85 को एक दूसरा जी0 ओ0 हुआ जिसमें लघु और सीमान्त कृषकों को बीज के साथ-साथ खाद पर क्रमशः 25 तथा 33 1/3 प्रतिशत की छूट दी गयी।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, सवाल दूसरा है, जवाब क्या है? इसको आप देखें।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, क्या माननीय नेता विरोधी दल अब आपका भी काम करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी को अपना जवाब दे लेने दीजिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरे पास सभी आदेशों की फोटोस्टेट प्रति मौजूद है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार हमको केन्द्र से मदद मिलती रही, हम उसी प्रकार उसका रिलीज करते रहे।

(श्री बाबू राम यादव के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो यह प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी देर हो ही जाती है। जब हम किसानों को 50 प्रतिशत की छूट देने जा रहे थे तो हमने यह प्रयास किया कि हम किसानों को इसकी सूचना जल्दी से जल्दी भेजें, जिसकी सूचना हमने उन्हें टेलेक्स द्वारा भेजी और 20 दिसम्बर को जी0 ओ0 भी जारी कर दिया। यह 50 प्रतिशत की छूट किसानों को नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर पर दी गई।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें केन्द्रीय सहायता कब प्राप्त हुई। इस प्रकरण से सभी लोग अवगत होंगे, चाहे इधर के बैठने वाले हों और या फिर उधर के, सीमान्त और लघु कृषकों को खाद नहीं मिल पाई। क्या इस पूरे मामले पर मंत्री जी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करवाकर उन अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे जिन्होंने सीमान्त और लघु कृषकों को आज तक खाद नहीं दी है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रेवती रमण सिंह जी ने प्रश्न किया है कि सीमान्त और लघु कृषकों को खाद नहीं मिल पाई है, ऐसी बात नहीं है। किसानों को खाद मिली है। हो सकता है कहीं-कहीं से शिकायत आई हो। मेरे पास भी शिकायतें आयी हैं। अब मैं आपको बताऊं। पिछले साल नवम्बर में 3.49 लाख टन खाद का वितरण हुआ और इस वर्ष नवम्बर में 4.46 लाख टन खाद का वितरण हुआ। यह कहना कि खाद का वितरण नहीं हुआ, गलत है।

(शोर)

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद पर जो सब्सिडी दी गई थी, क्या वह बन्द कर दी गई है? यदि बन्द है, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, चूंकि पी0 एण्ड के0 की बुवाई के वक्त जरूरत होती है, परन्तु अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उस पर सब्सिडी बन्द कर दी गई है। दूसरा यह कि धन की उपलब्धता की कमी के कारण 3 फरवरी से इसे बन्द कर दिया गया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

एक सुझाव माननीय रेवती रमण सिंह जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर विचार कर लें और फिर इन्क्वायरी करवा लें तो बेहतर होगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राम सरन–

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो कहा और जिससे आप सहमत हैं, उसमें इतना और जोड़ना चाहता हूं कि कहीं भी इन्होंने खाद नहीं बंटवायी

है छोटे किसानों को। इन्होंने कहा है कि कहीं-कहीं शिकायतें हैं, तो ऐसा नहीं है बल्कि कहीं-कहीं इन्होंने अपने चहेतों को दिलवा दिया, बाकी किसी को मिली नहीं। माननीय रेवती रमण सिंह जी के कथन में इतना और इजाफा कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो माननीय कृषि मंत्री जी ने उत्तर दिया, छोटे किसानों को शायद ही कहीं खाद मिली हो। दिसम्बर के बाद कुछ बड़े किसानों को मिली है लेकिन उसके साथ-साथ कहना चाहता हूं कि घटिया स्तर की खाद मिली है और विशेषकर यूरिया की खाद में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस फर्म से और कितनी खाद खरीदी गयी? खाद में जो 46 प्रतिशत का नाइट्रोजन होता है वह मात्रा उसमें नहीं थी। क्या इसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने कहा कि माननीय रेवती रमण सिंह जी का जांच के सम्बन्ध में सुझाव आया है, उस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मा0 रेवती रमण जी ने जो सुझाव दिया है, इस सुझाव के पूर्व ही मैंने यह आदेशित किया हुआ है कि हर जिले में 5 गांवों में अचानक चैकिंग की जायगी। छोटे और सीमान्त जो किसान हैं उनकी सूची लेकर चेक किया जायगा कि उनको खाद मिली या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सुन लीजिये, पूरा उत्तर आने दीजिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खाद के वितरण के सम्बन्ध में जो शिकायतें मिली हैं, उस सम्बन्ध में बहुत से कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की है, 12 कर्मचारी इस सम्बन्ध में निलम्बित किये गये हैं। जहां तक घटिया खाद की बात है, इस बारे में कुछ जगहों से शिकायतें आयी थीं, मैंने डायरेक्टर को मेरठ भेजा था, मेरठ की शिकायतें थीं और एक और जिलों की शिकायतें थीं, मैंने अधिकारियों को भेजा। श्री शाही जी को मालूम है, देवरिया में तो विजिलेन्स की जांच करवा रहे हैं। वहां पर कई गांवों में वैरीफिकेशन भी हो रहा है। जो नेता विरोधी दल मुलायम सिंह जी ने घटिया खाद की बात कही तो जहां से शिकायत आयी वहां देख लिया, घटिया खाद नहीं थी, उसकी स्ट्रेन्थ को टेस्ट कराया गया, एक्सपर्ट्स से चैक कराया गया। उन्होंने कहा कि इसकी स्ट्रेन्थ पूरी है, कोई कमी नहीं है।

(व्यवधान)

लेकिन अगर किसी विशेष जगह की शिकायत मा0 नेता, विरोधी दल या कोई सम्मानित सदस्य करेंगे और नमूना पेश कर देंगे तो जरूर जांच करवा लूंगा। जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

(घोर व्यवधान)

एक प्रश्न किया कि खाद का वितरण नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी तक पिछले वर्ष 9 लाख 50 हजार मीट्रिक टन खाद का वितरण हुआ

था, इस वर्ष भी 12.47 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण हुआ है। खाद के वितरण में बढ़ोत्तरी ही हुई है, इस बात को मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं।

श्री जय दीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अभी सूचना दी छूट की और कहा कि रबी की फसल बोने के बाद उसका प्राविधान समाप्त कर दिया गया है, तो मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कि प्रदेश की चीनी मिलें अलाभकारी स्थिति में होती चली आ रही हैं तथा दलहनी फसलों को पैदा करने का लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, इन दोनों बातों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे कि जायद और दलहनी फसलों की बुवाई में फासफोरस खाद की छूट का प्राविधान किया जाय ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जहां तक गन्ने का प्रश्न है, गन्ने के लिये दो करोड़ रुपए अलग से आवंटित करते हैं जो कि किसानों को सब्सीडी के रूप में दिया जा रहा है और यह लघु तथा सीमान्त दोनों कृषकों के लिये है। दलहन के संबन्ध में बरार जी ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा है, हम केन्द्रीय सरकार से पैसा लेने के लिये कोशिश कर रहे हैं यदि पैसा मिल गया तो अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने पूछा है कि 20 दिसम्बर, 1985 के जो आदेश थे उसमें यह लिखा था कि उपभोग निर्धारित अवधि के अन्दर ही होना सुनिश्चित रूप से घोषित करेंगे, तो उस अवधि के अन्दर खाद देने के लिये सुनिश्चित करना चाहिये और जो छूट की अवधि निर्धारित की गयी थी, वह क्या थी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

आप 20 दिसम्बर, 1985 वाले आदेश का जिक्र कर रहे हैं?

श्री विजय सिंह राणा–

जी हां।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसमें यह है कि हमारा इरादा था कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद आवश्यकतानुसार मिल सके, लिहाजा अमूमन 31 मार्च तक चूंकि धन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं रहा इसलिये 3 फरवरी को इसे बन्द करना पड़ा।

**[नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-1 के पुकारे जाने पर]**

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का अभी स्पष्ट उत्तर नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी, साढ़े ग्यारह बज रहे हैं।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### मथुरा जनपद के मुहल्ला धौली प्याऊ स्थित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया एवं मालिक श्री अशोक कुमार की गिरफ्तारी

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि दि0 27 व 28 अक्तूबर, 84 की रात्रि को जिला प्रशासन, मथुरा ने थाना कोतवाली के अन्तर्गत मोहल्ला धौलीप्याऊ में

स्थित एक व्यापारी के घर छापा मारकर लाखों रुपये की अवैध दवाइयां एवं अन्य सामान बरामद किया था? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? शासन ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)– जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दि0 27-10-84 को सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा को विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि प्रकाश मेडिकल स्टोर के मालिक के धौली प्याऊ स्थित आवास पर अवैध दवाइयां रखी हैं, जिन्हें वह चोरी से बेचते हैं। इस सूचना पर दि0 27-10-84 को लगभग 11 बजे रात्रि में सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा परगना मजिस्ट्रेट छाता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा, थानाध्यक्ष सदर बाजार आदि की उपस्थिति में उक्त मेडिकल स्टोर के मालिक श्री शिव प्रकाश के मकान की तलाशी उसके पुत्र श्री अशोक कुमार की उपस्थिति में ली गई तो करीब 50 हजार रुपये मूल्य की सरकारी अस्पतालों की मोहर लगी हुई तथा कुछ बिना मोहर लगी हुई औषधियां बरामद हुईं। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त बरामद की गयी औषधियों की बनाई गई फर्द के आधार पर थाना सदर बाजार में प्रथम सूचना सं0 163 अंकित की गयी। तदुपरांत थाना कोतवाली मथुरा पर अ0 सं0 924/84, धारा 3/7 ई0 सी एक्ट, धारा 41] 102 जा0 फौ0 द धारा 411 भा0 द0 वि0 राज्य बनाम अशोक कुमार पंजीकृत किया गया। अशोक कुमार को घटनास्थल पर बंदी बनाया गया और जेल भेजा गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये अवैध दवाइयों के इस रैकेट की सभी संभावनाओं पर गहराई से विवेचना किए जाने हेतु इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गई है, जो अभी प्रचलित है।

श्री कल्यान सिंह–

मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 50 हजार की दवायें चोरी हुई हैं और इस मेडिकल स्टोर में पकड़ी गयी है, तो आप, जो दवायें मेडिकल स्टोर में पकड़ी गयी हैं, उस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं, परन्तु क्या अस्पताल की ओर से कोई एफ0 आई0 आर0 थाने में लिखाई गयी कि इतनी दवाओं की चोरी हो गयी है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह दवायें उस अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भेजी गयी होंगी, तो क्या मा0 मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों का इसमें हाथ था और कौन-कौन से लोग दोषी हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है। सी0 एम0 ओ0 मथुरा ने उस दुकानदार का लाइसेंस समाप्त कर दिया है।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि दुकानदार का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है, तो लाइसेंस का निरस्त किया जाना दूसरी बात है और इन दवाओं के लिये कोई न कोई व्यक्ति जिम्मेदार अवश्य होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस काण्ड में अस्पताल के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी का हाथ था अथवा नहीं, क्या आप इस प्रकरण की भी जांच करायेंगे?

**श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–**

मान्यवर, मैंने बता दिया कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा हो रही है और इस जांच में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छापा मारा गया, दवायें पकड़ी गयीं और आदमी पकड़ा गया तो इसकी सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने का क्या कारण है? यह निर्णय क्यों लिया गया और किस लिये लिया गया ? सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने का निर्णय किस स्तर से हुआ ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह बहुत बड़ा केस था । जो दवायें पकड़ी गयीं उसमें मथुरा के सिविल अस्पताल की ही मुहरें नहीं थीं बल्कि केन्द्रीय अस्पताल की भी मुहरें थीं। यह इतना बड़ा मामला था और केन्द्रीय अस्पताल की भी दवायें थीं, इसी लिये सरकार ने यह मुनासिब समझा कि इसकी गहरी जांच हो और सी0आई0 डी0 को जांच दे दी गयी।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो दवायें पकड़ी गयीं उनमें सिविल अस्पताल मथुरा और केन्द्रीय अस्पताल की थीं, आदमी को भी पकड़ा गया तो यह मामला बिल्कुल स्पष्ट था । क्या यह सही है कि जो लोग पकड़े गये हैं उनके प्रभाव के कारण इस मामले को सी0 आई0डी0 को दे दिया गया है, जिससे मामला लटका रहे? इसमें क्या रहस्य है, क्या आप उस पर प्रकाश डालेंगे? सरदार सिंह जी सन्तुष्ट हो गये हैं तो क्या आप भी सन्तुष्ट हो गये हैं? इस पर क्या आप प्रकाश डालेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

वहां के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर किसी प्रकार का सन्देह करना ठीक नहीं है, जो मेडिकल स्टोर है जहां पर दवायें पकड़ी गयीं, उसको दण्ड दिया गया और उसका लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। इसमें अधिकारी या कर्मचारी थे या नहीं, इसीलिये इसकी विवेचना कराई जा रही है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया। सी0 आई0 डी0 से जांच हो रही है, यही हमारी सन्तुष्टि का कारण है।

**[दिनांक 11 फरवरी, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]**

**नैनीताल क्लब के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की लखनऊ में नियुक्ति**

*1–श्री सुरेश चन्द्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल क्लब नैनीताल के लिए सृजित तृतीय श्रेणी के कितने पद कब से लखनऊ में प्रयोग में लाये जा रहे हैं और क्यों?

क्या सरकार उक्त समस्त कर्मचारियों को तुरन्त नैनीताल वापस करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

नैनीताल क्लब, नैनीताल के लिए सृजित तृतीय श्रेणी के 4 नियमित पद तथा 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पद निम्न तिथियों से लखनऊ स्थित विभिन्न इकाइयों में अत्यधिक कार्य के दबाव के कारण प्रयोग में लाए जा रहे हैं :–

**नियमित पद**

2 पद दिनांक 7-11-1981 से
1 पद दिनांक 1-1-1985 से
1 पद दिनांक 7-7-1985 से

**दैनिक वेतन के पद**

1 पद दिनांक 10-6-1982 से
1 पद दिनांक 1-8-1982 से
1 पद दिनांक 2-8-1982 से
1 पद दिनांक 12-8-1984 से

यह बिन्दु शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री सुरेश चन्द्र–**

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वह कब तक नैनीताल में वापिस होंगे? क्या मंत्री जी उसकी सही तिथि या समय बता सकते हैं?

**श्री सीताराम निषाद–**

मान्यवर, यहां विधायक निवासों में और राज्य अतिथि गृह तथा राज्य सम्पत्ति विभाग में पदों की आवश्यकता है, उनका सृजन कराया जा रहा है जब वह पद सृजन कर दिये जायेंगे उसके बाद ही विचार होगा।

**श्री काशी सिंह ऐरी–**

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष –

आप बैठें।

**कानपुर रोड योजना, लखनऊ के अन्तर्गत जगत जननी सहकारी आवास समिति द्वारा क्रय की गयी भूमि**

*2–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर रोड योजना लखनऊ के अन्तर्गत खसरा संख्या 459 जगत जननी सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा 1982 में खरीदा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसमें भवन निर्माण की आज्ञा लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं दे रहा है? यदि हां, तो शासन के आदेश संख्या 1634/37-2-80-79 आ0 सं0/ दिनांक 9-4-1980 में यह स्पष्ट आदेश है कि किसी सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा क्रय की गई भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या लखनऊ आवास विकास परिषद् अधिग्रहीत नहीं करेगा

क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति को अपनी भूमि पर भवन निर्माण करने की आज्ञा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

जगत जननी सहकारी आवास समिति ने ग्राम बरगवां जिला-लखनऊ में खसरा संख्या-459 दिनांक 29-10-83 को क्रय किया था। यह खसरा लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आता है तथा कानपुर रोड के जोनल प्लान में यह क्षेत्र कामर्शियल है। अत: भवन निर्माण की आज्ञा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नहीं दी। शासन के आदेश संख्या 1634/37-2-80 आ0 सं0/दिनांक 9-4-80 में यह स्पष्ट आदेश नहीं है कि किसी सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा क्रय की गयी भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या लखनऊ आवास-विकास परिषद् अधिग्रहीत नहीं करेगा क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। समिति द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के पूर्व ही वर्ष 1979 में ही इसके अधिग्रहण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी थी। अत: अब इसे अर्जन मुक्त भी किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं नगर विकास मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खसरा नं0-459 जिस पर जगत जननी आवास समिति का वर्तमान में कब्जा है, की अधिसूचना दिनांक 21 अप्रैल, 1979 के क्रम में श्री राज्यपाल को उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन दिनांक 29 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 247/47-2-15 एल0 ए0-76 द्वारा गजट में अर्जन से मुक्त कर दिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके पुन: अर्जन का क्या औचित्य है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, यह इसलिए कि धारा 4 में विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है लेकिन धारा 6 में वह भूलवश रह गयी थी इसलिए जिलाधिकारी से कहा गया है कि वह दुबारा अर्जन के लिए आदेश दें।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, इसमें यह है कि जब जगत जननी सहकारी आवास समिति ने इस प्लाट को खरीदा और तहसील में दाखिल खारिज कराया तो क्या उसमें उनकी तरफ से आपत्ति हुई?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, उसकी विज्ञप्ति पहले ही हो चुकी थी 1979 में। जमीन ली जा चुकी थी। 1983 में समिति ने उसे खरीदा।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जब 29 अप्रैल, 1980 को विज्ञप्ति निकल गई और उसमें जब खसरा संख्या का नम्बर ही नहीं है तो फिर उसको अर्जन से मुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

**श्रीमती पद्मा सेठ–**

मान्यवर, यह कानपुर रोड योजना में आता है और उसकी विज्ञप्ति पहले ही हो चुकी थी । समिति ने सन् 83 में जमीन ली । कमर्शियल यूज के लिये यह योजना बनी है । इसलिये उसको रेजिडेन्शियल यूज के लिये मुक्त करना सम्भव नहीं है ।

**श्री मैनेजर सिंह–**

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 80 में विज्ञप्ति हो गई थी और सन् 83 में समिति ने उस जमीन को खरीदा था तो फिर विभाग की तरफ से आपत्ति क्यों नहीं हुई ? जिन अधिकारियों ने उस जमीन को समिति के नाम से चढ़ाया, उनके खिलाफ आपने क्यों कार्यवाही नहीं की ?

**श्रीमती पद्मा सेठ–**

माम्यवर, मैंने निवेदन किया की इसकी विज्ञप्ति पहले ही हो चुकी थी, इसलिये इसकी जरूरत नहीं समझी गई. . .

(व्यवधान)

**श्री मैनेजर सिंह–**

विज्ञप्ति हो गई थी तो फिर क्रय क्यों की गई ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

## लखनऊ स्थित राम रतन बाजपेयी रोड, नरही, मीराबाई मार्ग तथा बटलर पैलेस में पानी की आपूर्ति की मांग

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित राम रतन बाजपेयी रोड, नरही, मीराबाई मार्ग, रामतीर्थ मार्ग, बटलर पैलेस कालोनी आदि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हेतु केवल एक ही टंकी है जिससे कि पानी का प्रेशर न होने के कारण उक्त क्षेत्रों के निवासियों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण वहां के निवासियों में घोर असंतोष व्याप्त है ? क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्रों में कई बहुमंजलीय आवासीय भवनों के बन जाने से उक्त क्षेत्रों की आबादी बढ़ गयी है जिसके कारण पानी का भारी संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त क्षेत्रों की घनी आबादी को देखते हुए तुरन्त पानी की व्यवस्था हेतु एक और टंकी बनाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जी हां ।

स्थिति में सुधार करने हेतु मीराबाई गेस्ट हाउस में एक नलकूप का निर्माण कार्य चालू किया जा चुका है तथा नरही में दो नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । धनाभाव के कारण टंकी का निर्माण संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतिरिक्त परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण टंकी का निर्माण फिलहाल संभव नहीं है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आबादी बढ़ने से उस पूरे इलाके में पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुमंजिली बिल्डिंग्स बनने के कारण पानी की कमी हो गई है और इसकी पूर्ति के लिये दो नलकूप बनवाये जा रहे हैं। आपने फिर कहा कि इसके लिये धन नहीं है जिसके कारण उसका निर्माण नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूं कि गर्मियों के दिन आ रहे हैं। पानी का प्रेशर भी कम हो जायेगा। आज भी पूरे इलाके में पानी की तकलीफ है। इसको देखते हुये जनहित में आप इस हेतु धन उपलब्ध करवा कर वहां पर नलकूप बनावायेंगे और वह नलकूप कब तक बन जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी कोशिश करेंगी।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इस पर विचार करेंगे।

**प्रदेश में जल भराव से पीड़ित क्षेत्रफल की जानकारी हेतु उपग्रहीय एवं हवाई जहाज से किया गया सर्वेक्षण**

*4–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल भराव से पीड़ित क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई उपग्रहीय अथवा वायुवीय सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आए हैं ? इन आंकड़ों एवं सिचाई विभाग और राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित आंकड़ों में क्या अंतर है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

जी हां

दिसम्बर, 1983 में सेटेलाइट के द्वारा तथा जनवरी, 1984 में हवाई जहाज के द्वारा लखीमपुर तथा सीतापुर जनपदों का आंशिक सर्वेक्षण किया गया था। यह क्षेत्र शारदा सहायक फीडर चैनल के आसपास है।

उपर्युक्त सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 35,226 हेक्टेयर क्षेत्र में जल प्लावन का प्रभाव था। सिंचाई विभाग के आंकड़े केवल शारदा सहायक नहर प्रणाली के कारण जल-मग्न क्षेत्र से सम्बन्धित है, जो 4,985 हेक्टेयर है तथा भिन्न अवधि के है। राजस्व विभाग के आंकड़े नहर बनने के कारण रबी क्षेत्रफल में कमी होने से सम्बन्धित है, जो 8,824 हेक्टेयर है। इस प्रकार तीनों स्रोतों से भिन्न-भिन्न विषयों का अध्ययन किया गया है। अतएव आंकड़ों के अन्तर की तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जिस तथ्य की जानकारी प्रदेश के जन-जन और सभी सदस्यों को थी, मुझे खुशी है कि सरकार को इस बात की जानकारी हो गई है कि जहां जल प्लावन 5 हजार और 8 हजार कहा जाता था, दो जनपदों में आंशिक सर्वेक्षण के अनुसार 35,226 हेक्टेयर क्षेत्र जल प्लावन से प्रभावित पाया गया यानी सात गुना प्रभावित क्षेत्र आंशिक जल प्लावन से मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात के महत्व को देखते हुए कि शासन अपनी नीति बनाने के लिये जलमग्न क्षेत्रों की समस्या को समाप्त करने के लिए सही आंकड़े प्राप्त

हो सके इन दो जिलों का ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश के जनपदों का जहां जल-प्लावन की समस्या है, सेटेलाइट से सर्वे करांने की कृपा करेंगे जिससे सही आंकड़े सामने आ सकें?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, पूरे प्रदेश में सैटेलाइट से सर्वे-कराना इस समय संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में सैटेलाइट का सेंटर एक हैदराबाद में है। लेकिन निकट भविष्य में भारत सरकार की सहायता से एक स्पेस सेंटर लखनऊ में कायम होने जां रहा है। साथ ही साथ फ्रांस के सहयोग से स्पाट सेंटर भी स्थापित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। इसके बाद इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि सड़क निर्माण और बांधों के निर्माण से जल प्लावन की समस्या दिन व दिन गंभीर होती जा रही है। खास कर पूर्वी जिलों में यह और भी जटिल है। तो क्या बलिया में भी इस प्रकार का सर्वेक्षण करायेंगे कि जल प्लावन से कितनी एकड़ भूमि ग्रसित है और उसका उपाय ढूंढेंगे?

श्री राम औतार दीक्षित–

जैसा माननीय सदस्य के उत्तर में कहा कि इस समय हैदराबाद में एक सैटेलाइट केन्द्र है उसमें एक घंटे में 25 लाख का खर्च आता है और दूसरी बात यह है कि कोई दिन या टाइम फिक्स नहीं है कि इस दिन फलां टाइम में जल प्लावन बढ़ेगा। तो उससे हमारी थोड़ी मजबूरियां आती हैं। जैसा मैंने अभी बताया आई0 आर0 एस0 और फ्रांस की सहायता से स्पाट स्पेश सेंटर की स्थापना भारत सरकार करने जा रही है। उसके बाद हम पूरे प्रदेश में जल प्लावन की समस्या का सर्वेक्षण करायेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक घंटे में 25 लाख रुपया खर्च आता है जिसके लिए धनाभाव की बात उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने लिखित उत्तर में कहा है कि 35 हजार हेक्टेयर दो जनपदों के कुछ हिस्सों में जलप्लावन हो चुका है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दो जनपदों के जलप्लावन के जो आंकड़े हैं वह 10 गुना ज्यादा आये हैं तो इस तरह सारे प्रदेश में जलप्लावन से अभी तक प्रोडक्सन में कितनी हानि हो रही है? क्या इसकी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो क्षेत्र जलप्लावित हो गये हैं उनमें शीघ्र नालियां बनाकर, उस भूमि को खेती योग्य बनाया जा सके?

श्री राम औतार दीक्षित–

इसके बारे में विचार किया जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने लखीमपुर और सीतापुर में सर्वेक्षण की बात कही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दों जिलों में जलप्लावन के कारण क्या हैं? यदि आधार नहरों का रिसाव है तो क्या माननीय मंत्री जी जिन कृषकों की निरंतर इस प्रकार क्षति हो रही है उसकी पूर्ति करने पर विचार कर रहे हैं?क्या वह शासन से संस्तुति करेंगे कि जिनकी जलप्लावन से निरंतर क्षति हो रही है उनकी क्षतिपूर्ति की जाय।

श्री राम आंतार दीक्षित—

मान्यवर, जल प्लावन के कितने ही कारण हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जल प्लावन अतिवृष्टि से भी होता है, नहरों के रिसाव से भी होता है इसके अलावा और भी कारण हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने किसानों को सहायता देने की बात कही है इसके बारे में अभी हमारी कोई नीति निर्धारित नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जिस सेंटर की बात लखनऊ में लगाने की की है कि शीघ्र लगने वाला है तो वह कब तक लग जायेगा ? दूसरा प्रश्न यह यह है कि शारदा सहायक के किनारे जो जमीन है उसमें मैं जानना चाहता हूं कि बताये गये दो जिलों को छोड़कर, बाकी जिलों का कब तक सर्वेक्षण करा लेंगे?

श्री राम आंतार दीक्षित—

मान्यवर, सर्वेक्षण बराबर कराया जा रहा है। लेकिन सैटलाईट से सर्वेक्षण कराने की जहां तक बात है तो मैंने पहले ही कहा है कि भारत सरकार के सौजन्य से यहां एक स्पेश सेन्टर बनाने जा रहे हैं और जब वह बन जायेगा तो सर्वेक्षण करा लिया जायेगा।

**रत्ना शुगर मिल्स कं0 लि0 शाहगंज, जौनपुर पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य**

*5-श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि रत्ना शुगर मिल्स शाहगंज जिला जौनपुर पर किसानों के गन्ने का दाम समेत विभिन्न मदों का लगभग 94 लाख रुपये का बकाया है और उस बकाये के भुगतान हेतु यदि कारखाने की नीलामी भी करायी जाये तो उसका चौथाई दाम भी नहीं मिलेगा? यदि हां, तो सभी प्रकार के बकायों के भुगतान और उक्त कारखाने में सेवारत 1200 से अधिक श्रमिकों की रोजी रोटी पर उत्पन्न खतरे की विषम स्थिति से निपटने के निमित्त सरकार क्या कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

दि रत्ना शुगर मिल्स कं0 लि0, शाहगंज, जौनपुर पर किसानों के गन्ना मूल्य आदि श्रमिकों के विभिन्न देयों का कुल 63.94 लाख रुपया दि0 31-12-85 की स्थिति के अनुसार अवशेष है। 1985-86 से पूर्व के गन्ना मूल्य/कमीशन तथा उस पर देय ब्याज का वसूली प्रमाण-पत्र गन्ना आयुक्त द्वारा जारी कर दिया गया है।

वर्तमान सत्र के गन्ना मूल्य एवं कमीशन के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा उ0 प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 एवं नियमावली, 1954 की क्रमशः धारा 17 (5) एवं नियम 48(क) के प्राविधानों के अनुसार चीनी मिल द्वारा वर्तमान सत्र में उत्पादित चीनी के बोरों पर प्राप्त होने वाली अग्रिम धनराशि में से 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य एवं कमीशन के भुगतान हेतु टैगिंग के आदेश दिए गए हैं।

श्रमिकों के देयों के भुगतान हेतु मिल द्वारा अपने बैंकर्स से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

**आजमगढ़ नगर में सीवर लाइन का निर्माण**

*6—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर में 1981-

82 से काफी धन लगाकर सीवर लाइन निर्मित की गयी है? यदि हां, तो क्या वह लाइन अभी तक चालू नहीं हुई है? उक्त सीवर लाइन कब तक चालू हो जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

जी नहीं।

योजना में प्रस्तावित सीवेज लैगून के लिए भूमि प्राप्त न होने के कारण मल जल निस्तारण की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त मूल्यों में वृद्धि के कारण भी कुछ कार्य अपूर्ण रह गए। अब अन्य नये कार्यों को शामिल कर पुनरीक्षित योजना बनाई गई है, जिसकी कुल लागत रु0 75.48 लाख है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् योजना को कार्यान्वित करना सम्भव होगा।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ नगर में 50 लाख रुपये लगाकर भी यह योजना किस कारण से रुकी है और पूरी नहीं की जा सकी? इस योजना में जमीन लेने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और किन-किन कठिनाइयों के कारण सरकार जमीन अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जमीन इसलिये नहीं मिल पाई कि जिन तीन गांवों की भूमि उपलब्ध होनी थी उसमें से दो गांवों ने स्टे-आर्डर ले लिया है और तीसरे गांव में अभी कार्यवाही चल रही है। लेकिन डी0 एम0 को आदेश दिये गये हैं कि जहां भी हो सके जल्दी भूमि उपलब्ध करायी जाये चूंकि जब तक भूमि उपलब्ध नहीं होगी तब तक चैनेल नहीं प्राप्त हो सकता है और यह कार्य पूरा करने में कठिनाई होगी।

श्री राम सरन–

मान्यवर, समस्या का समाधान नहीं हुआ है इसलिये मैं चाहता हूं कि श्री दुर्गा प्रसाद जी को मंत्री जी के पास बिठा दें जिससे इनकी बात वह समझ लें, और उनकी बात यह समझ लें।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझाव अच्छा है।

## वृन्दावन, मथुरा में कुम्भ मेले का आयोजन एवं की गयी व्यवस्था

*7–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि वृन्दावन (मथुरा) में आगामी वर्ष में कुम्भ का मेला लगने जा रहा है ? यदि हां, तो शासन की ओर से उक्त मेले के लिये क्या-क्या तैयारियां हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। यह एक अप्रान्तीयकृत मेला है जिसकी सम्पूर्ण व्यवस्था जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। उक्त मेले के लिए शासन द्वारा 3 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है और मेला संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें से निम्नांकित विशेष उल्लेखनीय हैं :–

1–मेला क्षेत्र में सड़कों, मुख्य मार्गों एवं यथास्थान पुलियों आदि का निर्माण अथवा मरम्मत।

2–मेला-स्थल की सफाई, भूमि का समतलीकरण तथा प्रकाश एवं जल-सम्पूर्ति की व्यवस्था।

3–मेला-क्षेत्र में अस्थायी स्नानगृहों, शौचालयों, मूत्रालयों आदि की स्थापना।

4–यमुना नदी में घाटों को घेर कर (यात्री स्नानार्थियों की सुरक्षा हेतु) बल्लियों की रोक (बेरीकेड) लगाना।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिला प्रशासन, मथुरा ने इस मेले की व्यवस्था के लिए कितने रुपये की मांग की थी? तथा सन् 74 में जब यह मेला लगा था तो उस समय कितना रुपया शासन ने इसके लिए दिया था?

श्रीमती पद्मा सेठ–

20 लाख . . 20 हजार रुपया . . (व्यवधान) मान्यवर, मुझको मालूम नहीं है। 20 लाख रुपये की मांग थी, जिसमें से 3 लाख दिया गया था, और पांच लाख रुपया अभी और दिया जा रहा है। 25 लाख उनको 20-9-85 को दिया गया है।

श्री प्रदीप माथुर–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वृन्दावन में यह जो मेला लगता है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता अभी तक क्यों नहीं दी गयी है और क्या शासन इसके लिए आश्वासन देगा कि 13 फरवरी, 86 से होने वाले इस मेले को मान्यता दे दी जाएगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इसको दिखवा लेंगे ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी बिलकुल स्पष्ट नहीं हुआ है। सन् 74 में आज से 12 साल पहले जब यह मेला लगा था, तो उस समय साढ़े तीन लाख रुपया उसकी व्यवस्था के लिए दिया गया था। अब तीन लाख दिया है आपने जब कि जिला प्रशासन ने 30 लाख की आपसे मांग की है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि चूंकि आपने जो कार्य गिनाए हैं, वह तीन लाख रुपये में होना सम्भव नहीं है, आप इसकी धनराशि को 30 लाख रुपया करने की कृपा करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

विचार कर लेंगे, मान्यवर।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। पूरे भारतवर्ष में केवल 4 जगहों पर कुम्भ का मेला लगता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। इसके अलावा अगर दूसरी जगह मेले की व्यवस्था शुरू हो जायगी तो पूरे हिन्दुस्तान के सब जगहों से मांग आयेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि केवल 4 जगह ही कुम्भ का मेला लगे पांचवीं जगह न लगाया जाय।

(हंसी)

श्री राय लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मथुरा वृन्दावन के नगर विकास के लिये जो धन दिया गया है और कुम्भ मेले के लिए जो धन दिया गया है तो वहां के क्षेत्रीय विधायक जो कांग्रेस (आई) के हैं उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाये हैं कि वहां धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो क्या इस सम्बन्ध में शासन के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

## राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध व्यक्तियों की रिहाई

*8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्धित व्यक्तियों के उच्च न्यायालयों से मुक्त किये जाने के कारणों में से एक कारण प्रशासनिक अक्षमता भी है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करेगी और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं, माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे संवीक्षण नहीं किये हैं जिसमें निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त करने का कारण प्रशासनिक अक्षमता हो।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को मुक्त किये जाने का कारण प्रशासनिक अक्षमता नहीं रही है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में उत्तर प्रदेश में कितने लोग निरुद्ध किये गये और उसमें से कितने लोग सरकार द्वारा मुक्त किये गये और कितने लोग कोर्ट द्वारा मुक्त किये गये साथ ही साथ कितने लोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये? उन लोगों के मुक्त किये जाने के क्या क्या कारण थे? क्या उसका एक कारण वैधानिकता की कमी रही है और यदि कमी रही है तो अवैधानिक निरुद्धि के लिए दोषी अधिकारियों को माननीय मंत्री जी दंडित करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, टोटल निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या 1648 है। जो सरकार के स्तर पर छोड़े गये उनकी संख्या 349 है। जो एडवाइजरी बोर्ड द्वारा छोड़े गये उनकी संख्या 344 है। कोर्ट्स द्वारा 388 व्यक्तियों को छोड़ा गया है, टोटल 1081 व्यक्तियों को छोड़ा गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जो यह लोग छोड़े गये हैं तो अगर प्रक्रिया संबंधी दोष नहीं था तो वैधानिक दोष रहा होगा। अवैधानिक रूप से जिन व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया तो इस संबंध में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की बात है। बाज वक्त ऐसा होता कि लीगल और टेक्निकल ग्राउन्ड पर लोगों को छोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में डिटेंशन आर्डर का प्रारूप ठीक से नहीं भरा गया तो इसी ग्राउन्ड पर छोड़ दिया गया। तो बहुत से लीगल और टेक्निकल ग्राउन्ड्स होते हैं और दूसरे इंटरप्रिटेशन की बात है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी अपना संवीक्षण, स्ट्रक्चर किसी अधिकारी के विरुद्ध पास नहीं किया जिसके आधार पर हम अपने अधिकारियों की किसी भी प्रकार की अक्षमता मान लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को उच्च

न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने निरुद्धि से मुक्त किया गया उसमें कुछ मामलों में ऐसा आब्जरवेशन दिया है कि अधिकारियों ने मैलाफाइडी इंटेंशन, कदाशयता के कारण निरुद्ध किया जबकि ठोस प्रमाण नहीं थे । तो ऐसे केसेज में शासन क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इस प्रकार की प्रक्रिया के बारे में तो मा0 सदस्य स्वयं जानते होंगे कि जिला स्तर से यहां कन्फर्मेशन के लिए आता है फिर यहां शासन स्तर से उसकी स्क्रूटिनिंग होती है तदुपरान्त 21–42 दिन के अंदर एडवाइजरी बोर्ड उस पर विश्लेषण करता है कि शासन स्तर पर तो कोई गलती नहीं रह गयी और इस एडवाइजरी बोर्ड में 3 जज होते हैं। एक रिटायर्ड और दो वर्किंग जजेज होते हैं। इस प्रकार शासन स्तर पर, एडवाइजरी बोर्ड और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से इस प्रकार की कोई जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं आयी कि जिला प्रशासन के स्तर पर से मैलाफाईड इन्टेन्शन से कोई निर्णय लिया हो।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, जिस प्रकार से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के लोगों का विचार है मीसा के संबंध में उससे स्पष्ट हो गया कि यह सरकार जानबूझकर राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पक्षपातपूर्ण रवैये को अख्तियार करके विपक्ष को दबाना चाहते हैं। जबकि शासन ने यह आश्वासन दिया था कि किसी भी भावना से प्रेरित होकर विपक्ष का विरोध नहीं किया जायेगा और जो प्रक्रिया गिरोहबंदी कानून के अंतर्गत तैयार की है उस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केवल एक व्यक्ति के मात्र कह देने से गोरखपुर के एक व्यक्ति को गिरोहबंदी कानून के अंतर्गत बंद कर दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि...

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछे यह तो मान्यवर, भाषण कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही पूछने जा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि जिस प्रकार के पक्षपात पूर्ण रवैये के तहत यह गिरोहबंदी कानून बनाया गया है जिसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोग उन अधिकारियों के प्रति करेंगे जिन्हें राजनीतिक भावना से प्रताड़ित करना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह कोई प्रश्न माननीय सदस्य ने नहीं पूछा है यह आम बात कही है कोई स्पैसिफिक बात नहीं है और न ही कोई स्पैसिफ़िक इंसटान्स माननीय सदस्य ने दिया है तो मैं उत्तर क्या दूं?

श्री हरि शंकर तिवारी–

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे जिन्होंने झूठे बयान देकर न्यायालय को गुमराह करना चाहा था, जिसे हाईकोर्ट ने अवैध माना ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

कोई आपत्तिजनक कार्यवाही की होगी, उसकी सफाई में किया होगा अगर आप कोई स्पैसिफिक मामला देंगे तो उसकी हम अवश्य जानकारी करायेंगे ।

**प्रदेश के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों (चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेटों) को घटना-स्थल पर निरीक्षण हेतु जीप दिये जाने की मांग**

*9–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों (चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेटों) को जेल निरीक्षण, घटना स्थल, पुलिस स्टेशन पर हवालातियों की स्थिति का निरीक्षण, जनपद के विभिन्न न्यायालयों का निरीक्षण और त्वरित रिमाण्ड देने हेतु अस्पताल आदि जाने के लिए सरकारी जीप की सुविधा प्रदान करने की बात शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या न्यायिक प्रक्रिया में गतिशीलता लाने के लिये सरकारी जीप प्रदान करने का निर्णय सरकार लेगी ?

**श्री वीर बहादुर सिंह–**

जुडीशियल मजिस्ट्रेटों को जेल या अस्पताल जाकर अभियुक्तों को रिमाण्ड देने के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें सरकारी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बारे में गृह विभाग द्वारा 16 सितम्बर, 1980 को आदेश प्रसारित किये गये थे । रिमाण्ड के लिये अभियुक्त को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पुलिस की है । तब से यह व्यवस्था जारी है और उन्हें यह सुविधा दी जा रही है। इस प्रयोजन हेतु चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेटों को अलग से सरकारी जीप की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव संप्रति शासन के विचाराधीन नहीं है।

जीप का उपलब्ध कराना राज्य के वित्तीय संसाधनों के अधीन है ।

**प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों पर बकाया बिक्री कर की माफी संबंधी कथित शासनादेश**

*10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रान्सपोर्टरों द्वारा फार्म 34 के आधार पर माल ढोने में अनियमितता करने के कारण जिन ट्रांसपोर्टरों से बिक्रीकर वसूल किया जाना था उन सब पर बकाया बिक्री कर, बिक्रीकर आयुक्त ने हाल में ही एक शासनादेश जारी करके माफ कर दिया है ? क्या यह भी सही है कि धारा 30 के अंतर्गत खोले जाने हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो इससे बिक्री कर विभाग को अनुमानत: कितने करोड़ रु0 की क्षति उठानी पड़ेगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जी नहीं ।

शासन या बिक्रीकर मुख्यालय स्तर पर यह सूचना नहीं रखी जाती कि धारा 30 में कितने प्रार्थना-पत्र दिए गए और उनमें से कितने कालबाधित थे ।

धारा 30 में प्रार्थना-पत्र देने मात्र से करदायित्व समाप्त नहीं हो जाता। अत: राजस्व की क्षति का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्न मेरा यह था कि बिक्री कर अधिनियम की धारा 34 के अनुसार माल ढोने में अनियमितता करने के कारण जिन ट्रांसपोर्टरों से बिक्री कर वसूल किया जाना था क्या उन सब पर का बकाया, बिक्रीकर आयुक्त ने ही एक शासनादेश जारी करके माफ कर दिया

है, उत्तर दिया गया कि "जी नहीं"। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि किसी भी शासनादेश द्वारा ट्रांसपोर्टरों पर बकाया बिक्रीकर माफ नहीं किया गया है तो अब तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं जो करवंचना से संबंधित हैं और ऐसे मामले कितने करोड़ से संहित हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, यह जो प्रश्न है, यह धारा 30 से संबंधित है और को-रिलेटेड है धारा 34 से। जो जिला स्तर के हमारे आफीसर्स हैं, वे धारा 30 के अंतर्गत केसेज को रि-ओपेन कर सकते हैं। उन्हें धारा 30 के अंतर्गत केसेज को रि-ओपेन करने का अधिकार है । इसकी कोई सूचना मुख्यालय स्तर पर नहीं होती, इसलिए इसमें उत्तर दिया गया है, जी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने 7 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने की चेष्टा की है । नियम 30 में जो रि-ओपेन के केसेज होते हैं, उसे रि-ओपेन करने का अधिकार एस0 टी0 ओज0 को होता है, यह तो सभी जानते हैं। मेरा प्रश्न यह था कि बकाया बिक्री-कर वसूल करने के बारे में बिक्रीकर आयुक्त ने हाल ही में एक शासनादेश जारी करके माफ कर दिया है, क्या इसके बारे में राज्य सरकार ने जिला स्तर पर जानने की चेष्टा की ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, इसमें चेष्टा की गयी, लेकिन श्रीमन् समय इतना कम था कि अल्प समय में इतनी सूचना इकट्ठा होना संभव नहीं था। इसमें यदि किसी एक जिले का या किसी एक डिवीजन का कहा जाता, तो निश्चित रूप से इसकी सूचना एकत्र करके बताया जा सकता था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सूचना आप देखें। यह प्रश्न मैंने आज से दो महीने पहले दिया था। यह तीन महीने की बात है। यह शासन को सूचना 26-10-85 को मिल गयी थी, मेरा निश्चित आरोप है कि सरकार घोषणाएं तो बड़ी ऊंची-ऊंची करती है, लेकिन भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है । मान्यवर, जब शासन को इसकी जानकारी मिल गयी, तो शासन को अपनी ओर से कोई कार्यवाही या पत्र जिले स्तर पर लिखना चाहिए था। यदि लिखा गया, तो वह कब लिखा गया?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, कमिश्नर ने अपने यहां पर मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने अपने यहां पर स्पष्ट निर्देश दिये थे कि धारा 30 में कितने केसेज पेंडिंग हैं और कितने केसेज रि-ओपेन हुए हैं, उसकी सूचना दी जाय । लेकिन इतने कम समय में सूचना नहीं मिल पाई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इनके आयुक्त ने एस0 टी0 ओज0 से कहा था कि इसकी सूचना दी जाय। लेकिन मान्यवर, वह सूचना नहीं दी गयी । मेरा आरोप है कि 7 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, क्या मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि आप इस सवाल को स्थगित कर देंगे और निर्देश देंगे कि मंत्री

जी इसकी जानकारी प्राप्त करके पुनः सूचना दें कि कितने मामलों में टाइम बार्ड होने के बाद दफा 30 के अंतर्गत उनको माफी दी गयी? मान्यवर, क्या इस प्रश्न को आप स्थगित करने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, इसमें भ्रष्टाचार का या 7 करोड़ रुपये का मामला इसलिए नहीं बनता है कि जब कोई ट्रान्सपोर्टर अपना माल यानि फार्म नं0 34 से लेकर जब किसी एक चेक पोस्ट से पास होता है, तो उसको दूसरे चेक पोस्ट पर रिपोर्ट करना होता है और अगर उसने रिपोर्ट नहीं की, तो यह मान लिया जाता है कि उसने अपने माल को उत्तर प्रदेश में कहीं पर बेच दिया है। ऐसी स्थिति में उसको नोटिस दी जाती है और अगर उसका जवाब नहीं आता है, तो एक्स-पार्टी डिसीजन होता है और धारा 30 में उसको अपना केस रि-ओपेन कराने का अधिकार होता है और सुनवाई होने पर वह एक्स-पार्टी डिसीजन निरस्त कर दिया जाता है ।

**वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का कथित संकल्प**

*11–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980 में शासन ने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने का संकल्प लिया था? यदि हां, तो वह अब तक किन कारणों से क्रियान्वित नहीं किया गया? क्या यह सही है कि इस विलम्ब के दौरान कई वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों ने अवकाश ग्रहण कर लिया और उन्हें सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा सका? यदि हां, तो क्या शासन अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों को भी वही सुविधा प्रदान करेगी, जो उन्हें सेलेक्शन ग्रेड मिल जाने के बाद अवकाश प्राप्ति पर मिलती? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

वर्ष 1980 में कोई संकल्प शासन ने लिया ही नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रदेश में अभियोजन पक्ष की स्थिति बहुत खराब है। निरन्तर अभियोजन के मुकदमें छूट रहे हैं, जिसके कारण सरकार भी चिन्तित है। अभियोजन अधिकारियों में असन्तोष फैला हुआ है। पिछले कई वर्षों में मुख्य मंत्री जी को प्रतिवेदन भी दिए गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अन्य सरकारी विभागों की भांति सामान्य नीति अख्तियार करते हुए, दस वर्ष में चयन वेतनमान और 16 वर्षों में पदोन्नति वेतनमान अभियोजन अधिकारी को देने पर विचार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह स्वीकार कर लिया गया है। यह 1980 में नहीं 29 सितम्बर, 1981 को किया गया है। इसमें 17 पद का सृजन किया गया। इसमें 14 लोगों को ले लिया गया है और तीन पद शेष रह गये हैं। 14 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि क्या अन्य सरकारी विभागों

की भांति सामान्य नीति अख्तियार करते हुए दस वर्ष में चयन वेतनमान और 16 वर्षों में पदोन्नति वेतनमान अभियोजना अधिकारी को देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

विचार करेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

कब?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

कर चुकी है। अभी बता दिया गया है।

*12–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**लखनऊ में बाढ़ के समय स्थापित नियंत्रण कक्ष में मकान गिरने से संबंधित प्राप्त शिकायतें**

*13–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत सितम्बर, अक्तूबर, 1985 को लखनऊ में आई हुई बाढ़ के दौरान कोई नियंत्रण कक्ष खोला गया था? यदि हां, तो किस श्रेणी के अधिकारी वहां ड्यूटी पर रहते थे तथा कितनी शिकायतें मकानों के गिरने के सम्बन्ध में उक्त कार्यकाल में लिखित अथवा मौखिक प्राप्त हुई तथा उसमें नगर महापालिका ने क्या कार्यवाही की?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। महापालिका, लखनऊ द्वारा दिनांक 16-9-85 से 29-10-85 तक बाढ़ के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था जिसमें महापालिका/जल संस्थान के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता आदि ड्यूटी पर लगाये गये थे।

उक्त अवधि में 279 मकानों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। महापालिका द्वारा मकानों के गिराऊ भाग को गिराने, मलवा हटाने, रास्ता साफ करने तथा नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गयी।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जब बाढ़ आई हुई थी तो कन्ट्रोल रूम खोले गये थे, बाढ़ के बाद जब मकान गिर रहे थे, तो जब-जब वहां शिकायत की गई, वहां न तो अवर अभियन्ता और न ही सहायक अभियन्ता मिले मकानों के गिरने की जब भी सूचना दी गई, तो आठ-आठ घंटे तक कोई सहायता नहीं मिली, वहां जनता द्वारा लाशें निकाली गईं, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह लोग ड्यूटी पर नहीं रहे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इसकी जानकारी तो नहीं है। अगर इसकी शिकायत की गई होती तो कार्यवाही हो जाती।

श्री नरेश चन्द्र–

जिस वक्त बाढ़ आई हुई थी उस वक्त नालों में बहकर लोगों की जानें चली गईं, जब-जब कन्ट्रोल रूम को सूचना दी गई, तो उन्होंने कहा यह जल संस्थान का कार्य है जल संस्थान ने कहा जल निगम का है, जल निगम कहता है कि जल संस्थान का कार्य है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने की कृपा करेंगी, जिसके मातहत जल संस्थान और जल निगम दोनों हों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इस पर विचार कर लिया जाएगा।

---

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

**हाट मिक्स प्लांट से नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में सड़कों का निर्माण**

*14–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाट मिक्स प्लान्ट पद्धति से निर्मित सड़क पर नोएडा में लागत 1 लाख 45 हजार प्रति कि0 मी0, गाजियाबाद में 2 लाख 94 हजार प्रति कि0 मी0 तथा लखनऊ में 4 लाख 60 हजार प्रति कि0 मी0 है? यदि हां, तो एक जैसी सड़कों के निर्माण के लिए लागत में इतना अन्तर क्यों है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हाट मिक्स प्लांट से बनने वाली सड़कों की तुलनात्मक लागत प्रति कि0 मी0 निम्न प्रकार है :–

| नगर | विशिष्टियां | लागत प्रति कि0मी0 | |
|---|---|---|---|
| | | एक लेन रु0 | दो लेन रु0 |
| नोएडा | 5 से0मी0 बी0 एम0 4 से0मी0 ए0सी0 | 1 94 लाख | 3.88 लाख |
| गाजियाबाद | 5 से0मी0 बी0 एम0 4 से0मी0 ए0 सी0 | 2.00 लाख | 4.00 लाख |
| लखनऊ | 5 से0मी0 बी0 एम0 2 से0मी0 एस0डी0 सी0 | 2.19 लाख | 4.39 लाख |

जहां सड़क की चौड़ाई दो लेन से अधिक है, वहां लागत उसी अनुपात में और बढ़ जाती है।

लखनऊ में दर अधिक होने का कारण यह है कि गिट्टी की खदान और रिफाइनरी गाजियाबाद और नोएडा की अपेक्षा लखनऊ से दूर है। गाजियाबाद और नोएडा की दरों में अन्तर मामूली है जो स्थानीय परिस्थितियों के कारण हो सकता है।

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, की बुलन्दशहर की इकाई पर श्रमिकों का बकाया वेतन एवं ग्रेच्युटी**

*15–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 इकाई बुलन्दशहर के श्रमिकों को फरवरी, 85 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? क्या यह भी सही है कि फरवरी से मई, 85 तक के वेतन, रिटायर्ड एवं मृत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आदि ओवर टाइम एवं अन्य भत्तों, ड्यू लीव वर्ष 83-84 एवं 84-85 का कुल मिलाकर श्रमिकों का लगभग 59 लाख 80 हजार रुपया उत्तर प्रदेश चीनी निगम के जिम्मे बाकी है? यदि हां, तो इसका भुगतान न किये जाने का क्या कारण है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, इकाई बुलन्दशहर के श्रमिकों को फरवरी, 1985 से नवम्बर, 1985 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। इस मिल का अधिग्रहण उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 द्वारा करके मिल को दिनांक 28-10-84 से निगम में निहित कर दिया गया है। अधिग्रहण की तिथि के

बाद के अवशेष बकायों का यथा शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिग्रहण की तिथि के पूर्व के बकायों के संबंध में चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**ग्राम अटरिया, थाना मोठ, जिला झांसी निवासी श्रीमती अंगूरी देवी द्वारा आत्महत्या**

*16–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अटरिया थाना मोठ जिला झांसी, निवासी श्री करन सिंह की मृत्यु 19-4-85 को हुई तथा इनके परिवार के लोग इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी श्रीमती अंगूरी देवी को प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायतें श्रीमती अंगूरी देवी ने अधिकारियों से की थी? श्री छोटे लाल, वकीलेराम, संतोष, प्रेम ने गिरीश खरे तथा बनमाली से मिलकर जबरन गले में फांसी लगाकर श्रीमती अंगूरी देवी की हत्या 29-5-85 को कर दी? क्या यह सत्य है कि मृतका के पिता की सूचना पर थाना मोंठ में एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर लिखी गयी परन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम अटरिया थाना मोठ जिला झांसी निवासी श्री करन सिंह की मृत्यु दिनांक 19-4-85 को हुई थी। श्री करन सिंह की मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगों द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती अंगूरी देवी को प्रताड़ित करने के संबंध में श्रीमती अंगूरी देवी के किसी भी शिकायती पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया गया।

श्रीमती अंगूरी देवी द्वारा गले में रस्सी का फंदा डालकर आत्म-हत्या करने की सूचना मृतका के ससुर श्री कढोरे द्वारा दिनांक 29-5-85 को थाना मोठ जनपद झांसी पर दी गयी जिसपर पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी। श्रीमती अंगूरी देवी के पिता द्वारा इस घटना की सूचना थाना मोठ पर नहीं दी गयी थी वरन् विवेचना के दौरान मृतका के पिता श्री राम सेवक निवासी ग्राम बिछौदना थाना भान्डेर जनपद ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा इस आशय के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए कि दिनांक 29-5-85 को छोटे लाल, वकीले, संतोष, प्रेम तथा बनमाली ने मारपीट कर गले में फांसी लगाकर श्रीमती अंगूरी देवी को मार डाला है।

मामले की सम्पूर्ण विवेचना से पाया गया कि श्रीमती अंगूरी देवी ने अपने पति के वियोग में स्वयं गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकरण में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया अतः किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गयी। मामले की विवेचना अंतिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गयी है।

**गोरखपुर, बड़हलगंज टाउन एरिया की नजूल भूमि पर पटरी दुकानदारों को हटाये जाने की घटना**

*17–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज टाउन एरिया के सुन्दरीकरण के लिए विगत 20 मई से बांसगांव तहसील के एस0 डी0 एम0 ने अभियान चलाया और उन्होंने गरीब व मध्यम वर्ग के कारोबारियों के दुकानों की तोड़-फोड़ व लूटपाट कराई? यदि हां, तो क्या उजड़े हुए कारोबारियों को पुनः स्थापित (रिहैबिलिटेटेड) करने

और उनकी क्षतिपुर्त के लिए शासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी बड़हलगंज के अन्तर्गत नजूल भूमि पर सड़कों के किनारे बहुत से लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे जिसके कारण सड़क काफी तंग हो गई थी और गंदे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया था। प्रभारी अधिकारी टाउन एरिया कमेटी, बड़हलगंज ने दिनांक 20 मई, 1985 को यह घोषणा की कि अतिक्रमण अपनी स्वेच्छा से हटा लिए जाएं, वरना उन्हें विभाग द्वारा हटा दिया जायेगा और अतिक्रमण हटाने पर जो खर्चा आयेगा वह उनसे वसूल किया जायगा । उक्त घोषणा सुनते ही स्थानीय जनता ने स्वयं अपनी-अपनी गुमटियां एवं चौकी छप्पर आदि स्वेच्छा से हटा लिए जिसमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई और न विभाग द्वारा ही उत्पीड़न की कार्यवाही की गई । इसके पश्चात् स्थानीय जनता के अनुरोध पर सड़क के किनारे उन अस्थायी दुकानदारों को जो तहबाजारी शुल्क देते रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था तक बने रहने की इस शर्त के साथ अनुमति दी गयी कि वे कोई गुमटी आदि न रखें और पूर्व की भांति तहबाजारी शुल्क नियमित रूप से देते रहे । शर्त का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी। अतः उजड़े हुए कारोबारियों को पुनः स्थापित करने और उनको क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**थाना कोतवाली, सुल्तानपुर में श्री अजय सिंह, आई0 पी0 एस0 के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट**

*18–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा 12 जुलाई, 1985 को या उसके आसपास थाना कोतवाली, सुल्तानपुर, में श्री अजय सिंह, आई0 पी0 एस0 के विरुद्ध धोखाधड़ी, सरकारी धन के गबन, अभिलेखों में हेराफेरी तथा अपराधिक षडयंत्र का एक मुकदमा दर्ज कराया गया? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या हैं और प्रथम सूचना (एफ0 आई0 आर0) पर क्या प्रश्नगत अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा श्री अजय सिंह, आई0 पी0 एस0 एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 12-7-85 को अभियोग सं0 761/85 धारा 420/465/467/468/418/471/120 बी0 भारतीय दण्ड विधान एवं 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना कोतवाली, सुल्तानपुर में पंजीकृत कराया गया है ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की प्रारम्भिक जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि जनपद सुल्तानपुर में पुलिस भवनों के विशेष मरम्मत के कार्यों में कुछ कार्यों के बहुत थोड़ा किये जाने और कुछ कार्यों के बिल्कुल न किये जाने पर भी भुगतान के आदेश कर दिये गये ।

अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी है। विवेचना पूर्ण होने पर इस संबंध में यथा-आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

*19–श्री फरीद महफूज किदवई–

[2रे मंगलवार के लिए स्थगित।]

**श्री अमीर आलम खां, विधायक, मुजफ्फरनगर पर प्राण घातक हमला**

*20–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-9-85 को विधायक

अमीर आलम खां क्षेत्र थाना भवन जिला मुजफ्फरनगर पर प्राणघातक हमला हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री अमीर आलम खां द्वारा अपने ऊपर प्राणघातक हमला किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी । इस पर थाना भिन्भाना पर धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया ।

**घटना टाउन एरिया के चुनाव के संबंध में मतदाताओं की सूची के प्रश्न पर दो दलों में उत्पन्न तनाव को लेकर हुई ।**

विवेचना से हत्या का प्रयास स्पष्ट न हो सका । एक अभियुक्त श्रीपाल जैन का घटना में सम्मिलित होना नहीं पाया गया । अतएव उन्हें छोड़कर शेष नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/149/324/336 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 1985 को न्यायालय भेजा जा चुका है ।

## अतारांकित प्रश्न

**बलिया, थाना बांसडीह के सहायक दरोगा श्री शिवहर्ष तिवारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र**

1–श्री मैनेजर सिंह तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी–

क्या मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत बांसडीह थाने के सहायक दरोगा श्री शिवहर्ष तिवारी के विरुद्ध 7 मई एवं 10 मई को क्रमशः पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को शिकायती-पत्र दिए गए ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 7 मई, 1985 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी के मेट श्री राज नारायण के वेतन का भुगतान**

2–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 वाराणसी में नियमित मेंट के पद पर कार्यरत श्री राजनारायण मेट को नवम्बर, 83 से अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 वाराणसी द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अब भुगतान हो गया है ।

**नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना**

3–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजना में नैनीताल अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के लिए प्रति वर्ष कितने-कितने ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? निर्धारित लक्ष्य के विपरीत इन जनपदों में कितने-कितने ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद नैनीलाल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1863 तथा छठी पंचवर्षीय योजना में 1838 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । उक्त लक्ष्य के विपरीत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1896 ग्रामों को तथा छठी पंचवर्षीय योजना में 2308 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

**4—श्री पूरन सिंह माहरा—**

**क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन तीनों जनपदों में अलग-अलग वर्ष 1985 के अंत तक, कुल कितनी-कितनी (प्रतिशत) पेयजल योजनाएं प्रारम्भ हो जावेंगी ?**

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में दिसम्बर, 1985 तक क्रमश: 96, 70 एवं 70 प्रतिशत ग्रामों में पेयजल योजनाएं आरम्भ हो गई हैं ।

**आगरा के कस्बा पिनाहट के कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा**

5—श्री चन्द्र भान मौर्य—

**क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि** आगरा जनपद के कस्बा पिनाहट में प्लाट नं0 **3162 पर कब्रिस्तान है जिस पर पिनाहट** ब्लाक कांग्रेस आई0 के अध्यक्ष ने सन् 1980 **में जबरन अवैध कब्जा कर लिया है ? सरकार ने उस अवैध कब्जा को हटाने की अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्री वीर बहादुर सिंह—

**प्रश्नगत भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।**

**मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।**

**सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती को सड़कों के निर्माण हेतु दी गई धनराशि**

6—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्व0 नि0 विभाग द्वारा सड़कों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु क्रमश: प्रति किलोमीटर कितना-कितना धन स्वीकृत किया जाता है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 80 से मार्च, 85 तक बस्ती जनपद के अस्थाई निर्माण खण्ड प्रथम को उपरोक्त कार्यों हेतु कितना-कितना धन किन-किन वर्षों में स्वीकृत किया गया है? क्या मंत्री जी वर्षवार स्वीकृत कार्यों की तथा उनके हेतु आवंटित धन की सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के जीर्णोद्धार, पुन: निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु प्रति किलो मीटर मार्ग की लागत विभिन्न स्थानों पर मार्ग की दशा को देखते हुए स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त कार्यों हेतु अप्रैल, 1980 से मार्च, 1985 तक अस्थायी निर्माण खंड प्रथम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती को एक मुश्त धन स्वीकृत किया गया था जो निम्नवत् है:—

| वर्ष | स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|
| 1980–81 | 8.00 |
| 1981–82 | 6.15 |
| 1982–83 | 7.50 |
| 1983–84 | 7.50 |
| 1984–85 | 12.00 |

वर्षवार स्वीकृत कार्यों को तथा उनके हेतु आवंटित धन की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145 पर।)

**फैजाबाद जनपद के थाना रौनाही में हत्या की घटना**

7—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16 जून, 1985 को ग्राम व थाना रौनाही जिला फैजाबाद में तीन व्यक्तियों की दिन

दहाड़े कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी है जिनके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट अंकित कराई गई है और क्या यह सही है कि इन्हीं अपराधी तत्वों ने इस घटना के पूर्व माह मार्च एवं अप्रैल, 85 में मारपीट, दुकान की लूटपाट, कार, ट्रैक्टर जलाने की आतंकपूर्ण घटनाएं की है जिसके विरुद्ध संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और तीन व्यक्तियों के पूर्व नियोजित सामूहिक नर संहार का कारण क्या है ? अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक चरित्र क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । जांच से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-6-85 के सायंकाल ग्राम व थाना रौनाही, जनपद फैजाबाद में 2 व्यक्तियों की हत्या नामजद अभियुक्तों द्वारा की गई । इस संबंध में अपराध सं0 173/85 धारा 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत थाना रौनाही में पंजीकृत हुआ । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

इसी रात्रि को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश ग्राम रौनाही में पाई गई । इस संबंध में अपराध सं0 174/85 धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । विवेचना प्रचलित है ।

जी हां । अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

2 व्यक्तियों की हत्या पार्टीबन्दी एवं रंजिश के कारण किया जाना पाया गया। विभिन्न अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107/116(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । कुछ अपराधियों का अपराधिक इतिहास भी रहा है जो संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 146 पर।)

## बिक्री कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

8–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1551 दि0 22-8-84 बिक्रीकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 19 वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी, तो कब की जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । पत्र का उत्तर पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का परीक्षण कराके माननीय विधायक को अलग से भेजा जा रहा है ।

## बलिया एवं गाजीपुर जिले की विकास योजनाएं

9–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया, गाजीपुर जनपद के विकास के लिए कोई विशेष योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बलिया जनपद की सहतवार नगर क्षेत्र समिति की पेयजल योजना तथा बलिया नगर की पेयजल पुनर्गठन योजना निर्माणाधीन है । रसड़ा पेयजल की पुनर्गठन योजना बनाई गई है । नये 411 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद गाजीपुर के नगर गाजीपुर तथा सैदपुर में पेयजल पुनर्गठन योजना निर्माणाधीन है । नये 44 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त बलिया तथा गाजीपुर नगरों के लिये छोटे तथा मध्यम आकार की संगठित विकास की विशेष योजना है जिनकी स्वीकृत लागत क्रमश: रु0 121.43 लाख तथा रु0 128.55 लाख है जिसके विरुद्ध 30 सितम्बर, 1985 तक क्रमश: रु0 80.25 लाख तथा रु0 16.03 लाख व्यय हो चुका है ।

**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, सदस्य राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, देवरिया के गन्ने का सट्टा**

10—श्री बालेश्वर—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा प्रसाद, सदस्य राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण उ0 प्र0 के नाम गन्ना समिति पडरौना, जनपद देवरिया में वर्ष 81-82 व 82-83 में कितने एकड़ गन्ने का सट्टा हुआ है ? क्या यह सत्य है कि श्री दुर्गा प्रसाद के पास 25-75 एकड़ ही भूमि राजस्व अभिलेखों में है और इनके द्वारा 32 एकड़ से अधिक गन्ने का सट्टा फर्जी किया गया? यदि हां, तो क्या श्री दुर्गा प्रसाद को गन्ना समिति पडरौना (देवरिया) की सदस्यता से गन्ना समिति की उप विधियों के तहत दो माह के अंदर शासन द्वारा पृथक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, सदस्य राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण उ0 प्र0 के नाम गन्ना समिति पडरौना जनपद देवरिया में वर्ष 1981-82 में 33.52 एकड़ तथा 1982-83 में 35.20 एकड़ गन्ने का सट्टा किया गया । श्री मिश्र के पास निजी स्वामित्व में 15.26 एकड़ भूमि तथा सहखातेदारी में 41.96 एकड़ भूमि है जिसमें चार सह-खातेदार हैं।

इस संबंध में विस्तृत जांच के लिये उप गन्ना आयुक्त गोरखपुर को निर्देशित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

**गन्ना समिति पडरौना, जिला देवरिया के कतिपय सदस्यों के विरुद्ध शिकायती-पत्र**

11—श्री बालेश्वर—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समिति पडरौना जनपद देवरिया के कतिपय सदस्यों के विरुद्ध श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्त, ग्राम कोढिलवा गन्ना समिति पडरौना जनपद देवरिया का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 8-8-84 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र गन्ना आयुक्त को प्राप्त हुआ था । इस पर उनके द्वारा जांच करायी जा रही है ।

**उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियंताओं की सेवा समाप्ति सम्बन्धी मुकदमें में मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय**

12—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0, जल निगम के किन-किन अवर अभियंताओं की किन-किन आरोपों में वर्ष 1981 में उ0 प्र0 जल निगम की सेवा से पृथक किया गया था तथा उनमें से किन-किन को मा0 लोक सेवा अधिकरण या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोष रहित पाकर पुन: सेवा में लेने के आदेश दिये गये हैं ?

**श्री वीर बहादुर सिंह–**

वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश जल निगम के दो अवर अभियंताओं श्री आर0 सी0 त्रिपाठी व श्री हसनैन खां को अनुशासन-हीनता के आरोपों में सेवा से पृथक किया गया था। उनमें से किसी को भी सेवा में रखने का आदेश मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। केवल श्री हसनैन खां को सेवा में रखने का आदेश मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिया गया है।

13–श्री रणजीत–

उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के जिन दोषी अधिकारियों की वजह से जो अवर अभियंता गलत ढंग से सेवा से पदच्युत किये गये थे और अब सेवा में ले लिये गये हैं उसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने तथा पीड़ित अवर अभियंताओं को उनके वेतन भत्ते के अतिरिक्त, मानसिक उत्पीड़न व उनकी प्रतिष्ठा को आघात लगने के बदले मुआवजा देने हेतु उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कोई आदेश पारित किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री वीर बहादुर सिंह–**

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय में उ0 प्र0 जल निगम के किसी भी अधिकारी पर कोई दोष नहीं लगाया गया है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पीड़ित अवर अभियंता को जो सुविधा तथा लाभ दिये जाने थे वह दिये जा चुके हैं। मानसिक उत्पीड़न व प्रतिष्ठा पर आघात लगने के बदले उक्त अवर अभियंता को मुआवजा देने के लिये मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई आदेश नहीं दिया गया है। अतः उ0 प्र0 जल निगम द्वारा इस संबंध में कोई आदेश जारी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम द्वारा संचालित छविगृहों से लाभ व हानि

14–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 4थे मंगल के अता0 प्र0 सं0 163 के उत्तर के संबंध में क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस मामले की कोई जांच कराई कि चलचित्र निगम द्वारा निर्मित कोई भी छवि गृह लाभ पर नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो जांच किसस कराई गई तथा क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम द्वारा संचालित छविगृहों के लाभ में चलने अथवा न चलने के संबंध में निगम द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गयी और यह प्रयास किया गया कि इन सिनेमाघरों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके।

निगम की समीक्षा के लिये शासन द्वारा श्री सुरेन्द्र मोहन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी है, जिसके द्वारा निगम के कार्य-कलापों एवं लाभ-हानि की समीक्षा की जा रही है ।

## बिक्री कर विभाग के फार्म-31 तथा फार्म-32 को 'पाइलेट बाल पेन' से भरे जाने संबंधी आदेश

15–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बिक्रीकर आयुक्त द्वारा इस आशय का आदेश जारी करने का क्या कारण है कि बिक्रीकर से संबं-

धित फार्म-31 तथा फार्म-32, 1 जून, 85 से पायलट बाल पेन से ही भरा जाए जो एक विदेशी कम्पनी भारत के किसी पूंजीपति के सहयोग से बना रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कम मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए जारी फार्म 31 का दुरुपयोग करके अधिक मूल्यवान वस्तुओं का आयात किए जाने के काफी मामले प्रकाश में आए थे। अतएव एसी वस्तुओं (जैसे-कोयला, गिट्टी, बालू, मौरंग, कोल-एश इत्यादि) के आयात हेतु पंजीकृत व्यापारियों को फार्म 31 जारी करते समय उस पर "केवल कोयले के आयात के लिए" "मौरंग के आयात के लिए" आदि मोहर लगा दी जाती थी। किन्तु इस व्यवस्था के प्रभावी करने से भी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। एसे दृष्टान्त प्रकाश में आए जिनमें फार्म 31 पर अंकित मोहर को किसी केमिकल से मिटाकर अधिक मूल्य की वस्तु का आयात किया गया। अतः राजस्व की क्षति से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि फार्म 31 के प्रथम पांच स्तम्भों की प्रविष्टियों को "पाइलेट बाल पेन" से भरा जाए क्योंकि बाजार में बिकने वाले अन्य बालपेन की स्याही को केमिकल से मिटाने पर कोई धब्बा नहीं पड़ता। किन्तु इस पेन में प्रयुक्त स्याही को केमिकल से मिटाने पर धब्बा पड़ता है। इससे चेक पोस्ट पर इस स्याही से भरे फार्म 31 प्रयुक्त करने पर उससे मिटाने के प्रयास की जानकारी आसानी से हो जाए। उक्त पेन को एक विदेशी कम्पनी द्वारा भारत के किसी पूंजीपति के सहयोग से बनाए जाने की जानकारी बिक्रीकर विभाग को नहीं है।

**बिक्री कर अधिकरण में लम्बित अपीलें**

16–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में बिक्रीकर की द्वितीय अपीलों को निस्तारित करने के हेतु बिक्रीकर ट्रिबुनल किस वर्ष से गठित किये जाने लगे ? प्रदेश के सभी ट्रिबुनलों में एसे कितने वाद है जो 3 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिक्रीकर अधिकरण वर्ष 1980 से गठित किए गए। अधिकरणों में 1-1-86 को 3 वर्ष से अधिक अपीलों की संख्या 13,894 है।

**उत्तर प्रदेश कोषागार कर्मचारी संघ की मांगें**

17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 2रे मंगलवार के ता0 प्र0 सं0 20 के उत्तर के संबंध में क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मांग 2, 3, 6, 7, 9 एवं 12 के बारे में यथोचित स्वीकृतियां किस-किस तिथि को जारी की गई? मांग 4 के बारे में क्या अंतिम फैसला कर लिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह:–

मांग 2, 3, 6, 7, 9 व 12 के बारे में यथोचित स्वीकृतियां निम्न तिथियों को जारी की गयी:–

| मांग संख्या | स्वीकृति जारी करने की तिथि |
|---|---|
| मांग–2 | 6-11-1982 |
| | 12-10-1983 |
| | 22-10-1984 |
| मांग–3 | 30-3-1982 |

| मांग संख्या | स्वीकृति जारी करने की तिथि |
|---|---|
| मांग–6 | 27-4-1985 |
| मांग–7 | विशिष्ट आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है । |
| मांग–9 | 15-4-1982 |
| | 22-12-1983 |
| मांग–12 | 25-3-1983 |

मांग 4 के बारे में निर्णय लिया जा चुका है जो निम्न प्रकार है:–

(1) पेंशन लिपिक तथा बिल पारण लिपिक पदों पर कर्मचारियों की ज्येष्ठता के आधार पर चयन कर नियुक्ति कर दी जाय ।

(2) जब तक उपर्युक्त (1) के अनुसार नियुक्ति न की जाय तब तक पेंशन लिपिक तथा बिल पासिंग लिपिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का क्रमशः रु0 354-550 तथा रु0 430-685 के सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित कर दिया जाय । उक्त वेतनमानों में निर्धारित वेतन के साथ उन्हें पूर्व में अनुमन्य रु 20/-प्रतिमास विशेष वेतन भी देय होगा ।

(3) उपर्युक्त (1) के अनुसार नियुक्ति पर कर्मचारियों का वेतन पेंशन लिपिक तथा बिल पासिंग लिपिक के पद पर क्रमशः वेतनमान रु0 430-685 तथा रु0 470-735 में सामान्य नियमानुसार निर्धारित कर दिया जाय, किन्तु उन्हें कोई विशेष वेतन अनुमन्य न होगा ।

**लखीमपुर में ओयल-बेहजम मार्ग के घोरियाना के पुल की मरम्मत की मांग**

18–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सार्व0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर जिले में ओयल से बेहजम जाने वाले रोड पर घोरियाना सेतु कब से टूटा है? अब तक न बनवाने का क्या कारण है और कब तक बन जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत पुल वर्ष 1980 की बाढ़ में ध्वस्त हो गया था ।

25.84 लाख रु0 की लागत के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति विचाराधीन है । पुल का बनना आगणन की स्वीकृति होने एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

**सीतापुर में खैराबाद-मछरहेटा मार्ग पर रहीमाबाद के पास पुल का निर्माण में अर्जित भूमि का मुआवजा**

19–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खैराबाद, मछरहेटा मार्ग, जि0 सीतापुर पर ग्राम रहीमाबाद के पास जो सेतु ब्रिज कारपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है उसके लिए जिन-जिन की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें भूमि का प्रतिकर दे दिया गया है?यदि नहीं, तो क्यों और प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जनपद सीतापुर में खैराबाद मछरहेटा मार्ग के कि0मी0 4 पर सरायन नदी पर सेतु के निर्माण हेतु 3.10 एकड़ भूमि के अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है । उक्त भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु 45.000 रुपये विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, खीरी को उपलब्ध करा दिये गये हैं । भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होते ही प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित भू-स्वामियों को कर दिया जायेगा ।

**प्रदेश के ग्रामों की आबादी के आधार पर मार्ग से जोड़ने हेतु मास्टर प्लान**

20–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 2रे मंगल के ता0प्र0सं0 6 के उत्तर के संबंध में क्या सार्व0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस बारे में क्या कोई मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है ? यदि हां, तो प्लान के कार्यान्वयन के बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को देखते हुए जनपदवार मार्गों के मास्टर प्लान प्रथम चरण बनाए गए हैं जिसमें 1000 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को जोड़ने हेतु मार्गों की आवश्यकता निकाली गयी है । इसे जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जायेगा। सातवीं योजना के अन्त तक 1500 से अधिक आबादी के समस्त गांवों को तथा 1000 से 1499 तक आबादी के पचास प्रतिशत गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव है । जिनका कार्यान्वयन जिला सेक्टर से धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालयों के लिपिकों की पदोन्नति**

21–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 4थे मंगल के अता0प्र0सं0 159 के उत्तर के संबंध में क्या सार्व0 नि0मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा जिनको प्रोन्नत नहीं किया जा सका क्या उन्हें अब प्रोन्नत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें प्रोन्नत नहीं किया जायेगा ? चरित्र पंजिकायें प्राप्त न होने की दशा में शासन द्वारा प्रोन्नति की कार्यवाही किस प्रकार की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 4थे मंगल के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर में यह सूचना दी गई थी कि चरित्र पंजिकायें उपलब्ध न करा पाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है । संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसे प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चरित्र पंजिका के अभाव में पूर्व में जिन कर्मचारियों की प्रोन्नति नहीं की जा सकी थी, उनकी चरित्र पंजिकायें प्राप्त हो गई हैं तथा उनमें से उपयुक्त कर्मचारियों की प्रोन्नति भी अगस्त, 85 में की जा चुकी है ।

**"भारतीय ग्रामीण उद्योग संस्थान" तालकटोरा के विरुद्ध फर्जी संस्था होने के संबंध में थाने में अंकित रिपोर्ट**

22–भी राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव को प्रश्नकर्ता का कोई इस आशय का शिकायती-पत्र दि0 25 सितम्बर, 84 को प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकारोक्ति श्री गिरीश मेहरा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र सं0 अर्ध0 शा0 320/पी0 एस0 एम0 एस0/एम0 एल0 ए0 सी0/84 दिनांक 28 सितम्बर, 84 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्राप्त है कि "भारतीय ग्रामीण उद्योग संस्थान ई-2161 राजाजीपुरम लखनऊ" एक फर्जी संस्था है तथा नवयुवकों को नौकरी का लालच देकर उनसे अनुचित धन बटोरा जाता है? यदि हां, तो इस पर क्या कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच किसने की और क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शिकायती पत्र पर उप निरीक्षक थाना तालकटोरा द्वारा जांच की गई । जांच से यह बात सत्य पाई गई कि प्रश्नगत भारतीय ग्रामीण उद्योग संस्थान एक फर्जी संस्था है जो नवयुवकों को नौकरी का प्रलोभन देकर अनुचित धन एकत्र करती है । यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त संस्थान के विरुद्ध इस संबंध में थाना तालकटोरा पर एक अपराध अन्तर्गत धारा 406/420/468/471 भा0द0वि0 मो0 शरीफ खान अध्यक्ष व शिव विहारी लाल गुप्त उर्फ शिवा भाई उपाध्यक्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । विवेचना से अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए । उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

**लखनऊ विश्वविद्यालय की 'मास्टर आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' की डिग्री को सेवायोजन हेतु मान्यता दिए जाने की मांग**

23–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एम0 पी0 ए0 (मास्टर आफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) डिग्री को उ0 प्र0 सरकार द्वारा जाब रिकगनीशन दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह डिग्री छात्रों को प्रशासनिक दक्षता प्रदान करती है सरकार प्रशासनिक सेवाओं में इसे मान्यता देने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भारत में किसी केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री राज्य सरकार के अधीन सेवायोजन के प्रयोजनार्थ स्वत: मान्यता प्राप्त समझी जाती है। अत: लखनऊ विश्वविद्यालय की मास्टर आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री को राज्य सरकार के अधीन सेवायोजन के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान करने के लिए किसी पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

**स्व0 श्री जंगई, निवासी बादरा, थाना मुसाफिरखाना की मृत्यु से संबंधित प्रार्थना-पत्र**

24–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती राजवती बेवा जंगई (हरिजन) मौजा दादरा थाना मुसाफिरखाना का रजि0 प्रार्थना पत्र दि0 15-9-80 को मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, आई0 जी0 लखनऊ को संबोधित जिसमें प्रार्थिनी ने अपने पति की निर्मम हत्या की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराये जाने तथा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध लापरवाही तथा पक्षपात करने की शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 12-9-1980 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था । जांच से विदित हुआ कि श्रीमती राजवती का पति अपराधिक प्रवृत्ति

का व्यक्ति था जिसकी हिस्ट्रीशीट भी खुली थी । प्रार्थना पत्र की जांच में पाया गया कि जंगई को सोमन पुत्र सुखराम कोरी साकिन अदल का पुरवा मजरे दादरा थाना मुसाफिरखाना व अन्य गांव वालों द्वारा दि0 30/31-8-80 की रात को सोमन के घर नकबजनी डालते हुए मौके पर घेर मार कर पकड़ा गया था और घायल हालत में थाना लाया गया था । गिरफ्तारी के दौरान आई चोट से जंगई को मृत्यु हो गई जांच से प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोप असत्य पाए गए । सी0 आई0 डी0 जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

**एटा जनपद के कस्बा गंजडुंडवारा के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल एवं थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट**

25–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एटा जिले के बिजली कर्मचारियों ने पूरी तरह हड़ताल कर रखी है और उनकी मांग है कि गंजडुंडवारा जिला एटा के कर्मचारी की पिटाई आदि में शामिल गुण्डा तत्व अपराधियों को गिरफ्तार कर, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय? यदि हां, तो क्या सरकार अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर हड़ताल समाप्त करायेगी ताकि एटा में बन्द पड़ी बिजली को चालू कराया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30/31-7-85 की रात्रि लगभग 21-30 बजे कस्बा गंजडुंडवारा निवासी श्री गजेन्द्र सिंह राठौर, संवाददाता, समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" व उनके 2-3 सहयोगियों ने बिजली सप्लाई की अनियमितताओं के मामले को लेकर विद्युत कर्मचारी एस0 एस0 ओ0 श्री विजेन्द्र पाल सिंह के साथ मारपीट की थी । इस घटना को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने श्री गजेन्द्र सिंह राठौर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल की थी । दिनांक 1-8-85 को अभियुक्त गजेन्द्र सिंह राठौर को पुलिस द्वारा बन्दी बनाए जाने पर यह हड़ताल समाप्त हो गई और बिजली की सप्लाई चालू हो गई ।

26–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बिजलीघर गंजडुंडवारा जिला एटा के कर्मचारी अपराधियों के विरुद्ध जब 30-7-85 को पुलिस थाना गंजडुंडवारा में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दिया और मुद्दई को धमकाया व गाली-गलौज की तथा वही रिपोर्ट बिजली कर्मचारी यूनियन के काफी दबाव के बाद 31-7-85 को लिखी गई? यदि हां, तो ऐसे पुलिस कर्मी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30/31-7-85 की रात्रि के लगभग 21-30

बजे घटित उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गंजडुंडवारा पर वादी के रिपोर्ट लिखाने हेतु पहुंचने पर उसी रात्रि लगभग 00-10 बजे दर्ज कर ली गई। धमकाने व गाली-गलौज आदि के आरोप सही नहीं पाये गये। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**किच्छा शुगर फैक्ट्री, नैनीताल के गन्दे पानी के लिये शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की मांग**

27–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 2रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 95 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग को दिये गये निदेश के पालन करने की प्रगति क्या है? यदि अभी तक शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है तो यह कब तक की जायेगी और समय के भीतर उद्योग की स्थापना न किये जाने के क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उद्योग द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना अभी तक नहीं की जा सकी है। उद्योग द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हेतु अभी तक कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है तथा समय के भीतर शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना न किये जाने का कोई औचित्य भी नहीं दर्शाया गया है। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप उद्योग को जल अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत रेस्ट्रेनिंग आदेश दिनांक 21-1-86 को निर्गत किये जा चुके है।

28–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

**सीतापुर जनपद के विकास खण्ड हरगांव स्थित सूर्यकुण्ड की निर्माण लागत**

29–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 2रे मंगल के लिए निर्धारित श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा पूछे गये ता0 प्र0 सं0 18 के उत्तर के संबंध में क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूर्य कुण्ड के निर्माण में कुल कितना रुपया व्यय होना है तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

श्री प्रमोद कुमार–

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव स्थित सूर्य कुण्ड के निर्माण की अनुमानित लागत 13.47 लाख रुपया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

**महर्षि दधीचि की निर्वाण स्थली, मिश्रिख की विकास योजना**

30–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 2रे मंगल के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 99 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रस्ताव की अंतिम सूचना कब तक दे दी जायेगी? कुल कितना रुपया व्यय होना प्रस्तावित है? कार्य प्रारम्भ कब होगा तथा कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री प्रमोद कुमार–

जनपद सीतापुर में महर्षि दधीच की निर्वाण स्थली मिश्रिख के विकास की

योजना शासन के विचाराधीन है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 81.08 लाख रुपये का एक आगणन राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनरीक्षित आगणन राजकीय निर्माण निगम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा चुका है। संशोधित आगणन उपलब्ध होने पर उनकी स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेकर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

**नगर पालिका सीतापुर की सीमा में वृद्धि का कथित प्रस्ताव**

31—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका सीतापुर की वर्तमान सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रस्ताव के अनुसार क्या-क्या क्षेत्र नगरपालिका में बढ़ाया जाना है? इस प्रस्ताव पर निर्णय कब तक हो जायगा?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ स्थित दया निधान पार्क में जल संस्थान द्वारा कैम्प की स्थापना**

32—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित दया निधान पार्क में जल संस्थान की ओर से जनता को सुविधा देने के लिए जो देय धन जमा करने हेतु जो कार्यालय खोला गया था उसे बन्द कर देने का क्या कारण है जिससे कि जनता को अतीव असुविधा हो रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ जल संस्थान द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जनता की सुविधा के लिए गत वर्ष एक कैम्प आफिस दया निधान पार्क में दिनांक 16 मार्च, 1985 से 15 मई, 1985 तक के लिए खोला गया था। उक्त अवधि की समाप्ति पर उसे बन्द कर दिया गया था।

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनता की सुविधा के लिए उसी पार्क में पुनः कैम्प आफिस की व्यवस्था की जा रही है।

**नागर क्षेत्रीय, स्थानीय निकायों के वार्डों के परिसीमन सम्बन्धी कथित निदेश**

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, तथा श्री अशोक बाजपेयी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के वार्डों का परिसीमन कराये जाने हेतु कोई निदेश शासन द्वारा हाल ही में जारी किये गये हैं? यदि हां, तो परिसीमन का आधार क्या होगा तथा परिसीमन पूर्ण कराये जाने की समय सारिणी क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

केवल नवसृजित, सीमा-विस्तारित और उच्चीकृत स्थानीय निकायों का कक्ष परिसीमन सामान्यतः कराया जा रहा है। परिसीमन वर्ष, 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। प्रत्येक निकाय की परिसीमन प्रक्रिया अलग-अलग चलती है। कक्ष परिसीमन यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

**सीतापुर नगरपालिका की पेयजल योजना का निर्माण एवं पाइप लाइन का निर्माण**

34—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 5वें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 121 के उत्तर के संबंध में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कम धन आवंटित होने के बावजूद कार्य के महत्व को ध्यान में

रखते हुए क्या विशेष अनुदान स्वीकृत करने की कृपा की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान समय में विशेष अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं है।

35–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि पाइप लाइन न बिछाने से बनाये गये नलकूपों का भी विशेष उपयोग नहीं हो पायेगा, ऐसी दशा में पाइप डालने के कार्य को नये के बजाय अधूरा कार्य समझ कर उसे पूर्ण कराने हेतु विशेष वित्तीय प्राविधान न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नलकूपों को जलाशय/पूर्व में स्थित पाइप लाइन से जोड़कर प्रयोग में लाया जा रहा है। इससे पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। शेष कार्य सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कराया जाना संभव नहीं है।

**सीतापुर नगर पालिका में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में मांग पत्र**

36–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 5वें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 122 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि योजना पर कुल कितना रुपया व्यय होना है और क्या योजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या योजना के महत्व को तथा तत्कालीन आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने में प्राथमिकता देने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रु0 2.5 करोड़, वर्तमान कीमतों के आधार पर ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण निकट भविष्य में वित्तीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के शोध सहायकों के नियमितीकरण की मांग**

37–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) जवाहर भवन में तदर्थ रूप से कार्यरत 13 शोध सहायकों को शासन द्वारा नियमित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इसी विभाग में अभी भी 26 शोध सहायकों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो उनके पद कब तक भर लिये जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

37, 38 तथा 55 राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश (नवीन प्रभाग) में शोध सहायक, (प्राविधिक) के 26 पद रिक्त थे । यह रिक्तियां शोध सहायकों के शोध अधिकारी के पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति हो जाने के कारण हुई थीं । इनमें से 13 स्थानापन्न रिक्तियों पर 13 व्यक्तियों की तदर्थ रूप से नियुक्ति की गई थीं । शेष 13 स्थान अभी रिक्त हैं । इन पदों को नियमानुसार यथा समय भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

38–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त 13 शोध सहायकों के नियमितीकरण की सिफारिश चयन समिति ने 14-9-84 को शासन से की है ? यदि हां, तो शासन द्वारा

अब तक उस पर क्या निर्णय लिया गया है ? क्या उक्त 13 शोध सहायकों को नियमित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो चयन समिति की सिफारिश न मानने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जहां तक तदर्थ रूप से कार्यरत 13 शोध सहायकों की नियमितीकरण का प्रश्न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 1984 के नियम 4(1) के अंतर्गत किसी स्थायी/अस्थायी रिक्ति में नियमित नियुक्ति की जा सकती है ।

**जिला चुनाव कार्यालयों के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति**

39–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा हाल ही में इस आशय के निर्देश निर्गत किए गए थे कि जिला चुनाव कार्यालयों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को 30 जून, 85 तक सेवा में रखा जाय परन्तु इस आदेश के होते हुए भी प्रदेश के समस्त निर्वाचन कार्यालयों के अस्थायी कर्मचारियों को 31 मई तथा 22 जून, 85 से ही सेवानिवृत्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

किसी अस्थाई कर्मचारी को सेवा निवृत्त नहीं किया गया । लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन के बढ़े हुए कार्य के लिये जिला निर्वाचन कार्यालयों में अस्थायी पद स्वीकृत किये गये थे । ज्यों ही बढ़ा हुआ कार्य कम हुआ, पद सृजन की शर्त के अधीन कुछ अस्थायी पद 31 मई, 1985 एवं शेष अस्थायी पद बढ़ा हुआ कार्य समाप्त होने पर 22 जून, 1985 से समाप्त किये गये ।

40–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दिनांक 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 156 द्वारा उत्तरित]

**सुल्तानपुर जनपद में जल निगम की सरिया की चोरी सम्बन्धी श्री लल्लन के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट**

41–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों में पेय जल नलकूप (जल निगम) के जूनियर इंजीनियर द्वारा दिनांक 6-6-85 को सरकारी सरिया जबरदस्ती उठा ले जाने की नामजद शिकायत दर्ज करायी गयी है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जामों स्थित नलकूप आपरेटर ने एक रिपोर्ट थाना जामों पर दिनांक 11-6-1985 को लल्लन उर्फ रमेश, किशुन यादव, अशोक उर्फ लल्लन के विरुद्ध दर्ज करायी। चोरी की गई सरिया एक बाग से बरामद हो गई। आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप अभियुक्त लल्लन उर्फ रमेश व राम किशन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त लल्लन उर्फ अशोक गिरफ्तार नहीं हुआ है जिसके विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी है।

42–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त नामजद अपराधियों के विरुद्ध 1984-85 में इसी थाने में और कितने मामले दर्ज करायें गये थे तथा अब तक

उक्त मामलों में क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1984-85 में मात्र अभियुक्त लल्लन उर्फ रमेश के विरुद्ध मामले थाना जामों में दर्ज हुए जिनका विवरण कृत कार्यवाही के विवरण सहित सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 148 पर)

**पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों के सचिवों के वेतन हेतु अनुदान**

43–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों के सचिवों के वेतन का अनुदान वर्ष 80-81 से 83-84 तक की अवधि का आवंटन सहकारिता विभाग को क्यों नहीं किया गया? क्या सहकारी आन्दोलन के हित में उक्त अनुदान के आवंटन का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन समितियों के सचिवों के वेतन हेतु अनुदान आवंटन की स्थायी व नियमित व्यवस्था पर्वतीय विकास विभाग द्वारा कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कैडर सचिवों के वेतन हेतु अनुदान वर्ष 1977-78 में तीन वर्षों तक दिये जाने का निर्णय लिया गया था। तदोपरान्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में वर्ष 1980-81 से 83-84 तक की अवधि का भुगतान किया जाना संभव न हो सका।

जी नहीं, वित्तीय सुदृढ़ता हेतु वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक क्रमिक ह्रास के आधार पर अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है। उस समय तक समितियां आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त कर लेंगी। अस्तु स्थायी एवं नियमित व्यवस्था का प्रश्न नही उठता।

**सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को जिला जज के अधीन स्थानान्तरण का कथित प्रस्ताव और बैनामों में सम्पत्ति का विवरण दिये जाने की मांग**

44–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलों में कार्यरत सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उक्त कार्यालयों को जिला जज के अधीन स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को जिला जज के अधीन स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

45–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दीवानी के मामलों को त्वरित गति से निपटाने के लिए बैनामों में नक्शा लगाने और सम्पत्ति की सीमा अंकित करने के प्राविधान को अनिवार्य बनाने पर विचार करेंगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

अन्तरित अचल सम्पत्ति की सही पहचान के लिये रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा-21 के अंतर्गत बैनामों में सम्पत्ति का विस्तृत विवरण अनिवार्य रूप से दिये जाने का स्पष्ट प्राविधान है। अतः वर्तमान प्राविधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

**हमीरपुर में शेर मारे जाने की घटना की जांच**

46–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के 6 अगस्त, 85 के 4थे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 111

के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित मामले की उस समय श्री गुरु नारायण चतुर्वेदी ए0सी0 एफ0 झांसी के द्वारा शासन ने जांच कराई थी ? यदि हां, तो जांच की पूर्ण-रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

सम्बन्धित मामले की प्रारम्भिक जांच उस समय श्री गुरु नारायण चतुर्वेदी, सहायक वन संरक्षक, केदारनाथ पशु बिहार, गोपेश्वर चमोली ने मुख्य वन्य जीव प्रति-पालक, उ0 प्र0 के निर्देशानुसार की थी ।

शासन ने इस मामले में विचारोपरान्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को स्वयं जांच करके अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं । उनकी जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

वर्णित परिस्थिति में श्री गुरु नारायण चतुर्वेदी, सहायक वन संरक्षक की जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की आवश्य-कता नहीं प्रतीत होती है ।

**प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में व्याख्याता हिन्दी (अनुदेषक भाषा) का वेतनमान**

47–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में वर्ष 1982 से जो स्टाफ स्ट्रैक्चर लागू था उसमें व्याख्याता हिन्दी के पद को बदल कर अनुदेशक भाषा का नाम दे दिया गया है और उसका वेतनमान रु0 850 से घटाकर 550 कर दिया है ? यदि हां, तो पद का नीचा स्तर करने का क्या कारण है जबकि अंग्रेजी व्याख्याता और कामर्स व्याख्याता के पद 850–1720 के ही वेतनमान में ही रखे गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**निर्वाचन विभाग, तहसीलों में स्थायी कर्म-चारी की नियुक्ति की मांग**

48–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 7वें मंगल के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 68 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अग्रिम कार्यवाही के संबंध में अब तक कोई निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो निर्णय क्या है तथा उसके कार्यान्वयन की क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

आवश्यक छानबीन चल रही है । संस्तुति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वर्त-मान स्थिति से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया है ।

**नागरिक सुरक्षा विभाग, समादेष्टा तथा प्लाटून कमाण्डरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग**

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 4थे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0प्र0 सं0 19 तथा 20 के उत्तर के संबंध में क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1979 के बाद पदों के स्थाई किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा समादेष्टा तथा प्लाटून कमांडरों के रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? पद न भरे जाने में क्या वैधानिक कठिनाइयां हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भारत सरकार की वर्ष 1979 की स्वीकृत्यानुसार क्षेत्रीय संगठन कर्ताओं के 628 पद स्थायी किये जा चुके हैं । शेष 179 पद दिनांक 11-4-85 की राजाज्ञा द्वारा सृजित किये गये हैं । इनके स्थायी किये जाने पर नियमानुसार तीन वर्ष के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा ।

जिला समादेष्टा के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्लाटून कमाण्डर के रिक्त पदों को प्रकरण माननीय उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण के विचाराधीन होने के कारण नहीं भरा जा सका था । माननीय लोक सेवा अधिकरण का निर्णय प्राप्त हो गया है और उसका अध्ययन किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जायेगा उसके अनुसार तत्परता से कार्यवाही की जायेगी ।

**माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमें**

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 2रे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अता0 प्र0 सं0 94 के उत्तर के संबंध में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन लम्बित वादों (2,34, 201) के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी ? इस समय मा0 न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था प्रारम्भ कर दी है :–

(1) एक प्रकार के वादों को वर्गीकृत करके एक सप्ताह में पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना ।

(2) पुराने लम्बित वादों को तिथिक्रम में सूचीबद्ध करना ।

(3) विशिष्ट पीठों का गठन तथा विशिष्ठ विधि ज्ञान रखने वाले न्यायाधीशों को उस पीठ में निर्दिष्ट करना ।

इस समय उच्च न्यायालय में 15 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं किन्तु राज्य सरकार भारत सरकार से शीघ्र नियुक्तियां करने का अनुरोध कर रही है ।

51–श्री राज किशोर सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

52–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दिनांक 7-2-86 को अता0प्र0सं0 161 द्वारा उत्तरित]

**निर्वाचन कार्यालय द्वारा सीतापुर से पी0 ए0सी0 के जवानों को देवरिया ले जाने के लिए किराए पर ली गई ट्रक**

53–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सभा के निर्वाचन वर्ष 1984 में सीतापुर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जो निजी ट्रकें पी0 ए0 सी0 (द्वितीय वाहिनी) के जवानों को सीतापुर से लेकर देवरिया जिले में चुनाव व्यवस्था हेतु गई थी उन ट्रक मालिकों को ट्रकों का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार पी0ए0सी0 द्वितीय वाहिनी सीतापुर द्वारा संबंधित गाड़ी मालिकों को दिनांक 5-8-1985 को गाड़ियों के किराए का भुगतान किया जा चुका है ।

**श्री बद्रीनाथ मन्दिर एवं लक्ष्मी मन्दिर का जीर्णोद्धार**

54–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य और लक्ष्मी मन्दिर का निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यह कार्य किसकी देखरेख में हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

1–श्री बद्रीनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ हुआ। आदि शंकराचार्य मन्दिर का निर्माण कार्य वर्ष 1979–80 में आरम्भ किया गया जो लगभग पूर्ण हो चुका है ।

2–लक्ष्मी मन्दिर का निर्माण कार्य न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरूप रुका था, जो कि इस वर्ष के यात्रा काल से प्रारम्भ किया जायेगा ।

3–यह कार्य आन्ध्र प्रदेश सरकार के इन्डोमेन्ट विभाग के सहयोग से श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति की देखरेख में हो रहा है ।

**राज्य नियोजन संस्थान के शोध सहायकों का नियमितीकरण एवं लोक सेवा आयोग को भेजा गया विज्ञापन**

55–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश दि0 19-5-85 कार्मिक-1 (नियमितीकरण से संबंधित) के अनुपालन में राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) में कार्यरत तदर्थ शोध सहायकों को नियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें नियमित कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

चूंकि प्रश्नगत रिक्तियां स्थायी/अस्थायी नहीं थीं बल्कि स्थानापन्न थीं इसलिए उपर्युक्त 13 कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सका था । अब एक कर्मचारी को नियमित कर दिया गया है। शेष 12 कर्मचारियों को स्थायी/अस्थायी रिक्तियां उपलब्ध होते ही नियमित करने के प्रश्न पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

56–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन के अर्ध शासकीय पत्र सं 19-5-85 कार्मिक-1 दि0 11 नवम्बर, 83 के अनुपालन में लोक सेवा आयोग को शोध सहायक पद हेतु भेजा गया विज्ञापन समय के भीतर वापस ले लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासन के निर्देश की अवहेलना करते हुए शोध सहायक पद हेतु लोक सेवा आयोग को पुनः विज्ञापन क्यों भेजा गया?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

वर्ष 1982 में भेजे गये शोध सहायकों के 6 पदों के अधियाचन को लोक सेवा आयोग से वापस लेने की कार्यवाही की गई किन्तु आयोग ने विभाग, के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण न होने के कारण आरक्षित तीन पदों के लिए ही लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य पदों के लिए कोई अधियाचन नहीं भेजा गया है।

57–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या तदर्थ रूप से कार्यरत शोध सहायकों को उनकी ज्येष्ठता शासनादेश 19-5-81 कार्मिक-1 के तहत सुरक्षित है? यदि नहीं, तो क्यों और ऐसे कितने शोध सहायक हैं जिनका नियमितीकरण अभी तक शासन द्वारा नहीं किया गया जबकि उन्हें कार्यरत हुए 5 वर्ष के लगभग हो रहा है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

तदर्थ रूप से नियुक्त शोध सहायक की स्थायी/अस्थायी रिक्तियों के उपलब्ध होने पर यथा-समय नियमानुसार नियमित करने के पश्चात उनकी ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

**कृषि अभियंत्रण डिप्लोमाधारक समिति, लखनऊ का मांग पत्र**

58–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारक समिति उ0 प्र0 लखनऊ के अध्यक्ष तथा मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित कोई मांग पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ 1-10-85 को अथवा उसके आसपास किसी दिन उन्हें (प्राविधिक शिक्षा मंत्री को) मिला? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमाधारक समिति, उ0 प्र0 लखनऊ की मुख्य मांगे तथा वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 149 पर)

59–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, उ0 प्र0 कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारक समिति लखनऊ शाखा कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित कोई मांग पत्र 13-9-85 को अथवा उसके आसपास किसी दिन उन्हें मिला जिसमें कि कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों की 5 सूत्री मांगों (1-कन्डेंस्ट कोर्स चलाने, 2-आयु सीमा में छूट, 3-प्रमाण पत्र देने, 4-पदों में आरक्षण दिये जाने तथा 5-नियुक्तियों के संबंध में) की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मांग पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि मांगों के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित डिप्लोमाधारकों के मांग पत्र दिनांक 13-9-85 तथा दिनांक 1-10-85 के मांग पत्र में की गयी मांगे एक समान हैं जिसके सम्बन्ध में सूचना उक्त प्रश्न सं0-58 से संबंधित उत्तर के विवरण में अवलोकनीय है ।

**होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के वेतन का भुगतान**

60–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने होम-गार्ड्स हैं जिन्हें शासन द्वारा माह जून, 85 से जुलाई, 85 माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया? उक्त सभी की ड्यूटी घल्लू घारा के समय लगने के बाद भी इन्हें वेतन नहीं दिया गया जबकि शासनादेश था कि तुरन्त ड्यूटी वालों को वेतन दिया जायेगा? यदि हां, तो इसके विलम्ब का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

होम गार्ड्स स्वयं सेवकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि जितने दिन वे ड्युटी करते हैं उतने ही दिन का उनको डियुटी भत्ता भुगतान किया जाता है। माह जून व जुलाई, 1985 में घल्लूधारा के समय ड्यूटी पर लगाये गये होम गार्ड्स स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान जनपद चमोली, मुरादाबाद. अलीगढ़, रामपुर, बुलन्दशहर, फरूखाबाद, ललितपुर, जालौन, हरदोई, उन्नाव, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बाराबंकी में किया जा

चुका है। शेष जनपदों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

**सीतापुर जनपद के इलसिया वन ब्लाक में वन चेतना केन्द्र की स्थापना**

61—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के मुख्यालय के पास वन चेतना केन्द्र के स्थापित करने हेतु स्थान का चयन किया गया है या किया जा रहा है? यदि हां, तो वह स्थान कौन सा है तथा वहां पर केन्द्र की स्थापना कब तक हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, सीतापुर जनपद के मुख्यालय के निकट इलसिया वन ब्लाक में इसी वर्ष (1985-86) एक वन चेतना केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

**प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन चेतना केन्द्र की स्थापना की योजना**

62—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में विभिन्न जिलों में वन चेतना केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितने जिलों में यह केन्द्र स्थापित हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

वन चेतना केन्द्र खोलने का मुख्य उद्देश्य जनता को सुगमता से सामाजिक वानिकी के कार्य कलापों का परिचय देकर उनमें वनों तथा वन्य प्राणियों के प्रति रुचि जागृत कराना है । ये केन्द्र आधारभूत रूप से वन पौधालय होंगे । इसमें स्थान एवं धनराशि की उपलब्धता व स्थल की उपयुक्तता के आधार पर पक्षीगृह, डियर, पार्क, कैन्टीन शौचालय, वानिकी संग्रहालय, कृषक सूचना केन्द्र, मीन पालन, काष्ठ सीजनिंग प्लान्ट, बाल क्रीड़ा व व्यायाम केन्द्र, बीज गोदाम, गोष्ठी कक्ष, बायोगैससंयंत्र, पवन चक्की, सौर-ऊर्जा के चूल्हे, वाहन पार्क, उद्यान व मार्गों आदि की स्थापना का प्रस्ताव है । अब तक 16 जिलों में वन चेतना केन्द्र स्थापित हो गये हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) में सीतापुर जिले में एक और वन चेतना केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

**श्री राम मूर्ति सिंह, उप गन्ना आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा की गयी विदेश यात्रा, एवं उनके विरुद्ध अनियमितताओं की जांच**

63—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय गन्ना विकास में उप गन्ना आयुक्त, मुरादाबाद (श्री राममूर्ति सिंह) जब उ0 प्र0 गन्ना बीज विकास निगम में मई, 82 से नवम्बर, 82 तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे उस समय उनके द्वारा अवैध रूप से विदेशी यात्रा किये जाने की शिकायत शासन को वित्तीय वर्ष 82-83 में प्राप्त हुयी थी ? यदि हां, तो पूरी शिकायत क्या थी तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री राममूर्ति सिंह, वर्तमान में उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद जब वित्तीय वर्ष 1982-83 में उ0 प्र0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0 लखनऊ में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे, तब बिना शासन की पूर्व अनुमति के उनके द्वारा विदेश यात्रा पर प्रस्थान किये जाने की सूचना गन्ना आयुक्त के माध्यम से शासन में प्राप्त हुयी थी । इस संबंध में शासन को कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ । श्री राममूर्ति सिंह के विरुद्ध बिना शासन की पूर्व अनुमति के

विदेश यात्रा पर प्रस्थान किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

64–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग के उप गन्ना आयुक्त मध्य क्षेत्र के विरुद्ध उनके जून, 74 से जुलाई, 77 के बीच के कार्यकाल में तराजू एवं बांट खरीद-एग्रोमीन खरीद सजरा खजरा, निर्माण तथा समितियों को डनलप आपूर्ति किये जाने के संबंध में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं? जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अवधि में कार्यरत उप-गन्ना आयुक्त (मध्य क्षेत्र) श्री राममूर्ति सिंह के विरुद्ध उक्त अवधि से सम्बन्धित मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी:–

1–कांटा बांट की अनियमित खरीद ।

2–ए0 डी0 वी0 सेट्स की अनियमित खरीद ।

3–एग्रोमिन दवा की अनियमित खरीद।

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

**भारत ट्यूब कम्पनी नेहरू पैलेस नई दिल्ली द्वारा सिंचाई विभाग एवं जल निगम को पाइप की आपूर्ति**

65–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा भारत ट्यूब कम्पनी नेहरू पैलेस, नई दिल्ली द्वारा सिंचाई विभाग तथा जल निगम को पाइप सप्लाई किए जाने में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच अभी हाल में कराई गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

**श्रीमती सुनीता उर्फ सिब्बल, प्रोबेशनरी अधिकारी, बैंक आफ बड़ौदा, शाखा सिविल लाइन्स, बरेली की हत्या**

66–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बरेली में 27 मार्च, 85 व इसके आसपास के दिन बैंक आफ बड़ौदा, बरेली में प्रोबेशनरी अधिकारी के पद पर कार्यरत महिला श्रीमती सुनीता चौहान की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार ने इस बिन्दु पर भी जांच करने का प्रयास किया है कि यह हत्या कुछ समाज विरोधी लोगों ने की तथा श्रीमती सुनीता के चाचा पर सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए हत्या का कारण दहेज बताया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, निवासी बरेली ने थाना प्रेमनगर, बरेली पर दिनांक 27-3-85 को सायंकाल 7-40 बजे इस आशय की लिखित सूचना दी कि उनकी भतीजी श्रीमती सुनीता उर्फ सिब्बल प्रोबेशनरी, अधिकारी, बैंक आफ बड़ौदा, शाखा सिविल लाइन्स, बरेली की हत्या उसके ससुराल वालों ने दहेज की कमी के कारण आज सायंकाल 6-30 बजे कर दी है । इस सूचना पर थाना प्रेमनगर पर अपराध संख्या-107/85, धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

**श्री ओमेश्वर प्रसाद त्यागी, सब इंसपेक्टर, थाना मिलखानम, जिला रामपुर की हत्या एवं अपराध शाखा के निरीक्षक श्री सत्य पाल सिंह राना की रहस्यमय मृत्यु**

67—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओमेश्वर प्रसाद त्यागी (सब इंस-पेक्टर पुलिस) थाना मिलखानम जिला रामपुर की हत्या हाल ही में वर्ष 85 में हो गई और इनके मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त एक सी0आई0डी0 इंसपेक्टर की हत्या भी इसके तुरन्त बाद कर दी गई ? यदि हां, तो शासन को दोनों हत्याओं के कारणों की जानकारी मिली है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या मृत पुलिस कार्मियों की आश्रितों को नियमानुसार वेतन आदि मिलना प्रारम्भ हो गया है? अब इन घटनाओं की जांच किस मामले द्वारा कराई जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त आख्या के अनुसार वादिनी श्रीमती पुष्पा त्यागी ने थाना मिलखानम में दि0 23-4-85 को इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसके पति श्री ओमेश्वर प्रसाद त्यागी स0 इ0 थाना मिलखानम, दि0 16-4-85 को घर आये थे और यह कह कर थाने चले गये थे कि बच्चों की बीमारी की देखभाल के लिए वे जल्दी ही छुट्टी लेकर आयेगें । दि0 20-4-85 को वादिनी का लड़का कुलदीप त्यागी अपने पापा को देखने के लिए थाना मिल-खानम गया वहां उसे पता चला कि वे दि0 18-4-85 को पांच दिन की छुट्टी लेकर चले आये है । घर न पहुंचने पर इधर उधर व रिश्तेदारों में उनकी तलाश की गई परन्तु वे नहीं मिले । इस सूचना पर श्री त्यागी की रहस्यमय विलुप्ति की रिपोर्ट अंकित की गयी । दि0 21-5-85 को श्री त्यागी का नरकंकाल व उनकी घड़ी, पर्स तथा सायकिल थाना मिलखानम के क्षेत्र में पीपली दन में मिले जिस पर उनकी हत्या का अभियोग अ0 सं0 58/85 धारा 302/201 भा0 द0 वि0 थाना मिलखानम पर पंजीकृत हुआ ।

उक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा के निरीक्षक श्री सत्यपाल सिंह राना ने दि0 24-5-85 को आरम्भ की। वह दि0 1-6-85 की प्रात: थाना मिल-खानम के भवन के परिसर में जहां दि0 31-5-85/1-6-85 की रात्रि विश्राम कर रहे थे, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाये गये । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट पता न चलने से उनका विसरा रसायनिक परी-क्षण के लिये आगरा भेजा गया है । विवेचना के मध्य उनको दिल की बीमारी होने का साक्ष्य मिला है ।

मृतकों के आश्रितों को अभी पारि-वारिक पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

उक्त दोनों मामलों की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

68—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**ग्राम मलवा मगरोरा, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के श्री शाहबान के बन्दूक के लाइसेन्स के निरस्तीकरण की मांग**

69—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम मलवा मगरोरा थाना जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर निवासी श्री सहवान के विरुद्ध इसी थाने में तथा जामों थाने के

गया घाटपुर में हुई कई हत्याओं व अपराधिक मामलों में शामिल होने के बावजूद भी उसे बंदूक का लाइसेंस दिया गया है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच कर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शाहबान उर्फ साहबान अली ने जनपद गुरुदासपुर (पंजाब) से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था । वर्तमान समय में उसकी बंदूक व लाइसेंस दिनांक 18.8.85 को थाना जगदीशपुर में दाखिल किया जा चुका है । शस्त्र निःशस्त्रीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है ।

**पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को संबोधित, थाना जामों के विरुद्ध कतिपय ग्रामों के ग्राम प्रधानों का शिकायती-पत्र**

70–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को संबंधित थाना जामों के ग्राम दुल्लापुर व धौमापुर, कमालपुर, सम्मई, पर्वतपुर अमलपुर डीघा गोपालपुर, ढरिगंज आदि से ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित तथा मोहरित दिनांक 17-5-83 का रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र जिसमें जनता द्वारा पकड़े गये बदमाशों द्वारा बताये गये स्थानों व माध्यमों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न करने की शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र की जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । शिकायती पत्र दि014.4.83 का है जिसमें लगाये गये आरोप श्री बैजनाथ लाल, तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा की गई जांच से असत्य एवं निराधार पाये गये । श्री त्रिजुगी पाण्डे व श्री जयलाल पांडे के मध्य पार्टीबन्दी होने के फलस्वरूप धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी । श्री जयलाल पाण्डे की बंदूक जमा कराई गई और शस्त्र निलंबन हेतु संस्तुति पुलिस द्वारा प्रेषित की गयी ।

**श्री आदेश भाष्कर, प्रबन्धक 'सवेरा लोन्स इण्डिया कम्पनी' लखनऊ, भोपाल हाउस के विरुद्ध श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट**

71–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में भोपाल हाउस स्थित शालीमार लाज में सवेरा लोन्स इण्डिया नामक रजिस्टर्ड कम्पनी में श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार नरही बाजार, लखनऊ ने श्री केशरवानी, निवासी नरही बाजार तथा राजेश भाष्कर जो मयूर मिल कानपुर में कार्यरत है तथा आदेश भास्कर जो उक्त कम्पनी में प्रबन्धक थे, के माध्यम से रु0 16,500/-अशोक मार्ग स्थित इण्डिया बैंक चेक नं0 80/वी 538/578 दिनांक 15-4-83 तथा चेक नं0 80/वी 5381586 दिनांक 26-4-83 द्वारा रुपया जमा किया परन्तु उक्त कम्पनी धोखा करके फरार हो गई जिसके संबंध में थाना कोतवाली हजरतगंज लखनऊ में दिनांक 31-3-85 को रिपोर्ट भी दर्ज है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस विषय पर श्री कमाल यूसुफ सदस्य विधान सभा की संस्तुति पत्र के साथ श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल का पत्र दिनांक 15-7-85 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री वीर बहादुर सिंह–**

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-85 को नहीं बल्कि दिनांक **29-3-85 को सुरेश चन्द्र अग्रवाल** पुत्र श्री फूल चन्द्र अग्रवाल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सेठ राम जस रोड नरही लखनऊ द्वारा कोतवाली हजरतगंज पर श्री आदेश भाष्कर प्रबन्धक सवेरा लोन्स इण्डिया कम्पनी व अन्य चार व्यक्तियों के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 320/85 धारा 406/420 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया । इस संबंध में श्री कमाल युसूफ, सदस्य , विधान सभा एवं सुरेश चन्द्र अग्रवाल का भी पत्र प्राप्त हुआ है। विवेचना प्रचलित है। मुख्य अभियुक्तों का सही पता ज्ञात न होने के कारण विवेचना पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को विवेचना शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये है।

**पुलिस विभाग में सहायक सब इंसपेक्टर के पद का सजृन एवं पदोन्नति**

**72–श्री अकबर हुसैन बाबर तथा श्री अम्बिका सिंह–**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में ए0 एस0 आई0 के पद का सजृन कब हुआ और इसे कब समाप्त करार दिया गया डाइंग करार दिये जाने के बाद भी इस पद पर पदोन्नति देने के लिये कोई आदेश जारी किये गये? क्या ए0 एस0 आई0 से विवेचना व कार्य लिया जा सकता है या नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुलिस विभाग में सहायक सब इन्स0 आफ पुलिस के पद का सृजन दिनांक 18-7-1970 को हुआ था और इसे 24-5-1975 को समाप्त कर दिया गया। डाइंग करार दिये जाने के बाद इस पद पर पदोन्नति देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये गये । सहायक सब इन्सपेक्टर से विवेचना का कार्य लिये जाने के उद्देश्य से ही इसका सृजन किया गया था ।

**73–श्री अकबर हुसैन बाबर तथा श्री अम्बिका सिंह–**

पुलिस आफिस के प्रस्तर (9) के अंतर्गत अप्रैल 1979 से जून 1982 के बीच कितने लोगों को ए0 एस0 आई0 की पदोन्नतियां तथा कितने लोगों को एस0 आई0 (उप निरीक्षक) के पदों की पदोन्नतियां दी गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**पुलिस विभाग के उप निरीक्षकों का प्रत्यावर्तन और हेड कांस्टेबिलों का उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति**

74–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस मैनुअल के पैरा (9) के अनुसार शासनादेश संख्या 5481/8-10-84 12001311/84 दिनांक 30-11-84 द्वारा अनुमोदित नागरिक पुलिस के स्थानापन्न उप निरीक्षकों के बहुत बड़ी संख्या में हुए प्रत्यावर्तन के संबंध में 1300 सुपर न्यू मैररी उप निरीक्षक के पदों, जिनका सेवा काल 3 वर्ष पूरा हो गया हो, पर पदोन्नति करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर (9) के अंतर्गत अनुमोदित नागरिक पुलिस के स्थानापन्न उप निरीक्षकों के बहुत बड़ी संख्या में हुये प्रत्यावर्तन से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस के 1300

"सुपरन्यूमेररी" पदों का सृजन शासनादेश संख्या 5481/आठ-10-84-1200(31)/84, दिनांक दिसम्बर 1, 1984 के द्वारा किया गया है।

शासनादेश संख्या 5481/आठ-10-84 1200 (31)/84, दिनांक 1-12-84 के अनुपालन में उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा सभी पात्र स्थानापन्न उप निरीक्षकों की पदोन्नति हेतु आदेश समस्त जिलों/यूनिटों को निर्गत कर दिये गये हैं।

75—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि एसे हे0 का0 नागरिक पुलिस जो पैरा (9) मैनुअल में अनुमोदित होने के बाद (एस0 आई0) उप निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति कर दिये गये तथा 2 वर्ष बाद (ए0 एस0 आई0) सहायक उप निरीक्षक बना दिये गये इसके बाद के पदों पर एक वर्ष या इसके अधिक समय तक रखने के बाद हे0 का0 के पदों पर पदावनति कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

1974 में सहायक उप निरीक्षक का डाइंग कैडर घोषित किये जाने पर पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर (9) के अंतर्गत अनुमोदित सूची पर उपलब्ध हेड कान्स-टेबुल तथा सहायक उप निरीक्षकों की एक सम्मिलित सूची स्थानापन्न रूप से उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु बनाई गई थी । जिनके अनुसार विभिन्न जनपदों में उपलब्ध उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों पर हे0 का0 की ज्येष्ठता के आधार पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नति प्रदान की जाती रही है ।

कालान्तर में पुलिस प्रशिक्षण महा-विद्यालयों से प्रशिक्षित उप निरीक्षक उपलब्ध होने पर उप निरीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत हेड कान्स-टेबुल को उनके मूलपद पर प्रत्यावर्तित किया जाता रहा है । यह मूलपद पर प्रत्यावर्तन है, कोई पदावनति नहीं है।

**फर्रुखाबाद में सेन्ट्रल जेल से हथियापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण**

76—श्री बृह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज की ओर जाने के लिये निर्माणा-धीन बाईपास सेन्ट्रल जेल से हथियापुर कब तक यातायात हेतु चालू हो जाने की संभावना है ? क्या यह सच है कि उक्त बाईपास का उद्घाटन प्रथम बार जनता शासन काल में हुआ था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मार्च 87 तक मार्ग को यातायात हेतु खोलने का लक्ष्य था किन्तु कुछ भूस्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय से स्थागनादेश ले लिया गया है जिसके कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई पैदा हो गई है। जी नहीं ।

**फर्रुखाबाद के ग्राम गूजरपुर, हुसैनपुर के नाले पर पुल निर्माण की मांग**

77—श्री बृह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद-बदायूं-मुरादा-बाद मार्ग पर जनपद फर्रुखाबाद में ग्राम गूजरपुर, हुसैनपुर, ब्लाक राजेपुर में नाले पर पुल का निर्माण कार्य कितने वर्षों से चल रहा है और अब तक क्या प्रगति हुई है तथा कब तक उसके पूर्ण होने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुल का निर्माण कार्य शासनादेश सं0 4723 ई/23-सा0नि0अनु0-11-18(4) ई/83 दिनांक 28-9-84 के द्वारा 17,82,500 रुपये की लागत पर स्वीकृत है । यह स्वीकृति रफ फोरकास्ट आगणन पर आधारित है।

सेतु के निर्माण हेतु सेतु निगम द्वारा सर्वेक्षण एवं मिट्टी परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है । तत्पश्चात् सेतु की परिकल्पना की जायेगी और निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि में पूर्ण होगा ।

78–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

**फर्रुखाबाद जनपद की नगरपालिका फतेहगढ़ के अंतर्गत सड़कों एवं नाली का निर्माण**

79–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की प्रथम श्रेणी नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में सड़क एवं नाली निर्माण के अंतर्गत कितनी धनराशि व्यय की गयी और इस व्यय की गई धनराशि से क्या-क्या कार्य अथवा कौन-कौन सी सड़कें निर्मित कराई गईं और इन निर्मित सड़कों व नालियों की क्या दशा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

रु0 28,54,139.00

विवरण संलग्नी सूची में अंकित है।

**प्रदेश के अधिवक्ताओं को पेंशन दिये जाने की मांग**

80–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या विधि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के लाखों अधिवक्ताओं का भविष्य सुनिश्चित करने और उनको भी बेरोजगारी की भयानक स्थिति से उबारने के लिये पेंशन/फण्ड की कोई योजना सरकार प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

किसी भी स्वतंत्र व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को पेंशन/फण्ड देने की सम्प्रति कोई सरकारी नीति नहीं है ।

**देवरिया जिले के पकहा घाट के सेतु पर पथकर वसूली संबंधी पत्र**

81–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 रवीन्द्र किशोर शाही, भू0 पू0 सदस्य, विधान परिषद् ने तत्कालीन सा0 निर्माण मंत्री को देवरिया जिले के पकहा घाट पर निर्मित सेतु से पथ कर समाप्त करने के लिये सन् 1982 में कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? क्या वहां का पथ कर समाप्त किये जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

स्व0 श्री रवीन्द्र किशोर शाही के पत्र में कथित प्रस्ताव सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वहां का पथकर समाप्त करने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

†छापी नहीं गयी ।

**श्री सर्वादीन वैश्य, निवासी करेहटा, थाना बाजार खाला द्वारा श्री मोहन लाल के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट**

82—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित बाजार खाला में दिनांक 20 जुलाई, 1985 को श्री सर्वादीन वैश्य द्वारा कोई प्रथम सूचना श्री मोहन लाल आदि निवासी करेहटा, लखनऊ के विरुद्ध धारा 457/380 के अधीन लिखाई गई ? यदि हां, तो प्रथम सूचना का संक्षिप्त विवरण क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-7-85 को श्री सर्वादीन वैश्य निवासी करेहटा, थाना बाजार खाला, लखनऊ ने श्री मोहन लाल पुत्र बगेश्वर (2) श्रीमती देवकी नन्दनी पत्नी मोहन लाल (3) बुधई पुत्र मोहन लाल (4) मल्लू पुत्र मोहन लाल (5) विवाना विधवा मोहन लाल निवासी करेहटा, लखनऊ के विरुद्ध प्रार्थी के गोदाम का ताला तोड़कर उसका सारा सामान निकाल कर उसमें से कुछ सामान जिसकी कीमत लगभग 3850/- रु0 है, दिनांक 19/20-7-85 की रात्रि को उठा ले जाने के संबंध में थाना खाला बाजार पर लिखित सूचना दी। उक्त सूचना पर धारा 457/380 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के उपरान्त उक्त अभियोग धारा 448 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

**निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों का अनशन, जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए निर्वाचन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पदों का सृजन**

83—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों को लागू करने हेतु अस्थायी निर्वाचन कर्मचारी संघ विधान सभा के सामने क्रमिक अनशन दिनांक 26-6-85 से कर रहे है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त समिति की रिपोर्ट लागू करने में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। क्रमिक अनशन कुछ समय बाद समाप्त हो गया था। रिपोर्ट में अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में कोई संस्तुति नहीं थी। समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार 39 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 49 लिपिक के पद सृजित किये गये हैं।

84—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन केवल निर्वाचन निदेशालय के अधिकारियों के हित में ही किया गया है? यदि हां, तो पूरी संस्तुतियों को एक साथ क्यों नहीं लागू किया गया? क्या सरकार बतायेगी कि जिला एवं तहसील स्तर पर निर्वाचन आयोग की संस्तुतियां लागू करके सृजित किये जाने वाले नियमित पदों पर अस्थायी निर्वाचन कर्मचारियों की नियुक्तियां कब तक करा दी जायेंगी।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। सिफारिशें विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। उन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। सभी संस्तुतियों को लागू करने या एक साथ लागू करने का प्रश्न नहीं उठता है। निर्वाचन आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के लिये पदों के सृजन के संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया है।

85–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पदों के सृजन पर अपनी सहमति तभी दे दी थी जब कि यह अस्थाई निर्वाचन कर्मचारी सेवा में थे? यदि हां, तो इन पदों के आदेश जारी न करके इन कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति होते हुए दिनांक 22-6-85 को सेवा समाप्ति का क्या कारण था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियां लोक सभा एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचनों के बढ़े हुए काम के लिए सृजित अस्थायी पदों पर की गयी थी। बढ़ा हुआ काम कम हो जाने पर दिनांक 22-6-85 से अस्थायी पद समाप्त किये गये। इन पदों का संस्तुतियों से कोई संबंध नहीं है। अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में कोई संस्तुति नहीं है। जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए संस्तुतियों के आधार पर पदों के सृजन के संबंध में एक शासनादेश दिसम्बर, 1985 में जारी हुआ।

**श्री गिरीश चन्द्र उप्रेती, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पुनर्नियुक्ति**

86–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरीश चन्द्र उप्रेती संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0 प्र0 अपनी सेवा अवधि जनवरी, 1985 को पूरा करने के उपरान्त दो वर्षों के लिए किस नियम के अन्तर्गत पुनर्नियुक्त किये गये जबकि शासनादेश 1/2/1973 दिनांक 26-4-1985 द्वारा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की पुनर्नियुक्त का प्राविधान नहीं है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री गिरीश चन्द्र उप्रेती, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पुनर्नियुक्ति जनहित में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 के अन्तर्गत की गई है।

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पद और अनुसूचित जाति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का साक्षात्कार**

87–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के कितने पद हैं और उनमें से कितने पद पर निर्धारित कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पांच पद हैं। इनमें से किसी भी पद पर अनुसूचित जाति के सदस्य कार्यरत नहीं हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, इन्हें केवल प्रतिमास रुपया 1200/- नियत रिटेनर फीस दी जाती है, और शासन से इनका मुवक्किल-वकील का सम्बन्ध होता है। अतः इनकी नियुक्ति में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण नीति लागू नहीं है।

88–श्री शारदा प्रताप–

क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में श्री राकेश शर्मा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के त्याग पत्र देने के फलस्वरूप जो पद रिक्त हुआ था उसके चयन में किसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ने नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया था और उसका साक्षात्कार भी किया गया था? यदि हां, तो फिर उसकी नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण था और किन परिस्थितियों में उस पर सवर्ण अभ्यर्थी को अनधिकृत रूप से नियुक्त किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री राकेश शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप हुयी रिक्ति को भरने के लिए आयोजित चयन में अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी ने नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। किन्तु चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में उसे इस पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

**पर्यटन निगम के प्रधान प्रबन्धक की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता**

89–श्री शारदा प्रताप–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन निगम का प्रधान प्रबन्धक एक हाईस्कूल पास व्यक्ति है? यदि हां, तो पर्यटन निगम में इससे अधिक शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है? क्या मुख्य मंत्री कृपया पर्यटन निगम की सेवा नियमावली की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

वर्तमान प्रधान प्रबन्धक की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता निम्न प्रकार है :–

1–बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल पास।

2–तीन वर्षीय डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नालांजी में इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग, बाम्बे, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, महाराष्ट्र से उत्तीर्ण।

3–क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स इन रेस्टोरेन्ट एण्ड काउन्टर सर्विसेज, इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट एण्ट कैटरिंग, बाम्बे बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, महाराष्ट्रा से उत्तीर्ण।

4–पोस्ट डिप्लोमा इन टीचर्स ट्रेनिंग।

जहां तक अधिक शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होने का प्रश्न है, वर्तमान प्रधान प्रबन्धक की शैक्षिक तकनीकी शिक्षा व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए उ0 प्र0 रा0 प0 वि0 नि0 में उनकी नियुक्ति की गई।

जी हां सेवा नियमावली की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है†।

**लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्गों को पेन्ट किया जाने की मांग**

90–श्री शारदा प्रताप–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977 से 1980 तक बने हुए मार्गों फतेहगंज-नरायनपुर मार्ग, बिजनौर-सिसौंडी मार्ग-काकोरी-सकरा मार्ग, निरमथा मार्ग तथा किशुनपुर से कौंडिया, पुराना मार्ग, बंथरा-उम्मीद खेड़ा-धावापुर मार्ग को कब तक पेन्ट कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं। अतः इनका कार्यान्वयन जिला समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

† छापी नहीं गयी।

**लखनऊ के अशर्फाबाद की गलियों एवं नालों की मरम्मत, सफाई, पेयजल की आपूर्ति तथा मच्छरों के लिए डी0डी0टी0 के छिड़काव की मांग**

91—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका स्थित अशर्फाबाद मोहल्ला वार्ड याहियागंज में नालियों तथा गलियों के खड़न्जे की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत शीघ्र करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अशर्फाबाद की गलियों एवं नाले की मरम्मत महापालिका द्वारा करा दी गयी है।

92—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ में याहियागंज वार्ड स्थित मोहल्ला अशर्फाबाद में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है ? केवल 1 घंटे अशुद्ध जल सप्लाई का क्या कारण है ? क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अशर्फाबाद में जलापूर्ति प्रातः 5.30 बजे से 9.30 बजे तक तथा सायं 4.30 बजे से 9.30 बजे तक की जाती है । यह जल आपूर्ति ऐशबाग स्थित मुख्य जल स्रोत से ही की जाती है । अतः अशुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उटता ।

93—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका स्थित याहियागंज वार्ड में मो0 अशर्फाबाद में जगह-जगह पर कूड़े के ढेर तथा नालियों की सफाई न होने के कारण उनमें कचरा भरा पड़ा है ? गंदगी के कारण मच्छरों की भरमार से तरह-तरह की बीमारियों से सभी मोहल्ले वाले ग्रसित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मोहल्ले की नालियों की सफाई कराकर डी0डी0टी0 के छिड़काव कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। अशर्फाबाद मोहल्ले में नियमित सफाई की व्यवस्था है । इस मोहल्ले में किसी भी प्रकार की महामारी की सूचना नहीं है । सुरक्षा की दृष्टि से विसंक्रमण कार्य करा दिया गया है ।

**स्थानीय निधि लेखा विभाग, इलाहाबाद के विभागाध्यक्ष का रिक्त पद**

94—श्री शारदा प्रताप—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा विभाग, इलाहाबाद के विभागाध्यक्ष का पद विगत 1 अगस्त, 1984 से रिक्त पड़ा हुआ है जिसके कारण स्थानीय निधि लेखा के समस्त कार्य रुके हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद पर लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से तुरन्त विभागाध्यक्ष का चयन करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

यह पद 1-9-84 को रिक्त हुआ था जिस पर विभाग के संयुक्त निदेशक को उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 से 4 के नियम 49 के उप नियम (1) के अधीन नियमित चयन होने तक के लिये नियुक्त किया गया है। अतः विभाग के कार्य के रुके होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 1985, जो सेवा नियमावली 1969 को सुपरसीड करके बनाई गयी है, दिनांक 3 अगस्त, 1985 से लागू हो गयी है । उसके अनुसार (निदेशक) विभागाध्यक्ष का पद अब लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं है । शासन स्तर पर नियमित चयन कराने की कार्यवाही प्रगति में है ।

**इंदिरा नगर विस्तार योजना हेतु ग्राम मंशी पुरवा (इस्माइलगंज) की भूमि का अधिग्रहण**

95–श्री शारदा प्रताप–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन्दिरा नगर लखनऊ की विस्तार योजना में मुंशी पुरवा (इस्माइल गंज) के किसानों की समस्त भूमि आवास विकास परिषद् द्वारा अर्जित कर ली गयी है ? यदि हां, तो उक्त मुंशी पुरवा के निवासियों के लिए शौचालय, कूड़ाघर तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । इंदिरा नगर विस्तार योजना के अंतर्गत मुंशीपुरवा (ग्राम इस्माइलगंज) की अधिकतर भूमि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अर्जित की गई है ।

मुंशीपुरवा गांव के निवासियों के लिये शौचालय, कूड़ाघर तथा अन्य समस्याओं का समाधान परिषद् द्वारा किया जाना संभव नहीं है क्योंकि परिषद् के पास कोई आय का साधन नहीं है और न ही इन कार्यों हेतु उन्हें शासन द्वारा कोई अनुदान ही दिया जाता है । परिषद् अपनी योजनाओं के मध्य पड़ने वाले गांवों के विकास करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है ।

**स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के जिला सम्परीक्षा अधिकारियों के पद हेतु चयन**

96–श्री शारदा प्रताप–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से संबंधित जिला सम्परीक्षा अधिकारियों के पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग से परीक्षा कराई जा रही है ? यदि हां, तो निधि लेखा परीक्षा विभाग किन नियमों के अंतर्गत उक्त परीक्षा करा रहा है ? क्या माननीय मंत्री नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

सेवा नियमों के अभाव में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु स्रोत, मापदण्ड, अर्हतायें आदि निश्चित करके 5 मई, 1983 को जारी किए गए प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत चयन कराया जा रहा है ।

नियम की प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद मुख्यालय में कथित बलात्कार**

97–श्री शारदा प्रताप–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद मुख्यालय में गत मई, जून, 1985 में कोई बलात्कार काण्ड हुआ था ? यदि हां, तो इसमें सम्मिलित कर्मचारी कौन-कौन थे तथा उनके विरुद्ध अब तक कौन सी प्रशासनिक एवं अपराधिक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

**ओम सुखी उद्योग भोला खेड़ा (सुभाष-नगर) आलमबाग को दिया गया कथित "नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट"**

98—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओम सुखी उद्योग भोला खेड़ा (सुभाषनगर) आलमबाग, लखनऊ की आबादी के बीच में सुखी उद्योग लगाने हेतु 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किस आधार पर दिया गया ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

**श्री वीर बहादुर सिंह—**

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा "नो आब्जेक्शन सार्टिफिकेट" नहीं दिया गया है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**जिला जेल मेरठ के शिक्षा अध्यापक को मेरठ रेंज के डी0 आई0 जी0 जेल, श्री के0 एम0 एल0 श्रीवास्तव के कार्यालय में नियुक्ति**

99—दुर्गा प्रसाद यादव—

**क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रेंज के डी0 आई0 जी0 जेल** श्री के0 एम0 एल0 श्रीवास्तव ने जिला जेल मेरठ के शिक्षा अध्यापक श्री उपाध्याय को गत दो वर्षों से अपने कार्यालय के कार्य में लगाकर बंदियों को शिक्षा पाने से वंचित कर दिया है? यदि हां, तो बन्दियों को शिक्षण का कार्य किस प्रकार कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में उप कारागार महानिरीक्षक मेरठ क्षेत्र, मेरठ ने शिक्षाध्यापक से कार्यालय कार्य लिया। कारागार महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 11-7-84 से यह प्रथा समाप्त कर दी गयी है।

**जय प्रकाश नगर, लखनऊ, आलमबाग की गलियों का निर्माण एवं ठेकेदार को धनराशि का भुगतान**

100—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सितम्बर, 83 में दैनिक समाचार पत्रों में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा जय प्रकाश नगर आलमबाग, लखनऊ में राज बिस्कुट बेकरी से पोल संख्या 18/4 तक तथा उससे सम्बद्ध गलियों के निर्माण हेतु 23,000 रुपये की निविदा आमंत्रित करके जनवरी, 1984 में कार्य करने हेतु संबंधित ठेकेदार को आदेश दिया गया था? क्या यह सही है कि उक्त निविदा में उल्लिखित 'सम्बद्ध गलियों' का निर्माण कार्य किये बिना ही क्या नगर महापालिका द्वारा संबंधित ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने और अपूर्ण निर्माण कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं। पूरा भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार ने अधूरा कार्य छोड़ दिया है। उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

**बस्ती-बांसी-गौहदावल मार्ग पर खेसरहा जाने वाले सम्पर्क मार्ग के तिराहे पर कथित अतिक्रमण**

101—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने

की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बांसी मेंहदावल मार्ग पर खेसरहा को जाने वाले लिंक मार्ग के तिराहे पर स्थित अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री भन्नारे कामरेड निवासी ग्राम व पोस्ट बेलौहा, बस्ती का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-2-84 एवं दिनांक 18-1-85 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है तथा कब तक कार्यवाही पूरी करा दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जनपद बस्ती में बांसी-मेंहदावल मार्ग पर खेसरहा को जाने वाले लिंक मार्ग के तिराहे पर कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं है। उक्त स्थल पर कुछ अस्थाई अतिक्रमण हुआ था जिसे दिनांक 5-6-85 को हटा दिया गया था। पुनः कुछ व्यक्तियों ने उक्त स्थल पर अस्थाई अतिक्रमण कर लिया जिसे भी दिनांक 22-8-85 को हटाया जा चुका है।

वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

**उत्तर प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग**

102–श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1985 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय में कितने स्थायी पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त हैं तथा इन रिक्त स्थायी पदों पर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं और इन रिक्त स्थायी पदों पर कब तक अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

30 जून, 1985 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय में 78 स्थायी पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त थे। इन रिक्त पदों पर स्थायीकरण हेतु औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं जिनके पूर्ण होने पर संबंधित कर्मचारियों का स्थायीकरण कर दिया जाएगा।

**बस्ती जनपद में डुमरियागंज कस्बा के पानी निकासी की योजना**

103–श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28 जनवरी, 1983 को श्री जे0 एस0 माथुर, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 7727 ई/23-सा0 नि0 अनु0-11 34(9)/ई/82 द्वारा प्रश्नकर्ता को अधिकारियों से मांगी गयी जिस आख्या के संबंध में बताया था वह आख्या शासन को कब प्राप्त हुई है? क्या अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 प्रान्तीय खण्ड ने अपने पत्रांक 684 दिनांक 9-3-83 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 को यह लिखा था कि डुमरियागंज कस्बे के अन्दर पानी निकासी के लिए नालियों का बनाना आवश्यक है? यदि हां, तो उसके निर्माण के कार्य कब प्रारम्भ किए जायेंगे और क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वांछित आख्या शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु प्रस्तावित आगणन प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ में अलीगंज कालोनी सेक्टर की सड़कों का निर्माण**

104–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अलीगंज कालोनी के लोगों के अनुरोध पर उस कालोनी का निरीक्षण कुछ दिन पूर्व किया था? यदि हां, तो वहां के रहने वालों ने उनका ध्यान अलीगंज कालोनी सेक्टर (डी) के एम0 एम0 और एल0 थर्ड की नालियों की दुर्दशा के बारे में तथा उक्त नालियों को अन्डर ग्राउण्ड तथा सेक्टर डी की सड़क के निर्माण के संबंध में आकृष्ट किया था? यदि हां, तो क्या उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उसका निर्माण कार्य तत्काल कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अलीगंज कालोनी सेक्टर (डी) के एम0 एम0 और एल टाइप भवनों के सामने की सड़कों के सुधार हेतु महापालिका द्वारा टेन्डर स्वीकृत करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया गया है और एम0 एम0 176 के पास की क्रासिंग बनवा दी गयी तथा नालियों की मरम्मत कराई जा रही है।

सड़कों के किनारे बनी के0 सी0 ड्रेन को अन्डर ग्राउण्ड का कोई औचित्य नहीं है।

**बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील की पेयजल योजना**

105–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में किसी भी पेयजल आपूर्ति योजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बस्ती की डुमरियागंज तहसील में मार्च, 85 तक 466 समस्याग्रस्त ग्रामों में इण्डिया मार्क–।। हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की व्यवस्था तथा हरिजन बस्ती पेयजल योजना के अंतर्गत 24 ग्रामों की हरिजन बस्तियों में इण्डिया मार्क–।। हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 1985-86 में 10 ग्रामों में इण्डिया मार्क–।। हैण्ड पम्प तथा 20 ग्रामों की हरिजन बस्तियों में इण्डिया मार्क-।। हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

**बस्ती जिले के कस्बा हल्लौर की पेयजल योजना**

106–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के कस्बा हल्लौर में पेयजल आपूर्ति की किसी योजना पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या जमीन उपलब्ध होने पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जी हां।

वर्ष 1982-83 में निर्धारित शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1984-85 में एक इण्डिया मार्क-2 लगाकर इस ग्राम में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। उक्त नीति के अनुसार पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था केवल उन्हीं ग्रामों की की जाती है जहां हैण्ड पम्प सफल नहीं होते हैं।

**बस्ती जिले में परगनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी (पुलिस) के निवास एवं कार्यालय भवन व क्वार्टरों का निर्माण**

107—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बस्ती जिले की प्रत्येक तह0 मुख्यालय पर परगनाधिकारी क्षेत्राधिकारी (पुलिस) के निवास एवं कार्यालय तथा उनके स्टाफ के क्वार्टर आदि के निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उसका समस्त भुगतान ठेकेदारों को करके उसे राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक ऐसा करना संभव होगा ? क्या 1980 से 1985 के बीच लागत में अंतर आया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य में देरी करने वाले अधिकारियों से सरकारी क्षति की पूर्ति करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जनपद में सप्तम वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराये जा रहे हैं बल्कि बस्ती जिले की 5 तहसील मुख्यालय पर सप्तम वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कराया जा रहा है । ऐसे विभिन्न प्रकार के 122 भवनों में से 109 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है । शेष में दो भवनों के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है तथा 11 भवनों का कार्य प्रगति पर है । उक्त 109 भवनों में से 34 भवनों का हस्तान्तरण किया जा चुका है और शेष 75 के स्थानान्तरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। कार्यों से संबंधित विभिन्न ठेकेदारों में से अधिकतर ठेकेदारों द्वारा कार्य बीच में ही छोड़ देने के कारण उनके अंतिम भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी । 1980 से 1985 के मध्य भवन निर्माण सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण भवनों की लागत बढ़ना स्वाभाविक है। निर्माण कार्य में विलम्ब होने के लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाना इस कारण से उचित नहीं है कि अनुबंधित ठेकेदारों में से अधिकतर ठेकेदारों ने बीच में ही कार्य छोड़ दिया था और विभागीय पद्धति से अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने पर विलम्ब होना स्वाभाविक है । अतः क्षतिपूर्ण का प्रश्न नहीं उठता ।

**लखनऊ के कृष्णानगर थाने में श्री चन्द्रभूषण द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट**

108—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर के आलमबाग थाने में माह अप्रैल, 1985 में गुण्डागर्दी के कारण जानमाल के खतरे की कोई शिकायत मुकदमा अपराध संख्या 123 दिनांक 8 अप्रैल, 1985 को दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उस मुकदमें में अपराधियों के विरुद्ध दिनांक 20 जुलाई, 1985 तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ शहर के आलमबाग थाने में दिनांक 8 अप्रैल, 1985 को गुण्डागर्दी के कारण जानमाल के खतरे की कोई शिकायत मु0अ0सं0 123 दर्ज होना नहीं पाया गया । परन्तु दिनांक 8-4-85 को ही एन0 सी0 आर0 नं0—123 पर वादी श्री चन्द्र भूषण पुत्र श्री बृज भूषण निवासी 566/28 जय प्रकाश नगर थाना कृष्णानगर, लखनऊ ने बृजेश पुत्र श्री साहब सरन श्रीवास्तव निवासी जय प्रकाश नगर थाना कृष्णानगर, लखनऊ व तीन अन्य व्यक्ति नाम पता

अज्ञात के विरुद्ध मार-पीट करने की मौखिक सूचना पर धारा 323 भा0द0वि0 का अभियोग थाना आलमबाग में पंजीकृत कराया जो दिनांक 9-4-85 को डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मु0अ0सं0 137/85 धारा 325 भा0द0वि0 में परिवर्तित हुआ है । इस अभियोग की विवेचना के उपरान्त आरोप सिद्ध होने पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 24-4-85 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । अन्य अज्ञात 3 अभियुक्तों का पता नहीं चल सका ।

**जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र**

109—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या गन्ना विकास मंत्री को एक गोपनीय पत्र कैम्प मुरादाबाद से तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री श्री हाफिज मो0 सिद्दीक का लिखा हुआ दिनांक 20-12-84 प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद के विरुद्ध काफी असन्तोष व्यक्त किया है तथा गंगेश्वरी क्षेत्र मुरादाबाद के विधायक श्री भगवान दास का 5 पृष्ठ का पत्र तथा श्री सोमपाल सिंह, सदस्य जिला परिषद् का 24-6-85 का लिखा हुआ पत्र जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इतने गम्भीर आरोप होने के बावजूद अब तक जांच न कराने का क्या कारण है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, तत्कालीन राज्य मंत्री राजस्व एवं श्री भगवान दास, सदस्य, विधान सभा के पत्र प्राप्त हुए, परन्तु प्रश्न में उल्लिखित श्री सोमपाल सिंह, सदस्य, जिला परिषद् का पत्र दिनांक 24-6-85 शासन में प्राप्त नहीं हुआ । प्राप्त शिकायती-पत्रों पर जांच की जा रही है ।

**रामेश चन्द्र शर्मा, सम्पादक, हाथरस, अलीगढ़ को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाकर चालान करने संबंधी शिकायती-पत्र**

110—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-5-84 को श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सम्पादक हाथरस जनपद अलीगढ़ को हाथरस की पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें में फंसा कर चालान करने के संबंध में दिनांक 23-5-84 को संबंधित अधिकारियों तथा दिनांक 7-7-84 को पुलिस महानिदेशक को श्री रमेश चन्द्र शर्मा एन्टीकरप्सन से जांच करने के आदेश हुए थे तथा क्या यह सही है कि एन्टीकरप्सन विभाग आगरा ने जांच करके दिनांक 19-10-84 को जांच रिपोर्ट उ0 प्र0 एन्टीकरप्सन विभाग लखनऊ भेज दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सम्पादक, हाथरस, जनपद अलीगढ़ के परिवाद-पत्र में अंकित थाना कोतवाली हाथरस की पुलिस के विरुद्ध कतिपय अभरोपों की भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच के आदेश हुए थे और जांच आख्या भी भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुई । जांच आख्या में की गई संस्तुति के अनुसार संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए तथा उन सभी को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया ।

**आवास विकास परिषद्, फैजाबाद के अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण**

111—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् फैजाबाद में कार्यरत कितने अवर अभियन्ताओं का इस वर्ष स्थानान्तरण किया गया है और वे

कितने वर्षों से कार्यरत थे ? क्या इनसे पुराने अवर अभियन्ता अभी वहीं पर कार्यरत हैं जो कि 6 वर्ष से अधिक से फैजाबाद खण्ड में रह रहे हैं ? क्या ऐसे अवर अभियन्ताओं को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आवास विकास परिषद् के फैजाबाद इकाई से गत वर्ष माह जून में 9 अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया गया था । वे सभी अवर अभियन्ता फैजाबाद खण्ड में 5 वर्षों से अधिक से कार्यरत थे। इनमें से 4 अवर अभियन्ता राजस्व कार्यों से लगे होने के कारण कार्य हित में स्थानान्तरित नहीं किए गए । वर्ष 1986 के वार्षिक स्थानान्तरण में इन 4 अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित किया जाना ही कार्यहित में उपयुक्त होगा ।

**विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद् के निदेशक पद पर स्थायी नियुक्ति की मांग**

112–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् के निदेशक पद पर तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर स्थाई नियुक्ति हेतु कब तक विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद् में निदेशक के पद पर डा0 ए0 एन0 पाठक परिवीक्षा पर कार्य कर रहे हैं । परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर इनके द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करके नियमित नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया जायेगा ।

**उत्तर प्रदेश सचिवालय के वैयक्तिक सहायकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही**

113–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सचिवालय में तदर्थ रूप से कार्यरत वैयक्तिक सहायकों का विनियमितीकरण/नियमितीकरण किन परिस्थितियों में नहीं किया जा रहा है ? क्या इनके विनियमितीकरण में वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो पूर्व में वैयक्तिक सहायकों के विनियमितीकरण में अपनाई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विचाराधीन है ।

विचाराधीन है ।

**प्रदेश के भवन विहीन थाने**

114–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक प्रदेश भर में कितने-कितने थाने अपने भवनों के बिना किराए के भवनों तथा छप्परों में चल रहे हैं ? पुलिस कर्मियों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु इनके भवन तथा स्टाफ क्वार्टर कब तक बना दिए जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में अभी तक 467 थानों के अपने भवन नहीं हैं । पुलिस कर्मियों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु इनके भवन तथा स्टाफ क्वार्टर निर्मित कराने के लिए शासन कृत संकल्प है किन्तु सीमित संसाधनों के कारण यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से ही संभव है । वर्ष 1985-90 की अवधि में 128 थानों के आवासिक तथा अनावासिक भवनों के निर्माण की योजना है ।

**बरेली के भवन विहीन थाने एवं पुलिस चौकियां**

115–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में कौन-कौन से थाने एवं चौकियां ऐसी हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं तथा उनमें कार्यरत स्टाफ के लिए क्वार्टर नहीं हैं ? क्या सरकार कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु अविलम्ब

इनके भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बरेली में 4 थानों एवं 29 चौकियों के अपने भवन नहीं हैं तथा उनमें कार्यरत स्टाफ के लिए थाना अथवा चौकी परिसर में क्वार्टर उपलब्ध नहीं हैं । इनकी सूची संलग्न है । पुलिस विभाग के अवशेष समस्त आवासिक एवं अनावासिक भवनों के निर्माण हेतु लगभग 451.00 करोड़ रु0 की आवश्यकता अनुमानित है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत भवनों के निर्माण को चरणबद्ध तरीके से ही सम्पादित कराया जाना सम्भव है । अतएव इसके लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 151 पर।)

**116–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–**

**[दूसरे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 146 के अंतर्गत स्थानान्तरित]**

**नोएडा, गाजियाबाद की जनसंख्या**

**117–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–**

**क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में नोएडा का निर्माण 1975 में हुआ था ? यदि हां, तो अब उसकी आबादी 80,000 से अधिक है ? यदि हां, तो नगरपालिका का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?**

श्री बीर बहादुर सिंह –

जनपद गाजियाबाद में नोएडा का निर्माण वर्ष 1976 में हुआ था । नोएडा की आबादी की सूचना प्राप्त की जा रही है तथा वहां पर नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

**महानगर, घोसियाना, लखनऊ निवासी श्री सुबराती, श्रीमती हसीना व श्री मन्ना द्वारा मकानों का अनाधिकृत निर्माण और श्रीमती हसीना के मकान को गिराये जाने सम्बन्धी नोटिस**

**118–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शमशुल पुत्र सुबराती मन्ना पुत्र छिद्दन तथा श्रीमती हसीना पत्नी मो0 सफी निवासी पुराना महानगर घोसियाना लखनऊ ने अपने मकानों का **निर्माण वर्ष 1974 के बाद बिना नक्शा पास हुये करवाया है और यह निर्माण उन्होंने बंदोबस्त 1928 में उनको निर्धारित की गयी भूमि पर न कराकर उसमें नजूल की भूमि सम्मिलित कर ली है ? यदि हां, तो क्यों? उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है तथा बन्दोबस्त** 1928 के अन्तर्गत आवंटित उक्त भूखण्डों के नम्बर तथा क्षेत्रफल क्या है? और अब उक्त भूखण्डों पर बने मकानों का क्षेत्रफल क्या है? नजूल की भूमि पर बने मकानों को अब क्या सरकार हटाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

**श्री सुबराती खसरा संख्या 464 बन्दोबस्ती क्षेत्रफल 4836 वर्ग फुट की 1958 वर्गफुट भूमि पर काबिज हैं यह भूमि नजूल नहीं है। श्रीमती हसीना खसरा संख्या 488 बन्दोबस्ती क्षेत्रफल 2334 वर्गफुट की 2100 वर्गफुट भूमि पर काबिज हैं यह भूमि भी नजूल नहीं है। श्री मन्ना खसरा संख्या 815 बन्दोबस्ती क्षेत्रफल 4462 वर्गफुट की 2312** वर्गफुट पर काबिज हैं यह भूमि नजूल भूमि है ।

नजूल भूमि संख्या 815 पर काबिज श्री मन्ना के विरुद्ध बेदखली कराने हेतु पी0पी0 एक्ट का वाद दायर कर दिया गया है। तीनों ही मामलों में अनाधिकृत निर्माण करने के सम्बन्ध में धारा 27(1) उत्तर प्रदेश नगर विकास योजना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

119—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हसीना पत्नी मो0 सफी निवासी पुराना महानगर घोसियाना लखनऊ द्वारा बनवाये गये अनाधिकृत मकान को गिराने का नोटिस लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1985 में दिया गया था? यदि हां, तो क्या मकान गिराया गया? यदि नहीं, तो अब तक मकान न गिराये जाने का कारण क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

कार्य की अधिकता के कारण प्रश्नगत निर्माण को नहीं गिराया जा सका है। इसे गिराने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी।

बाराबंकी कारागार के गेटबुक में शक्कर एवं चादरों की गेट बुक में प्रविष्टि और बन्दी रजकों के लिए क्वार्टरों का आवंटन

120—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या 28 नवम्बर, 84 को बाराबंकी कारागार में ड्यूटी संतरी अब्दुल कय्यूम ने 5 किलो शक्कर व एक नई चादर जेल से बाहर ले जाते हुये एक व्यक्ति को पकड़ा था तथा उसका इंद्राज भी गेट बुक पर कर दिया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सामग्री जेल अधीक्षक के घर भेजवाई जा रही थी और इसी कारण उस दिन के बाद से उक्त अब्दुल कय्यूम को संतरी ड्यूटी से हटाकर फार्म की ड्यूटी पर लगा दिया गया है और उपरोक्त मामले को क्या रफा-दफा कर दिया गया है?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु शक्कर 5 किलो 300 ग्राम थी तथा चादरें दो थीं। अधीक्षक के निर्देशों पर रिजर्व हेड वार्डर श्री शत्रुघन सिंह ने सामानों की प्रविष्टि गेट बुक में की थी।

जी नहीं। श्री अब्दुल कय्यूम की ड्यूटी घटना के लगभग नौ माह बाद फार्म पर लगायी गयी। घटना से संबंधित दोषी पाये गये गेटकीपर व बन्दी को नियमानुसार दण्डित कर दिया गया है।

121—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कारागार मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी कारागार में जेल सिपाहियों के लिये कितने क्वार्टर हैं और उनका आवंटन किस प्रकार से किया गया है? कितने लोगों को क्वार्टर दिये गये हैं? क्या यह सही है कि कुछ क्वार्टरों में ऐसे सिपाहियों का कब्जा है जिनका स्थानान्तरण हो चुका है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाराबंकी कारागार में बन्दी रक्षकों (जेल सिपाहियों) के लिये कुल 50 क्वार्टर हैं। उनका आवंटन नियमानुसार किया गया है।

कुल 49 बन्दीरक्षकों को।

विशेष परिस्थिति में स्थानान्तरित एक बन्दीरक्षक का परिवार कुछ समय के लिये एक क्वार्टर में रह रहा है।

बाराबंकी में दैवा के होमगार्ड्स कम्पनी के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर श्री कमलाकान्त मिश्र की सेवा समाप्ति और श्री अशि कुमार सिंह को कम्पनी कमाण्डर के पद पर पुनर्नियुक्ति

122—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में चयन समिति

द्वारा नियुक्त ग्रामीण कम्पनी देवा के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर (होम गार्ड्स) को जिला कमाडेन्ट ने बिना कारण दर्शाये 1-5-85 को निकाल दिया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी कमाण्डर को अच्छे कार्य के लिये जिला मुख्यालय से पुरस्कार भी स्वीकृत किया गया था?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जनपद बाराबंकी की देवा होम गार्ड्स कम्पनी के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर श्री कमला कान्त मिश्र, जो उक्त पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त थे, की सेवाएं 1-5-85 से इस कारण समाप्त कर दी गयी थीं क्योंकि उनकी नियुक्ति जिस कम्पनी कमाण्डर की सेवा समाप्ति के कारण उपलब्ध रिक्ति में की गई थी, होमगार्ड्स मुख्यालय ने सेवा समाप्ति के विरुद्ध उसके प्रत्यावेदन को स्वीकार कर लिया था और तद्नुसार उसे अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर के उसके पूर्व पद पर पदस्थापित किया जाना था।

यह सही नहीं है कि श्री कमला कान्त मिश्र को जिला मुख्यालय द्वारा पुरस्कार स्वीकृत किया गया था ।

123–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी कमाण्डर के स्थान पर श्री शशि कुमार सिंह को रखा गया है जिन्हें भूतपूर्व जिला कमाण्डेन्ट ने प्रतिकूल प्रविष्टियां दी थीं तथा ईस्कलिंग बोर्ड द्वारा निष्कासित किया गया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्री शशि कुमार सिंह का प्रत्यावेदन होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर के उनके पूर्व पद पर पदस्थापित किया गया ।

**बाराबंकी के जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स की सेवा समाप्ति**

124–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स बाराबंकी ने पिछले विधान सभा चुनावों के बाद तीन प्लाटून कमाण्डरों को भी अकारण निष्कासित कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

चुनावों के संबंध में जनपद बाराबंकी में तदर्थ रूप से नियुक्त अवैतनिक प्लाटून कमाण्डरों की नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु दिनांक 24 मार्च, 1985 को चयन बोर्ड के समक्ष उन्हें उपस्थित होने की सूचना भेजी गयी थी। 3 व्यक्ति चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे जिनकी तदर्थ नियुक्तियों का बोर्ड ने विनियमितीकरण नहीं किया फलस्वरूप उन व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं ।

**दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग में कर्मचारियों को निष्कासन एवं सीजनल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति**

125–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दक्षिणी वन प्रभाग पूर्वी वृत्त में वर्ष 78-79 से लेकर वर्ष 82-83 तक कितने कर्मचारियों को निष्कासित किया गया था? उनके नाम क्या हैं? क्या यह सही है कि उनमें से अनेक लोगों को पुनः सेवा में रख लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग में वर्ष 1978-79 से वर्ष 1982-83 तक कुल 5 कर्मचारियों को निष्कासित किया

गया था, जो निम्नवत हैं:-

1--श्री रामयश यादव, वन रक्षक
2--श्री आद्या कृष्ण श्रीवास्तव, टांगिया अध्यापक
3--श्री बेचन, प्लान्टेशन गार्ड
4--श्री आद्या प्रसाद पाण्डे, वनरक्षक
5--श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव वनरक्षक

यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों में से सर्वश्री रामयश यादव, वन रक्षक, अद्या कृष्ण श्रीवास्तव, टांगिया अध्यापक तथा बेचन, प्लान्टेशन गार्ड को क्रमशः शासन के आदेशों, लोक सेवा अधिकरण के निर्देश याचिका पर निर्णय तथा वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त द्वारा अपील पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनः सेवा में लिया गया है।

126--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दक्षिणी वन प्रभाग पूर्वी वृत्त में विगत दो वर्षों में कितनी सीजनल नियुक्तियां की गई हैं और इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 81-82 में या उसके पूर्व कार्यरत नहीं थे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उक्त प्रभाग में विगत दो वर्षों में कुल 198 सीजनल कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयीं। इनमें से कोई भी सीजनल कर्मचारी ऐसा नहीं था जो वर्ष 1981-82 में या इसके पूर्व कार्यरत नहीं था।

127--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रभाग में माह मई, 85 तथा इसके पूर्व के दो वर्षों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी भर्तियां जिला चयन समिति को नजरन्दाज करके सीधे तौर पर की गई हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

**गाजियाबाद, डेवलपमेन्ट अथारिटी के मकान नं0 एच0 139 सेक्टर 23 का श्री विकास कुमार श्रीवास्तव को आवंटन एवं उक्त मकान पर श्री राकेश कुमार कौशिक का अवैध कब्जा**

128--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि गाजियाबाद डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा विकास कुमार श्रीवास्तव कर्मचारी इनकम टैक्स विभाग को दिये गये मकान नं0 एच 139 सेक्टर 23, राजनगर गाजियाबाद पर असामाजिक तत्वों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और आर्थिक एवं राजनैतिक दबाव के कारण जिला अधिकारी उसे खाली करवाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं न अधिकृत मालिक को कब्जा दिला रहे हैं जिसके कारण झगड़े की संभावना निरन्तर बनी हुई है? यदि हां, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के गिरोहों की इन कार्यवाहियों को खत्म करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री विकास कुमार श्रीवास्तव ने आवंटित प्रश्नगत मकान के अपने समस्त अधिकार लिखित रूप में एक श्री राकेश कुमार कौशिक को दे दिये हैं। श्री कौशिक का इस समय मकान पर कब्जा है। श्री विकास कुमार ने इस सम्बन्ध में न तो जिला प्रशासन से कोई शिकायत की है और न ही झगड़े की कोई संभावना बतायी गयी है।

**ग्राम करोरा, जिला बाराबंकी के श्री नान्हू के सुअरों की मृत्यु एवं थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट**

129--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम करोरा, थाना

सफदरगंज, जनपद बाराबंकी के श्री नान्हू हरिजन के 39 सुअरों को दिनांक 14/15 जुलाई, 85 की रात को जहर देकर मार डाला गया जिसकी रिपोर्ट थाना सफदरगंज में दिनांक 16-7-85 को अपराध संख्या 125 पर अंकित करके मुकदमा कायम किया गया? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा मुलजिमान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह घटना सही है कि ग्राम करारा थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी के श्री नान्हू हरिजन के 39 सूअरों की मृत्यु दिनांक 14/15-7-85 की रात में हो गई परन्तु यह ज्ञात नहीं हो सका कि उन सूअरों को जहर दिया गया था।

दिनांक 16-7-85 को श्री नान्हू पुत्र मैकू पासी ग्राम करारा थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी ने अपराध संख्या 125 धारा 129 भा0द0वि0 के अन्तर्गत संदेह के आधार पर अपने पड़ोसी बरसाती व उसकी पत्नी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना के पश्चात् पुष्ट साक्ष्य के अभाव में इस अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 9-8-85 को प्रेषित की गयी।

**जौनपुर नगरपालिका में स्वीपरों की नियुक्ति और प्रभारी अधिकारी श्री राना भानु प्रताप सिंह को भवन निर्माण हेतु दिया गया ऋण और उनके बंगले का किराया**

130–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका जौनपुर में वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रभारी अधिकारी राना भानु प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर 12 स्वीपरों की नियुक्ति कर दी थी? क्या यह सही है कि इस नियुक्ति का अधिकार नियमतः उन्हें नहीं था ? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, 12 नहीं बल्कि 18 स्वीपरों की नियुक्ति की गई थी। किन्तु ये नियुक्तियां प्रशासक की सहमति से की गई थीं । अतः प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

131–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 76-77 में नगर पालिका जौनपुर के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी ने भवन निर्माण हेतु नगर पालिका से 50 हजार रुपया ऋण लिया था? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उस समय उक्त अधिकारी का मूल वेतन कितना था और क्या नियमानुसार उन्हें उक्त ऋण दिया जा सकता था? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

उस समय प्रभारी अधिकारी का मूल वेतन 950 रु0 प्रतिमाह था और नियमानुसार उन्हें रु0 39,900 ही स्वीकृत किया जा सकता था तथा तत्कालीन प्रशासक ने भी नियमानुसार ही ऋण दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। अधिक ऋण उनको कैसे भुगतान हुआ, इसकी छान बीन की जा रही है। किन्तु इस बीच प्रभारी अधिकारी से अधिक धनराशि वापस करा ली गई।

132–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका जौनपुर के प्रभारी अधिकारी राना भानु प्रताप सिंह 1 वर्ष से नगर पालिका जलकल विभाग के

बंगले में रहते हैं जिसका माहवारी किराया बाजार भाव से सौ रुपया प्रतिमाह होता है? क्या यह सही है कि प्रभारी अधिकारी उक्त बंगले के किराये के रूप में नगरपालिका को मात्र 15 रुपये देते हैं, जिसमें बिजली पानी का खर्च शामिल है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका के जलकल विभाग के बंगले में प्रभारी अधिकारी एक वर्ष से कुछ अधिक समय से जिलाधिकारी/प्रशासक की स्वीकृति से रह रहे हैं। इस बंगले का किराया प्रशासक द्वारा रु0 15 निर्धारित है। वही किराया प्रभारी अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है। बिजली का व्यय उनके द्वारा अलग से दिया जाता है। पानी का शुल्क अलग से नहीं लगता है। उक्त भवन प्रभारी अधिकारी को आवंटित होने के कारण उन्हें नियमानुसार देय भवन किराये भत्ते का भुगतान जो रु0 125 प्रतिमाह होता है, नहीं किया जाता है।

**श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद, बस्ती के कर्मचारियों द्वारा मिल की सम्भावित बंदी के सम्बन्ध में शासन को दिया गया पत्र तथा श्रमिकों व गन्ना किसानों का बकाया व सरकार द्वारा मिल को दिया गया ऋण**

133–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बस्ती जनपद स्थित श्री आनन्द शुगर मिल के कर्मचारियों ने मार्च के अन्तिम सप्ताह में सरकार को इस बात की सूचना दे दी है कि मिल मालिक आगामी सीजन में मिल को नहीं चलाना चाहते? यदि हां, तो मिल चलाने हेतु शासन ने अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

134–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद, बस्ती के सेवायोजकों ने दिनांक 29 अप्रैल, 85 को सेक्रेटरी केन डेवलपमेंट एण्ड शुगर इण्डस्ट्रीज, लखनऊ को पत्र द्वारा यह सूचना दी है कि यदि उन्हें एक करोड़ रुपया कर्जा नहीं दिया जाता तो वह मिल नहीं चलायेंगे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

135–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद बस्ती पर श्रमिकों व गन्ना किसानों का कितना बकाया तथा सरकार का कितना कर्ज 31 मार्च, 85 तक बाकी था? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसकी अदायगी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या सकार श्री आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद बस्ती के अधिग्रहण पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, लखनऊ की तौल कांटों की खरीद सम्बन्धी पत्रावली तथा श्री एस0 टी0 नथानी, कर्मिक अधिकारी की शैक्षिक योग्यता एवं प्रति नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी की वापसी**

136–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ द्वारा तौल-काटों की खरीद संबंधी मूल पत्रावली में अनियमितताएं होने के कारण निगम के वर्तमान क्रय प्रबंधक द्वारा पत्रावली गायब कर दी गयी? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लखनऊ की तौल कांटों के खरीद संबंधी मूल पत्रावली गायब नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

137–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि0 लखनऊ में कार्मिक अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री एस0 टी0 नाथानी की शैक्षिक योग्यता क्या है? क्या यह सही है कि विना वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी नियुक्ति को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लखनऊ के कार्मिक अधिकारी श्री एस0 टी0 नाथानी की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट है ।

श्री नाथानी सचिवालय के उद्योग सचिव शाखा में स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक थे । उनकी सेवाएं राज्य चीनी निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर ली गई थीं । बाद में उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर उन्हें कार्मिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

138–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कितने-कितने समय से हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग में वापस देगी जिनका कार्यकाल निगम की सेवा में दो वर्ष पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लखनऊ (मुख्यालय) पर वर्तमान में कुल 9 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । इसके विवरण संलगन है । इनमें से केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिनियुक्ति की निर्धारित 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है । उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को निर्देश दे दिये गये हैं कि या तो इनके राज्य चीनी निगम की सेवा में संवीलियन के विकल्प ले लिये जायं अन्यथा उनको पैतृक विभाग में वापस कर दें ।

(देखिए नत्थी 'च' आग पृष्ठ सं0 152 पर ।)

**सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोण्डा के अवर अभियन्ता, श्री आर0 के0 श्रीवास्तव एवं सहायक अभियन्ता श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच**

139–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड सा0 नि0 वि0 गोण्डा ने मार्च, अप्रैल, 84 के दौरान इसी खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री आर0 के0 श्रीवास्तव व सहायक अभियन्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से संबंधित जांच पड़ताल करके उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को आरोप पत्र दिया है ? यदि हां, तो इन आरोप पत्रों के अनुसार अधि0

अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड गोण्डा द्वारा की गयी जांच में क्या-क्या अनियमिततायें तथा भ्रष्टाचार संबंधी मामले पाये गये?

श्री बीर बहादुर सिंह–

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा प्रश्नगत अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के उपरान्त प्रकाश में आयी अनियमितताओं के लिये आरोप पत्र गठित किया गया था । इन अभियन्ताओं के विरुद्ध विभिन्न वित्तीय अनियमिताएं करने आदि के आरोप लगाये गये हैं । अवर अभियन्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र की जांच अधीक्षण अभियन्ता 58वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग बाराबंकी द्वारा की जा रही है । सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र का परीक्षण कराया जा रहा है ।

140–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या यह भी सही है कि अधि0 अभि0 प्रा0 ख0 गोण्डा द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित आरोप पत्र की प्रतियां प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 लखनऊ तथा अधी0 अभि0 40वां वृत फैजाबाद को उचित कार्यवाही हेतु भेजी गई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता तथा अधीक्षण अभि0 द्वारा आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-कौन सी अनुशासनिक कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अवर अभियन्ता के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता, 58वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा आरोप-पत्र की जांच की जा रही है । सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र का परीक्षण कराया जा रहा है ।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिये जाने की मांग**

141–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सा0 नि0 विभाग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 146/श्रमिक 84, दिनांक 25-3-84 जिसमें शासनादेश के अनुसार पी0 डब्लू0 डी0 के कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने की मांग की गयी है, प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस मामले पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

श्रमिक संघ का पत्र संख्या 146/श्रमिक 84 दिनांक 25-3-84 मुख्य अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा लिया गया स्कूटर एवं मोपेड का ऋण**

142–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ मुख्यालय में गत वर्ष 1983-84 में कुछ लोगों को विभागीय ऋण स्कूटर/मोपेड खरीदने के लिए दिया गया था ?यदि हां, तो उसमें कितनों ने अब तक स्कूटर खरीदा और कितनों ने नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

सभी ऋण लेने वालों ने मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय कर लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, मलियाना इकाई, मेरठ के कामर्शियल मैनेजर, श्री के0 एस0 माथुर का वेतनमान**

143–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 की इकाई मलियाना (मेरठ) में फैक्ट्री मैनेजर के पद पर कार्यरत श्री एस0 के0 माथुर को बिना किसी आधार के निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान देकर कामर्शियल मैनेजर के पद पर अपने दिल्ली कार्यालय पर नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की मलियाना इकाई (मेरठ) में फैक्ट्री मैनेजर के पद पर श्री एस0 के माथुर नामक कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है, बल्कि उक्त पद पर श्री के0 एस0 माथुर को वर्ष 1980 में फैक्ट्री मैनेजर का पद नाम प्रदान किया गया तथा 5 वर्षों के सेवा के उपरान्त इन्हें मार्च, 1985 में इस पद का निर्धारित वेतनमान प्रदान किया गया ।

चीनी निगम की दिल्ली स्थित शुगर सेल्स आफिस में श्री माथुर का स्थानान्तरण किया गया है जिसका पद नाम कामर्शियल मैनेजर है । परन्तु उसका संवर्ग/वेतनमान पूर्ववत् ही है। इन्हें कोई उच्च वेतनमान नहीं प्रदान किया गया है ।

**बाराबंकी के ग्राम नौबस्ता के श्री राम नरेश की हत्या एवं ग्राम विरौली निवासी श्री शिव कैलाश द्वारा श्री राम नरेश के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट**

144–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के थाना मसौली के ग्राम नौबस्ता के श्री राम नरेश की दिनांक 8 अगस्त, 85 को हत्या कर दी गई, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दिनांक 11 अप्रैल, 85 को दी गई और जिस पर थाना मसौली में अपराध संख्या 739 अ/85 मुकदमा कायम किया गया? उक्त घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा मुल्जिमान के विरुद्ध किस धारा में मुकदमा अब दर्ज है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला बाराबंकी के थाना मसौली के गांव नौबस्ता के राम नरेश वर्मा की हत्या की गई जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दिनांक 11-8-85 को की गई है और भारतीय दंड विधान की धारा 364 के अन्तर्गत थाना मसौली में अपराध संख्या 139 ए/85 के रूप में कायम हुआ। नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक की विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। अभियोग विवेचनाधीन है।

145–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या यह सही है कि ग्राम विरौली के श्री शिव कैलाश ने उसी दिन थाना मसौली जनपद बाराबंकी में कोई रिपोर्ट राम नरेश उपरोक्त के विरुद्ध दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने राम नरेश द्वारा अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाया था? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

विवेचना प्रचलित है।

**लखनऊ में इन्दिरानगर, गोमतीनगर और सरोजनी नगर को नगर महापालिका क्षेत्र में लिये जाने की मांग**

146–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि लखनऊ नगर के विकास को देखते हुये लखनऊ के नये आवासीय मोहल्ले जैसे इन्दिरा नगर, गोमती नगर और सरोजनी नगर को लखनऊ नगर महा-पालिकाओं की सीमा के भीतर लेने का विचार कर रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

**देवरिया जनपद के ग्राम सपही निवासी श्री सुदामा यादव की हत्या**

147–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के पटहेरवा थाना के अंतर्गत ग्राम सपही निवासी श्री सुदामा यादव की फर्जी मुठभेड़ दिखाकर निर्मम एवं बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गयी? यदि हां, तो घटना का सम्पूर्ण विवरण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक सुदामा यादव को रात दिनांक 16/17-6-85 को अपने अन्य साथियों सहित श्री अमनु-उल्लाह अन्सारी नि0 ग्राम सपही खुर्द थाना तुर्कपट्टी जनपद देवरिया के दरवाजे पर गया, टोकने पर फायर किया बचाव में अमनुउल्लाह के पिता हफीजउल्लाह ने बदमाशों पर अपनी लाइसेन्सी बंदूक से फायर किया तथा शोर किया फायर की आवाज तथा शोर सुनकर गांव वाले भी आये बदमाशों का पीछा किया अब्बास के बाग में पहुंचते पुनः बदमाशों ने फायर किया जिसके जवाब में हफीजुउल्लाह ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक से गोली चलाई जिससे सुदामा यादव गोली की चोट खाकर मर गया। जिसका मुकदमा थाना तुर्कपट्टी में अभियोग संख्या 54/85 के अंतर्गत धारा 307 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ।

**उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्नातक पाठ्य-क्रम (बी0 ई0) के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु नामांकन**

148–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ई0) में इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु नामांकन की क्या प्रक्रिया है तथा किन अभ्यर्थियों का नामांकन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है तथा विभिन्न प्रदेशों के इन्जीनियरिंग कालेजों में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटों पर मामांकन किया जाता है तथा इसका आधार क्या है? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सत्र में कितने अभ्यर्थियों का नामांकन हेतु चयन किया गया तथा चयन का आधार क्या था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश स्थित इंजीनियरिंग कालेजों में कथित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा नामांकन नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के इंजीनियरिंग कालेजों में कतिपय ऐसे पाठ्यक्रम, जो प्रदेश स्थित इंजीनियरिंग कालेजों में नहीं पढ़ाये जाते, हेतु भारत सरकार द्वारा कुछ सीटें उ0 प्र0 के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाती हैं जिन पर राज्य सरकार के विवेकानुसार पात्र छात्रों में से नामांकन किया जाता है। वर्तमान सत्र 1985-86 में भारत सरकार द्वारा 10 सीटें आरक्षित की गई थीं जिन पर 10 छात्रों का उनकी योग्यता, अर्हता एवं पात्रता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विवेकानुसार नामांकन किया गया परन्तु उनमें से दो छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया, अतः उनके स्थान पर दो अन्य पात्र छात्रों का नामांकन किया गया।

**बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या हेतु जिलेवार धन का आवंटन**

149—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या को हल करने के लिए शासन ने जिलेवार सन् 84-85 में कितना धन आवंटित किया तथा उसमें से कितना धन किन-किन मदों मे व्यय किया गया और कितना धन व्यय नहीं किया जा सका और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**झांसी में पंडवाहा-बिजना मार्ग पर पतराई नदी पर पुल निर्माण की मांग**

150—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडवाहा-विजना मार्ग (जिला झांसी) पर पतराई नदी पर पुल बनाने हेतु 35 लाख रुपये शासन द्वारा स्वीकृत कर, जिला कोषागार को भेजा जा चुका है? यदि हां, तो इस पुल के निर्माण कराये जाने में विलम्ब का क्या कारण है? क्या शासन इसका निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस पुल का निर्माण, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण की ओर से, 30·25 लाख रुपये की लागत पर कराया जाना स्वीकृत हुआ है किन्तु बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण से अभी तक धन प्राप्त नहीं हुआ है।

बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण से धन उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका है। धन उपलब्ध होने पर ही कार्य कराना सम्भव होगा। पुल के निर्माण में लगभग 1·5 वर्ष लगेगा।

**चीफ कामार्शियल मैनेजर, प्रान्तीय सहकारी दुग्ध विकास संघ, लखनऊ के पद पर श्री केशव शरण वर्मा की प्रतिनियुक्ति**

151—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री केशव वर्मा, चीफ जनरल मैनेजर डेरी थे को गुजरात से प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञ के रूप में आये थे? क्या इनकी प्रति नियुक्ति का समय गत वर्ष ही समाप्त हो गया था तथा उन्हें शासन ने विशेषज्ञ होने के कारण ही रोका था और अब इन्हें मूल राज्य को वापस भेज दिया गया है था किसी अन्य स्थान पर नियुक्त किया गया है? यदि नहीं नियुक्त किया गया है तो कहां और क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री केशव शरण वर्मा, आई0 ए0 एस0 (गुजरात—1976) को भारत सरकार ने उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रतिनियुक्ति पर भेजा था और वह 3 मई 1980 से इस प्रदेश में कार्यरत है। सम्प्रति उनकी प्रतिनियुक्ति को अवधि भारत सरकार द्वारा 31-3-86 तक स्वीकृत की गई है। श्री वर्मा दिनांक 12-4-85 तक चीफ कामर्शियल मैनेजर, प्रान्तीय सहकारी दुग्ध विकास संघ, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 13-4-85 पूर्वाह्न से वह संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर कार्यरत है।

**उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा थाना कैन्ट में लिखाये गये रिपोर्ट**

152—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कैन्ट गोरखपुर में दिनांक 27-12-80 को अपराध संख्या 202/80 धारा 409, 420, 467 व 468 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत उप विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर

द्वारा कोई प्रथम सूचना दर्ज कराई गयी थी? यदि हां, तो क्या पुलिस ने इसकी विवेचना पूर्ण कर ली है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

इस मुकदमें की विवेचना विशेष अपराध शाखा (एस0 आई0 एस0) द्वारा प्रचालित है।

153–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**झांसी जिले की टाउन एरिया गरौठा, गुरसरांय आदि में लगाये गये हैण्ड पम्प**

154–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद की टाउन एरिया गरौठा, गुरसरांय, एरच तथा मोंठ में वार्ड के अनुसार 15-10-85 तक कितने-कितने हैन्ड पम्प लगे हैं? क्या शासन इन चारों टाउन एरिया के प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो हैन्ड पम्प लगाया जाना सुनिश्चित करेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

झांसी जनपद की टाउन एरिया, गरौठा में 7, मेरठ में 5 तथा गुरसरांय में 3 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। गरौठा एवं एरच में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3-3 हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है। धनाभाव के कारण प्रत्येक वार्ड में 2-2 हैण्ड पम्प लगाया जाना सम्भव नहीं है।

**झांसी जनपद की नगरपालिका समथर में लगाये गये हैण्ड पम्प**

155–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका समथर, जिला झांसी में किन-किन वार्डों में कितने-कितने हैण्ड पम्प 15-10-85 तक लगे हैं? क्या प्रत्येक वार्ड में दो-दो (कम से कम) हैण्ड पम्प लगाया जाना शासन सुनिश्चित करेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नगर पालिका समथर, जिला झांसी में 15-10-85 तक कोई हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया। 15-10-85 के बाद 3 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं तथा एक और हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है।

सीमित संसाधनों के कारण अभी और अधिक हैण्ड पम्प लगाया जाना सम्भव नहीं है।

**रायबरेली में ज्येष्ठ वेतनमान में पुलिस उपाधीक्षक की नियुक्ति**

156–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली में सीनियर डिप्टी एस0 पी0 के कितने पद हैं? वहां पर दो सीनियर डिप्टी एस0 पी0 की नियुक्ति का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद रायबरेली में ज्येष्ठ वेतनमान के पुलिस उपाधीक्षक का एक पद स्वीकृत है।

जनपद रायबरेली की कानून व्यवस्था, औद्योगिक वतिष्ठानों की सुरक्षा, श्रम समस्याओं, राजनैतिक समस्याओं एवं

अन्य क्षेत्रीय समस्याओं तथा प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में ज्येष्ठ वेतनमान के एक अन्य अधिकारी को रायबरेली में नियुक्त किया गया है।

**पुलिस महानिदेशक के उप सहायक पुलिस उपाधीक्षक का वेतनमान**

157–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक के डी0 ए0 का पद सीनियर डिप्टी एस0 पी0 कैडर का पद है और इस पर आफीसियेटिंग डिप्टी एस0 पी0 की नियुक्ति किये जाने का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुलिस महानिदेशक के उप सहायक का पद पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान का है और उस पर नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक स्थायी अधिकारी है।

**पीलीभीत के आढ़ती श्री श्यामा चरण, मेसर्स गुप्ता फूड ग्रेन्स कम्पनी की गेहूं की बोरियों में मिला हुआ रेत एवं पुलिस द्वारा बरामद किया गया गेहूं**

158–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में पीलीभीत की पुलिस ने एफ0 सी0 आई0 के बरेली गोदाम हेतु सरकारी गेहूं को ले जाते हुए ट्रक नं0 यू0 टी0 आई0 9462 से 120 बोरियां गेहूं, जिनमें प्रति बोरी 20–20 किलो रेत मिला हुआ था, बरामद किया था? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है? क्या इस षडयंत्र की गहराई को खोजने के लिए गृह मंत्री जी एफ0 सी0 आई0 बरेली के परसाखेड़ा स्थित गोदाम, जहां यह गेहूं भेजा जा रहा था, के गेहूं स्टाक की रैंडम चेकिंग अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार रेत मिला-कर गेहूं लदवाने की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी सहित थानाध्यक्ष अमरिया ने दिनांक 23-6-85 को आढ़ती श्री श्यामा चरन, मेसर्स गुप्ता फूड ग्रेन्स कम्पनी, अमरिया, की आढ़त से ट्रक नं0 यू0 टी0 आई0 9462 में लदी 120 बोरी गेहूं अवैध, जिनमें 102 बोरी में प्रति बोरी 15 से 20 किलो-ग्राम रेत मिली हुई थी तथा शेष 18 बोरी गेहूं, बिना रेत मिली हुई, बरामद कीं। आढ़ती द्वारा स्टाक-बोर्ड, स्टाक डेली रजिस्टर, खरीद रजिस्टर आदि न दिखाये जाने पर तथा रेत मिला हुआ गेहूं बरामद होने पर थाना अमरिया पर अपराध संख्या 63, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 272 भा0 दं0 वि0 बनाम श्यामा चरन आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। आढ़ती तथा ट्रक-ड्राइवर को मौके पर बन्दी बनाकर जेल भेजा गया एवं 6 अन्य नामजद अभियुक्तों को बाद में बन्दी बनाकर जेल भेजा गया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 11-7-85 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम बरेली का परसाखेड़ा स्थित गोदाम, केन्द्र सरकार का होने के कारण, उसकी रैंडम चेकिंग कराने के लिए केन्द्र सरकार ही सक्षम है। उक्त गोदाम में रखे गेहूं स्टाक की रैंडम चेकिंग कराने के संबंध में विचार करने हेतु खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार को लिख दिया गया है।

**उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं चमोली के सहकारी समितियों के सचिवों को पर्वतीय भत्ता एवं सीमान्त भत्ता दिये जाने, और राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों के पदों पर प्रोन्नति की मांग**

159–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल के ग्रामीण व क्षेत्र के सहकारी ऋण समितियों में कार्यरत सचिवों को अन्य विभागीय कर्मचारियों की भांति पर्वतीय भत्ता तथा सीमान्त भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, वित्तीय संसाधनों के अभाव तथा सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को अन्य विभागीय कर्मचारियों की भांति पर्वतीय तथा सीमान्त भत्ते दिया जाना सम्भव नहीं है। अस्तु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

160–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी में कार्यरत सहकारी संघ समितियों के सचिवों को राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के पदों पर पदोन्नति किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और पदोन्नति का कोटा कितना आरक्षित है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, सीमांत जनपदों में राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा नियमावली 1977 के अनुसार सीधी भर्ती का प्राविधान है। तद्नुसार ही नियुक्ति की जाती है। पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के प्राविधान न होने के कारण सचिवों की पदोन्नति करने तथा उसका कोटा आरक्षित करने का प्रश्न नहीं उठता।

**पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों द्वारा बागवानी, लघु कुटीर उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण दिये जाने की मांग**

161–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों द्वारा बागवानी (फलदार वृक्ष) भूमि संरक्षण एवं लघु कुटीर उद्योगों अथवा अन्य व्यवसायों के लिए दीर्घकालीन ऋण वितरित कराने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, सहकारी समितियों द्वारा लघु कुटीर उद्योगों एवं अन्य व्यवसायों के लिए अल्पकालीन व मध्य कालीन ऋण तथा उ0 प्र0 भूमि विकास बैंक द्वारा बागवानी एवं भूमि संरक्षण के लिए दीर्घकालीन ऋण वितरित किया जाता है। फिलहाल सहकारी समितियों के स्तर पर आर्थिक संसाधनों, तकनीकी ज्ञान तथा प्रबन्ध तंत्र की कमी को दृष्टिगत रखते हुए दीर्घकालीन ऋण वितरित कराया जाना विचाराधीन नहीं है।

**आजमगढ़ में हरिजन समाज कल्याण कार्यालय के लिपिक श्री शमीम अहमद के विरुद्ध दर्ज अपराधिक मामले**

162–श्री बलराम यादव–

क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में हरिजन समाज कल्याण कार्यालय में सेवारत मुख्य

लिपिक श्री शमीम अहमद के विरुद्ध कितने अपराधिक मामले किन-किन थानों में दर्ज हैं? दर्ज मुकदमों के कारण इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**बरेली स्थित कम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0 के उत्प्रवाह का विश्लेषण**

163–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली स्थित कम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0 से निकसित प्रदूसित पानी के नमूनों की प्रदूषण विभाग द्वारा किये गये विश्लेषण की 1 जनवरी, 85 से जून 85 तक की मासिक रिपोर्ट क्या है? क्या मंत्री जी उपरोक्त समय की प्रत्येक माह की अलग-अलग रिपोर्ट बताने की कृपा करेंगे? क्या उनमें प्रदूषित तत्वों की संख्या आई0 एस0 आई0 द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

मैसर्स कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडेक्ट, बरेली की दो इकाईयां हैं । कैम्फर यूनिट पुरानी है तथा फैनवलरेट इकाई जून 85 से चालू हुई। जून 1985 में फैनवलरेट इकाई तथा दोनों इकाईयों के मिश्रित उत्प्रवाह का नमूना अलग-अलग लिया गया । विश्लेषण आख्या के अनुसार उत्प्रवाह के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक संसपेण्डेड सालिड, बी0 ओ0 डी0 फिनाइलिक कम्पाउन्ड तथा साइनाइड की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। प्रश्नगत छमाही में केवल जून 1985 में नमूने लिये गये थे ।

फैनवलरेट इकाई के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक ससपेण्डेड सालिड बी0ओ0 डी0, साइनाइड की मात्रा आई0 एस0 आई0 द्वारा निर्धारित मानक क्रमश: 100, 300, 2 मिली ग्राम प्रति लीटर से अधिक है। उद्योग की फैनवलरेट इकाई के पास प्रारम्भिक शुद्धिकरण व्यवस्था है। परन्तु द्वितीय चरण के संयंत्र का कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रदूषण निर्धारित मानक से अधिक है।

**प्राइमरी सहकारी ऋण समिति की आडिट फीस की कटौती का प्रस्ताव**

164–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रा0 सहकारी ऋण समिति से वसूल किये जाने वाली आडिट फीस की दरों में कोई कटौती का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इन संस्थाओं का लेखा परीक्षण सरकार लेखा परीक्षक के बजाय अन्य संस्थाओं की भांति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराने की व्यवस्था लागू कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं. तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी हां, दोनों प्रकरण विचाराधीन हैं।

**अतारांकित प्रश्न 28 का उत्तर अंग्रेजी में आने पर आपत्ति एवं उसका स्थगन (क्रमागत)**

(12 बजकर 20 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने आपसे प्रश्नोत्तरकाल के पश्चात् व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही थी। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं व्यक्तिगत विचार कोई हो सकता है, भाषा के संबंध में, नीति के संबंध में, आदर्श के सम्बन्ध में लेकिन इस सदन

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का संचालन प्रक्रिया संचालन नियमावली के तहत होगा। अपने व्यक्तिगत विचारों को बड़ी कड़ाई से दबाना पड़ता है। मान्यवर, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आपने अंग्रेजी में भाषण दिया मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आपके हिसाब से प्रदेश का सम्मान बढ़ा हो, लेकिन मेरे विचार से सम्मान घटा है। यह हमारे आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। लेकिन नियमावली के नियम 282 में साफ लिखा है कि सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे अंग्रेजी में मिला जिसकी सूचना मैंने आपके सचिव को आपको दे दी। जो उत्तर मिला है उसकी एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं-"वी चेक्ड आउट दि रूम नम्बर 124 एट 11.30 ए0 एम0।"

मैंने कमरा नं0 124 को 11-30 बजे चेक किया। आपकी पीठ से इस तरह की व्यवस्थायें दी गई हैं। मान्यवर, अगर कोई अपरिहार्य कारण है तो जो अंग्रेजी का कोटेशन दिया जाता है, उसका हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। हम लोग अंग्रेजी का उद्धरण देते हैं तो उसकी हिन्दी करते हैं। लेकिन आज मेरे व्यवस्था का प्रश्न उठाने के पहले आपने प्रश्न को स्थगित कर दिया यह आपकी कृपा है। लेकिन मान्यवर प्रश्न को स्थगित कर देने से काम नहीं चलने वाला है। मान्यवर, नियमों में स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद यह सरकार बराबर इस प्रकार का काम करती आ रही है और हमेशा हम लोगों ने इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया है। आपने प्रश्न को स्थगित किया अच्छा किया लेकिन मान्यवर आप अपने स्तर से सरकार को चेतावनी दें, भर्त्सना करें, निर्देशित करें कि भविष्य में इस तरह का क्रियाकलाप कभी नहीं होना चाहिये। इससे इस सदन की अवमानना हुई है। सदन का विनिश्चय है भाषा के बारे में उस विनिश्चय की अवमानना मेरे द्वारा, आपके द्वारा या किसी भी सदस्य के द्वारा नहीं की जा सकती है। इसलिए मान्यवर, यह आवश्यक है कि आप इसकी भर्त्सना करें, जिस मंत्री द्वारा उत्तर आया है, उनकी भर्त्सना की जाय और भविष्य में ऐसा न करने के लिये निर्देश दिया जाय।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–
मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री कौशिक रमाशंकर–
मान्यवर, एक मिनट में मैं कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष–
मंत्री जी को कह लेने दें।

श्री कौशिक रमाशंकर–
मान्यवर, यह गम्भीर सवाल है। नियमावली का उल्लंघन, सदन के फैसले का उल्लंघन है। मान्यवर, इस सदन की प्रक्रिया संचालन नियमावली है, नियमावली में यह लिखा है कि संविधान के उपबन्धों के तहत, इस प्रकार यह संविधान का उल्लंघन भी है। मेरा निवेदन है कि यह सदन का अवमान है, नियमावली का ही यह उल्लंघन नहीं है, वरन् संविधान का भी उल्लंघन है। इस सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। मंत्री जी को इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपकी व्यवस्था चाहिए। आप सरकार की भर्त्सना करें और चेतावनी दें कि भविष्य में इस तरह का काम नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

यह कहां का इंसाफ है कि एक तरफ की बात सुनी जाय और दूसरी तरफ की बात न सुनी जाय। गुप्ता जी ने अंग्रेजी का वह वाक्य पढ़ दिया जो उनके हिसाब से गलत था। पहले और बाद का छोड़ दिया। उसको नहीं पढ़ा । मैं स्पष्ट करने से पहले एक बात गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा और संविधान से उनकी जितनी आस्था है, उससे कम मेरी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं किन परिस्थितियों में और कैसे यह हुआ। प्रश्न था-क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 84 तथा जनवरी, 85 में पर्यटन विभाग के गोमती होटल में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में विदेशी पर्यटकों द्वारा जो शिकायतें होटल के प्रमुखों को लिखाई गई, वे शिकायतें क्या हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? दिसम्बर, 1984 तथा जनवरी, 85 के मध्य होटल गोमती की शिकायत पंजिका के अनुसार पृष्ठ संख्या 52 पर श्री एम0 हवेयल तथा श्री डब्लू हॉफ द्वारा केवल एक शिकायत अंकित की गयी है, जो निम्नलिखित है। इसके बाद शिकायत अंग्रेजी में लिखी गयी है। इस शिकायत के बाद लिखा है कि उपरोक्त शिकायत पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जा रही है । तो अब वे यूरोपीय सज्जन हिन्दी नहीं जानते थे, उन्होंने अंग्रेजी में शिकायत लिखी। शिकायत का हमने यथायत आपको उपलब्ध करा दिया। नहीं तो हो सकता है कि गुप्ता जी यह कहने लगते कि शिकायत यह नहीं है आपने बदल दिया । वैसे फाइल पर मैंने यह लिख दिया है कि क्योंकि सदन की भाषा हिन्दी है, अतः यह जो अंग्रेजी है, इसका अनुवाद हिन्दी में करके भेज दिया जाय। इसका हिन्दी में अनुवाद होना चाहिये था। मैंने इसके अनुवाद के लिये आदेश दे दिया था। आपके पास अनुवाद आ गया होगा। यदि नहीं आया तो उसके लिये मुझे खेद है, दुख है । जिन अधिकारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया उनके खिलाफ मैं कठोर कार्यवाही करूंगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

इसके लिये माननीय मंत्री जी स्वयं जिम्मेदार हैं। इस सदन का अधिकारियों से क्या मतलब ? यहां की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी मंत्री जी स्वयं हैं। ये अपने को बचाकर, अधिकारियों पर आरोपित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सिलसिले में शुरू में कहा था कि आज की कार्य सूची में अतारांकित प्रश्न सख्या 28 का उत्तर अंग्रेजी में होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है ।

## अतारांकित प्रश्न 113 का संगत उत्तर न दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा भेजा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 113 देखें। इसमें उत्तर आया है कि, "मामला विचाराधीन है ।" यह प्रश्न पिछले सत्र में भी आया था । उस समय भी यही कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत वैयक्तिक सहायकों के नियमितीकरण का मामला विचाराधीन है। हर साल यही उत्तर आता है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप यह निश्चित उत्तर दिला दें कि आखिर इसमें कब तक अंतिम रूप से निर्णय लेकर इन सभी वैयक्तिक सहायकों को नियमित कर दिया जायगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपको कोई स्पष्टीकरण मांगना है तो लिखकर भेज दीजिये ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, हर बार यही उत्तर आता है, आप यह उत्तर दिला दीजिये कि इसमें कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायगा? मान्यवर, इससे आपका सचिवालय भी प्रभावित है। इसमें तत्काल निर्णय होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपको जो कहना हो लिख कर दे दीजिये ।

**जनपद शाहजहांपुर तथा बरेली मंडल में सरसों, आलू तथा गेहूं में रोग लगने से फसलों की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अंतर्गत आज 27 सूचनाएं प्राप्त हुई । जिनमें से मैंने 7 को स्वीकार किया है जो सर्वश्री सत्यपाल सिंह, आसान सिंह, देव कुमार यादव, कु0 अलमेलु अम्माल, अनुग्रह नारायण सिंह, विष्णु देव तथा अवधेश प्रसाद की है ।

*श्री सत्यपाल सिंह–

महोदय, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के दो विशेषज्ञों ने इस मंडल में मौके का निरीक्षण करके लोगों की शिकायत पर घोषणा की है कि जनपद शाहजहांपुर तथा बरेली मंडल के सभी अंचलों में सरसों में भीषण माहू रोग लगा हुआ है, आलू तथा गेहूं में भी झुलसा व पीला रोग का भीषण प्रकोप हो चुका है । सरकार की ओर से यदि तत्काल उपचार की व्यवस्था न की गई तो किसानों का करोड़ों का नुकसान हो जायेगा और भविष्य में किसान सरकार की लापरवाही से तबाह हो जायेगा । सरकार किसानों को बरबादी से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रही है । जबकि कृषि विशेषज्ञों ने उपचार हेतु विभिन्न दवाइयों का छिड़काव बताया है तथा तुरन्त प्रभावी कदम उठाने का किसानों को सुझाव दिया है।

उक्त बीमारियों से किसानों में भीषण चिन्ता व आक्रोश व्याप्त हो गया है क्योंकि लाखों किसान कुप्रभावित हो रहा है ।

अतएव इन बीमारियों से फसलों के बचाव हेतु तुरन्त युद्ध स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की मांग करता हूं ।

**इटावा जनपद के कृषकों के धान बिक्री का बकाया मिल मालिकों द्वारा भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री आसान सिंह–

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन व शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इटावा जनपद की धान मंडी नेविलगंज (अछल्दा) भर्थना व इटावा के चावल मिलों पर धान बिक्री का 2 करोड़ रुपया बकाया है। कृषकों की उपज पहले तो सस्ते दामों में ले ली और अब भुगतान भी नहीं हो रहा है । जिससे किसान परेशान है। खाद, कपड़ा, सिंचाई, लगान का बकाया देने में असमर्थ है तथा जनपद के कृषकों में भारी असंतोष, क्षोभ एवं रोष व्याप्त है ।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वह कृषकों के धान बिक्री मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने का कष्ट करें ।

मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर मसला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेशित करने की कृपा करें कि वे इसका शीघ्र भुगतान करा दें ।

**जिला प्रशासन बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले श्री राम नारायण उर्फ ठिकुली पाण्डे को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय का प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

महोदय, बांदा जनपद के कांग्रेस आई के महामंत्री एवं पत्रकार श्री राम नारायण उर्फ ठिकुली पाण्डे ने जिला प्रशासन के भ्रष्टाचारों को उजागर करने के लिए ज्ञापन दिये और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। उनकी इस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर जिला मजिस्ट्रेट बांदा ने उनके खिलाफ गुण्डा एक्ट के अधीन कार्यवाही करके बिना जमानती वारण्ट जारी कर दिये हैं। श्री पाण्डे इन दमनात्मक कार्यवाहियों के खिलाफ विधान सभा के सामने 1 फरवरी, 1986 से अनशन कर रहे हैं । उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है। लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जनपद की जनता में असुरक्षा और आतंक व्याप्त है।

अतः इस सूचना के माध्यम से मांग करता हूं कि जनपद में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचारों की निष्पक्ष जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट तथा ए0 डी0 एम0 पी0 सहित अन्य अधिकारियों का तत्काल तबादला करके उच्चस्तरीय जांच कराई जाय और श्री पाण्डे सहित अन्य सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं की रक्षा की जाय ।

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाय आपने अपनी सूचना पढ़ दी ।

श्री देव कुमार यादव–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना की अतिरिक्त बात कही जा रही है, कोई बात नहीं लिखी जायेगी ।

**बस्ती जनपद के वाल्टरगंज और खलीलाबाद चीनी मिल बंद होने से मजदूरों में भुखमरी होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

कुमारी अलमेलु अम्माल–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं। बस्ती जिले के वाल्टरगंज और खलीलाबाद चीनी मिल वर्तमान सीजन में न खुलने के कारण हजारों स्थायी और अस्थायी मिल मजदूर, दुकानदार, किसान कस्बे के निवासी बेहद परेशान हैं। इसके कारण जिले की जनता में भीषण रोष और क्षोभ व्याप्त है ।

---

नोट–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूं कि हर हालत में दोनों मिलों को चालू करा कर, जनता में व्याप्त भीषण असंतोष को दूर करने का कष्ट करें ।

**इलाहाबाद जनपद के महाविद्यालयों के छात्रों को झूठे मुकदमों में फंसाने तथा गिरफ्तारी के विरुद्ध छात्रों द्वारा आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद के महाविद्यालयों के छात्र विगत दो सप्ताह से सीटों में कटौती, छात्र नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर गिरफ्तारी तथा निष्कासन, छात्रसंघ का चुनाव आदि मांगों के संदर्भ में आन्दोलनरत हैं । सी0 एम0 पी0 डिग्री कालेज के तीन छात्र लगभग 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत चिंतनीय है । स्थिति विस्फोटक हो रही है । माननीय मुख्य मंत्री ने इलाहाबाद आगमन पर समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन तथा कुलपति को निर्देश भी दिया था । 7 फरवरी को छात्रों के विशाल जुलूस ने जिलाधिकारी को 24 घंटे का समय दिया था । 8 फरवरी को काफी तोड़-फोड़, आगजनी, लाठी चार्ज आदि हुआ । कई छात्र घायल हुए 8-10 बसें जलीं और क्षतिग्रस्त हो गयी । छात्र नेताओं शैलेन्द्र सिंह आदि की गिरफ्तारी तथा पिटाई से पूरे जिले में भड़कते छात्र आन्दोलन के कारण पढ़ाई लिखाई ठप होने की आशंका है । फरवरी मार्च में हाईस्कूल, इण्टर-मीडिएट तथा एम0 ए0 की परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें भी बाधा पड़ने की आशंका है ।

अतः तत्काल हस्तक्षेप करके समस्या का समाधान तथा विस्फोटक स्थिति को समाप्त कराने हेतु इस अविलम्बनीय महत्व की सूचना सदन के पटल पर रखता हूं ।

**आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री विष्णु देव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्वान्चल में जनपद आजमगढ़ अपने क्षेत्रफल आकार व आबादी में सबसे बड़ा है लेकिन विकास और शिक्षा स्तर में सर्वाधिक पिछड़ा है जिसका मूल कारण जनपद में विश्वविद्यालय का न होना है ।

छात्रों, अभिभावकों और जनता में आक्रोश की लहर उमड़ पड़ी है और शिक्षा व आवागमन के साधनों पर बढ़ते व्ययभार से कराहते छात्र व अभिभावक आजमगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर आन्दोलनरत हैं ।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आजमगढ़ में शीघ्र ही विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कदम उठायें ।

**फैजाबाद जनपद में नहर व माइनरों के कटान से हजारों एकड़ फसलों की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरे जनपद फैजाबाद स्थित विकास क्षेत्र सोहावल मसौधा और पूरा में सिंचाई हेतु नहरें हैं । नहरों की माईनर की सफाई व रख रखाव ठीक से न होने के कारण उक्त माइनर और नहर का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी जगह-जगह कट कर बोई हुई फसलों में दो-दो फिट, एक-एक फिट भरा हुआ है। मैंने स्वयं विकास क्षेत्र सोहावल स्थित गांव मगलसी निवादा जाकर देखा । मगलसी में लगभग सौ बीघा जमीन पानी से डूब गयी है । किसानों का हजारों रुपए का नुकसान हो गया । इसी तरह विकास क्षेत्र मसौधा में गौहनिंया, अरुवांवा, पलिया तथा पूरा स्थित विकास क्षेत्र में नरायनपुर, मधुपुर आदि गांवों के समस्त किसानों का खेत तो डूब ही गया है साथ ही साथ नरायनपुर गांव में भी पानी भरा हुआ है । इस कटान का कारण माइनर की सफाई न होना है। इससे एक तरफ इस प्रकार से पानी का दुरुप्रयोग हुआ है जिससे राष्ट्रीय क्षति तो हुई ही है साथ ही साथ दर्जनों गांव के कास्तकारों की सभी फसल चौपट हो गयी है । सारा किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है । इसकी शिकायत किसान संबंधित अधिकारियों से करते है तो उल्टे किसानों को ही धमकी दी जाती है ।

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इसे सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि इसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय तथा कास्तकारों की जो फसल डूब गयी है उसका हर्जाना दिलाया जाय और माइनरों की सफाई और रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

**दि0 6-2-86 को सदन में घटी घटना के संदर्भ में कतिपय सदस्यों के विरुद्ध कोतवाली, हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष–

औचित्य की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना, माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी की है। दूसरी सूचना व तीसरी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश जी की, श्री मनोहर लाल जी की और श्री राजेन्द्र गुप्त जी की है । चौथी सूचना, श्री बेनी प्रसाद वर्मा और माता प्रसाद पाण्डेय जी की है । पांचवी सूचना श्री सरदार सिंह जी की है । छठी सूचना श्री जयदीप सिंह बरार जी की है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने मामले का कोई विवरण नहीं दिया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि संविधान की कौन सी प्रक्रिया व नियमावली का उल्लंघन किया गया है ? . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं एक मिनट में अपनी बात स्पष्ट कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

5-6 विधायकों के नाम रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है हजरतगंज थाने में. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है, उसमें कोई विवरण नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैंने इसकी जानकारी सचिव के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है । यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, 6 विधायकों के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी है, उस गार्ड के सम्बन्ध में जो एक गार्ड यहां पर पकड़ा गया था ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन आपने अपनी सूचना में कोई विवरण नहीं दिया है कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है ।

**श्री शतरुद्र प्रकाश–**

आप अपने सचिव से पूछ लें । इन सचिव महोदय के जरिये इनके कक्ष में जाकर पूरी जानकारी देने की कोशिश की। मुझे बताया गया कि माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर वहीं स्पष्ट कर दीजियेगा ।

**श्री अध्यक्ष–**

जैसा आप कह रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे देख लेने दीजिये।

**श्री शतरुद्र प्रकाश–**

मैं आपको निश्चित सूचना दे रहा हूं कि 6 विधायकों के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी है, जिसमें श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मुहम्मद आजम खां . . .

(व्यवधान)

**श्रीमती प्रेमवती तिवारी–**

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**श्री शतरुद्र प्रकाश–**

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां उठता है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब तक आपकी पीठ से कोई निर्देश न हो तब तक क्या किसी विषय पर इस सदन में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है? यह व्यवस्था चाहती हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैंने आपसे निवेदन किया था कि व्यवस्था देने से पहले माननीय सदस्य का यह फर्ज है कि आपकी शंका का समाधान करा दिया जाय। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपके आदेश के मुताबिक मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, मुहम्मद आजम खां, हरेन्द्र सिंह, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी सहित लगभग आधा दर्जन विधायक हैं, इस सदन के सदस्य हैं, 6 फरवरी, 86 को थाना हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जो इनके जनपदों की किसी घटना के संबंध में नहीं है बल्कि सदन की कार्यवाही में जब ये भाग ले रहे थे उस समय जो वारदात हुई है उस सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में जो संविधान में प्राविधान है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, संविधान के अनुच्छेद 194 के उप खण्ड (3) की ओर, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि –"अन्य बातों में राज्य के विधान मण्डल के सदन की तथा ऐसे विधान मण्डल के सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी वह समय-समय पर, विधान मण्डल विधि द्वारा परिभाषित की जायं तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं।" इसी के साथ-साथ मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 194 (2) की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं ।

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय के खड़े होने से व्यवधान)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री– (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

एक मिनट सुन लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं आपकी इजाजत के बाद बोल रहा हूं। मेरी बात खत्म हो जाने दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय को सम्बोधित करते हुए) माननीय मंत्री जी, आप बैठ जायं।

पर भी आप बोलने की इजाजत देंगे?

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय के खड़े रहने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपमें इतना धीरज होना चाहिये कि आप बात सुन सकें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि . . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह बिना इजाजत के बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न तात्कालिक हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोल रहे हैं, औचित्य के प्रश्न पर बोल रहे हैं, व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

चूंकि मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है, जब मेरी बात समाप्त हो जाय, तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सदन का संचालन नियमावलियों के प्राविधानों के तहत होता है। अभी आपने इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था दी कि इसको हमने स्वीकार नहीं किया है। क्या मान्यवर, जिस औचित्य के प्रश्न को आप स्वीकार न करें, उस

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह आपके अधिकारों को चुनौती है।

श्री अध्यक्ष–

अभी मैं उनको उत्तर दे नहीं पाया और आप बोलने लगे। मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया, मैं आपको बतला रहा था कि आपका कोई विवरण, कोई स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिला है। आप कहते हैं कि दो मिनट स्पष्ट करने के लिए आपको मौका दे दिया जाय तो मैंने उसकी इजाजत दे दी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अब तो आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह गया? मान्यवर, मैंने आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 194 के उप खण्ड (2) की ओर आकर्षित किया है जिसमें साफ लिखा है "राज्य के विधान मंडल में या उसकी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।"

मान्यवर, जो सार्थक और सुसंगत इसका हिस्सा था उसे मैंने पढ़कर सुना दिया। नियमावली के नियम 63, 64 और 65 में साफ लिखा हुआ है कि जो सदन के अन्दर कार्यवाही होगी, वह सदन का विशेषाधिकार है और उसके संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार केवल माननीय अध्यक्ष को है, शासन के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। 6 फरवरी को यहां पर

जो गार्ड पकड़ा गया उसका नाम गजराज सिंह था, वह एस0 आई0 (एल0 आई0 यू0) उन्नाव में तैनात है। एक सब इंस्पेक्टर जिसके संबंध में यहां प्रश्न उपस्थित किया गया। उस आदमी की नौकरी न ली जाय इसलिये इस संबंध में कोई बात आगे नहीं उठायी गयी।

विधान सभा की जो गरिमा है, आपके संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसमें यह भी है कि विधायिका को किसी प्रकार का हस्तक्षेप कार्यपालिका के काम में नहीं करना चाहिये। दूसरी बात यह कि विधान सभा के परिसर में 10 बजे से 5 बजे तक किसी अधिकारी को नहीं आना चाहिये, उसे आपकी इजाजत लेकर ही यहां आना चाहिये। लेकिन 2, 3 और 4 फरवरी को यहां डी0आई0जी0, आई0 जी0 (सी0आई0डी0), आई0जी0 (सी-क्योरिटी) बगैर आपकी अनुमति के यहां इस परिसर में अन्दर आये हैं, यह भी सदन की अवमानना है और सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है। इस समय विधायकों की कोई सुरक्षा नहीं रह गयी है। 6 फरवरी को यहां हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी है। इसमें शासन के वरिष्ठतम मंत्री का हाथ है। इस पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये। विधायक संविधान के नियमों के अनुरूप अपनी बात न कहें और यदि कहें तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाय। जनपदों के अन्दर तो विधायकों का अपमान हो रहा है लेकिन सदन की कार्यवाही के चलते हुए किसी विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि इसकी सूचना आपको भी दी गयी थी और यहां के मार्शल को भी दी गयी है। मैं समझता था कि जब इसकी सूचना आपके पास जायेगी तो उसे आप यहां सदन के पटल पर रखेंगे, वह यहां रखी जायेगी लेकिन यह वीर बहादुर सिंह की सरकार है, इस सरकार में इनका सब इन्स्पेक्टर विधान सभा की कार्यवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करायें, इससे ज्यादा शर्मनाक और असंवैधानिक बात कोई हो नहीं सकती है। श्रीमन्, सदन की गरिमा को देखते हुए उसके विशेषाधिकारों को देखते हुये, आप पहले इस मामले का फैसला करें और गृह मंत्री का इस्तीफा लें।

श्री अध्यक्ष–

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

उनका औचित्य का प्रश्न है, लिहाजा सुन लिया। माता प्रसाद जी, आप कृपा कर बैठ जायं। गुप्ता जी आप भी बैठ जायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मुझे सुन लें। मैं कोई विवाद का प्रश्न नहीं उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

अगर हम हर विषय पर सुनते रहेंगे, तो सदन कैसे चलेगा। आप बैठ जायें और इस प्रकार से बिना इजाजत खड़े होंगे तो कैसे हो सकता है। अगर मैं आप को सुनता हूं तो फिर सभी को सुनूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं भी खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष–

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े रहने पर)

मैं आप को सुन लूंगा। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। उनको सुन लूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है, आप एक-एक मिनट नेताओं को सुन लें। मा0 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा लिखाया

जा रहा है। आप इसको सुन लें। अगर इस समय नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी तो बोलेंगे ही और मा0 मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। इससे ज्यादा विधायकों के लिये और क्या असम्मानजनक बात हो सकती है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नेता लोगों को सुन लें, जो बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो विषय मा0 सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं बहुत शार्ट में कहूंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, "शार्ट" अंग्रेजी शब्द है, यह छोटा कहें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो मान्यवर, जिस विषय की ओर मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें चाहे इधर के मा0 सदस्य हों या उधर के मा0 सदस्य हों, आप उस पीठ पर विराजमान हैं। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है। मान्यवर, जो हमारा संविधान है, जिसमें विधि के अनुसार शासन की बात की गयी है, शासन के तीन अंग हैं-व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका-इनमें आपस में कोई टकराव न हो इसलिये शासन के संचालन की व्यवस्थायें की गयी हैं। मान्यवर, मुझे स्मरण है कि इसी विधान सभा में एक बार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में टकराव हो चुका है और वह एक इतिहास बन गया है।

मान्यवर, एक एफ0आई0आर0 लिखाई गयी, मैं इसमें नहीं जाता कि किस सिपाही ने लिखायी है, किसी सिपाही को दुख हो सकता है मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूं, उसे आपके पास आना चाहिये था। मान्यवर, यह घटना इस सभा कक्ष की है। अगर इस घटना की रिपोर्ट लिखाने का अधिकार कार्यपालिका को होगा तो जो हजरतगंज थाने की पुलिस ने एफ0आई0आर0 लिखी है उसने सदन की अवमानना की है। इसी तरह का मान्यवर, केशव सिंह का मामला था और उसमें बहुत विवाद हुआ था। इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह घटना बहुत गंभीर है, इस सदन के लिये ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास में एक असामान्य घटना होगी। यह किसी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान के विधायकों के अधिकारों का सवाल है। मान्यवर, जो चेक और बैलेन्सेज की बात कही गयी है, वह टूट जायेगी, अगर उस रिपोर्ट पर हजरतगंज की पुलिस कार्यवाही करती है। वहां का दरोगा, आई0ओ0 बयान लेने के लिये आयेगा, माता प्रसाद जी से और बुनियाद हुसैन अंसारी जी से, तो उस समय कौन सी परिस्थिति पैदा हो जायेगी। जब वह आपका बयान लेने के लिये आयेगा, आप उस समय मौजूद थे।

मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप अपने सम्मान की चिन्ता इस सदन में नहीं करते हैं। क्या एक आई0ओ0 दरोगा माननीय नियाज हसन साहब से कहे कि आप बताइये क्या आप गवाही दे रहे हैं? क्या आप इसको अपने सम्मान के अनुरूप समझेंगे कि आप उसके सामने बयान दें? हम आपकी आलोचना नहीं करते हैं चाहे जितने गलत काम हो रहे हों। इसलिये मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री को आप सुनें माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आप सुनें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुझाव देना चाहता हूं कि इस विषय में आप रुचि लें और माननीय नेताओं को अपने कक्ष में बुलायें और विचार करें कि इस विषय का निस्तारण कैसे हो। एफ0 आई0आर0 की आगे कार्यवाही करना हमारे संसदीय परम्परा पर कुठाराघात होगा। अगर कोई आई0ओ0 यहां आपके बयान लेने आयेगा । यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं उस मीटिंग में आऊंगा। लेकिन इस विषय पर बड़ी समझदारी से निर्णय लेने की कृपा करें यही मेरी आपसे प्रार्थना है। लेकिन मेरी यह मान्यता रही है जो विशेषाधिकार हाउस आफ कामन्स में उस समय थे वही विशेषाधिकार अब भी हैं।

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया और चतरुद्र जी ने, जहां तक सदन के सम्मानित सदस्य के किसी विशेषाधिकार का प्रश्न है तो उसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं उठता है। जब भी किसी विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। तो यह देखना कि नियमों में क्या है, संविधान में क्या है यह हमारी जिम्मेदारी जरूर है कि जिसे ठीक समझूं वह आपके सामने रख दूं। जैसा कि नियमों में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 का जो हवाला दिया है उसको पढ़ना चाहता हूं जो अंग्रेजी में है "नो मेम्बर आफ द लेजिस्लेचर आफ ए स्टेट शैल बी लायबुल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिसपेक्ट आफ एनीथिंग सेड आर एनी वोट गिबेन बाई हिम इन द लेजिस्लेचर आर एनी कमिटी देअर आफ"

तो इसमें जो दिया गया है कि कोई भी विधान मंडल का सदस्य अपनी बात कहने का या वोट के बारे में बाहर जिम्मेदारी नहीं होगी, उत्तरदायित्व नहीं होगा। यहां ही संविधान के खिलाफ भी कोई बात कह दें लेकिन हमारा उत्तरदायित्व किसी भी कोर्ट में नहीं निर्धारित किया जा सकता। लेकिन मान्यवर, यह विशेषाधिकार किस हद तक जाता है । मैं ज्यादा समय न लेते हुए, संबंध में पहले भी मामले उठ चुके हैं। मैं आपके सामने कौल शकधर का एक उदाहरण रखता हूं यह पेज 198 पर है इसमें लिखा है– "ए क्रिमिनल एक्ट कमिटेड बाई ए मेम्बर विदिन द हाउस कैन नाट बी रजिस्टर्ड एजे ए पार्ट आफ द प्रोसीडिंग्स आफ द हाउस, फार परपजेज आफ प्रोटेक्शन। दस इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेम्बली हवेन ए मेम्बर शाटटेड एट दि आपरेटर टू कानेक्ट हिज माइक टू द लाउड स्पीकर थ्रो ए पेपर वेट इन द डाइरेक्शन आफ द लाउड स्पीकर आपरेटर एण्ड रश्ड टुवर्ड्स द स्पीकर एण्ड ग्रेब्ड द माइक इन फ्रन्ट आफ द स्पीकर ही वाज नाट ओन्ली इक्स्पेल्ड फ्राम द हाउस बट वाज सब्सीक्वेन्टली कान्विक्टेड अण्डर डिफरेन्ट सेक्शन आफ दि इण्डियन पेनल कोड एण्ड सेन्टेन्स्ड टू ए रिगरस इम्प्रिजनमेन्ट फार 6 मन्थ्स"

मान्यवर, इसमें एक सदस्य ने जब उसका माइक खराब था तो आपरेटर की तरफ इशारा किया। आपरेटर ने नहीं सुना और सदस्य ने एक पेपर वेट आपरेटर की तरफ फेंका और स्पीकर की ओर जाकर माइक को पकड़ लिया। इस तरह से माननीय सदस्य को उसकी सदस्यता से ही नहीं अलग किया गया बल्कि उस पर मुकदमा भी चला और यहां तक की हाउस में ऐसा कार्य करने पर उसे 6 माह की सजा भी दी गई उसी तरह से यहां पर एक मेम्बर एक आदमी को यहां पर पकड़ कर ले जाये उसकी पिटाई भी कर दी। अगर कोई सदस्य किसी आदमी का यहां पर कत्ल कर दे और विशेषाधिकार का प्रश्न ले आये तो जो सामान्य कानून व्यवस्था

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है, जो अपनी जगह निर्धारित है, क्रिमिनल एक्ट का अधिकार सुरक्षित है। जो कार्यवाही की गई है वह उसी अधिकार क्षेत्र के अन्दर की गई है। इसलिये जिन सदस्यों ने ऐसी कार्यवाही की है, ऐसा घिनौना कार्य किया है उनकी प्रताड़ना यहां पर अवश्य होनी चाहिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, उस दिन की घटना के बारे में एक असाधारण स्थिति सदन में थी, एक रोष था जिसे आपने भी स्वयं देखा था। मुख्य मंत्री जी उस समय थे या नहीं, मुझे याद नहीं है लेकिन यह बात अवश्य थी कि पूरे सदन में एक रोष था, उत्तेजना थी। कुछ माननीय सदस्यों ने उसे पकड़ कर लाबी में बिठाया और फिर आपके सभा कक्ष में ले गये (व्यवधान)। (कई सदस्यों द्वारा एक साथ जोर-जोर से बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बोलने दीजिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपके सभा कक्ष में ले गये (व्यवधान) मान्यवर, इनको अगर कहना है, इनको कोई गुस्सा है, जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उन्हें कहने दीजिये। सुन लेने दें।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंवर साहब बैठ जांय, इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुईद अहमद–

जब आपने इस पर व्यवस्था दे दी, तो फिर माननीय सदस्य कैसे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको सूझ बूझ से देखना चाहिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जब वे उसे आपके सभा कक्ष में ले गये और यह तय हुआ कि इस विवाद को बढ़ाया न जाय और उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही इसलिए न की जाये जिससे उसकी नौकरी न जाय। आपके सामने यह बात हुई और इसी लिये इधर के सम्मानित सदस्यों ने कोई कार्यवाही नहीं की और इस मामले को उठाया भी नहीं। इसीलिये जो विद्वान सदस्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी जो रिफरेंस पढ़ दिया वह महाराष्ट्र हाउस में एक मामले पर एक कमेटी बनायी गई थी, स्पीकर ने उसे बनाया था और उसी कमेटी की रिपोर्ट पर वह कार्यवाही हुई थी। मान्यवर, यहां पर इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनायी गई, न कोई कमेटी की रिपोर्ट पर यहां बहस हो रही थी। इस तरह की परम्परा बन जायेगी सदन में, तो उस पर रोक नहीं हो पायेगी। कोई विधायक अपनी विधायिकी कार्य में भाग लेने जब आयेगा तो रोज इस तरह की घटना घटेगी। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि इस सारे मामले को खत्म किया जाय और अपने कक्ष में माननीय नेताओं की एक मीटिंग बुला लें जिससे इस सारे मामले को निपटाया जा सके। अन्यथा आगे आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो जायेगी और इस प्रकार का कार्य माननीय सदस्यों के ऊपर एक बहुत बड़ी घटना हो जायेगी। मैं चाहूंगा कि इस पर विवाद न करायें। माननीय नेता विरोधी दल को सुनने के बाद और माननीय नेता सदन को सुनने के बाद इस मामले को समाप्त करायें। इस पर कार्यवाही कर के कोई अच्छा काम नहीं किया गया है (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। (व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, क्या इस पर बहस करा रहे हैं?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था तुरन्त किसी के बोलने पर होती है। माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि उस दिन सब इंस्पेक्टर को पकड़ कर ले आये थे यह जो शब्द है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय यह सारे सदन का मत है। ऐसा नहीं है इस तरफ के माननीय सदस्य इससे क्षुब्ध थे जब यह क्रिमिनल एक्ट हो रहा था (व्यवधान) यहां पर सदन चल रहा था (व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं यहां पर बैठा था जब इधर के दरवाजे से उसे पकड़ कर लाये (व्यवधान) यह भी बताया गया कि उसके पास रिवाल्वर थी (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

उसको पकड़ कर मारा गया।

श्री राम सरन–

उसके पास रिवाल्वर थी जिसको उसका साथी लेकर भाग गया (व्यवधान) क्या संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसे ही हाउस को चलायेंगे? हम लोगों की इस तरह से बेइज्जती करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम सरन दास जी कृपया बैठें।

श्री राम सरन–

हमें यह मरवाना चाहते हैं। (व्यवधान) मेरा आरोप है कि यह किसी की हत्या करवाने के लिए लाये थे (व्यवधान)

श्री राम नरेश–

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर मामला है मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। यह बड़ा गंभीर मामला है। उस दिन जो घटना घटी उसके बाद आपकी जानकारी में बात आई और आपके कक्ष में सारा फैसला हुआ कि माननीय सदस्य भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और संबंधित व्यक्ति भी कोई कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद सदन के बाहर जाकर उस कर्मचारी द्वारा इस तरह से एफ0आई0 आर0 लाज कराना माननीय सदन का जबरदस्त अपमान है, माननीय सदस्यों का अपमान है। अतः इस मामले को कार्यवाही से निकाल दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात सुन लीजिये (व्यवधान) आप कृपा करके बैठ जायं (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह ऐसा मामला है इसमें माननीय कल्याण सिंह जी को भी सुन लीजिये। उनको सुनने के बाद मैं बोलूंगा।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, उस दिन सदन में जो कुछ हुआ मैं उसके मैरिट और डिमैरिट की ओर नहीं जा रहा हूं। माननीय शतरुद्र प्रकाश और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उस पर विस्तार से विचार व्यक्त किये हैं मैं उन बातों को दोहराकर सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने जिस दृष्टांत को उद्धृत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है वह दृष्टांत यहां पर उस दिन की घटना पर लागू नहीं होता है। कदाचित उनको यह बात अवश्य ज्ञात होगी कि जिस हाउस का दृष्टांत उन्होंने दिया है उसके लिए वहां पर हाउस की कमेटी बनी और स्पीकर के फैसले पर कमेटी बनाई गयी और उस कमेटी ने सारे मामले को आद्योपांत देखा और तब जाकर निष्कासन के आदेश दिये। उसके बाद फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चलाई जायं, यह कमेटी ने फैसला लिया था। तो जो कुछ वहां सदन में हुआ था, उसकी जिम्मेदारी सदन की और अध्यक्ष की थी, इसलिये अध्यक्ष ने समिति बनाई और उसमें विचार हुआ और उसने निष्कासन किया और समिति की संस्तुति पर क्रिमिनल केस चला है। लेकिन यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। यदि आपने आदेश दिया हो तो आप बतायें मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई आदेश आपका निर्गत नहीं हुआ है कि विधायकों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जायें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने जो यहां उदधरण दिया है वह यहां लागू नहीं होता है और उदधरण देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह गंभीर मामला है। यहां पर माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन करते हुए एफ0आई0आर0 लाज होती रही तो उसका अन्त नहीं होगा और कोई भी मा0 सदस्य यहां स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी बात नहीं कह पायेगा एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पायेगा। यदि यह एफ0आई0आर0 बनी रही और कार्यवाही हुई तो माननीय सदस्यों के साथ ही साथ आपको और सचिव को भी बयान देने जाना पड़ेगा, क्या यह हम सब के और आपके लिये सम्मान के अनुकूल होगा। आज जब अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी हैं आपके बारे में इतिहास लिखा जायेगा तो पढ़ने वाले क्या कहेंगे कि कैसे अध्यक्ष थे जो माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाये और दरोगा बयान लेने आया था, तो यह संसदीय परम्परा में काला दिन होगा। आप बतायें कि आपके आदेश से क्या एफ0 आई0आर0 लाज हुई है या कोई समिति बनायी गयी थी उसकी संस्तुति पर? मैं जानना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो उद्धरण दिया है वह यहां लागू नहीं होता है और उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

मैं चाहता हूं कि नेता सदन और सभी नेताओं की आप मीटिंग बुलायें जिससे समस्या का कोई समाधान निकल सके नहीं तो एक बहुत छोटा सा इश्यू विधान सभा को नहीं चलने देगा और यह बहुत बड़ा इश्यू हो जायेगा। इसलिए आप इस सारे प्रकरण को समाप्त करने का प्रयत्न करें और मुख्य मंत्री उसमें रहें। और जिनके इशारे से कहूं, जिनके षड़यन्त्र से कहूं, जिनकी प्रेरणा से कहूं यह एफ0आई0आर0 लाज की गयी है वह बेनकाब हो सके और उसको इस्तीफा देना चाहिए।

श्री रजनी कान्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि धारा 300 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में यह प्रश्न नहीं आया और दूसरी बात एफ0 आई0आर0 की कोई कापी नहीं आयी है, इसलिए इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, उस दिन जो घटना घटी उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस दिन इस घटना के बाद आपके कक्ष में विरोधी दलों के नेता और मंत्रीगण

आपके समक्ष उपस्थित हुए और सभी ने इस बात को समाप्त करने के लिए और उसको किसी प्रकार की सजा न मिलने पाये इसको माना था। लेकिन आज मंत्री जी ने जो उद्धरण दिया वह गलत है और जो श्री कल्यान सिंह और कुंवर रेवती रमण सिंह ने कहा है वह ठीक है महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी उसका संदर्भ अलग है और उसकी जिम्मेदारी हाउस के ऊपर थी और हाउस ने तय किया था कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये, तो वहां समिति द्वारा वह फैसला लिया गया था जिसको संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी को वैसा ही कहना और करना था तो उस दिन कहते, उस दिन वह उपस्थित थे कि इस प्रकार की यह घटना लगती है और प्रस्ताव उनका आता और जो सभी निर्णय करते उसको मानते। लेकिन इस प्रकार की घटना होने के बाद मंत्री जी ने जो रुख दिखाया वह बहुत ही आपत्तिजनक है। और वह आपत्तिजनक है, क्योंकि एक बात जो हम लोगों के बीच आपके सामने बैठकर तय हुई थी, उसके खिलाफ यह चीज जाती है। तो मेरा पहला निवेदन तो यह है और दूसरा निवेदन है कि जैसी आशंका कल्यान सिंह जी ने और दूसरे लोगों ने व्यक्त की है, इस प्रकार की घटनाओं की यदि आप इजाजत देंगे और इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं तो रोज हम एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवायेंगे और यहां की बातों को लेकर रोज अदालतों में जायेंगे। इसका कोई अन्त नहीं होगा।

जब इस प्रकार का कोई मसला हो, जब ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाए मैं यह नहीं कहता हूं कि ऐसी गंभीर घटना कभी नहीं होगी जब इसकी आवश्यकता पड़े तो भी इसके लिए सदन ही सक्षम है, आप ही उसके लिए सक्षम हैं कि आप कोई कमेटी गठित करें और उसके निर्णय के आधार पर ही चाहे जिस धारा में मुकदमा चलाया जाय। आप इस विवाद को समाप्त करें, और हम सभी सदस्यों और सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर इसमें निर्णय लें और ऐसी कार्यवाही करें जिससे सदन की मर्यादा और आपकी मर्यादा बनी रह सके। मेरा संसदीय कार्य मंत्री से भी अनुरोध है कि वह कोई ऐसी बात न करें कि हम कोई बात तय करें और फिर उसे हाउस में उलट दें।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने, उस घटना के बारे में जो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उसके औचित्य को सही ठहराने का प्रयास किया है, वह अनुचित है। उस मामले को आपके कक्ष में सुलझा दिया गया था सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के लोगों की मौजूदगी में । उसके बाद भी इस प्रकार की रिपोर्ट करना कदापि उचित नहीं है और उनके पक्ष में उसको उचित ठहराना बहुत ही अफसोसनाक बात है। जो घटना यहां पर घटी, उसको हमने देखा है, अब उसके विपरीत तोड़ मरोड़ कर कहा जाए कि 'उसको मारा गया है', 'उसको घसीटा गया है' (व्यवधान) गलत है जब सारा मामला अच्छी तरह सुलझ गया है तो आप निर्देशित करें कि उस रिपोर्ट पर तब तक कोई कार्यवाही न हो, जब तक उसके बारे में सदन की कोई कमेटी अपना निर्णय न ले ले।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह जो भी प्रकरण है, वह आपके सामने की है और इस सम्बन्ध में आपने अपने चैम्बर में सभी विरोधी दल

के नेताओं को बुलाकर मामले को रफा-दफा कर दिया था। उस समय विरोधी दल के लोगों की एक ही राय थी। विधायकों ने शिकायत की थी कि उसके 6 और साथी थे और उसके पास रिवाल्वर भी था, किन्तु जब वह पकड़ा गया तो उसे उसने अपने दूसरे साथी को दे दिया था। इतने गम्भीर मामले को भी हमने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया कि यह गलती तो सरकार की है और उस दरोगा पर कोई आंच न आने पाये। इसीलिए हम सबने मामले को शान्ति से रफा-दफा कर दिया था। आपने भी स्वीकार किया और आकर कहा भी था कि कल से यहां पर कोई भी पुलिस का आदमी, पुलिस वर्दीधारी नहीं रहेगा। इससे यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि सदन और प्रजातान्त्रिक मूल्यों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है, उसके साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की नीयत भी साफ हो गई है- जो हमने कल कहा था, यह मामला पूरे सदन के सम्मान का है, यह साबित हो गया है कि जैसा कल आपने कहा था हम तो जनता के दलाल हैं, और वास्तव में आप पुलिस के दलाल हैं। यह साबित हो गया है और मान्यवर, इन्होंने अपने कार्यों से इसे सिद्ध कर दिया है। आप देखें हमारे माननीय विधायक उस रिपोर्ट में धारा 332, 353, 342, 323, 504 व 506 के मुलजिम बनाए गए हैं।

आज की सरकार पुलिस के सामने झुक गई है। आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को पुलिस के सामने न झुकने दें? संसदीय कार्य मंत्री तो मामले को बढ़ाना चाहते हैं, यदि मामले को मिल बैठकर नहीं सुलझाया गया तो यह सदन नहीं चलेगा और यह हो सकता है कि जब हम लोगों को यह सोचने के लिए विवश होना पड़े कि इस तरह सदन के सदस्यों के सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती है, तो पूरे के पूरे सत्र के लिए हम समस्त लोग सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। यह मामूली बात नहीं है बल्कि यह एक गंभीर मामला है सभी नेताओं को बुलाकर इस संबंध में कोई हल निकाला जाना चाहिये। जिन्होंने षड़यंत्र किया है, इसमें साबित हो गया कि किसी न किसी मंत्री का षडयंत्र है तो उन पर भी अंकुश लगना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी आपके मंत्रि मंडल के कुछ लोग आपको उलझाना चाहते हैं इसलिये ऐसे मंत्रियों को तुरन्त बर्खास्त कीजिये। (मेजों की थपथपाहट।) मान्यवर, जैसा कि माननीय कल्यान सिंह ने कहा यह मामला ऐतिहासिक है। यह मामूली चिनगारी न समझें यह चिनगारी पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम करेगी यह मैं बताना चाहता हूं।

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री के खड़े होने पर शोर)

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये, तशरीफ रखिये।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी दोनों पक्षों की बात आपने सुनी। मैं चाहता हूं, जो विरोधी पक्ष के नेता और नेतागण हैं उनकी बात आपने सुनी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनी, आप अपने कक्ष में सबको बुलाकर इस बात को देख लें कि क्या कार्यवाही इस पर की जाय।

(मेजों की थपथपाहट।)

**कानपुर नगर में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के संदर्भ में कृषि मंत्री द्वारा गलत बयानी करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 2 और 3 माननीय शतरुद्र प्रकाश, माननीय मनोहर लाल जी की और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की है । इसमें हड़ताल के बारे में है। इस पर चर्चा मुकर्रर हो चुकी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक मिनट सुन तो लें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप देखें तो मैंने क्या लिखा है। कल माननीय चौधरी नरेन्द्र सिंह जी ने सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है। उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा कि हड़ताल समाप्त हो गयी है। लेकिन आज कानपुर में हड़ताल है । जन जीवन असामान्य है। मैंने चिंता इसलिए प्रकट की है कि माननीय मंत्रियों को गलतबयानी करने का अभ्यास पड़ता चला जा रहा है। कल मैंने संजय सिंह के बारे में निवेदन किया था और माननीय चौधरी नरेन्द्र सिंह के बारे में निवेदन कर रहा हूं। चतुर्वेदी जी जो लेबर लीडर हैं उनका बयान है। कल कानपुर में सभा हुई उसमें साफ साफ कहा गया है कि चौधरी नरेन्द्र सिंह ने षडयंत्र करके ब्लैक मेल करने की चेष्टा की है कोई समझौता नहीं हुआ है । उनका कार्यक्रम है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 'ए' श्रेणी की सुविधा नहीं प्रदान की जाती। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि सदन में जो मंत्रिगण गलत बयानी करते हैं उन पर आप कार्यवाही करें। एक बात आप मेरे खिलाफ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारे नियमों में व्यवस्था है, आप इस नियम के अंतर्गत ला सकते हैं। तो मैंने वह नियम पढ़े हैं । वह नियम प्रश्नों के बारे में है अगर कोई मंत्री गलत उत्तर देता है लेकिन भाषण में गलत बयानी करता है तो उसके निस्तारण की व्यवस्था उस करण में नहीं है इसलिये इसको मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है। कोई प्रश्न नहीं चल रहा था, कार्य स्थगन की ग्राह्यता पर बोला जा रहा था तो उस समय हस्तक्षेप करते हुये मा0 चौधरी नरेन्द्र सिंह ने गलत बयानी की। यह नियमों में कवर नहीं होता है इसलिये औचित्य के प्रश्न के रूप में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें क्या इन मंत्रियों को सदन में गलत बयानी करने का अधिकार आप देते रहेंगे।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न 300 के तहत उठाया है तो यह चर्चा का सवाल नहीं है। मेरे पास जेल से पत्र आया है उन लोगों का है जिसके बारे में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हड़ताल वापस हो गयी है। मेरे पास 10 तारीख का पत्र है। (एक पत्र और अखबार सदन में दिखाते हुए) तो कहीं पर कोई हड़ताल वापस नहीं हुई है। कृषि मंत्री जी ने बयान दिया कि हड़ताल समाप्त हो गयी है। कल कानपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं। महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। लोगों को जेल भेजा गया है और लोगों को जंगल में ले जाकर छोड़ा गया है। कोई हड़ताल खत्म करने के पक्ष में नहीं है। कानपुर बंद है। कृषि मंत्री जी ने वाहवाही लूटने के लिये कहा कि हड़ताल खत्म हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी यह वही चौधरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नरेन्द्र सिंह जी हैं जो मुख्य मंत्री बनना चाहते थे। मान्यवर, यह दिल्ली के अंदर जा-जाकर आप लोगों के खिलाफ गलत बयानी करते थे। (शोर) मान्यवर, इन चीजों पर अवश्य रोक लगनी चाहिए। यह यहां की मर्यादा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष–

श्री मनोहर लाल जी आप अब कृपा करके बैठ जाइए। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, लिहाजा मैं अस्वीकार करता हूं।

**'माया' पत्रिका में छपे एक लेख के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास**

श्री अध्यक्ष –

सूचना नं0 4 श्री बेनी प्रसाद वर्मा और श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है। (श्री माता प्रसाद जी) यह आपने माया के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस दे रखी है, जिस पर कार्यवाही चल रही है लिहाजा औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है।

(सूचना नं0 5 पर श्री सरदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा मामला पूरे प्रशासन को प्रभावित करने वाला मामला है और आप इसे विशेषाधिकार में दे रहे हैं जबकि हम लोगों का अनुभव है जो भी मामले पिछले साल विशेषाधिकार समिति में गये हैं, किसी पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है, बल्कि मामला टल जाता है, इसलिए इस पर कृपया आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जब नियमों के अंतर्गत होगा, तभी सुनूंगा। सूचना सं0 6, श्री जयदीप सिंह बरार जी की है। इस सिलसिले में माननीय उपाध्यक्ष के आदेशों का पालन होगा। मैं कल की कार्यवाही देखकर इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर जो आज की कार्य-सूची दी हुई है, उसमें मद 4 पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं यदि कोई हों, तो सुनी जायेंगी लेकिन मान्यवर, मैंने परिवहन मंत्री श्री संजय सिंह के खिलाफ एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है, लेकिन आप आगे बढ़ गये हैं, इस लिए चाहे तो आज ही हमें इस संबध में सुन लीजिए नहीं तो फिर कल मौका दीजिएगा।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर आज हम लोगों ने नियम 300 के अन्तर्गत आपको सूचनाएं दी थीं (शोर) इस संबंध में आपने कहा कि विशेषाधिकार में यह मामला आ चुका है, इसलिए आज इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मान्यवर, इस संबंध में मेरा अनुभव है जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि इस समिति में जितने भी मामले जाते हैं, समय से निर्णीत नहीं हो पाते और मामले का महत्व जाता रहता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस मामले को विशेषाधिकार से हटा दीजिए और इसके लिए अलग से एक जांच कमेटी बना दीजिए ताकि मामला समय के अंदर निर्णीत हो सके।

श्री अध्यक्ष–

श्री बेनी प्रसाद वर्मा अब कृपा करके अगर तकलीफ न हो तो बैठ जांए। हमारा निर्णय हो चुका। स्पीकर की रूलिंग के बाद कोई चर्चा या बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 7।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आप तो बड़े उदार हैं, इंकार कर देने के बाद भी सुन लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जी हां, मैं आपका आभारी हूंगा अगर आप इसमें अपना सहयोग दें। (हंसी)

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत कल दिनांक 10-2-86 की 9 सूचनाएं तथा आज 11-2-86 की 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है। दूसरी सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही, माननीय डा0 दिनेश जौहरी एवं माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह जी की है। तीसरी सूचना भी माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है। चौथी सूचना माननीय कल्यान सिंह, माननीय राजेन्द्र सिंह, माननीय सुरेश प्रताप सिंह गांधी, माननीय बंगाली सिंह, माननीय किशन लाल, माननीय जगवीर सिंह, माननीय सत्य प्रकाश विकल, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की है। पांचवी सूचना भी माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की है। छठी सूचना माननीय सरदार सिंह एवं माननीय कुशलपाल सिंह, माननीय लक्ष्मी नारायण, माननीय मुस्तमंद अली खां, एवं माननीय हरेन्द्र सिंह की है। सातवीं सूचना माननीय राम सरन एवं माननीय हरेन्द्र सिंह, माननीय महेन्द्र सिंह भाटी, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह, माननीय भोपाल सिंह, माननीय कनक सिंह एवं माननीय सरदार सिंह की है। आठवीं सूचना धनराज यादव की है। नवीं सूचना माननीय दिवाकर विक्रम सिंह, माननीय सुखपाल पाण्डे, माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय हर्षवर्धन, माननीय कौशिक रमा शंकर, माननीय जनार्दन प्रसाद आभा, माननीय हरिश्चन्द्र हरीश जी, माननीय धनराज यादव, माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह की है। दसवीं सूचना है माननीय काशी सिंह ऐरी की, ग्यारहवीं सूचना माननीय राज किशोर सिंह की है। बारहवीं सूचना माननीय अवधेश प्रसाद की है। तेरहवीं सूचना माननीय मित्रसेन की है। चौदहवीं सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की है। पंद्रहवीं सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही, माननीय कामेश्वर उपाध्याय, माननीय डा0 दिनेश जौहरी, माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह, माननीय रणजीत की है। सोलहवीं सूचना माननीय राम नरेश की है। सतरहवीं सूचना माननीय शारदानन्द अंचल, की है। अट्ठारहवीं सूचना माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह की है। उन्नीसवीं सूचना माननीय भगवान दीन कुशवाहा की है। बीसवीं सूचना माननीय सत्यपाल सिंह, माननीय बलराम यादव, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की है। इक्कीसवीं सूचना माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की है। बाइसवीं सूचना माननीय राज किशोरे सिंह और माननीय राम आसरे वर्मा की है। तेईसवीं सूचना माननीय रघुवर दयाल वर्मा एवं माननीय अचल सिंह की है। चौबीसवीं सूचना माननीय देव कुमार यादव की है। पच्चीसवीं सूचना माननीय यदुनाथ सिंह की है। छब्बीसवीं सूचना माननीय औसान सिंह एवं माननीय श्याम बिहारी सिंह की है। सत्ताईसवीं सूचना माननीय मुहम्मद आजम खां एवं फजलुल बारी आदि की है। अट्ठाईसवीं सूचना माननीय अकबर हुसैन बाबर की है।

यह सत्ताईसवीं सूचना जिन लोगों ने दी थी, वे चूंकि उसे आज नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए उसे 13 तारीख के लिए स्थगित किया गया ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने भी लिख कर दिया था।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैंने भी लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठिये, मैंने माननीय रेवती रमण सिंह को बुला लिया है।

कुंअर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक बार नहीं अनेकों बार उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में सदन में और सदन के बाहर बातें कही गयीं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस दरिन्दगी की सीमा पार कर गयी है। मान्यवर, जो भी कार्य पुलिस के द्वारा होता है, लगता है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। मान्यवर, 14 दिसम्बर, 1985 को गाजीपुर में मुन्ना रिक्शा चालक की पुलिस की पिटाई के कारण मृत्यु हो गयी। मान्यवर, मुन्ना लाल, रिक्शा चालक पर वहां के दरोगा इसलिए नाराज हो गये कि उनके रिक्शे की खरोंच लग गयी थी और उन्होंने उस रिक्शा चालक की इतनी पिटाई की कि रिक्शा चालक अस्पताल में भर्ती हुआ और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गयी। मान्यवर, मुन्ना की मृत्यु से नागरिकों में इतनी उत्तेजना फैली कि 19-12-85 को नागरिकों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर यह मांग किया कि जिन पुलिस कर्मियों ने मुन्ना रिक्शा चालक को पीटा और पीटने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी, उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मान्यवर, उत्तेजना बहुत बढ़ गयी और पुलिस ने बिना पानी फेंके, बिना अश्रु गैस के प्रयोग किये फायरिंग कर दिया, जिससे कि यादवेन्द्र नारायण प्रधान, छात्र की मृत्यु हो गयी।

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूर्णतया निष्क्रिय रहा, न तो वहां के गुप्तचर विभाग ने और न ऐल0 आई0 यू0 ने कोई सूचना दी, वे यह कहते रहे कि वह रिक्शा चालक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिक्शा चालक की मृत्यु किसी पुलिस कर्मी के मारने से हो जाय, तो प्रशासन उसकी सूचना नहीं देगा। मान्यवर, हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गये और कहने लगे कि उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की जाय । वहां पर स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि पुलिस ने फायरिंग कर दी और उसमें यादवेन्द्र नारायण प्रधान, छात्र की मृत्यु हो गयी। मान्यवर, यह घटना जो होती है, केवल सिपाही ही उसके लिये जिम्मेदार नहीं होते हैं, जिले का चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे पुलिस कप्तान हो, उसकी सीधी जिम्मेदारी होती है, गोली चली उसमें न किसी मजिस्ट्रेट न किसी बड़े अधिकारी ने आदेश दिए, गाजीपुर में एक दिन नहीं कई दिन दुकानें बन्द रहीं, आज भी उत्तेजना व्याप्त है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें। मान्यवर, पूरे पूर्वांचल में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है । इसमें कोई भी रुख हो सकता है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, गाजीपुर के अन्सारी जी को भी सुन लें।

(शोर)

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अन्सारी जी गाजीपुर के एक मात्र एम0 एल0 ए0 हैं, इनको एक मिनट सुन लें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

एक विषय पर, एक सूचना पर दो आदमी ही बोलें।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, 14 दिसम्बर को मुन्ना राम रिक्शाचालक को दरोगा सालिक राम यादव जो विशेशरगंज पुलिस चौकी, गाजीपुर में तैनात थे, ने मात्र इस बात को लेकर कि उसकी रिक्शा से दरोगा को धक्का लग गया था, उसको इतना मारा कि चार दिन बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । इस घटना से जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपने सूचना तो नहीं दी है।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, दी है। फलतः 19 तारीख को गाजीपुर की जनता ने गाजीपुर कोतवाली पर प्रदर्शन किया । प्रदर्शकारियों की मांग थी कि हत्यारे दरोगा के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए तथा मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाय । मान्यवर, जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक, एवं ज़िले के सभी वरिष्ठ अधिकारी कोतवाली पर उपस्थित थे और उस हत्यारे दरोगा को बचाने का प्रयास कर रहे थे । प्रदर्शन नौ बजे दिन में शुरू हुआ था और डेढ़ बजे दिन तक अधिकारी दरोगा को बचाने के प्रयास में असफल रहे, तो उन्होंने जानबूझ कर अपने आदमियों से अपनी गाड़ियों पर पत्थर फिकवाए, पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कराए और गोली चलवाई, जिससे यादवेन्द्र प्रधान नामक छात्र की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य लोगों को गोली लगी। मान्यवर, 18/19 की रात में मुन्ना रिक्शेवाले की मृत्यु हो गई थी और दूसरे दिन गोली चलने की घटना हुई । उसके बाद प्रशासन के लोगों ने डाक्टरों को साजिश में लेकर दो बजे रात्रि में रिक्शाचालक का शव परीक्षण कराया, उस पोस्ट मार्टम में यह दिखाया गया कि मुन्ना ट्यूबरक्लोसेस से मरा । मुन्ना की दो बजे रात्रि में शव परीक्षण की रिपोर्ट तैयार की गई, तथा उसकी लाश उसके परिवारवालों को नहीं दी गई और पुलिस ने लाश फिंकवा दी, तो मान्यवर, ऐसी कौन सी स्थिति थी कि उसका पोस्टमार्टम रात में दो बजे किया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, एक बात और सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए ।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, 24 तारीख को पूरा जनपद इस घटना के विरोध में बन्द रहा तथा 27 दिसम्बर को पूरा पूर्वांचल बन्द रहा वहां की जनता ने कहा कि इस घटना की न्यायिक जांच करा ली जाए। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य से इसकी जांच कराई जायेगी इस घटना की जांच प्रारम्भ होने वाली है। लेकिन पुलिस का आतंक पूरे जनपद में व्याप्त है इसलिए जांच ठीक से नहीं हो सकती पुलिस का आतंक बना हुआ है। जब तक पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को हटाया नहीं जाएगा इस घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। मान्यवर, इस महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा

करने हेतु सदन की कार्यवाही कम से कम 2 घंटा स्थगित करने का निर्णय दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिए। पूरे जनपद में इस घटना से जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाइए।

नेता विरोधीदल का भाषण होने वाला है, क्या आप पूरा समय उसी में लेना चाहते हैं तो ले लें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, एक मिनट दे दें ।

श्री अध्यक्ष –

मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, सरकार वक्तव्य देगी ।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा । एक दर्दनाक घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यों तो पूरे प्रदेश में पुलिस के अत्याचार की एक लम्बी श्रंखला सुनाई जा रही है । एक-एक घटना को सुनकर तो ऐसा लगता है कि गम्भीर स्थिति नहीं है लेकिन पूरे प्रदेश की घटनाओं को एकत्रित कर लिया जाय तो निष्कर्ष यही निकलता है कि उत्तर प्रदेश में कानून के राज्य के बजाय दरोगा का राज्य कायम हो गया है । जिस घटना की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ की है । दिनांक 24-1-86 को के0एम0वी0 इन्टर कालेज के छात्र एक गुनाह कर बैठे, छात्र अपनी पढ़ाई के लिए मिट्टी का तेल तथा बिजली की सप्लाई की मांग करने हेतु एकत्रित हो रहे थे, यह उनका गुनाह था । छात्र एकत्रित हो रहे थे कि कालेज परिसर में प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना थाना अतरौली के एस0आई0 जीत सिंह, एस0 आई0एस0के0 सिंह, कान्सटेबिल यदुवीर सिंह, कान्सटेबिल राम बहादुर सिंह (राम बाबू) तथा कुछ अन्य पुलिस कर्मियों ने पहुंच कर हवाई फायर शुरू कर दिया । तत्काल पुलिस ने और ज्यादा फोर्स लेकर कालेज परिसर के बाहर एस0 डी0 एम0 श्री गुप्ता की मौजूदगी में बिना उनकी अनुमति के एस0आई0 जीत सिंह ने गोली चलवा दी । छात्र आतंकित होकर भाग रहे थे, मेरे पास फोटो मौजूद है, जिस छात्र को गोली लगी उसकी पीठ में गोली लगी थी सीने में नहीं । उसके बाद मान्यवर, जो कुछ हुआ उससे मान्यवर दरिन्दगी और पशुता सब शर्मा जायेगी । मान्यवर, जिस छात्र को गोली लगी थी उसकी टांग पकड़ कर पुलिस ने सड़क पर एक फर्लांग तक घसीटा, सारी सड़क लाल हो गयी थी और चूंकि पीठ में गोली लगी थी इसलिए पेट की तरफ घाव चौड़ा हो गया था, उससे उसकी आंतें बाहर आ गयीं थीं, पुलिस ने अपने बूटों से और डंडों से उसकी आंतों को कुचला ।

मान्यवर, यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि पुलिस के लोग इस दरिन्दगी तक जा सकते हैं । उनकी लाश को ले जाकर थाने पर इस तरह पटक दिया जैसे कोई बोरा हो । अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए वकीलों की 70 खोपड़ियों में पुलिस ने एस0पी0 की मौजूदगी में उनके इशारे पर आग लगा दिया। मान्यवर, जो नमाजी नमाज पढ़कर अपने घरों को जा रहे थे, पुलिस वालों ने उनका पीछा करके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके घरों में जाकर उनको मारा और उनके दरवाजों को तोड़ डाला । जो महिला अपने बेटे को बचाने के लिए बेटे के ऊपर गिर पड़ी उस महिला को पुलिस ने पीटा । मान्यवर, उस छात्र की लाश को लावारिश करार देकर पुलिस ने रात में उसका पोस्टमार्टम करा दिया और एस0 आई0 जीत सिंह ने कलेक्टर को एक पत्र लिख दिया और कलेक्टर ने बिना रिपोर्ट मांगे उस पर आदेश कर दिया-"पोस्ट मार्टम बी कैरिड आउट इन द नाइट विद द हेल्प आफ पेट्रोमैक्स लाइट सफीसिएन्ट एज डे लाइट ।"

कलेक्टर ने आदेश कर दिया कि रात में पोस्ट मार्टम पेट्रोमेक्स की सहायता से कर दिया जाय। मान्यवर, इसके आगे जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है । कहा यह गया पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जो कहानी गढ़ी उसमें कहा गया कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई, जबकि वहां कोई असुरक्षा की बात नहीं थी। मान्यवर, मेरे पास 9 पर्चे मौजूद हैं उसमें पुलिस वालों को जो चोटें आयी हैं, वह भी लिखा है और जो दवा दी गई वह भी है । एस0 आई0 जीत सिंह, इंजरी नोटेड, इंजरीज नहीं है । दवा जो दी गई, एस्परीन की गोली दिन में तीन बार, जिनकी जान का खतरा हो गया था उनको दवा एस्परीन की गोली लिखी गई है, दूसरा पर्चा एस0आई0 एस0के0 सिंह इंजरी नोटेड दवा एस्परीन की गोली दिन में तीन बार, तीसरे एस0 आई0 वेदपाल सिंह इंजरी नोटेड दवा एसपरीन की गोली दिन में तीन बार । हर एक को एक ही तरह की चोट आई । हमारे पास नौ पर्चे हैं सब में एक ही तरह की चोट लिखी गई है ।

हर एक को दवा एक ही लिखी गयी है, एस्परीन की गोली दिन में तीन बार । यहां पर कोई भी जान को खतरा पुलिस को नहीं था । भागते हुए छात्रों पर गोली दागी गयी । वहां पर छात्रों की हड़ताल हुई। भागते हुए छात्रों की फोटो मेरे पास है । वहां 12 दिन तक अतरौली कस्बा बन्द रहा। न्याय की दुकानें और ठेले तक बन्द रहे । तीस जनवरी को पूरा अलीगढ़ बन्द रहा । वकीलों ने आम हड़ताल की । आम जुलूस और क्रमिक अनशन किया गया । उन्तालीस लोग आमरण अनशन की घोषणा करके बैठे। मैं भी बैठा । आमरण अनशन करना मेरा पेशा नहीं है । यह कार्य सस्ती लोकप्रियता के लिये नहीं किया गया । जब सारे रास्ते बन्द हो गये, कहीं न्याय नहीं मिलता दिखाई पड़ा तो अनशन पर बैठना पड़ा । तीन जनवरी को 26 हजार लोग अतरौली गये। डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 भी आए । उन्होंने कहा कि इन पांचों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज है एस0 डी0 एम0 एस0 सी0 गुप्ता, जीत सिंह, एस0 आई0 एस0 के0 सिंह, एस0 आई0 यदवीर सिंह, कान्स्टेबिल तथा राम बहादुर उर्फ रामबाबू कान्स्टेबिल, इन पांचो के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज करूंगा। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ वारन्ट इशू कर दिया गया है और इसको तुरन्त गिरफ्तार कर रहे हैं, तथा इस सिलसिले में जिन पांच लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

25 हजार लोगों के सामने यह वादा किया गया, जो मेरे पास कैसेट में बन्द है । लेकिन आज भी पुलिस के वे पांचों लोग निर्द्वन्द घूम रहे हैं । यह कहते हुए घूम रहे हैं कि पहले एक चरण सिंह को गोली मारी थी अब 10 लोगों को मारेंगे । पहले एक को मारने पर कुछ नहीं हुआ और अब 10 मारने पर भी कुछ नहीं होगा । आज

भी आगरा डिवीजन के अधिकांश विद्यालय बन्द हैं । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं गृह राज्य मंत्री जी भी मेरे जिले के हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के इस कृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की। आपके कांग्रेस के श्री पूरन चन्द्र एम0 पी0 हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें पुलिस का रोल गलत रहा । पूरन चन्द्र जी का स्टेटमेंट मेरे पास है । उन्होंने पुलिस के एक्शन को कन्डम किया। उसके बारे में लिखा गया मैं पढ़ रहा हूं। "अलीगढ़, 28 जनवरी, क्षेत्रीय सांसद श्री पूरनचन्द्र ने आज अतरौली हत्या-कांड के सम्बन्ध में अतरौली क्षेत्र का दौरा-किया तथा वह उस गांव सिरसा में भी गये जिस गांव का निवासी चरण सिंह पुत्र तुला-राम था जो कि पुलिस की बर्बरता का शिकार आज से ठीक 4 दिन पूर्व दिनांक 24 जनवरी को हुआ था । इस सम्बन्ध में सांसद महोदय ने क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मुलाकात की तथा मृतक के पिता एवं भाईयों की अश्रुपूरित आखों में आंसू देखकर स्वयं भी आद्र हो उठे। पूरे सर्वेक्षण के उपरान्त श्री पूरनचन्द्र ने कहा कि क्षेत्र की जनता एवं पुलिस के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बयानों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस काण्ड के लिये जनपद के पुलिस अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं । जहां तक चरण सिंह की हत्या का प्रश्न है यह अतरौली पुलिस के माथे पर लगा कलंक है जिसे किसी भी प्रकार नहीं धोया जा सकता । सांसद महोदय ने कहा कि इस संबंध में पुलिस की जितनी भर्त्सना की जाय, कम है। सांसद महोदय ने खुले रूप से जनता की बात सुनी तथा के0 एम0 वी0 इण्टर कालेज के प्रागंण में लगभग हजारों की भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा कि दोषी लोगों को तुरन्त दण्ड मिल सके।" पत्र काफी लम्बा है।

मान्यवर, यह कोई पार्टी का सवाल नहीं था और न किसी कौम का सवाल था। अनशन पर हिन्दू भी बैठे, मुसलमान भी बैठे । मान्यवर, कांग्रेस के लोग जो हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । लोकदल के लोग इसमें बैठे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग बैठे । अनेक नेतागण वहां पहुंच चुके हैं । माननीय राम नरेश जी वहां से होकर आये हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वे पांचों नामजद व्यक्ति आज खुले आम घूम रहे हैं । मुझे आशंका है कि यदि इसी तरह से प्रशासन का संरक्षण बना रहा, माननीय गृह राज्य मंत्री का संरक्षण बना रहा, तो वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा । मान्यवर, अलीगढ़ जिले में जनता का जनजीवन सुरक्षित नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अजायबघर से इकट्ठा करके जो आप इन लोगों को लाये हैं, यही आपके जी का जंजाल बन जायेंगे । एस0 एस0 पी0 अलीगढ़ डी0 एम0 अलीगढ़ ने जो वहां भूमिका अदा की है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये । मैं मांग करूंगा कि जो 5 लोग एफ0 आई0 आर0 में अंकित हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, उसको तुरन्त गिरफ्तार किया जाय उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त पुलिस ने जिन 8 व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किये हैं, उस कार्यवाही को समाप्त किया जाय । वकीलों के जो 70 झोपड़े जलाये गये हैं, उनको मुआवजा दिलाया जाय और जो लोग इस आगजनी के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । मान्यवर, यह अत्यन्त ही संवेदनशील विषय है, मैं इस पर दो घंटे की चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अतरौली काण्ड के संबंध में मा0 कल्यान सिंह जी ने जो यहां पर बात रखी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं इस परिपेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी से दो बातें निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पुलिस की बैसाखी पर कब तक चलना चाहते हैं। पुलिस की बैसाखी पर चलते हुए ऐसी अपंग अक्षम सरकार जनता को क्या फ़ायदा पहुंचा सकेगी। मान्यवर, जहां छात्र केवल पढ़ने के लिये बिजली की मांग करें और पढ़ने के प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल के आवंटन की मांग करें परगनाधिकारी के समक्ष और यह भी अपने प्रधानाचार्य के पत्र के साथ तब उसमें परगनाधिकारी वह वस्तु आवंटित न कर सके और छात्र केवल इसलिये मांग करें कि हमको मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हुआ और इसको प्रशासन चुनौती मान करके, मिट्टी का तेल मुहैया करने की अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये, केवल पुलिस के डंडे और गोली का सहारा ले, उससे जो जन आक्रोश उत्पन्न ही होगा, उसे कब तक गोली से रोक सकेंगे। यह पुलिस की बैसाखी पर आप ज्यादा दिन चलकर प्रदेश का फायदा करने वाले नहीं हैं।

मान्यवर, गाजीपुर और अलीगढ़ के अतरौली प्रकरण इतने गंभीर हैं कि इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को अपने विवेक से काम लेकर इसकी जुडिशियरी इन्क्वायरी करानी चाहिये। अगर आप जुडिशियरी इन्क्वायरी नहीं करा सकते हैं तो यह बात स्पष्ट है कि एक छात्र की हत्या हुई और उस हत्या के बाद आप उस छात्र के परिवार तक मुआवजा देने पहुंच गये लेकिन जन-जीवन को सुरक्षा देने की हिम्मत आप में नहीं है। मान्यवर, जैसा कि कल्यान सिंह जी ने कहा कि जिन वकीलों के झोपड़े जला दिये गये उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जो लोग उस कार्यवाही के दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमें नहीं लिखे गये। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि वे यह घोषणा करें कि इस मामले को वे जुडिशियल इन्कवायरी करायेंगे और जितने पुलिस के दोषी लोग हैं, उन सबको मुअत्तल करके उनके खिलाफ धारा 302 की कार्यवाही कर इस देश में जनतंत्र की पीठ को मजबूत करने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति, मृत छात्र के पिता ने आपकी उस भीख को लेने से ठुकरा दिया, यह आपके ऊपर कितना बड़ा कलंक है। जहां लोगों की जानें जाती हैं, शासन पक्ष के लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि एक-एक जन-जीवन की सुरक्षा तो थाने में हो, पुलिस के सामने जान की सुरक्षा तो रहे। लेकिन जान की सुरक्षा के बजाय लोगों को गोली से भून दिया जाता है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि लोगों की सुरक्षा तो आप कीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर मामले पर आप 2 घन्टे की चर्चा करवाने की कृपा करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस गम्भीर मामले पर श्री राजेन्द्र सिंह जी को भी बोलने का मौका दिया जाय क्योंकि यह उनके जिले से संबंधित घटना है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी सदन पीछे भी है, कोई आगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

श्री राजेन्द्र सिंह जी मैं आपका आदर करता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कल्यान सिंह जी ने अतरौली की जिस जघन्य घटना का विवरण इस सदन में दिया है, मैं भी उसी जनपद से संबंधित हूं। माननीय कल्यान सिंह जी शायद किसी कमेटी के संबंध में बाहर थे। 24 जनवरी की यह घटना है। इसका पता हमको रात में चला। मुझसे पहले इस प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जी, जो उसी जनपद के रहने वाले हैं, उस समय जब अतरौली में यह घटना हो रही थी, इनका स्वागत अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हो रहा था। (शेम, शेम की आवाजें) इत्तफाक है कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी गोमती एक्सप्रेस से गये थे, उसका वहां पहुंचने का टाइम भी साढ़े दस या पौने ग्यारह बजे का है और यह घटना भी ग्यारह पा पौने ग्यारह बजे हुई। अलीगढ़ जनपद के लिए और या फिर गृह राज्य मंत्री के लिए यह एक अभिशाप का दिन बनेगा।

मैं 25 तारीख को अपने एक साथी श्री जगवीर सिंह जी को लेकर वहां पहुंच। मैंने वहां पर सब कुछ देखा। जो घटना माननीय श्री कल्यान सिंह जी ने बताई, मैं उनकी बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन श्री कल्यान सिंह जी ने जिस जघन्यता और पशुता की पराकाष्ठा को यहां बताया है, उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, जो उनसे छूट गई थी। लड़के को पुलिस पार्टी ने, हमारे यहां तांगा नहीं चलता है, इक्का चलता है, इक्के के पीछे जहां बिस्तर बांधा जाता है, ठीक उसी जगह पर बांधकर इस तरह से ले गये जैसे आपने शहरों में देखा होगा, कसाई साइकिल के पीछे जानवरों को बांधकर ले जाता है। उसके शरीर को जानवरों की तरह खचेड़ा गया। (शेम, शेम की आवाजें)। इस घटना के बारे में जो कुछ भी यहां पर कहा गया है, वह शत-प्रतिशत सत्य है। वह लड़का सिरसा का रहने वाला था। जब लाश सिरसा आ गई तो मैं सिरसा पहुंचा। पुलिस वाले कहने लगे कि इसकी लाश को तुरन्त जलाया जाय। 15 मिनट के बाद एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 भी सिरसा पहुंच गये। पुलिस पार्टी के साथ 4 ट्रक पुलिस थी। मुझसे कहा भी कि जल्दी लाश को जलवा दीजिये। मैंने कहा कि जल्दी नहीं हो पायेगा क्योंकि इसको खचेड़ा गया है, इसकी पीठ का फोटो लेना है। मैंने एस0एस0पी0 और डी0 एम0 को उसकी पीठ दिखायी कि जानवर की तरह खचेड़ा गया है। हमने एक फोटोग्राफर बुलाया हुआ था, उसका फोटोग्राफ हमारे पास है। पुलिस पार्टी परेशान थी, डी0एम0 और एस0एस0पी0 का मुंह देखने लायक था। वहां "अमर उजाला" के कारेस्पाण्डेण्ट पहुंच गये थे, बहुत दयनीय स्थिति थी। सभी सोच रहे थे कि झगड़ा होगा लेकिन मैंने कहा कि झगड़ा नहीं होगा उसके परिवार वालों की अनुमति से लाश दफनायी जायेगी। 25 तारीख को गृह राज्य मंत्री ने प्रेस कान्फरेन्स की और कह दिया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलायी। इससे बड़ी शर्मनाक और निन्दनीय बात नहीं हो सकती है।

दो घंटे की चर्चा की मांग इसलिये आ रही है कि प्रशासन की तरफ से माननीय गृह राज्य मंत्री बयान दे चुके हैं, माननीय कल्यान सिंह जी ने बता दिया कि वह आत्मरक्षा नहीं थी, एस0एस0पी0 और डी0 एम0 ने इस बात को स्वीकार किया कि धारा 302 का केस रजिस्टर कर लिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ रहिए, हम फोर्स भेजते हैं उनको अरेस्ट करने के लिये, किन्तु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3 तारीख से लेकर आज 8 दिन हो गये, हम लोग कल आये हैं, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है । वैसे तो एक से एक जघन्य अपराध पुलिस कर रही है लेकिन जो दर्दनाक घटना अलीगढ़ में हुई उससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। मैं निवेदन कर दूं कि छात्रों ने तय किया था कि मृतक के अस्थिकलश का जुलूस निकलेगा, उसका जुलूस निकालने के लिये जनपद के छात्र तैयार थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि एसा हो । हमने और श्री कल्यान सिंह जी ने इसको सुलझाने का काम किया । हमको यह बताया गया कि 302 का केस रजिस्टर कर लिया गया है, पुलिस पार्टियां भेज दी हैं, उनके वारण्ट इश्यू हो गये हैं, जबकि उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करेंगे। यह तथ्य सामने आना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

श्री राम नरेश–

जैसा माननीय सदस्य कल्यान सिंह जी ने अतरौली की घटना के बारे में चर्चा की और सारी घटना पर विस्तार से प्रकाश डाला। राजेन्द्र सिंह जी ने भी जैसा बताया और सारी घटनाओं की चर्चा की, नेता, सदन भी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अतरौली की यह घटना सचमुच ही शर्मनाक है और इस प्रशासन के लिए कलंक की बात है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, यह सरकार पूरी तरह से पुलिस को इतना संरक्षण दे रही है कि उससे ऐसा लगता है कि इनका कोई अंकुश नहीं रह गया है। यही कारण है कि गाजीपुर में पहले घटना हो और फिर उसके बाद अतरौली में हो जाय । मैं सारी घटना पर नहीं जाना चाहता लेकिन मैंने जो वहां उत्तेजना देखी, जो असंतोष देखा, छात्रों में और वकीलों में जो असन्तोष देखा, बार एसोसिएशन ने एक स्वर से प्रस्ताव पास किया था कि इस घटना की जांच होनी चाहिये, मुकदमा पुलिस के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिये । पुलिस ने विद्यालय परिसर में प्रवेश किया था, गोली चलायी थी, इसके लिये उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की थी । मैंने एक पत्र नेता सदन को लिखा था उसमें मैंने मांग की थी कि इस घटना की न्यायिक जांच के साथ ही साथ क्षतिपूर्ति के लिये मैंने मांग की थी। वहां वकीलों की झोपड़ियां जला दी गयी थीं। उन लोगों ने जो अपराध किया तो उनके खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिये। लेकिन नेता सदन ने आज तक उस मामले पर चुप्पी साध कर पुलिस के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया है । इस लिये मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यदाही को रोक कर इस पर 2 घण्टे की आप चर्चा करा दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस घटना के संबंध में माननीय कल्यान सिंह, माननीय राजेन्द्र सिंह तथा अन्य नेताओं ने विस्तार से बतला दिया है, अब मुझे उन बातों को दोहराना नहीं है । मैं अपनी ओर से तीन बातें को यहां रखना चाहता हूं । एक बात तो यह है मान्यवर, कि गृह राज्य मंत्री ने जो यह बयान दिया है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलायी, तो किस जांच के आधार पर उन्होंने ऐसा बयान दिया ? दूसरी बात यह कि आत्मरक्षा में गोली चलायी तो जो निहत्थे छात्रों पर गोली चलायी यह बात तो अभी यहां मा0 कल्यान सिंह तथा अन्य नेताओं की बातों से साबित हो गयी है । लेकिन एक बात मुख्य मंत्री जी बतला दें कि आप जो

बर्खास्तगी और निलम्बित करने का जो बयान दे रहे हैं, जिन पुलिस कर्मचारियों ने वहां पैरों के तले रौंदा है क्या आप उनको बरखास्त करेंगे ? आप जो रोजाना बयानबाजी कर रहे हैं तो आज आप साबित कर दीजिये कि जिन लोगों ने पैरों से रौंदा है क्या उन पुलिस कर्मचारियों को आप बर्खास्त करेंगे ?

वकीलों की झोपड़ियों को जलाया गया, उसके लिये तुरन्त मुआवजा की आप घोषणा कीजिये । वहां के एस0पी0 और डी0 एम0 ने मामले को छिपाने की कोशिश की है । इसमें पुलिस के साथ ही साथ वहां के एस0 पी0 और डी0 एम0 के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिये । इससे बड़ा गम्भीर कोई और मामला है नहीं । इसी तरह से गाजीपुर में छात्र की हत्या हुई। अतरौली (अलीगढ़) में भी इसी तरह से छात्र की हत्या की गयी जिससे कि पूरे छात्र वर्ग में और वहां की जनता में असन्तोष व्याप्त है, जिसके कारण वहां कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है । मुख्य मंत्री इस संबंध में अपना बयान दें, यह मैं चाहता हूं ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

अभी माननीय कल्याण सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, नेता विरोधी दल और श्री राम नरेश जी, सभी नेतागणों ने अतरौली के काण्ड के बारे में यहां पर बतलाया । मान्यवर, उस संबंध में आदेश दे दिया गया था कि जो भी गलत किया हो, चाहे वह पुलिस का अधिकारी हो या कोई और अधिकारी हो उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही होनी चाहिये, की जाय, और कार्यवाही करनी चाहिये । आदेश दे दिया गया, मुझे नहीं मालूम जब कल्याण सिंह ने अनशन किया था तब मैंने खुद कहा था कि जिन लोगों ने यह घटना की थी उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही होनी चाहिये, वह की जाये। इसके आदेश दे दिये गये हैं । अगर नहीं किया गया है, तो इसको मैं देखूंगा और जो भी कार्यवाही होनी चाहिये, वह जरूर की जायेगी।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के चैम्बर में जा सकता हूं । (कैसेट दिखाते हुये) एस0 एस0 पी0 का बयान इस कैसेट में बन्द है, उन्होंने घोषणा की है कि इन पांचों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम कर लिया है, उन्होंने कहा कि वारन्ट इश्यू कर दिये गये हैं, पुलिस पार्टी अरेस्ट करने के लिये भेज दी गयी है । इनको अवश्य अरेस्ट किया जायेगा, पुलिस ने जिन 8 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर चालान किया है, उनमें फाइनल रिपोर्ट लग जायेगी । इस ओर एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 एक इंच भी नहीं बढ़े हैं । यह कैसेट मौजूद है । आप इसको देख लें । आज तक अरेस्ट की कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यह जो पांच लोग है– एस0 सी0 गुप्ता, एस0 डी0 एम0 अतरौली, एस0 आई0 जीत सिंह, एस0 आई0 एस0 के0 सिंह, कान्सटेबिल यदुवीर सिंह, कान्सटेबिल राम बाबू उर्फ राम बहादुर के नाम धारा 302 में अंकित है । यह तो अलग विषय है कि 26 की रिपोर्ट पहली को दर्ज की गयी है, लेकिन अंकित है। एस0 एस0 पी0 ने कहा कि वारन्ट इश्यू किये जा चुके हैं, तो गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी ने गिरफ्तारी का क्या आश्वासन दिया है? एस0एस0पी0 ने कहा कि मुकदमें वापस हो जायेंगे, तो क्या उनको वापस ले लिया गया है?

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इस संबंध में आप आश्वासन और दे दें।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)– वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है, उस समय सारी चर्चा हो जायेगी ।

(शोर)

श्री कल्यान सिंह–

यह कौन होते हैं? मैं मुख्य मंत्री जी से बात कर रहा हूं। यह तो मुल्जिम हम इनको नहीं सुनेंगे ।

(घोर व्यवधान)

(2 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को दो घन्टे की चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यबर....

श्री अध्यक्ष–

निर्णय के बाद अब कुछ नहीं ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा तो साधारण है, गन्ने का विषय है। मान्यवर, आज प्रदेश में लाखों गन्ने के किसानों की जो दुर्दशा माननीय मुख्य मंत्री जी और इनकी सरकार कर रही है, उसको मैं आपके सामने कह रहा हूं।

मान्यवर, इस समय करीब 100 गन्ने की मिलें चल रही हैं और सबों में तीन तरह के भाव चल रहे हैं । इनके अधीन सहकारी और निगम की मिलें 24 रुपया दे रही हैं और जो निजी क्षेत्र में मिलें है वह 28 रुपया दे रही है और मान्यवर, जो प्रदेश की गुड़ और खान्डसारी यूनिट हैं वह 32 से 34 रुपया दे रही हैं । तो इतनी बड़ी असमानता गन्ना किसानों के साथ की जा रही है। आज लाखों किसान प्रदेश के पीड़ित है इनके द्वारा। मान्यवर, सहकारी क्षेत्र की जो इनकी मिलों के मैनेजर लोग है, निगम के मैनेजर है उन्होंने स्वयं हमसे कहा कि हम 30 रूपये से ज्यादा गन्ने का दाम दे सकते हैं अगर मुख्यमंत्री या यह सरकार हमें अनुमति दें। यहां यह इसको उल्टा कर रहे हैं। इन्होंने जो निजी क्षेत्र की मिलें थीं उनके क्रय केन्द्र छीन लिये हैं और वह सहकारी और निगम की मिलों को दे दिये हैं।

(शोर के मध्य)

मान्यवर, आप तवज्जह तो दे नहीं रहे है मैं क्या कहूं? मान्यवर, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं आप निर्णय क्या देंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप क्षमा करें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सुन रहें है उनसे कहिये कि यह सहकारी क्षेत्र और निगम की मिलों से गन्ने का भाव 30 रुपये से ज्यादा बढ़ाये। मान्यवर, वहां के मैनेजर देना चाहते हैं लेकिन इन्होंने उल्टा किया उनके क्रय केन्द्र को छीन लिया। आपकी खाण्डसारी यूनिट 32 से 34 रुपये दे रही है। अतरौली गाजीपुर और जौनपुर तो आप को खायेंगे ही लेकिन गन्ने का किसान तो हुकुम सिंह को चबा ही जायेगा। मान्यवर, चाहता हूं कि गन्ने के मामले पर इस बार 2 घंटे की चर्चा नहीं, 2 दिन की पूरी चर्चा हो, इस बार आपको पता चल जायेगा (व्यवधान) खाण्डसारी पर पाबन्दी लगा दी क्योंकि केन्द्र से एक मंत्री आये काफी पैसा ले गये और खांडसारी पर पाबन्दी लगवा गये। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसानों को उचित भाव दिलाइये और इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करा दें। खाद के दाम बढ़ा दिये अगर चीनी ज्यादा पैदा करना चाहते हैं तो किसानों को उचित भाव दें। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि

इस बार 2 दिन की चर्चा कराइये अगर किसानों को अच्छा भाव देंगे तो आपकी सरकार चलेगी। नहीं तो जनाबेअली नारायण दत्त तिवारी को बाढ़ ले गयी और आपको गन्ना खा जायेगा और मैं तो यह कहता हूं कि यह सेशन आप चलाइये सेशन खतम होगा उसके दूसरे दिन आप भी चले जायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह गन्ना प्रदेश के किसानों का मामला है। आप, संसदीय कार्यमंत्री जी स्वीकार कर ले और 2 घंटे की चर्चा करवा दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय राम सरन जी ने बात कही है उसमें एक दो आशंकाएं हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूं एक तो आपने कहा है कि जो गन्ने के क्रय केन्द्र थे, गन्ना क्रय केन्द्रों को जो निजी क्षेत्र की मिलों के हैं उनको सहकारिता या सहकारी मिलों की तरफ भेज दिया गया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी क्रय केन्द्र चाहे निजी क्षेत्र के या किसी भी मिल के हों दूसरे केन्द्रों में नहीं लिये जायेंगे। भाव भी बढ़ गये हैं। माननीय राम सरन जी, आप तो गन्ने के क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश सरकार का निर्णय न्यूनतम 24 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। निजी क्षेत्र वाले इससे आगे देना चाहें तो वे दे सकते हैं। 30/35 रुपया देना चाहें उनके लिये कोई पाबन्दी नहीं है उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। रहा सहकारी और सरकारी क्षेत्र की मिलों का प्रश्न, उसके बारे में आप जानते हैं कि कितने बड़े नुकसान में वे चल रही हैं। 24 रुपया तो मजबूरी से दे लेंगे लेकिन निजी क्षेत्र की मिलों में कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये माननीय, ये सारी बातें स्पष्ट हो गयी हैं, कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं रह जाता है।

श्री राम सरन–

माननीय, सारी मिलें फायदे में चल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं। कल की 8/9 वीं सूचनायें हैं। वे इसी प्रकार की हैं।...(व्यवधान) मैं इसे कल के लिये स्थगित कर रहा हूं दूसरी बात यह है कि जहां तक माननीय राम सरन जी को सूचना का विषय है उसे मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय, इसमें चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

8/9 सूचनाएं जो हैं वह मैं कल के लिये स्थगित कर रहा हूं। सूचना संख्या 12 को मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज रहा हूं। इसी प्रकार सूचना संख्या 14 जो माननीय राजेन्द्र गुप्त की है, उस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसी तरह सूर्य प्रताप शाही की है। कार्य स्थगन के रूप में प्राप्त में सारी सूचनाएं अस्वीकार करता हूं।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 10 जुलाई, 1986 की कार्यवाही से।

उल्लेख नहीं किया है:—

"वर्तमान सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रही है और जनता का उस पर विश्वास नहीं रह गया है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और कानून का राज्य समाप्त हो गया है। जनतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। धान व गन्ना किसानों की लूट बड़े पैमाने पर जारी है। बिजली और पानी के अभाव में सिंचाई एवं औद्योगिक प्रगति का कार्य ठप्प हो गया है। भ्रष्टाचार प्रगति पर है। सरकार का कार्यपालिका पर नियंत्रण समाप्त हो गया है। बेरोजगारी के बढ़ने से लाखों नवयुवकों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है।

(इस समय 2 बजकर 23 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द पीठासीन हुए)

आम नागरिकों, कर्मचारियों, वकीलों और मजदूरों पर लाठी गोली चलाकर दमन किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस अनियंत्रित होती जा रही है और हत्याओं तथा लूट में लगी हुई है।"

श्री उपाध्यक्ष—

अन्य जो संशोधन प्रस्ताव हैं वे सभी उपस्थित किये हुये माने जायेंगे।

(शेष संशोधन के लिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 153 पर)

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय, महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति का जिक्र नहीं किया है और इसीलिये मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय, प्रजातंत्र में यह सर्वविदित है विधान मंडल जनता की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है और जब सरकार विधान सभा का सम्मान [illegible] करे, और विधान सभा के गौरव और महत्व को अपने निजी स्वार्थ के कारण घटाती चली जा रही हो और मनमाने ढंग से व्यवहार कर रही हो और वह अलोकतंत्रीय सरकार स्थापित करने की कोशिश हो एक तरफ प्रदेश के अंदर ज्वलंत समस्यायें हों और दूसरी तरफ जनधन की लूट हो, पुलिस जुल्म कर रही हो सामूहिक हत्यायें हो रही हों तो ऐसे समय में विधान सभा में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। माननीय, पिछले महीनों में जब प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश घिरा हुआ था तो सभी विरोधी दलों के नेताओं ने मांग की कि पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, धान और गन्ने के किसानों की लूट हो रही है, सामूहिक हत्यायें हो रही हैं, पुलिस जुल्म हो रहा है इसलिए विधान सभा का सत्र बुलाया जाय। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने विधान सभा का सत्र न बुलाकर दो बातें कही। एक तो उन्होंने यह कहा कि विधान सभा बुलायेंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई कार्य नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब विधान सभा के लिए कोई काम नहीं था तो फिर दर्जनों अध्यादेश जारी क्यों किये गये?

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कही कि यदि विधान सभा बुलाई जायेगी तो बाढ़ में लगे हुए अधिकारियों के काम करने में बाधा आयेगी। मुझे ताज्जुब है इसलिए कि वह कोई पहली बार चुन कर नहीं आये हैं। वे यहां विधान सभा में 1967 से कई बार लगातार चुन कर आ रहे हैं और सभी जानते हैं कि जब विधान सभा का सत्र चलता है तो उस समय ही सरकारी अधिकारी दुरुस्त और चुस्त काम करते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा को नहीं बुलाया। विधान सभा क्यों नहीं बुलाई जा रही थी उसका कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि

समय के साथ-साथ राजनीतिक का कुछ गैर राजनीतीकरण हो गया है उसी के कारण आज मंत्री, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री भी गैर-राजनीतिक लोग हो गये हैं। अगर यह कारण नहीं होता तो कोई भी मुख्य मंत्री होता या कोई भी सरकार होती तो जब सब विपक्षी नेता एक मत होकर मांग कर रहे थे तो उनकी बात से इन्कार नहीं करना चाहिए था।

इनका दूसरा आरोप यह है कि हम विपक्ष के लोग अस्थिरता चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कौन अस्थिरता चाहता? जब उत्तर प्रदेश में बहुमत में एक दल की सरकार है तो क्यों तीन-तीन मुख्य मंत्री बदल गये ? तो यह अस्थिरता कौन पैदा करना चाहता है? आज मुख्य मंत्री का आस्तत्व एक चपरासी की हैसियत के बराबर नहीं है। अगर दिल्ली में कोई एक आदमी मुठ्ठी का नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री एक दिन भी नहीं रह सकता है। दूसरी तरफ जो प्राथमिक जनतांत्रिक संस्थायें हैं उनके चुनाव नहीं कराये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अस्थिरता कौन पैदा कर रहा है? तीन-तीन मुख्य मंत्रियों को हटा कर लोकतंत्र की जड़ कौन काट रहा है ? उसकी जड़ों को कौन हिला रहा है ? मेरा आरोप है कि आज उत्तर प्रदेश की हिन्दुस्तान में पहली सरकार है जो लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ रही है। इसीलिए मान्यवर, मुख्य मंत्री का मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर कोई अंकुश नही है। आज रिमोट कन्ट्रोल, दूरस्थ नियंत्रण, चल रहा है और रिमोट कन्ट्रोल पर यह सरकार चल रही है। संविधान में जो संघीय व्यवस्था थी वह दिन प्रति दिन टूटती चली जा रही है। आज मुख्य मंत्री अपने मन-पसंद, विश्वासपात्र व्यक्ति को, मंत्रि-मंडल में, जो उनका अधिकार है, नहीं रख पा रहे हैं और उसके कारण आज कोई निर्णय मुख्य मंत्री स्वतंत्रता-पूर्वक नहीं ले सकते हैं। रिमोट कन्ट्रोल के कारण मुख्य मंत्री कोई निष्पक्ष और अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यह सब रिमोट कन्ट्रोल के कारण है और यह रिमोट कन्ट्रोल मुख्य मंत्री, मंत्रि-मंडल पर ही नहीं बल्कि आज वह राज्यपालों पर भी लागू हो रहा है। हिन्दुस्तान में आज राज्य-पालों को जो निष्पक्ष होना चाहिए वह नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य मंत्री एक बहुमत दल के नेता के कारण मुख्य मंत्री हैं लेकिन किसी प्रदेश के राज्यपाल महोदय, वह संपूर्ण प्रदेश की जनता के होते हैं लेकिन

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि जो राज्यपाल महोदय के बारे में कहा है वह कार्यवाही से निकाल दें चूंकि राज्य-पाल महोदय के बारे में यहां नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

राज्यपाल महोदय के बारे में और उनके आचरण के बारे में आप कुछ यहां न कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महो-दय के बारे में नहीं बल्कि सारे राज्य-पालों के बारे में कह रहा हूं कि आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि वह रिमोट कन्ट्रोल के अंतर्गत काम कर रहे हैं।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, राज्यपाल के बारे में नहीं कह सकते हैं।

---

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

वह राज्यपाल के आचरण के बारे में नहीं कह रहे हैं बल्कि एक पालिसी के बारे में कह रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

रिमोट कंट्रोल के कारण ही पिछले दिनों कई प्रदेशों में विधान सभाओं और राज्यपालों के बीच टकराव हुआ है । पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी टकराव था, वह दुर्भाग्यपूर्ण था और उन्होंने अफसोस जाहिर किया और मुझे भी अफसोस है कि यह क्यों हुआ, इसी के कारण हुआ ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय की बात मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन सार्वजनिक आचरण पर मुझे कहने का अधिकार है, इसलिये सदन से मांग करूंगा कि संविधान में कुछ परिवर्तन होना चाहिए । आज स्थिति है कि कई सरकारी अधिकारी राज्यपाल के आचरण से परेशान हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई सरकारी अधिकारी राज्यपाल के बारे में नहीं कह सकता है और आप राज्यपाल महोदय के आचरण के बारे में कुछ न कहें क्योंकि वह संविधान के विपरीत होगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मैंने इसलिये कहा कि आज राज्यपाल महोदय पर अंकुश लगाने के लिये, जैसे संसद को अधिकार है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का उसी तरह से मैं चाहता हूं कि राज्यपाल पर अंकुश लगाए जाने के लिए यह विधान सभा में प्रस्ताव पास हो और संसद से अनुरोध किया जाए कि विधान सभा को भी राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का अधिकार हो । यह मेरा निवेदन है, राय है । दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति विधान सभा द्वारा होनी चाहिए और इसके लिए मांग हो । आज मान्यवर, हालत यह हो गई है कि कहीं-कहीं देश में राजभवन षड़यंत्र के अड्डे बन गये हैं। जब चाहे प्रदेश की सरकार को बरखास्त कर दें। इसलिए मेरी मांग है कि संविधान सभा ने एक बार, 30 मई, 1949 को सरदार हुकुम सिंह जी ने जो एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था, उसे लागू किया जाए । मैं उस सुझाव को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, "यदि राज्य विधान मंडल द्वारा नामों का एक पैनल राष्ट्रपति को भेजा जाय, यद्यपि तब भी राज्यपाल की नियुक्ति का अंतिम अधिकार सत्ताधारी दल को होगा और वे उस नाम को चुनेंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होगा, लेकिन उस स्थिति में पैनल में भेजे गये व्यक्तियों की योग्यता जनता के सामने होगी और यदि सही व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता है तो जनता को नियुक्ति की आलोचना करने का अधिकार होगा । यह आलोचना निश्चित ही पक्षपातपूर्ण तरीके और शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश का काम करेगी ।" इसलिए मान्यवर, मेरी मांग है कि विधान सभा इस संबंध में संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को एक प्रस्ताव भेजे कि इस संबंध में सरदार हुकुम सिंह की जो राय थी, उसके अनुसार पैनल बनाकर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किया करें।

आज संवैधानिक संकट है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरा इशारा इस बात की ओर है कि आज केन्द्रीय हस्तक्षेप के कारण

प्रदेश मंत्रिमंडल के अंदर मुख्य मंत्री अपने मंत्रियों पर कोई अंकुश नहीं लगाए रख पा रहे हैं । यह बात और है कि मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि वह अपने मनपसंद और अपने विश्वासपात्र सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में रखें, किन्तु इसमें उनकी न चलने के कारण उन्हें इस बार मंत्रिमंडल के गठन में लगभग 4 महीने तक दिल्ली-दरबार का इंतजार करना पड़ा और इस अवधि में मुख्य मंत्री के कंधों पर 66 विभागों का बोझ लदा रहा और जब दिल्ली-दरबार की इजाजत मिली तो वह भी अधूरी इजाजत मिली । जिसके चलते अब भी मुख्य मंत्री के कंधे पर 65 विभागों का बोझ लदा हुआ है और अब तक वह पूरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सके हैं। इसलिए इस प्रकार का एक संवैधानिक संकट उत्तर प्रदेश के अंदर है । इस तरीके से मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की यह कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण रही है, जहां माननीय नेता सदन में बैठे हुए हैं। इस पर इतने बड़े लोग बैठ चुके हैं—माननीय चौधरी चरण सिंह, माननीय गोविन्द बल्लभ पंत, डा0 सम्पूर्णानन्द, माननीय सी0 बी0 गुप्त। ऐसे-ऐसे बड़े लोग इस कुर्सी पर बैठे हैं, किन्तु आज इस कुर्सी पर बैठे लोगों की धज्जियां उड़ा रहे हैं केन्द्र में बैठे लोग, केन्द्र में ऊंचे स्थानों पर बैठे लोग।

आज हालत यह हो गई है कि केन्द्र में बैठे शीर्षस्थ नेताओं को जरा भी पता चल जाए कि मुख्य मंत्री हमारे खिलाफ है या हमारे पक्ष का नहीं है तो वह सवेरा होते ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहां एक समय था जब मुख्यमंत्री के इशारे पर प्रधान मंत्री बना करते थे, किन्तु आज मुख्यमंत्री का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इसलिए मैंने यह कहा है । अब मैं तीसरे संवैधानिक संकट का उदाहरण दे रहा हूं, आज उनके मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं और खासकर मैं दो मंत्रियों के बारे में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों के बीच इतना अधिक मतभेद है कि वह खुलकर सड़कों पर आ गया है । कोई मंत्री तब तक रह सकता है जब तक मुख्य मंत्री का उस पर विश्वास हो । लेकिन आज ऐसे मंत्री हैं जिनको मुख्य मंत्री द्वारा बर्खास्त करना तो दूर रहा वह मंत्री मुख्य मंत्री के ही खिलाफ काम कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के सचिव ने अपने पत्र संख्या 395-एम0-2/12-सी-1/85 दिनांक 21-10-85 को मुख्य सचिव को लिखा कि "मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि प्रदेश में स्थित सार्वजनिक निगमों तथा सहकारी संस्थाओं में कोई भी मनोनयन उनके आदेशों के बिना न किया जाय । उनको यह शिकायत मिली है कि अभी भी कुछ मनोनयन किये जा रहे हैं। अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि संबंधित विभागों को विशेषकर सहकारिता विभाग को सख्त निर्देश दे दिये जायं ।"

मान्यवर, इस पर मुख्य सचिव ने विशेष सचिव सहकारिता और सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को लिखा कि "मुख्य मंत्री जी के उपरोक्त आदेश देख लें और इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें"। तो मान्यवर, इस तरह का पत्र लिखा गया है। यह लिखने का मुख्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं था । आप भी और मैं भी सहकारिता से जुड़े रहे हैं । सहकारिता विभाग में कोई मनोनयन जिला स्तर पर होता है तो उसको ए0आर0 करता है और मंडल स्तर पर डिप्टी रजिस्ट्रार करता है और यदि शीर्षस्थ स्तर पर मनोनयन करना होता है

तो वह रजिस्ट्रार, निबंधक करता है। निबंधन वह मंत्री को विश्वास में लेकर कर सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री को यह पत्र लिखने का कोई अधिकार नहीं था। इससे बड़ा संवैधानिक संकट और क्या होगा। दूसरी बात मान्यवर, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं संवैधानिक संकट का। मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में गंभीर मतभेद है। यह चर्चा सड़कों पर है।

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)– हम दोनों के पंच यही हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यूनानी और आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्तियों का मामला था। मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने कुछ आदमियों के नाम जुड़वाना चाहते थे और स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए तैयार नहीं थे उसके बाद फाइल मंगायी गयी और क्या हुआ इसकी सारे प्रदेश में चर्चा है।

दूसरी बात स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या किया वह भी सुन लीजिये। उन्होंने मुख्य मंत्री को सार्वजनिक रूप से गाली देने वाली एक महिला, भूतपूर्व विधायिका, को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कल्याण बोर्ड में सदस्य नियुक्त कर दिया। मैं अभी उनका पत्र पढ़ रहा हूं। भूतपूर्व विधायिका, किशोरी शुक्ला जिनको स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य कल्याण बोर्ड में सदस्य बना रखा है उन्होंने पत्र लिखा है कि "मैं उत्तर प्रदेश के सभी संसद सदस्यों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के किये गये भ्रष्टाचार की सही जानकारी प्रधान मंत्री राजीव गांधी को करा दें। वीर बहादुर सिंह को मुख्य मंत्री बनाने से राजीव गांधी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। स्वच्छ प्रशासन व स्वच्छ छवि का प्रधान मंत्री का नारा हंसी मजाक का विषय बन गया है। दिल्ली के हरिकिशन लाल भगत, बिहार के सीताराम केशरी, उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह के चरित्र को सारा उत्तर भारत जानता है। क्या वीर बहादुर कंगाल से करोड़पति नहीं बन गये?"

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)– मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जरा आप बैठ जायं, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, क्या किसी व्यक्ति के पत्र को पढ़ा जा सकता है और उसका उद्धरण देकर पढ़ा जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

पत्र पढ़ा जा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्या वीर बहादुर व इनके भाई के नाम करोड़ों रुपया नैपाल बैंक में नहीं जमा है? (शोर के मध्य) क्या श्री वीर बहादुर सिंह ने 40 एकड़ का फार्म महाराजगंज में नहीं खरीदा है? क्या वीर बहादुर ने अपने दामादों, रिश्तेदारों, बहनोंइयों के नाम काफी पैसा बैंक में जमा नहीं किया?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, यहां एक परम्परा रही है कि कोई बात अगर तथ्यों पर आधारित है और उसकी जानकारी माननीय सदस्य को हो तो उस बात को यहां उठाया जाए। लेकिन कोई सड़क पर चलते हुए आदमी की गलत बात को देखे और यहां उठाए जो तथ्यों पर आधारित भी न हो, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आज आप उसकी कह रहे हैं, कल हम किसी और की इस तरह कहेंगे और फिर एक सिलसिला

चालू हो जायेगा जो उचित नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई आरोप नही लगाया है केवल बात यह है कि मैं यह सिद्ध कर रहा हूं कि आज संवैधानिक संकट है, उसी के तहत यह पत्र तर्क के साथ पढ़ रहा हूं। मैंने आरोप किसी पर नहीं लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह पत्र आपको किसने भेजा है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह पत्र जनसत्ता में छपा है। (शोर)

(व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है की आवाजें)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह कि जैसा कि मा0 नेता सदन ने कहा कि सड़क पर चलते किसी आदमी की बात का उद्धरण यहां नहीं देना चाहिए। लेकिन एक मा0 मंत्री जी सड़क पर चलते हुए आदमी को स्वास्थ्य बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य बना दें तो ऐसी स्थिति में मा0 नेता विरोधी दल का कर्तव्य है कि ऐसे सड़क पर चलते हुए आदमी की बात को यहां अवश्य सबके सामने रखें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह ठीक है परन्तु यह पत्र इन्हें कहीं से प्राप्त हुआ है। यह अथेन्टिक तब होता जब स्वयं संबंधित आदमी इन्हें आकर यह पत्र दे जाता। चूंकि यह पत्र पत्रिका में छपा है, इसलिए इसे यहां नहीं पढ़ा जाना चाहिए। (शोर) नेता अपनी बात को बगैर पत्र के भी कह सकते हैं।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, आपने यह व्यवस्था दी है कि यह पत्र किसी संबंधित मा0 सदस्य ने, मा0 नेता विरोधी दल को नहीं दिया है इसलिए मा0 नेता विरोधी दल को यह पत्र यहां नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यह समाचार पत्र का उद्धरण है। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से यह निवेदन करूंगा कि जितनी बातें यहां कही गयीं हैं मा0 नेता विरोधी दल द्वारा, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं इन अंशों के निकालने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह अपनी इस बात को वैसे भी कह सकते थे, बगैर पत्र के इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता है (घोर व्यवधान) जो वह कह रहे हैं, उन्हें कहने का पूरा अधिकार है, कार्यवाही से निकालने का कहां प्रश्न पैदा होता है?

(घोर व्यवधान)

आप सब अपना आसन ग्रहण करें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें, माननीय नेता विरोधी दल ने साफ-साफ कहा है कि, "यह जो मैं बात कह रहा हूं, यह मेरी बात नहीं है, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, यह जो मैं बात कह रहा हूं, यह जनसत्ता अखबार में छपी है, उसके आधार पर कह रहा हूं।" मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल को कोई बात कहने का अधिकार है, अगर वह कहते हों कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, तो उसे प्रोसीडिंग से न निकाला जाय, लेकिन अगर वह कहते हैं कि यह मेरी बात नहीं है, यह

जनसत्ता अखबार में छपी है, तो उसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी, प्रोसीडिंग का वह भाग रहेगा, आपको जवाब देने का अधिकार है।

(घोर व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संसदीय परम्परा की यह परिपाटी रही है . .(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन से भी कहूंगा कि वह मेरी बात जरा सुन लें। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संसदीय परम्परा की यह परिपाटी रही है कि जब भी कोई वक्ता अपनी बात कहते हैं, तो वह अखबार का उद्धरण भी देते हैं, अगर वह बात कोई ऐसे आचरण के प्रतिकूल न हो, जो सदन की गरिमा के प्रतिकूल न हो। मान्यवर, जो यहां पर बड़े-बड़े माननीय सदस्य रहे हैं, उनकी भी यही परिपाटी रही है। अगर कोई वक्ता किसी ऐसी बात का हवाला देता है, जो जनसत्ता, सूर्या या अन्य किसी अखबार में छपी हो, तो वह उसका हवाला दे सकता है। उसका उद्धरण देने में यहां पर कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष–

उद्धरण दिया जा सकता है। आप लोग बैठिये।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बात तो आपको सुनना ही पड़ेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य श्री हरि शंकर तिवारी के खड़े होने पर)

माननीय तिवारी जी, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये।

(घोर व्यवधान)

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। मैंने नेता विरोधी दल को इजाजत दे दी है। आप सब बैठ जाएं मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन् मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले आपने व्यवस्था दी . . (घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, आपने दो व्यवस्थायें दी हैं, दोनों में अन्तर्विरोध पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई अन्तर्विरोध पैदा नहीं हो रहा है आप बैठ जाएं।

(व्यवधान के मध्य)

मैं आपको नहीं सुन रहा हूं आप बैठ जाएं।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, आप हाउस कन्ट्रोल कर रहे हैं, उधर से क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उनको भी रोक रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

दादागिरी से हाउस नहीं चलेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब बैठ जाएं। मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है। नेता विरोधी दल बोलें। (शोर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अब मैं पत्र को नहीं पढ़ रहा हूं, अब मैं पत्र अधूरा ही रखे दे रहा हूं। इसका सही या गलत होना आधार नहीं था, आधार था तो यह कि मुख्य मंत्री की इच्छा के विरुद्ध एक मुख्य मंत्री पर इतना गलत या सही आरोप लगाया गया? मुख्य मंत्री का इतना महत्वपूर्ण पद है। एक महत्वपूर्ण पद पर इनको नियुक्त किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं रहा इसलिए उत्तर प्रदेश की नौकरशाही नियंत्रण में नहीं रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जो नसबन्दी आरम्भ की है वह थोड़े दिनों में इमरजेन्सी को पार कर जाएगी। नसबन्दी जो हो रही है, उसमें छोटे कर्मचारियों और जनता के गरीब तबके के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पर सरकार कहती है कि जोर-जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। प्रमाण स्वरूप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, श्री श्याम सूरी के आदेश पत्र संख्या-4372/16''- 211-85- 9/212/84 चिकित्सा अनुभाग–11 दिनांक 12 अगस्त, 1985 को देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि 75 प्रतिशत नसबन्दी कोटा पूरा न करने वाले कर्मचारियों की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायं। यह एक जिम्मेदार सचिव का आदेश है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि नौकरी बचाने के लालच में गलत तरीके से, जोर जबरदस्ती से, नसबन्दी हो रही है। उसमें कुछ अविवाहित, विधुर, विधवा वृद्ध तथा नाबालिग भी हैं, जो अपात्र लोग हैं उनकी नसबन्दी हो रही है। मैं कुछ अपात्र लोगों के उदाहरण पेश कर रहा हूं।

मान्यवर, श्री चतुर सिंह निवासी मोहल्ला भीतरी पीर बटावन राम सनेही घाट जिला बाराबंकी के एक अविवाहित युवक को दरियाबाद ले जाकर लालच देकर नसबन्दी करा दी। इस युवक की शादी की बात चल रही थी, जो अब टूट गई। मान्यवर, बाराबंकी जिले के ही राम सनेही घाट तहसील के ग्राम बड़ेला नारायणपुर निवासी रामसुरेश तिवारी को भी नसबन्दी करवा दी गयी जबकि नसबन्दी के मात्र 4 दिन पहले ही उसका गौना हुआ था। इसी तहसील के ग्राम बघौली कंचनपुर एवं पाठकपुरवा में विधवाओं और विधुरों की भी नसबन्दी की गयी। तीसरा विकास खण्ड जगनियाडीह निवासी 50 वर्षीय विधुर बाबादीन की भी नसबन्दी करा दी गयी।

मान्यवर, आगरा जिले के खेरागढ़ क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 1985 को ग्राम औरंगपुर निवासी कन्हई जाटव के 18 वर्षीय पुत्र गंगाराम की नसबन्दी कर दी गयी। प्रधान के इस लालच पर कि उसे मकान, पैसे तथा कार्ड मिलेगा और डाक्टर नसबन्दी न करके केवल पट्टी कर देंगे, उस युवक की नसबन्दी करा दी गयी।

इसी ग्राम की एक 60 वर्षीय महिला शान्ती देवी, 45 वर्षीय महिला शीला तथा 45 वर्षीय तेज सिंह, जिनके सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ऊपर है, जो नसबन्दी के पात्र नहीं

थे, उनकी भी नसबन्दी कर दी गयी।

मान्यवर, इसी प्रकार एटा जिले के थाना सोरों के एक ग्राम बिरौंची निवासी 22 वर्षीय हर किशन बाल्मीक पुत्र प्यारे लाल जो कि एक अविवाहित रिक्शा चालक है, को 29 दिसम्बर, 1985 को कुछ व्यक्तियों ने चोरी का इल्जाम लगाकर पकड़ा, जान से मारने की धमकी दी और एक व्यापारी से पैसे लेकर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय अलीगढ़ ले गये। आपरेशन करने वाले डाक्टर राजीव अग्रवाल को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने उसे भगा दिया किन्तु यह लोग बाहर खड़े थे इन लोगों ने उसे फिर से पकड़ कर डाक्टर शब्बीर हुसैन के पास ले गये। वहां पर डाक्टर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उनकी नसबन्दी कर दी। मान्यवर, इसी तरह एटा जिले की ही एक अन्य घटना जो कई दृष्टियों से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की अपेक्षा करती है, इस प्रकार है। दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 को गंज डुण्डवारा अस्पताल में ब्लाक गंज डुण्डवारा ग्राम नगरिया की एक 60 वर्षीय वृद्धा तथा उसकी 20 वर्षीया पुत्री राम कली की एक ही दिन एक ही कैम्प में नसबन्दी कर दी गयी जबकि वृद्धा 15 वर्ष से और उसकी पुत्री 2 वर्ष से विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी। लेखपाल और कुछ कर्मचारियों ने महिलाओं को यह लालच दिया था कि यदि वह नसबन्दी करा लेंगी तो उन्हें न केवल नकद धनराशि मिलेगी बल्कि पूरे जीवन के लिए विधवा एवं वृद्धा पेन्शन भी मिलेगी। वृद्धा की विधवा बेटी राम कली को नौकरी का लालच दिया गया था।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस प्रकार से अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी हो रही है। यह एक अपराध है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं घोषणायें तो रोज करते हैं कि गलत काम करने वाले अधिकारियों को सजा दी जायेगी। क्या किसी को आपने बर्खास्त किया, क्या कार्यवाही हुई है? यह झूठी घोषणाएं क्यों हो रही हैं। रेडियो और टेलीविजन पर घोषणायें हो रही हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपात्रों की नसबन्दी से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? परिवार नियोजन एक अच्छा कार्यक्रम है किन्तु उसमें जोर जबरदस्ती धोखा और लालच नहीं होनी चाहिये। इमरजेन्सी में कुछ महिलाओं को अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा था। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर एक भी घटना इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में हो गई तो सरकार को शासन में एक मिनट रहने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी घटना होने वाली है, इसलिये मैं अभी से चेतावनी देना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं बाढ़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की तकदीर प्राकृतिक आपदा से जुड़ गई है। इतनी जबरदस्त बाढ़ उत्तर प्रदेश में आयी लेकिन महामहिम ने अपने अभिभाषण में कोई बात बाढ़ के संबंध में नहीं कही इसलिये मान्यवर, मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में गंगा, जमुना, गोमती, रामगंगा, राप्ती, गण्डक और घाघरा 6 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो हजारों करोड़ों रुपयों की ही नहीं जानवरों से लेकर मनुष्यों तक की जानें प्रतिवर्ष लेती हैं। लेकिन सरकार की ओर से इस वर्ष भी कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां हैं। ये कई साल के लम्बे समय तक सिंचाई

मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 अरब रुपये से लेकर 9 अरब रुपये तक की क्षति बाढ़ से होती है। वर्ष 1978 से 1985 तक इन विनाशकारी बाढ़ों से होने वाली क्षति इस प्रकार है। वर्ष 1978 में 55 जिले प्रभावित हुए, 2 करोड़ 26 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई और हानि हुई 500 करोड़ रुपये की। वर्ष 1982 में 44 जिले प्रभावित हुए, 2 करोड़ 33 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई और हानि हुई 585.68 करोड़ की। वर्ष 1983 में 54 जिले प्रभावित हुए, 1.53 करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुई और हानि हुई 754.03 करोड़ रुपये की। वर्ष 1984 में 39 जिले प्रभावित हुए, 67 लाख जनता प्रभावित हुई और 300 करोड़ की हानि हुई। वर्ष 1985 में अनुमानित हानि 1500 करोड़ रुपये की है।

एक तरफ तो यह हानि है, दूसरी तरफ बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर खर्च इस प्रकार है—वर्ष 1955 से 1979-80 तक बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर खर्च 1.20 अरब रुपये हुआ। वर्ष 1980 से 1985 तक 97.72 करोड़ रुपया व्यय हुआ और वर्ष 1985 में 41 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। अगर इन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर होने वाले व्यय को देखें तो लगता है कि जैसे-जैसे खर्च बढ़ता गया, उसी प्रकार बाढ़ से होने वाली क्षति भी बढ़ती गयी। सन् 50 से 65 के बीच दुगुनी हानि हुई। सन् 65 से 76 के बीच तीन गुनी हुई और 76 से 80 के बीच 5 गुनी हानि हुई। सन् 1985 में सात गुनी हानि हुई। तो बाढ़ नियंत्रण जैसे जैसे बढ़ता गया, हानि वैसे वैसे बढ़ती गयी। तो आप देखें कि इसमें कहीं न कहीं कुछ गम्भीर गड़बड़ी है। यदि यह न होता तो बाढ़ पर रोक लगती। लोगों का अनुमान है कि बाढ़ के नियत्रण के नाम पर जो धन मिलता है वह अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी किस तरह से बाढ़ नियंत्रण की उपेक्षा करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर 230 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे। खर्च के लिए स्वीकृति मिली 134 करोड़ की,

(घोर व्यवधान)

लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में व्यय किया गया केवल 97.72 करोड़ रुपये। लगभग 36 करोड़ रुपया स्वीकृत धन से खर्च नहीं किया गया। तो बाढ़ की समस्या के प्रति अधिकारियों की जो उपेक्षापूर्ण नीति है, वह इससे साबित है। मैं आपके सामने पिछले तीस वर्षों में उत्तर प्रदेश तथा अन्य सूबों में बाढ़ नियंत्रण में जो प्रगति हुई वह आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस सूबे ने बाढ़ नियंत्रण योजना में जो क्षेत्र सुरक्षित किया वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पंजाब ने 69 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित किया। हरियाणा ने 68 प्रतिशत, बिहार ने 46.4 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 43.4 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित किया, जबकि उत्तर प्रदेश ने केवल 18.40 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित किया। तो मान्यवर, आप देखें कि दूसरे सूबों ने कितना किया तथा उत्तर प्रदेश ने केवल 18 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित किया। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा जारी आय व्ययक, 1985 के हैं। इसलिए इस पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मान्यवर, आप दुनिया की मिसाल ले लीजिये। दुनिया में दो नदियां सबसे ज्यादा विनाशकारी थीं एक थी मिश्र की नील नदी और दूसरी चीन की हुवांगहो नदी। इन दोनों देशों ने उक्त नदियों की बाढ़ पर नियंत्रण करके जो उक्त नदियां विनाशकारी थी, वह नदियां आज उस देश के लिये वरदान सिद्ध हो रही हैं। लेकिन, उत्तर प्रदेश ने बाढ़ के सम्बन्ध में कोई ठोस योजना नहीं बनायी है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, मान्यवर कि शासन में बैठे अधिकारी जो हैं, वह यह मनाया करते हैं कि बाढ़ आ जाये, और उनकी सेहत का काम पूरा हो जाये। बाढ़ के सम्बन्ध में जो राहत का सामान बांटा जाता है—कपड़ा, राशन, साबुन, मिट्टी का तेल, लाई आदि—इन सारी चीजों को कागज पर बटा हुआ दिखा दिया जाता है, उसकी कोई जांच नहीं होती है। बंट भी गया, तो पता नहीं चलता है कि कहां बंटा।

मान्यवर, इसी की वजह से इसकी उपेक्षा बढ़ती जा रही है। मान्यवर, अब कौन सा जिला बाढ़ग्रस्त है या सूखाग्रस्त है यह लखनऊ से तय होता है। पिछले वर्ष आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर (देहात) और जालौन इनको सूखा-ग्रस्त घोषित किया गया। मैंने मान्यवर, यह आस-पास के जिले के नाम बताये, लेकिन इटावा को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। क्या आगरा, एटा और मैनपुरी से आने वाली नहरों ने केवल इटावा जनपद के लिये अपना पानी सुरक्षित कर दिया था या फिर इन्द्रदेव केवल इटावा पर ही प्रसन्न थे? और या फिर यमुना और चम्बल ने अपने पानी से इटावा जनपद की सारी जमीन को सिंचित कर दिया था? राजस्व राज्य मंत्री भी यहां पर बैठे थे, वे भी उसी जिले के हैं। अब इसे सौभाग्य कहा जाय या दुर्भाग्य कहा जाय। मान्यवर, मेरा आरोप है कि कमीशन लेकर यह घोषित किया जाता है कि कौन जिला बाढ़ग्रस्त है या सूखाग्रस्त। मेरा यह भी इसके साथ साथ आरोप है कि विकास के जितने भी कार्य हैं यह सब बड़ा बड़ा कमीशन लेकर के तय होते हैं कि कौन जिले का विकास हो जाय।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने चूंकि इटावा जनपद का यहां संदर्भ दिया है, इसलिए मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहूंगा।

मान्यवर, मैं विशेष रूप से माननीय नेता विरोधी दल के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि इटावा को सूखाग्रस्त जनपदों की सूची में सम्मिलित किया गया था।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुझे मालूम है कि कब घोषित किया गया था। मान्यवर, मेरा आरोप है कि कमीशन लेकर के जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि वे इस गड़बड़ी को रोकें। मान्यवर, प्रदेश में 14 जिले ऐसे हैं, जिनको विकास के कार्यों के लिये पैसा रिलीज नहीं हुआ है। जबकि उसका वही एक फन्ड है वहीं एक कोष है, अब प्रश्न उपस्थित होता है कि 14 जिलों को क्यों नहीं किया गया और जिलों को क्यों किया गया है? आप चाहेंगे तो मैं इसकी सूची आपको उपलब्ध कर दूंगा। आप इसे देख लें सारी गड़बड़ी स्पष्ट हो जायेगी। मेरा आरोप है कि बड़े-बड़े विभाग के लोग कमीशन लेते हैं तब ही किसी जिले के विकास के कार्य के लिये पैसा बांटा जाता है, वरना नहीं बांटते हैं। अब मैं स्थानीय निकायों के बारे में कहना चाहूंगा कि इन चुनावों को कब तक स्थगित किया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक बात माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं। इस सरकार में यह बात का निश्चय हो गया है कि न कोई कमीशन लेने वाला रहेगा और न देने वाला रहेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे भाषण के बाद, अपने भाषण में इस तरह की घोषणायें करें। मैं उनको उसके लिये धन्यवाद भी दूंगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों के चुनाव को स्थगित करके लोकतंत्र पर गहरी चोट की गई है। सरकार बदलती रहती है, लेकिन उसकी नीतियां चलती रहती हैं। जब एक ही दल की सरकार है, माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने घोषणा की थी कि 31 दिसम्बर, 1985 को स्थानीय निकायों के चुनाव करा दिये जायेंगे। सरकार की एक नीति थी, लेकिन जब वर्तमान मुख्य मंत्री आये तो उन्होंने स्थानीय निकायों के चुनावों को रद्द कर दिया एक साल के लिए और कोआपरेटिव के चुनावों को भी 6 महीने के लिए रद्द कर दिया जबकि कोआपरेटिव के चुनाव कहीं-कहीं पर हो चुके थे और कहीं पर चुनाव हो रहे थे, उन्हें तब रद्द कर दिया गया। स्थानीय निकायों का चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है, वहीं से जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के और देश स्तर के राजनैतिक व्यक्तित्व उभर कर आते हैं, लेकिन आपने उन पर रोक लगा दी। लोकतंत्र की जड़ को कमजोर करने का आपने प्रयास किया। आपका यह कहना कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, गलत है। आज लोकतंत्र बिलकुल कमजोर हो गया है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जब वह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना उत्तर दें उस समय यह घोषणा कर दें कि हम कल ही स्थानीय निकायों के चुनाव करा देंगे। यदि उससे ज्यादा जल्दी उन्हें चुनाव कराने हैं, तो आज ही उसकी घोषणा कर दें।

मान्यवर, पंचायतों के चुनावों को न हुए आधे से ज्यादा समय हो चुका है। 1982 में चुनाव हुए थे और आज 1986 लग चुका है। एक साल शेष रह गया है लेकिन जिला परिषदों का गठन नहीं किया गया है। इससे ज्यादा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? आप हम पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जो उधर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को झकझोर दिया है। मान्यवर, इस प्रदेश का जो उच्च सदन है, उसकी आज तक 48 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जिस विधान परिषद् के महामना मदन मोहन मालवीय और पंडित मोती लाल जी जैसे व्यक्तित्व वाले सदस्य रहे हैं, उसे आज आप लोगों ने पंगु बना दिया है। इसलिए मेरा आरोप है कि आप लोग लोकतंत्र की नींव को कमजोर किये जा रहे हो लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं पर भी इस बात पर टिप्पणी नहीं की है।

मान्यवर, मैं अब किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। आज सारे धंधे मुनाफे के हैं, लेकिन किसानों का ही एक ऐसा धंधा है जो घाटे का है। गन्ने के मामले को लेकर आज पूरे प्रदेश में सरकार किसान को लूट रही है। मान्यवर, 82 प्रतिशत लोग गांवों के रहने वाले हैं और वे सभी लोग खेती पर निर्भर हैं। सरकार में बैठने वाले लोग भी इस बात को जानते हैं कि किसानों का

किस प्रकार शाषण किया जा रहा है, इसके बावजूद भी सरकार पर दबाव डाल-कर किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं दिला पा रहे हैं। गूंगे बने हुए हैं। कृषि मंत्री भी गांव के रहने वाले हैं। धान की कीमत 142 रुपए क्वि0 निर्धारित की गई और कृषि मंत्री जी ने भी यह एलान कर दिया कि सारा का सारा धान खरीद लिया गया है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपके यहां कितने लोगों को 142 रुपए प्रति क्वि0 के हिसाब से धान की कीमत मिली है ?

मान्यवर, भारत में किसानों की जितनी उपेक्षा होती है, उसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी स्वीकार किया है। दिनांक 15 जनवरी, 1986 को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने कृषि मूल्य आयोग पर व्यंग्य करते हुए कहा था–

(3 बजकर 20 मिनट)

"किसान को उनकी लागत से 2 रु0 अधिक प्रति क्वि0 कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। इसमें बीज, रासायनिक खाद, पानी और मजदूरी शामिल होती है, लेकिन इसमें हल और बैल का मेहनताना नहीं होता। क्या बैलों को खिलाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता? शायद आयोग को यह मालूम है कि किसान अपने घर में नहीं किसी होटल या रेस्तरां में मुफ्त खाना खाने जाता है।"

यह बात मेरी नहीं है, मुलायम सिंह यादव की नहीं है, लोक दल की नहीं है, बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की है। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारे सामने बैठे हुए अधिकांश माननीय सदस्य, जो गांव से सम्बन्धित हैं, सब कुछ जानते हुए भी अपनी सरकार पर इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं, कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले।

यहां मैं चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष डा0 राम इकबाल सिंह और सहायक प्रोफेसर डा0 ओम प्रकाश द्वारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की लागत पर किये गये शोध को माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा। इसमें दिखाया गया है कि धान का लागत मूल्य आता है 179.78 रु0 प्रति क्वि0 जब कि सरकार ने तय किया है 142 रु0 प्रति क्वि0, गेहूं का लागत मूल्य आता है 237.66 रु0 प्रति क्वि0 जबकि सरकार ने निर्धारित किया है 162 रु0 प्रति क्वि0। इसी प्रकार गन्ने का लागत मूल्य आता है 29.12 रु0 प्रति क्वि0 जिसे कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 23 रु0 से 24 रु0 प्रति क्वि0। ये आंकड़े वर्ष 1983-84 के हैं, जबकि आज की कीमत पर लागत मूल्य और भी बढ़ गया होगा। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि पहले से ही लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। इस तरह किसानों की लूट हो रही है। धान की कहीं भी 100 रु0 या 110 रु0 से ज्यादा कीमत किसी भी किसान को नहीं मिल रही है। इस प्रकार धान की लूट हुई और गन्ने के किसानों की लूट के सम्बन्ध में जो कुछ माननीय राम सरन जी ने कहा उसे दोहराना नहीं चाहता। गन्ने के वजन में हेराफेरी, वजन करायी के अनाप-सनाप चार्जेज, निर्धारित मूल्य से कम दाम पर गन्ने को खरीदना और खरीदने पर भी गन्ने का मूल्य किसान को पूरी तरह न मिल पाना आदि ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से किसान मिल मालिकों और

सरकार के चंगुल में पूरी तरह फंस गया है। फैक्टरियां हैं 26 सहकारी मिलों सहित 99 पेराई की मिलें हैं, जो पूंजीपतियों की हैं। यह दोनों मिलकर गन्ना किसान को चूस रही हैं। कोई चीनी मिल नहीं चला रहा है, त्राहि-त्राहि मची हुई है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है।

इसी तरह से आलू की दुर्गति है। आलू भण्डारण की क्षमता में अत्यधिक कमी के कारण किसान का आलू या तो सड़ जाता है या उसे बिल्कुल सस्ती कीमतों पर बेचना पड़ जाता है। आज लाखों टन आलू कोल्ड स्टोरेज के सामने पड़ा हुआ है।

सेव के किसानों की भी यही हालत है। हल्द्वानी से लेकर गंगोत्री यमुनोत्री तक की पहाड़ियों में कुल्लू में अच्छा सेब पैदा होता है, लेकिन भण्डारण की क्षमता आज नहीं है। बम्बई और मद्रास के व्यापारी अग्रिम धनराशि देकर सस्ते दामों पर उनसे सेब खरीद लेते हैं, यही कारण है कि आज दक्षिण में सेब सस्ता है और उत्तर प्रदेश में महंगा है। यदि भण्डारण की उचित व्यवस्था होती तो खाने वालों के लिये भी सुविधा थी और उगाने वालों के लिये भी सुविधा थी। यह सरकार किसान विरोधी है, जन-विरोधी है और पूंजीपतियों की हमदर्द सरकार है। यह सरकार पूंजीपतियों की हमदर्द कैसे है? इसके लिये मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक कारपोरेशन है उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन लि0, जिसकी सीमेण्ट बनाने की दो इकाइयां हैं–एक चूर्क दूसरी है डाला। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट है जो है तो वर्ष 1982-83 की लेकिन प्रकाशित हुई है वर्ष 1985 में। उसमें चुर्क और डाला सीमेण्ट फैक्टरियों में वर्ष 1980-81, 81-82, व 82-83 में सीमेण्ट के लागत मूल्य को दर्शाया गया है, वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। रिपोर्ट के अनुसार बेचने के लिये पैक किये गये सीमेण्ट की कीमत प्रति टन इस प्रकार है:–

| | | |
|---|---|---|
| | चुर्क सीमेन्ट | |
| वर्ष | 1980–81 | 345.91 रुपये |
| वर्ष | 1981–82 | 367.97 रुपये |
| वर्ष | 1982–83 | 438.97 रुपये |
| | डाला सीमेन्ट | |
| वर्ष | 1980–81 | 332.87 रुपये |
| वर्ष | 1981–82 | 362.80 रुपए |
| वर्ष | 1982–83 | 525.85 रुपए |

इसका अर्थ यह हुआ कि चुर्क सीमेण्ट की एक बोरी की कीमत वर्ष 1980-81, 81-82, 82-83 में क्रमशः 17.30, 18.35 और 21.95 रुपया थी जबकि डाला की इन्हीं वर्षों में क्रमशः 16.61 18.14 और 25.30 थी।

सरकार ने 21 रु0 की बोरी की लेवी में 52 रुपए से 56 रु0 तक खुले बाजार में 72 रु0 से 75 रु0 तक बिकवाया है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि किसान की फ़सल की लागत की कीमत भी आप नहीं दे सके। पूंजीपतियों का उत्पादन लागत से 300 प्रतिशत तक ज्यादा दामों पर माल बिका है, यह है नियत इस सरकार की। मैं कहना चाहता हूं कि यह पूंजीपतियों की सरकार किसान विरोधी है, जन विरोधी है। वर्ष 1967 में गेहूं 150 रु0 प्रति क्विन्टल बिक रहा था और सीमेण्ट की बोरी 11 रु0 की। गेहूं रेंगकर 162 रु0 प्रति क्विन्टल तक पहुंचा और सीमेण्ट 11 रुपये से बढ़कर 70 रु0 तक पहुंच गयी। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम करने वाली सरकार है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 यहां आया। उसके संबंध में बयान न देना, अपने उत्तरदायित्व को न निभाना होगा। संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार अध्यादेश अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जारी किये जाने चाहिये। सरकार को जब यह मालुम था कि 6 फरवरी से विधान मण्डल का अधिवेशन प्रारम्भ होने जा रहा है तब 15 जनवरी, 1986 को इस अध्यादेश को जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। सरकार की यह प्रवृत्ति विधान मण्डल के सम्मान को तो कम करती ही है साथ ही उसकी निरंकुशता को भी प्रदर्शित करती है। दुनिया के किसी भी देश में जहां संसदीय शासन प्रणाली है, विधान मण्डल की इस तरह कभी भी उपेक्षा नहीं की जाती है। यह लोकतंत्रीय देश में संसदीय प्रणाली का मखौल उड़ाया गया है, जिस तरह से यह अध्यादेश लाया गया है, इस तरह के उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे जैसे कि आप काम कर रहे हैं।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गिरोहबन्द और समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिये और कानून की व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिये कहा है। लेकिन उन्होंने कहीं यह नहीं कहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। समस्या यह है कि जब कानूनों का प्रयोग करने वाले अक्षम हैं, आप कानून को जब लागू नहीं कर सके तो कोई न कोई बहाना बना करके अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये, अपनी बेवकूफी को छिपाने के लिये, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये, ऐसे काम करते हैं। गुण्डे और ठेकेदार जबरदस्ती कर रहे हैं बन्दूक की नोक पर काम करा रहे हैं जब इसके लिये कानून बने हैं तो फिर इस अध्यादेश को लाने की जरूरत नहीं थी। इससे होगा यह कि सत्ता पक्ष के लोग अपने विरोधियों को इसके जरिये परेशान करेंगे। दूसरे जो बड़ा अधिकारी है और अगर अपने कर्मचारियों से वह नाराज है तो वह भी उनके विरुद्ध इसका इस्तेमाल करेगा, यह आशंका है। अभी रास्ता रोको आन्दोलन में यह किया गया और कानपुर में चल रही हड़ताल में इसका इस्तेमाल किया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी आप जरा ध्यान दें कि नौकरशाही उस आग की चिनगारी के समान है कि यदि इस पर आपका नियंत्रण है तो यह आपको प्रकाश देगी अन्यथा यह आपको ही जला कर राख कर देगी। दूसरे अगर आपका अध्यादेश जारी करने का इरादा सही है, तो मेरा आरोप है कि काले धन की कमी नहीं है। मान्यवर, मैनपुरी में कांग्रेस के लोगों के द्वारा फर्जी नोटों की छपाई हो रही है। यह पांच पांच रुपये के नोट लाखों की संख्या में छापे जा रहे हैं।

(पांच-पांच के नोट दिखाते हुये)

मान्यवर, तो यह स्थिति है। मान्यवर, 5 रुपये के नोट तो छापे ही जा रहे हैं

इसके अलावा 100 और 10 रुपये के भी नोट भारी संख्या में छापे जा रहे हैं।

श्री गौरी शंकर–

इनमें कहां पर लिखा है कि इनको कांग्रेस के लोगों द्वारा छपवाया जा रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में नकली नोट छापने का काम बहुत जोरों से चल रहा है। पहले से खराब अर्थ व्यवस्था को और ज्यादा खराब बना रहा है। मैं इस सम्मानित सदन के सामने एक ही नम्बर के पांच-पांच के दो नकली नोट प्रस्तुत कर रहा हूं। दोनों का नम्बर है 82 डब्लू 3462701 यह भी पता चला है कि यह गिरोह पांच पांच और 100-100 के नोट छापता है। यह काम मुख्यमंत्री जी का है कि वह देखें कि यह किस प्रेस के हैं। आप उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें, उनको गिरफ्तार करवायें और उनको जेल भेजें। फर्जी नोट छापे जा रहे हैं और आप उनकी वकालत करते हैं। मेरा आरोप है कि अगर आप सही माने में अध्यादेश लागू करना चाहते हैं, तो इस कानून के तहत जाली नोट छापने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कीजिये। आप डी0एम0 और एस0पी0 से पूछिये। दुकानदार परेशान हैं, सौदा लेने वाले परेशान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डी0 एम0 और एस0 पी0 ने कार्यवाही क्यों नहीं की है? उनको सूचना दे दी गयी है तो उन्होंने सूचना आपको क्यों नहीं दी? और कार्यवाही क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी के कुछ लोगों का हाथ है। अगर आप नाम जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। आपने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी अपराधियों से सांठ गांठ रखेगा, उसके विरुद्ध इस अध्यादेश के तहत कार्यवाही की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक आपने कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की है? आपने 4 पुलिस अधीक्षकों सहित 715 पुलिसजनों को इस अध्यादेश के तहत दूर दूर ट्रान्सफर कर दिया है। अगर उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है तो आपने उनका स्थानान्तरण कर दिया है, यह मेरा आरोप है, आपको उन्हें जेल भेजना चाहिये था। इसका मतलब क्या है, हम लोगों के सिर पर तलवार लटक रही है।

मान्यवर, हरिद्वार में एक इंजीनियर और उसके पुत्र को अपराधी ठेकेदारों की साजिश से मार दिया गया। उस अभियन्ता की पत्नी ने अपनी आत्म हत्या कर ली। क्या आपने उन ठेकेदारों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही इस कानून के तहत की है? मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब आप अपना भाषण दें तो इस हरिद्वार की घटना के बारे में जरूर बतायें और यह भी बतायें कि क्या उन ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? उनको संरक्षण कौन दे रहा है? क्या उनके विरुद्ध इस अध्यादेश का प्रयोग किया गया है? मेरा आरोप है कि इस अध्यादेश का जिन लोगों पर प्रयोग होना चाहिये उन पर नहीं हो रहा है और निर्दोष लोगों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। आप बारबार कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इतिहास बताता है, कि मीसा और रासुका का दुरुपयोग हुआ है और इस अध्यादेश का भी दुरुपयोग होगा।

मान्यवर, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं, मुझे मेरे एक मित्र ने कहा कि सुना दें–

"आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं।
सामान सौ बरस का पल की खबर नहीं।।"

आपको बहुत दिनों तक कोई रहने नहीं देगा। इस अध्यादेश को वापिस ले लीजिए,

नहीं तो एक दिन आयेगा और यह अध्यादेश आपके गले की हड्डी बनेगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस अध्यादेश को वापिस लेना चाहिए । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रदूषण के बारे में . . .

श्री हरदेव –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष –

आप बैठ जाइए ।

श्री हरदेव –

मान्यवर, मेरी बात सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष –

आप बैठिए ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरदेव –

[ * * * ]

श्री उपाध्यक्ष –

हरदेव जी जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव –

मान्यवर, आज प्रदूषण की उपेक्षा हो रही है जिस तरह से बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने उपेक्षा की है, उसी तरह से जो आपका बोर्ड बना हुआ है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वह भी उपेक्षा कर रहा है और पूरी तरह से प्रदूषण को रोकने में असफल है । इसके निकम्मेपन का एक उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं । छठवीं पंचवर्षीय योजना में जल प्रदूषण के नियंत्रण पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया और वायु प्रदूषण रोकने पर छठी योजना में एक करोड़ पच्चहत्तर लाख रुपया खर्च किया गया । जो केवल कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह आदि पर होने वाला खर्च था, लेकिन जल प्रदूषण के नियंत्रण पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा जब गंगा को साफ करने की घोषणा की गयी तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1985-86 के लिए एक करोड़ नब्बे लाख रुपया प्रदूषण नियंत्रण के लिए और 2 करोड़ नब्बे लाख रुपया पर्यावरण कार्य के लिए सुनिश्चित किया है जब प्रधान मंत्री गंगा साफ करने की घोषणा की । प्रदूषण की उपेक्षा जो आज हो रही है वह आपराधिक लापरवाही से किसी तरह कम नहीं है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि कानपुर पूरे हिन्दुस्तान का गंदा शहर बन गया है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है । इस नगर में दो बार गैस रिसाव हो चुका है । लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। क्या सरकार इंतज़ार में बैठी है कि दूसरा भोपाल गैस कांड हो जाय? अभी दिल्ली में गैस रिसाव हो गया तो केवल कारखाना ही बन्द नहीं हुआ बल्कि कारखाने के चलाने वाले प्रबन्धकों को भी हथकड़ी डालकर जेल भेजा गया । आज कानपुर में क्या हो रहा है ? कानपुर सबसे ज्यादा गन्दा शहर हो रहा है । कानपुर के उद्योगपति जानते हैं कि अधिकारियों की जो कीमत है वह चुका दी जायेगी, और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । कानपुर में सैकड़ों कारखाने ऐसे हैं, जो प्रतिदिन गंगा में हजारों टन गन्दगी पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निकम्मेपन का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि इन कारखानों में से किसी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं किया है सिर्फ एक आध को छोड़कर । किसी भी कारखाने ने जो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट नहीं लिया है और घनी बस्ती में कारखाने लगे हुए हैं । इसका नतीजा यह होता है कि सबसे ज्यादा गगा का पानी गन्दा होता है कान-

नोट :–[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पुर में, इलाहाबाद में और बनारस में। जहां पर हजारों मनुष्य की लाशें बहायी जाती हैं, जानवर बहाये जाते हैं, और लाखों टन गंदगी बहायी जाती है और यह सारी गन्दगी वहां पर पहुंची है, जिसकी 75 प्रतिशत अकेले कानपुर में ही रह जाती है। मान्यवर, आज प्रधान मंत्री ने गंगा मैया को साफ करने का एलान किया है, लेकिन यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो एक नहीं 100 राजीव गांधी भी गंगा मैया को साफ नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, अब मैं आपके सामने सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति के बारे में जो प्रोपोगेंडा हो रहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इसके बारे में बड़ी बहस और चर्चा हो रही है आज देश के सामने। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि जब देश भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबने लगता है तब सरकार जनता के सामने नये-नये नारे लगाती है। गरीबी हटाओ के नारे लगाये जाते हैं। अभी पिछले दिनों सरकार ने जनता को इसी तरह से दो झुनझुने थमा दिये और कहा "नई शिक्षा नीति" और "21वीं शदी का भारत"। इस पर आजकल चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। लेकिन इस बहस और चर्चा से ज्यादा प्रोपेगैंडा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा नीति की चर्चा चल रही है, जो केन्द्र के शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज आया है उसमें शिक्षा की बुराइयों के सम्बन्ध में तो जिक्र किया गया है लेकिन उसको सुधारने के बारे में कोई जिक्र नहीं है जो मैंने अपने स्तर से देखा, सुना और जानकारी प्राप्त की है।

मान्यवर, भारत के संविधान के तहत राज्यों के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 10 वर्ष के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है लेकिन जो आज नई शिक्षा और माडल स्कूलों की चर्चा चल रही है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजूकेशन की क्या स्थिति है? 21वीं शदी में देश को आप कहां ले जायेंगे? वर्ष 1984-85 में 6 साल से 11 साल तक के कुल बच्चों की संख्या यहां पर 1,56,39,000 है, और प्रवेश प्राप्त बच्चों की कुल संख्या 1,17,07,000 है। इसी प्रकार इसी 1984-85 के वर्ष में 11 से 14 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या 58,91,000 है जिसमें प्रवेश प्राप्त बच्चों की कुल संख्या 36,78,000 है। इस प्रकार वर्ष 84-85 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो स्कूलों में प्रवेश से वंचित रह गये उनकी संख्या है 61,45,000 जो कि सरकार आजादी के 39 साल के बाद भी प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था नहीं कर सकी है और आप नई शिक्षा नीति की चर्चा कर रहे हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसमें भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में 6 से 11 वर्ष की आयु के 74 प्रतिशत बच्चे प्रवेश लेते हैं। 11 से 14 वर्ष तक उनका प्रतिशत घटकर 42 और 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग में केवल 23 प्रतिशत ही रह जाता है जो उच्च शिक्षा में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1984-85 में कुल प्राइमरी स्कूलों की संख्या 72,871 थी जिसमें 18,832 स्कूलों के पास अपना कोई भवन नहीं है।

आज बच्चे खुले आकाश के तले पेड़ों की छाया में पढ़ रहे हैं। गांव के 65,716 प्राइमरी स्कूलों के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों को वर्षा-काल में इसलिए बंद कर

दिया जाता है क्योंकि वर्षा से छतों के गिरने से अबोध बच्चों की मौत न हो जाय इसलिए इन 50 प्रतिशत स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे नहीं जाते हैं । 25 प्रतिशत स्कूलों में एक ही अध्यापक है जो दर्जा एक से लेकर दर्जा पांच तक के सभी छात्रों को सभी विषयों में सरकार के नजरिये के अनुसार पारंगत बना देता है । आधे से ज्यादा स्कूलों में पक्की इमारत नहीं है और बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है । 48 प्रतिशत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है । 90 प्रतिशत स्कूलों में कोई खेल का सामान नहीं है, 95 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की कोई किताब नहीं है। तो जिस प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा की यह स्थिति हो, वहां कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से बच्चों को आयात करना पड़ेगा तो कोई आश्चर्य नहीं ।

सरकार की घोषणा के अनुसार 1·5 कि0मी0 पर एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लक्ष्य के अनुसार 8 हजार प्राइमरी स्कूलों की जरूरत है और लगभग 19 हजार विद्यालयों की पहले से इमारत नहीं है। नये स्कूल खोलने की जो रफ्तार है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1983-84 में 317 और 1984-85 में 443 प्राइमरी स्कूल खोले गये, जो आपका उद्देश्य है, और आप कहते हैं कि 1990 तक सारे लोगों को शिक्षित कर देंगे लेकिन तब तक कम से कम 20 लाख नये बच्चे प्रवेश के लिए और तैयार हो जायेंगे, जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है । आप बात करते हैं नयी शिक्षा नीति की । उसमें तो केवल दो बातें हैं एक तो यह कि जिला स्तर पर माडल स्कूल खुलेंगे, दूसरा फीस में बढ़ोत्री होगी यानी महंगी शिक्षा होगी। माडल स्कूल की जो योजना है, उसमें हर जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में एक-एक माडल स्कूल खोला जायेगा । माडल स्कूल में गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा सकता है, गरीब आदमी उसमें अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। पब्लिक स्कूल पहले से ही महात्मा गांधी की गांधी वादी नीतियों की लाश पर चल रहे हैं । फिर आप दून स्कूल के पैटर्न पर इन स्कूलों को खोलने जा रहे हैं । यह माडल स्कूल खोल कर आप सामाजिक गैर-बराबरी बढ़ाने के लिए नयी योजना बना रहे हैं । इस प्रस्तावित शिक्षा नीति का इससे भी ज्यादा खतरनाक और सरकार की क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक दूसरा पहलू है, महंगी शिक्षा हो जिससे गरीब बच्चे पढ़ न सकें । नीति निर्धारकों का यह मत है कि कम फीस होने के कारण छात्र समय काटने के लिए स्कूलों में पढ़ने जाते हैं । ज्यादा फीस होने पर छात्र यह सोचने पर मजबूर होगा कि उसे उच्चतर शिक्षा में जाना चाहिए या नहीं और इसलिए 80 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रतिमाह तक की फीस की व्यवस्था इसमें की गयी है । जब गरीबी के कारण 10 रुपया और 15 रु0 प्रति माह फीस गरीब नहीं दे सकता है तो आपकी इस उच्च शिक्षा की फीस को देने वाले लोग कितने होंगे । आप मानते हैं कि 51 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनकी आमदनी 120 रु0 से 150 रुपये प्रतिमाह है । तो 5 प्रतिशत लोग ही उच्च शिक्षा दे पायेंगे और 95 प्रतिशत लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं होगा ।

विश्व बैंक की यह धारणा है कि निकट भविष्य में भारत में 15 से 19 वर्ष के निरक्षर युवकों की संख्या विश्व के कुल निरक्षर युवकों का 55 प्रतिशत हो जायेगी यानी दुनिया का हर दूसरा निरक्षर युवक भारतीय होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्राइमरी स्कूलों तक की व्यवस्था न कर सकने वाला और उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत बच्चों को भी न भेज सकने वाला राज्य दूसरी तरफ टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा देने की बात कर रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ में 3000 डायरेक्ट रिसीविंग टेलीविजन सैट लगा रही है। ऐसे एक टी0 वी0 सैट की कीमत 30,000 रुपया है। आज प्राइमरी स्कूलों के भवन नहीं हैं इतने धन से इन जिलों में लगभग 300 प्राइमरी स्कूलों की इमारतें बन सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप भवनों की व्यवस्था कीजिये टेलीविजन लगाना जरूरी नहीं है। खाने के लिए रोटी और कपड़ा लोगों को चाहिये।

मान्यवर, अब मैं कम्प्यूटर के संबंध में कहना चाहता हूं और एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। गांधी जी कहा करते थे "मेरा तो केवल एक ही एसिड टेस्ट है, किसी बात के सही या गलत होने का और वह यह है कि इससे दरिद्र नारायण का बुरा होगा या भला।" गरीबों को आपकी योजना से भला होगा इस पर हमारा जोर है। आज भारत के दरिद्र नारायण को चाहिए दो जून रोटी, पीने के लिए साफ पानी, इलाज के लिए सुविधा और शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध। यह आज हमारी आवश्यकता है। भौतिक मानसिक दासता से देश और समाज को मुक्ति दिलाने के लिए करोड़ों दरिद्रों को स्वावलम्बी बनाने के लिए काम चाहिए और टी0 वी0 नहीं चाहिए। मान्यवर, कम्प्यूटर की आज हालत है कि जिस प्रकार अंग्रेजी जानने वालों का पहले रोब था वही रोब अब कम्प्यूटर की भाषा जानने वालों का होने जा रहा है। इसलिए यह अंग्रेजी जानने वाले आप पर छींटाकशी करते हैं और आप उनको बढ़ावा देते हैं। यह अंग्रेजी जानने वाले लोग मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी को कहते हैं कि 'मुख्य मंत्री काहों' कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह शब्द क्यों बुरा है। हम सभी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं। इसलिए यदि इनको बढ़ावा मिलेगा तो उत्तर प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं होगा।

मान्यवर, मातृ भाषा में प्राइमरी शिक्षा, राष्ट्र भाषा में संचार और रोजगार परक लघु और कुटीर उद्योगों को तरजीह दी गई थी लेकिन आज आजादी के 39 सालों बाद भी पीने के पानी का इन्तजाम न हो, शिक्षा का अभाव हो और वह कम्प्यूटर शिक्षा की बात करें, अर्थ व्यवस्था में अंधा-धुन्ध कम्प्यूटरीकरण करना प्रारम्भ करें तो देश कहां जायेगा, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है अन्यथा देश में गम्भीर समस्या बेकारी की हो जायेगी जिसके संबंध में कहना चाहता हूं कि कम्प्यूटरीकरण से बेरोजगारी किस तरह बढ़ रही है और भविष्य में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी, इस बारे में एंटी-आटोमेशन कमेटी के विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं :—

1—भारतीय रेलवे में 1974 में 18 लाख कर्मचारी कार्य करते थे। वर्ष 1984—85 में घटकर कर्मचारियों की संख्या 13 लाख रह गई और यह संख्या निकट भविष्य में घटकर 9 लाख आ सकती है।

2—डाक-तार विभाग में तीन लाख विभागेत्तर कर्मचारी और वर्षों से कार्यरत, एक लाख दैनिक मजदूरों को नियमित करने के स्थान पर जल्दी ही एक लाख पदों को समाप्त करने की योजना तैयार हो चुकी है।

3—चिट्ठी पत्री छांटने की स्वचालित मशीनें लगाए जाने के कारण रेलवे मेल सर्विस में 25 हजार मजदूर फालतू हो रहे हैं।

4—बैंक उद्योग में 500 करोड़ रुपए की लागत से शक्तिशाली कम्प्यूटर लगाए जाने की तैयारी है, जिससे प्रति वर्ष होने वाली 30 हजार नयी भर्तियां धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं और निकट भविष्य

में 40 हजार कर्मचारियों के फालतू हो जाने का भय है।

लेकिन सरकार दावा करती है कि कम्प्यूटरीकरण से कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी किन्तु इस संबंध में संसार की सबसे बड़ी कम्प्यूटर निर्माता कम्पनी आई0 बी0 एम0 कारपोरेशन के अध्यक्ष थोमस बी0 वाटसन का कहना है ।।।।

"हम ये बहस नहीं कर सकते कि तकनीकी परिवर्तन और स्वचालन श्रम की बचत नहीं करती, इससे कर्मचारी फालतू तो होते हैं । वस्तुतः श्रमिकों को फालतू और बेरोजगार बनाना कम्प्यूटरों की नीयत ही है ।" आप कहते हैं कि बेकारी नहीं फैलेगी, किन्तु यह जो संसार की सबसे बड़ी कम्पनी कम्प्यूटर बनाने वाली कम्पनी है, वह कहती है कि कम्प्यूटरों से बेकार करने की नीयत तो है ही। इन कम्प्यूटरों के कारण आज देश में भयंकर बेकारी की सम्भावना हो गई है। दूसरी तरफ इससे भयानक गलतियां होने वाली हैं। मैं उसके भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । इनके कारण तीन बार तो संसार में तृतीय विश्वयुद्ध होते-होते बचा है।

एक बार अमेरिका के प्रेसीडेन्ट ने मजाक में कहा कि रूस पर चढ़ाई करेंगे । अब अगर कम्प्यूटर उसको पकड़ लेता और उसके हिसाब से कार्यवाही हो जाती तो संसार की कितनी बड़ी क्षति हो जाती । अब मैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, गत वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा के जब परिणाम घोषित किए गए तो उसमें बिहार और मध्य प्रदेश का एक भी प्रत्याशी सफल नहीं घोषित किया गया। इस पर बिहार के कुछ तेज तर्रार नेताओं ने धमकी दी कि दुबारा इसका इम्तहान लेना चाहिए और एक प्रतियोगी ने तो आत्मदाह तक की धमकी दे दी । इसके परिणामस्वरूप नतीजे को पुनरीक्षित किया गया और उसमें बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के 232 प्रत्याशी सफल हो सके । इसी तरह की भयंकर गलती कम्प्यूटरों से पिछले साल हुई, यह हुआ प्रदेश में रेंजर के पदों को लेकर । प्रदेश में रेंजर के पदों की जगह निकलीं और उसके लिए 13 अक्टूबर, 85 को एक परीक्षा होनी थी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी इलाहाबाद पहुंच गए, क्योंकि उसमें स्थान का नाम नहीं लिखा था...

श्री गौरी शंकर—

यह गलती बताता भी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह गलती करता है और गलती छिपाता भी है । तो रेंजर के इम्तहान के लिए सारे लड़के इलाहाबाद पहुंच गए, बाद में वहां मालूम हुआ कि उनका वास्तव में सेन्टर लखनऊ है । तो यह सब कम्प्यूटर की गलती से हुआ । तो इस पर कई पीड़ित लड़कों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जिससे उनका दुबारा इम्तहान हुआ। इसी तरह की तीसरी बात कम्प्यूटरों ने गलती की । मैं कानपुर विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं । इसके कारण से कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा में परीक्षाफलों में नम्बरों में हेर-फेर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल परीक्षा में नम्बरों का हेर-फेर भी साबित हो चुका है । अब मैं इस संबंध में महाराष्ट्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां लोक सेवा आयोग ने जब परीक्षा के लिए आए बहुत सारे आवेदक पत्र रद्द कर दिए, तो उस पर परीक्षार्थियों को आशंका हुई । बाद में मालूम हुआ कि मराठी भाषा में जितने फार्म भरे गए थे, उनको कम्प्यूटर ने रद्द कर दिया था । इस गलती के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया और दुबारा परीक्षा हुई । अब मैं एक बानगी बस्ती जिले के हरिजन

श्री राम पलट के बिजली के बिल का देना चाहता हूं, उस बेचारे का बिजली का खर्च आया है 1 लाख 20 हजार रुपया। जबकि उसके घर में केवल 3 बल्ब लगे हुए हैं और यह दो महीने का बिल है।

तो मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो इम्तहान हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के हुए, उसमें सफल लड़कों को भी असफल कर दिया गया। इस सबका दुष्परिणाम यह होगा कि यह भ्रष्टाचार को छिपाता है। हम सब जानते हैं और आपको भी मान्यवर, पता चला होगा कि कई जगह कम्प्यूटरों से मिलकर अधिकारियों ने बेईमानी की है और बाद में अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वह कम्प्यूटरों की गलती बताकर बच निकले हैं। इसके कारण से भ्रष्टाचारियों को, पकड़े जाने पर भी सजा नहीं दी जा सकेगी। इससे देश और प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और अधिक फैल जाएगा। अगली दुनिया के देशों का यह देश पिछलग्गू बन जाएगा। किन्तु आपको तो पश्चिमी विकसित देशों के छिछले कार्यों की बराबरी करने की आदत पड़ गई है। इसलिए आप अपने नेता से कहिए कि यह कम्प्यूटर योजना बन्द की जाए, इससे देश में भयंकर स्थिति पैदा होगी। इसके साथ ही कम्प्यूटर संवेदनशील नहीं होता है।

मनुष्य कोई निर्णय लेता है तो अपने विवेक से लेता है। मनुष्य अपने स्वभाव से निर्णय लेता है और वह यह सोचता है कि यह निर्णय लेने से क्या दुष्परिणाम हो सकता है। संवेदनशील होने के नाते मनुष्य देश, समाज और जनता को देखकर निर्णय लेता है। कम्प्यूटर संवेदनहीन है, पत्थर दिल है इसलिये उनके प्रयोग से धीरे-धीरे मानवीय संवेदना नष्ट होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इससे भयंकर बेरोजगारी और भयंकर भ्रष्टाचार प्रकट होगा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं 21वीं सदी में देश को ले जाने के संबंध में। एक सुनियोजित प्रचार चल रहा है कि हमारे प्रधान मंत्री 21वीं सदी में देश को ले जाना चाहते हैं। तो इस वक्त तीन सवाल उठते हैं। पहला सवाल है कि 21वीं सदी में पहुंचने की बात दुनिया के किसी और देश में चल रही है? दूसरा सवाल है कि क्या 21वीं सदी में पहुंचने से देश को रोका जा सकता है? तीसरा सवाल है कि 21वीं सदी में पहुंचने वाले भारत की स्थिति क्या होगी? तो यह तीन सवाल हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं और मेरी जानकारी में है कि जहां तक पहले सवाल का संबंध है तो दुनिया के किसी देश का प्रधान मंत्री या कोई भी राजनेता ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रचार नहीं कर रहा है देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए। हिन्दुस्तान में ही यह चर्चा है और हमारे देश के प्रधान मंत्री यह चर्चा चला रहे हैं। आज यह लग रहा है कि दुनिया के किसी देश को समृद्धशाली बनने की चिन्ता नहीं है सिवाय इस देश के।

श्री लाल प्रताप सिंह–

21वीं सदी का मतलब है माडर्नाइजेशन।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप मतलब बाद में बता दीजिएगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत को छोड़कर कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं हो रही है। क्या भारत को छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे देश को समृद्धशाली बनने की चिन्ता नहीं है। दूसरा सवाल है कि क्या देश को 21वीं सदी में जाने से रोका जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप के प्रधान मंत्री राजीव गांधी और पूरे देश की कांग्रेस पार्टी और मंत्री और माननीय नेता सदन पूरी ताकत लगा लें तब भी देश को 21वीं सदी में जाने से रोक नहीं सकते हैं तो फिर इस चर्चा का क्या मतलब है। अभी से ऐसी चर्चा क्यों

की जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि अकेले माननीय राजीव गांधी इसका श्रेय लेना चाहते हैं तो उनको इसका श्रेय दिया जा सकता है यदि वह 1986 के बाद देश को सीधा 2001 ई0 में पहुंचा दें । यदि ऐसा कर दें तो राजीव गांधी को श्रेय मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठकर इतना मदहोश हो जाते हैं कि प्रकृति के जो नियम हैं उनको भी रोकना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता । 21वीं सदी में जब भारत जायगा तो स्थिति क्या होगी यह मूल प्रश्न है । जब 21वीं सदी की भोर होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी की पहली भोर की पहली किरण 20 करोड़ बेरोजगारों की फौज के दर्शन करेगी । 20 करोड़ बेरोजगारों में साढ़े 3 करोड़ उत्तर प्रदेश के होंगे ।

एक सदस्य–

यह निराशावादी दृष्टिकोण है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह स्थिति तो तब होगी जब कम्प्यूटर से बेरोजगारी न बढ़ाई जाय । अगर कम्प्यूटर चालू होंगे तो 40 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे और उसमें से 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के बेरोजगार होंगे । यह स्थिति 21वीं सदी के पहले भोर की होगी। दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज 51 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनता गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है । योजना आयोग ने 1962 में 1960-61 के मूल्यों के आधार पर तय किया था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति माह जिसकी आमदनी होगी वह गरीबी की रेखा से नीचे होगा । 1979 में प्रकाशित योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1978-79 के मूल्य सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 78 रुपए प्रति माह, प्रति परिवार से कम और शहरी क्षेत्रों में 88 रुपया प्रति माह, प्रति परिवार से कम उपभोग करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे माने जायेंगे। आज की कीमत पर इसको 120 रुपया माना जा सकता है। अगर सही मानों में गरीबी की रेखा का फिर से निर्धारण हो तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में यह हाल होगा कि उत्तर प्रदेश की कम से कम 75 प्रतिशत जन-संख्या गरीबी की रेखा से नीचे होगी । इस गरीबी की वजह से सर्दी में ठिठुर-ठिठुर कर मरने वालों, गर्मियों में लू से झुलसकर मरने तथा वर्षा में मकानों के मलवे तथा बाढ़ में मरने वालों के समाचार हमेशा मिलते रहते हैं । वास्तविकता यह है कि इन सारी मौतों के पीछे भूख और गरीबी है, और 21 वीं सदी के आते-आते प्रदेश व देश के लोगों की जो स्थिति होगी उसमें आधे से ज्यादा लोग आधे पेट, नंगे बदन और फुटपाथों पर खुले आकाश के नीचे रहने वाली जनता के रूप में दिखायी देंगे और मान्यवर, यही नहीं उस समय भारत देश के लोग दूसरे देशों से भीख मांगते हुए दिखायी देंगे । क्योंकि जो आपकी नीतियां हैं, उन्हीं का यह परिणाम होगा ।

एक सदस्य--

बड़ा निराशावादी मामला है, क्या बैलगाड़ी वाला जमाना फिर से ले आएं?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आगे की एक और बात कहूंगा कि जो आज नई शिक्षा पद्धति चली है, उसके अन्दर नशे की गोलियां बच्चे खुले तौर पर खायेंगे, शराब पियेंगे तो इस तरह की देन यह दून पैटर्न पर हर जिले में खुलने वाले स्कूल हैं, इनके द्वारा हमारे बच्चे भौतिक दृष्टि से तो विपन्न होंगे साथ ही साथ नैतिक दृष्टि से विपन्न भी हो जायेंगे। दूसरे बहुराष्ट्रीय कम्प-

नियों के प्रयोजित कार्यक्रमों के द्वारा टेलीवीजन के माध्यम से आधुनिकता से जुड़े तमाम दोषों की पहुंच हर शालीन घर के बेडरूम तक हो चुकी है और इस प्रकार दस साल के बच्चे तक स्त्री-पुरुष के संबंधा की बातें जानने लगे हैं । इस प्रकार 21 वीं सदी आर्थिक और नैतिक विपन्नता में नयी शिक्षा नीति, कम्प्यूटर और 21 वीं सदी इन सबको मिलाकर एक समीकरण इस माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा। समीकरण है—कांग्रेस कल्चर प्लस कम्प्यूटर-21वीं सदी—बेरोजगारी।

(हंसी)

साथ ही मान्यवर, आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण न दिया जाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से यह बात बहुत प्रचारित की गयी कि मा0 मुख्य मंत्री जी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने प्रशासन में नहीं देखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने यहां पर यह किया और वहां पर वह किया । लेकिन बात मान्यवर, आज इसकी उल्टी है भ्रष्ट अधिकारी आज पूरी तरह से निरंकुश होकर इस प्रदेश को लूटने पर लगे हैं। अतरौली वाली घटना भी एक मासूम छात्र की हमारे सामने है, फतेहपुर का लीलावती काण्ड, यह एक ऐसी घटना है जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगी । इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ा और मुख्य मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहे हैं। इसी तरह अलीगढ़ और इसके आस-पास के जिलों में हत्यारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए जनता को जबरदस्त आन्दोलन करना पड़ा। जौनपुर के सुरेरी गांव में एक पूर्व प्रधान की पुलिस द्वारा अकारण पीटने और प्रधान के चाचा द्वारा पिटाई का कारण पूछने पर गोली से उड़ा देने की घटना पुलिस दल में पनप रही है। यह भी इसका एक उदाहरण है।

इसी तरह गाजीपुर में एक रिक्शा चालक का रिक्शा एक दरोगा की मोटर साइकिल से छू गया। रिक्शा चालक के इतने अपराध पर उस दरोगा द्वारा उस नौजवान रिक्शा चालक को पीट-पीट कर जान से मारा डाला गया। दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने वाली भीड़ पर गोली चलायी गयी और एक अन्य मासूम छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गयी। जो दरोगा इस घटना में दोषी है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार गुंडई करा रही है और उनको संरक्षण देने वाली यह सरकार है।

इसी के संदर्भ में मैं लोकदल के रास्ता रोको आन्दोलन के दौरान प्रशासनिक हस्तक्षेप और पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस बारे में विस्तार से हमारे माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे। मान्यवर, सभी सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि चौधरी शंकर सिंह जैसे सीधे, भले लोग बहुत कम होंगे। मान्यवर, उन्होंने रास्ता रोको आंदोलन में अहिंसक तरीका अपनाया, पुलिस जब उनको हटाने गयी, तो कार्यकर्ता एक दूसरे की कमर पकड़ कर बैठ गये। उसके बाद आपकी पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चलाई, अश्रु गैस भी छोड़ी। इसके बारे में मैं आपको एक बार टेलीफोन भी कर चुका हूं, लेकिन आपने आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। कल सदन में अशोभनीय घटना हुई। अगर आपने कोई आश्वासन दे दिया होता, तो सदन में अशोभनीय घटना न हुई होती।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि घिनौना काम हम लोग कर रहे हैं, मैं इसको बाद में बता दूंगा कि घिनौना काम करने वाले उस तरफ हैं या इधर हैं। जब 36 लोग हैं और उसमें 6 लोग घायल हैं, एक की जान झांसी मेडिकल कालेज में जाकर बची। इसकी आज तक सरकार को सूचना नहीं है। 36 लोग गिरफ्तार किये गये । उनके पास कितने चाकू, कितने कट्टे निकले? अगर चाकू-कट्टे नहीं निकले, तो निहत्थे लोगों पर आप लाठी तो चला सकते थे, लेकिन गोली चलाने का कौन सा अधिकार है? दूसरी घटना भोगनीपुर की मैं बताना चाहता हूं। एक तो यह कालपी के लोगों को वहां पर जेल में बन्द कर रखा है। मेरी मांग है कि उनको रिहा किया जाय। दूसरी भोगनीपुर में मौजी लाल कुरील जो इस सदन के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं, डाक्टर ने रिपोर्ट दी है कि वहां के इन्सपेक्टर, दरोगा, कांस्टेबिल ने मिल कर हवालात से निकाला और उनके गुप्तांगों पर चोटें पहुंचाई। पुलिस डाक्टरों को धमकी दे रही है कि आपने चोटें क्यों लिखी। लेकिन एक के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं की गयी। क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? इसके पहले भी मान्यवर, एक मंत्री के इशारे पर मौजी लाल जी को पिटवाया गया था, उस वक्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। अगर उस वक्त कार्यवाही की गयी होती, तो इसकी पुनरावृत्ति न होती। मान्यवर, जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित नहीं किया जायगा, तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता और तब तक यह जुल्म बन्द नहीं होगा। यह भ्रष्टाचार को पूरी की पूरी सरकार संरक्षण दे रही है। जिन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव कल पेश किया था, वह चले गये, उन्होंने कहा कि जनता ने सहयोग नहीं दिया। अगर जनता का सहयोग नहीं था, सी0 आई0 डी0, एल0 आई0 यू0 की रिपोर्ट नहीं आ गयी थी, तो आपने बसों का चलाना क्यों बन्द किया था? स्कूल, कालेजेज क्यों बन्द किये गये? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस आंदोलन के विरुद्ध पोस्टर क्यों चिपकाये ? जनता का

(4 बजकर 20 मिनट)

सहयोग नहीं था, तो आपने मंत्रियों को जिले बांट-बांट कर इस आन्दोलन को असफल बनाने के लिए क्यों भेजा? एम0एल0 ए0 क्यों भेजे? एम0 पी0 क्यों भेजे? इस आन्दोलन में मैं तीन लोगों की बात कहना चाहता हूं। गृह सचिव ऐसे लग रहे थे जैसे गृह सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष हों और कलेक्टर ऐसे लग रहे थे जैसे जिला कमेटी के अध्यक्ष हों, इसी तरह से टेलीविजन और रेडियो की बात थी टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भ्रमित किया गया । टेलीविजन पर बताया गया कि बाजार यथावत खुले, बैंक का काम रोज की तरह चला, सचिवालय सामान्य रूप से खुला। मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता को भ्रमित किया गया । रास्ता रोको आन्दोलन की मंशा यह थी कि सड़क पर वाहन रोके, इसका उद्देश्य किसी बाजार को बंद कराना नहीं था, किसी आफिस को बन्द कराना नहीं था । मान्यवर, प्रदेश के आधे से ज्यादा शहर बन्द रहे ।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इटावा जिले के कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष और इटावा से लोक सभा के सदस्य चौधरी रघुराज सिंह इटावा से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र 'दिन-रात' के प्रधान संपादक हैं। दिनांक 29 जनवरी, 1986 के दैनिक 'दिन-रात'

समाचार पत्र के सम्पादकीय के कुछ अंश इस प्रकार हैं :–

लोकदल द्वारा जनहित की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी रास्ता रोको आन्दोलन पूर्ण रूप से सफल रहा ।

(हंसी)

आप पूरा सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्त रखिये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, रास्ता रोको आन्दोलन पूर्ण रूप से सफल रहा । चूंकि आन्दोलन-कारियों का मुख्य उद्देश्य बसों, ट्रकों एवं अन्य वाहनों को सड़कों पर न चलने देने का था, ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यातायात जारी रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा न हो । आश्चर्य इस बात का है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि बसों का चलना बरकरार रहेगा दूसरी तरफ स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन ने रोडवेज बसों का परिचालन पूरे दिन के लिए बन्द करके आन्दोलनकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया । जब सरकार ने रोडवेज की बसों का परिचालन बंद कर दिया तो फिर अन्य वाहनों के चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कालेजों को बंद रखने के निर्देश दे दिये ताकि छात्र लोकदल के आन्दोलन में शामिल न हो सके । आन्दोलन को विफल बनाने के लिए प्रदेश के प्राय: सभी जिलों में निषेधाज्ञा जारी करके यह प्रचार कराया गया कि जो कोई रोड पर व्यव-धान उत्पन्न करेगा उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा नव घोषित गैंग-स्टर अध्यादेश के तहत कार्यवाही की जायेगी । इतना सब कुछ होने के बाद भी आन्दोलनकारी निर्भय होकर सैकड़ों की तादाद में एक होकर कई झुण्डों में सड़कों पर मार्च पास्ट करके वाहनों के पहियों की हवा निकालने के साथ-साथ बाजार बन्द कराते रहे । सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर दिखलायी नहीं दिये और न ही किसी ने आन्दोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया । इसलिये यह कहा जा सकता है कि लोकदल का रास्ता रोको आन्दोलन एक ऐतिहासिक आन्दोलन था । जो पूरी तरह सफल रहा ।

(व्यवधान)

इस तरह मान्यवर, मैं आपके सामने इतना कहना चाहता हूं कि जो जोरजुल्म और ज्यादती की गई है, उस पर अंकुश लगाया जाय और आन्दोलनकारियों के लिये इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल न किया जाय । अगर आन्दोलनकारियों पर घोड़े छुड़वायेंगे, उन्हें लाठी से पिटवायेंगे, उनके गुप्तांगों में डंडे डाले जायेंगे, मान्यवर, डी0 एम0 ने यह कहा था कि जो इस आन्दोलन में भाग लेगा उसके खिलाफ रासुका इस्तेमाल किया जायगा, यह आपकी पार्टी का अखबार है, आपके दल का अखबार है जो 5-6 जिलों में जाता है उसमें यह बात छपी है, आपके दल के प्रमुख नेता की रिपोर्ट है ।

मैं अन्त में महामहिम राज्यपाल महो-दय के धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में एक शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं, जो प्रदेश और देश दोनों के नेतृत्व पर लागू होती है :–

"ए राह रबो रहबर मंजिल को तो
देखो, मक्तल की तरफ राह बदलता
सा लगे है,
साकी की इनायत से जो जाम हाथ
लगा था कम जर्फ के हाथों में छलकता
सा लगे है।" इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

**श्री उपाध्यक्ष–**

परम्परा यह रही है कि दल के नेता और मंत्रियों के लिये 20 मिनट का समय और साधारण सदस्य के लिये 10 मिनट का समय दिया जाता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

हर बार 10 मिनट का समय निश्चित करते हैं लेकिन दूसरे दिन 2 मिनट कर देते हैं। मान्यवर, ऐसा समय निश्चित करें कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को मौका मिल सके।

**श्री उपाध्यक्ष–**

कम कर देंगे अभी 10 मिनट रहने दें।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूं कि आपने मुझे अवसर दिया सदन में अपने कुछ विचार रखने का । मैंने नेता विरोधी दल का शेर सुना, मैं शेर से तो नहीं लेकिन एक दोहे की पंक्ति से अपनी बात यहां रखूंगी–

"इह आश अटक्यों रह्यो अलि गुलाब के मूल,
अइह बहुरि बसन्त ऋतु इन डारिन वे फूल"

सारे परिपेक्ष्य में जनता का विश्वास अपने लिये उन्होंने संजो कर रखा है । लेकिन जनता का विश्वास इतना ही मिल पाता है कि सदन में उधर ही बैठते हैं, इधर बैठने का मौका नहीं पाते हैं । यह जनता के सहयोग और विश्वास का जीता जागता प्रमाण है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं ।

एक दूसरी चीज मैं मान्यवर, कहना चाहती हूं । मैंने माननीय नेता विरोधी दल को, बड़े विद्वान हैं, और विनोवा भावे के शब्दों में, "प्रत्येक मनुष्य को जो सीखने का इच्छुक है, वह हमेशा अपने को विद्यार्थी मानता है," मैंने भी एक विद्यार्थी की हैसियत से सुना । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मैंने नेता विरोधी दल को सुना, लेकिन सुनने में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उन्होंने क्या कहा ? उसको तो पंक्ति बहुत थोड़ी सी और ज्यादा 28 तारीख के किए गये आन्दोलन के बारे में कहा । मान्यवर, शायद एक अखबार ही उन्हें कहीं से मिल गया। अनेक अखबारों ने यह कहा कि रास्ता रोको आन्दोलन फीका रहा और न के बराबर रहा। मान्यवर, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं हमारे सम्मानित जो बुद्धिजीवी वर्ग के माननीय सदस्य हैं, मान्यवर, जब हम बोलते हैं, ईमानदारी की बात तो उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। जो लोग विपक्ष में बैठते हैं, वे जब बोलते हैं तो उनसे हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन जब हम कहते हैं उधर से आवाजें आने लगती हैं । हम चाहते हैं कि हम आपको सुनें और आप हमको सुनें । मान्यवर, उन्होंने रास्ता रोको आन्दोलन की बात कही। यह भी कहा कि आन्दोलन सफल हुआ । तो हम किसी को श्रीमान जी नहीं कहते हैं तो वे स्वयं अपने को श्रीमान जी कहने लगते हैं ।

मैं कहती हूं कि रास्ता रोको आन्दोलन के बारे में अपने दिल पर हाथ रखकर देखें तो स्वयं इस बात को कहेंगे कि यह आन्दोलन सफल नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ । यह सच्चाई जनता के सामने है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई दल के लोग दिखाई नहीं पड़े तो उनके कहने का क्या मतलब है । दो बातें हैं या तो वे हमें अनुशासित सिपाही

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

समझते हैं या डरपोक समझते हैं । हम डरपोक नहीं हैं, अनुशासित सिपाही हैं। जब इटावा की धरती पर जाते हैं तो चाहे जितने असलहे हों, हम सारे असलहों को फूल की तरह लांघते चले जाते हैं । आपने बहुत थोड़ा समय दिया, मैं उसका कुछ उपयोग करना चाहती हूं ।

मान्यवर, यह जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन के सामने है, मान्यवर, निश्चय ही उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है । और यह भी खुशी की बात है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी हैं, उन्होंने हिम्मत के साथ न केवल अपनी, अपनी जनता की, अधिकारियों की, विधायकों की और जन-प्रतिनिधियों की हिम्मत आफजाई की है, हर एक को मौका दिया है कि वह अच्छी तरह से काम करे । मान्यवर, अच्छी तरह से काम करना होता है तो काफी कुछ बातों की परिस्थितियों के अनुसार रोकथाम भी की जाती है । उसको कराना जरूरी है। कई बार बात उठती है कि आज के ये मुख्य मंत्री क्या करेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं । एक बाप और बेटा एक टट्टू लेकर चल रहे थे । मान्यवर, बाप टट्टू पर बैठा तो सब ने कहा कि बड़ा खराब बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है । जब बेटा टट्टू पर बैठा तो सबने कहा कि बड़ा बुरा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है। सबके कहने पर फिर दोनों उस टट्टू पर बैठ गये, तो सबने कहा कि दोनों बड़े मूर्ख हैं, टट्टू पर एक साथ बैठे हैं, टट्टू तो मर जायेगा । तो मान्यवर, चाहे जितना अच्छा काम करो जब कोई देखना ही नहीं चाहता या देख कर समझना ही नहीं चाहता तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है ।

मैं विपक्षी दल के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या में भी क्या अनाज की वर्षा नहीं हो रही है । क्या अनाज के भंडार बढ़े नहीं हैं। भूल गये वो दिन जब एक बार के अकाल में अमरीका के सामने हाथ फैलाना पड़ता था । क्योंकि उस वक्त हम अक्षम थे, इतना अन्न पैदा नहीं कर सकते थे। आज आप देखें, हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं। आज यदि कहीं देश या प्रदेश में अकाल आ भी गया तो आज हम इस स्थिति पर खड़े हुए हैं कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा अन्न के मामले में। मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रदेश में हुए प्रगति के संबंध में मैं इस सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि इस प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में एक नयी क्रांति की है। सारे भारत की बात नहीं कहती हूं, केवल प्रदेश की बात कहती हूं। आज अन्न उत्पादन की क्षमता प्राइवेट ट्यूबवेल्स, रहट आदि के माध्यम से भी बढ़ी है, यदि इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाय, तो अन्न का उत्पादन इतना नहीं हो सकता है। तमाम औद्योगिक क्रांति ऐसी हुई है कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी लोग अपनी जगह पर लगे हुए हैं। हमने सारे तन को ढक दिया है, हमने बहुत कुछ कोशिश की है वस्त्र का उत्पादन बढ़ा है, अन्न का उत्पादन बढ़ा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। हमारे बड़े-बड़े कारखाने जो हैं वह उत्पादन के प्रतीक हैं। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के साथी यदि उस ओर देखें तो उन्हें हुई प्रगति का पता चलेगा।

मान्यवर, यहां कम्प्यूटर के बारे में कहा गया, कहा गया कि अगर कम्प्यूटर को बढ़ावा मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी । मान्यवर, एक जमाना था जब बैल से खेती किया करते थे और बैल-गाड़ी से ढोया करते थे। आज जिस भी बढ़े हुए किसानों ने उत्पादन की तरफ ध्यान दिया है, वह किसान ट्रैक्टर से खेती करता है। मैं माननीय मुलायम सिंह जी से जानना चाहती हूं कि वह जो खेती करते हैं क्या अब उसमें वह बैल चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं? क्या यह उत्पादन की चीजें नहीं हैं?

मान्यवर, इस अभिभाषण में लिखा है कि राज्य में बिजली, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट, चीनी आदि की उपलब्धता संतोषजनक है। जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने दृढ़तापूर्वक कदम उठाये हैं। मान्यवर, जगह जगह पर जखीरे पकड़े गये, यह किसी से छिपा नहीं है । उन लोगों को किसी जमाने में पाला गया था, मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं तो किसी को बुरा लग जायेगा, उनको निकाल निकाल कर, उनकी जगह जो सीखचों के पीछे है, उनको सीखचों के पीछे डाल दिया है, उनको खुली छूट नहीं दी है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं समाप्त कर रही हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक टैक्सी स्टैण्ड है, वहां पर चार भी टैक्सी नहीं खड़ी होती थीं, आतंकवादी मुफ्त में आकर टैक्सी ले जाया करते थे, अब मैं माननीय राम सरन जी से अनुरोध करूंगी कि वे जाकर देख लें वहां पर अब कोई डर नहीं है किसी तरह से कोई डर नहीं है, मैं यह बताना चाहती हूं कि किस तरह से हमारी सरकार ने ला एण्ड आर्डर की पोजीशन कायम की है। मान्यवर, सड़क की बात आयी पता नहीं इनको कहां की कच्ची गली पुरानी दिखाई दे जाती है। मान्यवर काम के बदले खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कितनी सड़कें बन गयीं। इन्होंने खुद रास्ते बनवाये। लेकिन, जिनको उन रास्तों पर चलना था या तो वह बगल से चले जाते थे क्योंकि कपड़े खराब होने का डर था। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने, इस कांग्रेस दल की सरकार ने जो सड़क निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया है, उसमें अगर आप देखें और लखनऊ से देखना शुरू करें और कहीं भी जायं तो सड़कों की एक श्रृंखला चलती चली जा रही है, अभी वह रुकी नहीं है। आप विश्वास रखें आपको कहने का मौका नहीं दिया जायेगा ।

श्रीमन्, स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहती हूं। उधर के लोगों का कहना यह है कि कोई इलाज नहीं हो रहा है और कोई दवा नहीं है। मान्यवर, एक जमाने में जब हैजा होता था तो मुहल्ले के मुहल्ले और गांव-गांव के खाली हो जाते थे। उस समय इन्सान बढ़ते नहीं थे, बल्कि घटते थे। उस समय इन्सान को बढ़ाने की परेशानी थी लेकिन आज जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की परेशानी है। अगर यह स्वास्थ्य का कारण नहीं है तो और कौन सा कारण है? श्रीमन्, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय न होने के कारण सारी बातें नहीं कह पा रही हूं। नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक मेरी टूटी-फूटी बातों

को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय ने बरेली जैसे मण्डल के बारे में अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा, इसलिए उसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मान्यवर, बरेली एक बहुत बड़ी कमिश्नरी हुआ करती थी जिस कारण उसे दो भागों में बांटना पड़ा। लेकिन आज तक यह क्षेत्र चिकित्सा और उद्योग से वंचित रहा है। आज बरेली में सबसे बड़ी कमी जो महसूस की जा रही है वह मेडिकल कालेज की की जा रही है। यहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है। गाजियाबाद से लखनऊ के बीच में चिकित्सा का पूर्ण अभाव है। बरेली में 300 शैय्याओं का एक अस्पताल है जो अपनी जनसंख्या की तुलना में कहीं कम है। इस अस्पताल में केवल बरेली क्षेत्र के लोग ही नहीं, सम्पूर्ण रूहेलखण्ड और कुमायूं के मरीज यहां पर आते है और या फिर उनको दिल्ली और लखनऊ भागना पड़ता है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि अभी वहां पर मेडिकल कालेज खोलने में देर हो तो वहां पर 400 शैय्याओं का एक आधुनिकतम अस्पताल खोल दिया जाय।

मान्यवर, बरेली की महापालिका पूरे देश में अपने में एक उदाहरण है। एक-एक बल्ब के लिए लोग वहां पर आन्दोलन करते हैं लेकिन बरेली की महापालिका कूड़े के ढेर की सफाई करने, एक भी सीवर लाईन डालने व बल्ब लगाने में असफल रही है। पूरे नगर में गन्दगी का साम्राज्य है। महापालिका टैक्स पर टैक्स लगाये जा रही है, चुंगी पर चुंगी लगाये जा रही है। 10 हजार रुपए की चोरी प्रति दिन वहां पर अधिकारी से लेकर नीचे तक के कर्मचारी कर रहे हैं, जिसको रोकने में यह प्रशासन पूर्णतया असफल रहा है।

मान्यवर, शिक्षित बेरोजगारों के साथ जो मजाक किया जा रहा है, वह अपने में एक एक्जाम्पिल है। शिक्षित बेरोजगार को अपनी योजना चलाने हेतु 25 हजार रुपए का ऋण देने का प्राविधान किया गया था, लेकिन जो मापदण्ड तैयार किया गया है, वह योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि लाटरी के आधार पर दिया जाता है। निर्बल वर्ग के लोगों के साथ घोर मजाक किया जा रहा है। आप का प्रमाण पत्र लाने, पंजीकरण करने व एप्लाई करने में उसे दर-दर भटकना पड़ रहा है लेकिन उसे साढ़े छः हजार में से केवल दो या तीन हजार रुपए मिलता है। बैंक का अधिकारी उन्हें इस प्रकार दुत्कारता है, जैसे वह ऋण नहीं भीख मांग रहे हों। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस मामले में सुधार किया जाना चाहिये।

बरेली मण्डल में एक बहुत बड़ी परेशानी फल बागान और सब्जी उगाने वालों के लिए हो गयी है। जिस क्षेत्र में भी फल और सब्जी उगाई जाती है वह सब नगर सीमा क्षेत्र में लिया जा रहा है। इस आशय की नोटिसें दे दी गयी हैं बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से कि इस क्षेत्र में कालोनीज बनायी जायेंगी। एक तरफ किसानों को बीज दे रहे हैं और सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा दूसरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ इस रोजगार में लगे लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। उनको नोटिसें दी गयी हैं कि नर्सरी और बागान खाली कर दिये जायं।

बिक्रीकर की बहुत बड़ी समस्या है, पूरा व्यापारी वर्ग बुरी तरह प्रभावित है और 24 तारीख को बहुत बड़ी प्रदेश व्यापी हड़ताल होने जा रही है, उत्तर प्रदेश बन्द होने जा रहा है। सारे प्रदेश में ईंटों का भाव सेल्सटैक्स विभाग की तरफ से 250 रु0 एसेस किया जाता है लेकिन बरेली में 350 रु0 का भाव एसेस किया जाता है। बरेली विकास प्राधिकरण एक कलंक बन गया है। वहां चपरासी से लेकर सचिव तक घूस खाने में माहिर हो गये हैं। अगर आप बरेली में उतरकर किसी से पूछिये तो वह बता देगा। अगर नक्शा पास कराना है तो भी रुपया देना है, नक्शा गलत हो गया तो भी रुपया देना है। अगर एक ईंट भी गलत लग गयी तो तरह-तरह के जुर्माने करके विभिन्न प्रकार से परेशान करेंगे और हजारों रुपया चूस लेंगे।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 1985 से गरीब विधवाओं और विकलांगों को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको पैसा सैंक्शन हो चुका है, वे कहां जायं? उनको तुरन्त पैसा दिलाया जाना चाहिये।

पुलिस विभाग बरेली का इतना अक्षम है कि उस क्षेत्र के एम0 पी0 महोदय के घर पर डकैती पड़ी। उनकी पत्नी और लड़की 4 दिन बेहोश रही, लेकिन बरेली की पुलिस एक भी अपराधी को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही है। बड़े बाजार में शाम को 7 बजे, जो शहर का सबसे घना क्षेत्र है, वहां पर डकैती पड़ी। डकैतों द्वारा डेढ़ लाख रु0 की लूट हुई, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। बरेली के पुलिस अधिकारी लोगों को परेशान करते रहे लेकिन सही आदमी को नहीं पकड़ पाये।

रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी अपने आपमें एक उदाहरण है। यहां भ्रष्टाचार की सीमा अपनी परिपक्वता पर है। फर्जी डिग्रियां इस तादाद में दी जा रही हैं कि सारे प्रान्त में इसकी चर्चा है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जो नहीं हैं। हिस्ट्री, फिलास्फी जैसे सबजेक्ट्स, जो महानगर में होने चाहिये थे, नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

श्री जय नारायण तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इस समय विरोधी पक्ष की तमाम सीटें खाली हैं लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में एक परम्परा है कि हमको तब बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है, जब शादी-विवाह का मौका आता है और जब दूल्हा सामने आता है तो पटाखे दागे जाते हैं, खुशियां मनायी जाती हैं, शहनाई बजायी जाती है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोधी पक्ष के लोगों ने इसी तरह से समर्थन किया है क्योंकि उस दिन इन्होंने पटाखे छोड़ कर, शहनाई बजाकर उसका समर्थन किया है और जब इन्होंने उसका समर्थन किया है तो फिर इनको अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये।

मान्यवर, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विडम्बना है, राणा जी इस समय यहां हैं नहीं, शायद उन्हें भय हो गया होगा कि कहीं उनकी नाभि का कोई अमृत पान न कर ले। लेकिन मैं कहता हूं कि जनता के सामने राजीव गांधी की सरकार है, प्रदेश में वीर बहादुर की सरकार है लेकिन जब कोई हड़ताल होती है तो उसमें जनता के साथ ही साथ विपक्ष भी बराबर का भागीदार होता है। इनकी सही तस्वीर इनका सही मुखौटा तो उस दिन इन्होंने स्वयं ही प्रदर्शित कर दिया। अब जनता के सामने इनकी सही तस्वीर आ चुकी है, जनता के सामने ये दुत्कारे जाते हैं। यदि आपमें कुछ बुद्धि है, आप में कुछ विवेक है तो सोचिये जनता मेरी ही बात की ताईद करेगी। आज जनता को आपने अपनी सही तस्वीर को दिखा दिया है।

जब प्रदेश में मान्यवर, अनुशासन होता है, आपस में अनुशासन होता है तभी श्रम की महत्ता समझ में आती है। आज राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में इस प्रदेश में वीर बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में श्रम की महत्ता जन-मानस के सामने आई है और श्रम की महत्ता को प्रशासन उजागर कर रहा है। अभी तक जिलों में 10 बजे से कार्यालय में लोग जो नहीं पहुंचते थे, अब पहुंचने लगे हैं। विधान सभा में लोग 10 बजे से आने शुरू हो गये हैं और यह चर्चा का विषय बन चुका है, यह सबसे बड़ी देन है इस प्रदेश की सरकार की।

माननीय नेता विरोधी दल इस समय यहां पर नहीं हैं। अभी उन्होंने तीन-चार बार दूरस्थ नियंत्रण की बात की थी। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले दूरस्थ नियंत्रण उन्हीं की देन है जो आज वे यहां बैठे हैं। नहीं तो राजेन्द्र सिंह बैठे नजर आते। उनका दूरस्थ नियंत्रण भी दिल्ली से ही होता है। यह भला लगता कि यदि वे दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखते। उन्होंने अपने गिरेबान में देखना मुना-सिब नहीं समझा, उनका दिमाग कहीं कुन्द हो गया है, इसे वे नहीं समझ रहे हैं लेकिन इस प्रदेश की जनता समझ रही है।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक ही बात को कई-कई बार कहा कि राजीव गांधी गंगा मइया की बदबू को और गन्दगी को नहीं दूर कर सकते हैं, राजीव गांधी के प्रयासों से गंगा मइया की गन्दगी नहीं दूर की जा सकती है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि राजीव गांधी ने हिम्मत तो की, साहस तो किया, राजीव गांधी ने इतनी दिलेरी तो की गंगा मइया को साफ कराने के लिये आगे आये। आज तक आपके नेता क्या करते रहे? आप अपने गिरेबान में नहीं देख रहे हैं, कभी आपको नहीं लगा कि गंगा मइया सड़ रही है और आपने कभी-कभी करोड़ हिन्दुस्तानियों के सेन्टीमेन्ट को नहीं देखा कि पानी गन्दा हो रहा है। राजीव गांधी ने इसमें पहल करने की हिम्मत तो की।

मान्यवर, यदि यहां 6 तारीख की तस्वीर को आप याद करें तो आपको ध्यान होगा कि यहां सदन में भी माता प्रसाद पाण्डेय मशक वादन कर रहे थे। (व्यवधान) आप बीच-बीच में टोका टोकी न करें। आप धैर्य की आदत डालें और हमारी सही बात को सुनने की आदत डालें।

मान्यवर, मैं जिस विधान क्षेत्र से आता हूं, वह इसौली है। नई शिक्षा नीति के बारे में माननीय नेता विरोधी

दल ने थोड़ा सा इशारा किया, इससे उनको बड़ी जलन है। वह अपने दर्द का एहसास कम, दूसरे का ज्यादा करते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि वह पहले अपने दर्द का एहसास करें। चेतन भी अपने दर्द का एहसास करता है और अचेतन भी अपनी पीड़ा का एहसास करता है, तो वह तो चेतन होकर भी अपनी पीड़ा का एहसास नहीं करते हैं। मान्यवर, इस बार बाढ़ आयी थी और भीषण बाढ़ आयी थी। इस सरकार ने बाढ़ में युद्ध स्तर पर कार्य किया। 1955 में बाढ़ आयी और इसी प्रकार और भी सालों में बाढ़ें आयीं। मैं बाढ़ में अपने क्षेत्र में गया था, तो बुजुर्गों ने बताया कि इस बार जितना अच्छा इन्तजाम हुआ है, उतना अच्छा इन्तजाम और कभी नहीं हुआ है और बाढ़ों में जितनी नावें नहीं मिल पाती थीं, उतने स्टीमर इस बार उपलब्ध कराये गये हैं। मान्यवर, यह बुजुर्गों का कहना था। जो ईमानदारी है उसको आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं?

मान्यवर, हमारे क्षेत्र इसौली जिला सुल्तानपुर में कूड़ेभार ब्लाक में एक लड़कियों का हाईस्कूल खुलना है, इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर शीघ्रता के साथ कार्य किया जाय और उसको खोला जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने गौर से पढ़ा तो जरूर है, परन्तु उसको सुना नहीं। उन्होंने बड़े जोर से इस बात का दावा किया है कि विकेन्द्रीकरण की ओर जाने का बहुत से क्षेत्रों में कदम उठाया है, जबकि यह बात बिल्कुल उल्टी है, जबकि यह लगता है कि इनको विकेन्द्रीकरण का अर्थ नहीं समझ में आया है और उसको जान बूझकर और तोड़ मरोड़ कर सामने रखा है। सारे अधिकार जो विकास के सम्बन्ध में हैं उनको कमिश्नर को सौंप दिये हैं, एक हाथ में कर दिया है। जो चीजें जन प्रतिनिधियों के हाथ में जानी चाहिये, उनको आपने एक आदमी के हाथ में कर दिया है। कमिश्नर के हाथ में सौंप दिया है। मान्यवर, विकेन्द्रीकरण के माने तो यह होते हैं कि जो हमारी जनता द्वारा चुनी हुई संस्थायें हैं, उनके हाथ में सत्ता जानी चाहिए, लेकिन मान्यवर, आज तक नगर महापालिकाओं के चुनाव नहीं हुये हैं, गांव सभाओं के चुनाव नहीं हुये हैं और सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं हुये हैं, सारे के सारे चुनाव आपने रोक रखा है। तो फिर विकेन्द्रीकरण किस बात का है ? वह तो है ही नहीं और आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। आप कहते हैं कि दस्यु उन्मूलन में सफलता मिल गयी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यही बात कहते थे, परन्तु यह बात उल्टी निकली। आपने जो आर्डीनेंस जारी किया है गिरोह बाजों से निबटने के लिए और आप इसको राम बाण समझते हैं कि इससे सारे गिरोह समाप्त हो जायेंगे, तो मैं कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपने जो अध्यादेश निकाला है वह सत्ता पक्ष के जो गिरोहबाज लोग हैं उनको बढ़ावा देने वाला है और जो विपक्ष के लोग हैं उन पर हमला करने वाला है । यह लोग अबकी बार बूथ पर कब्जा करवा कर आये हैं और इस बार इस अध्यादेश के तहत

वह खुद बूथ पर कब्जा करेंगे। और इस अध्यादेश के द्वारा, सत्तापक्ष की वह खुद बूथ पर कब्जा करेंगे। और इस अध्यादेश के द्वारा, सत्तापक्ष की यही साजिश है। यह सीधे-सीधे साजिश है। इसमें राजनीतिक पार्टियों के ऊपर हमला करने की बात है न कि इससे कोई अपराध रोकना है इनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बदतर हो गयी है। अभी फतेहपुर स्टेशन पर एक घटना हो गयी जिसमें एक महिला लीलावती के साथ जो दिल्ली से अपने पति के साथ जा रही थी उसको प्रसव पीड़ा हुई वह गाड़ी चल ही रही थी, उसे एक स्टेशन पर उतारा गया। उसका पति जब वापस आया तो उसकी पत्नी का पता नहीं था। पुलिस वालों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया और उसको ले जाकर रेल की पटरी पर फेक दिया और उसका बच्चा जो गर्भ में था वह भी निकलकर मर गया। इससे क्रूरतम और हिंसात्मक घटना क्या हो सकती है? जो एक महिला के साथ पुलिस वालों द्वारा की गयी। इसी तरह हमारे प्रदेश में अनेक घटनायें हुई हैं। सुलतानपुर में एक घटना हो गयी और जौनपुर जिले के सुरेरी गांव में एक घटना हो गयी जहां पर वहां के थानाध्यक्ष अमर नाथ भारती सुबह ही बल्लर पटेल के घर गये जिसका विवादित आवंटित भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं था। भूमि बुद्धू कुर्मी को आवंटित थी और उसके बाद दुबारा एक हरिजन को आवंटित की गयी जिसका मकान बल्लर पटेल के मकान से 2 कि0मी0 था। सुबह ही दरोगा वहां जाकर मारने पीटने और घसीटने लगा। इस पर उसकी चाचा नानक उर्फ सुख नन्दन आ गये। गांव की जनता इकट्ठा हो गयी तो थानाध्यक्ष ने गोली चलायी उस गोली से सुख नन्दन की वहीं पर मृत्यु हो गयी। क्रुद्ध भीड़ के गुस्से के परिणामस्वरूप अमर नाथ भारती भी मारा गया। उसके बाद पुलिस पी0 ए0 सी0 आ गयी और उसने गांव में लूटपाट किया सारा सामान लूट लिया गया। उनका मकान तोड़ दिया गया और पम्पिंग सेट आदि लूट लिया गया। करेला का 40 हजार रुपया, आभूषण वगैरह लूट लिया गया जिसमें से 19 हजार रुपया जब राम नगीना दरोगा आये तो उसने वापस किया।

कृषि उत्पादन के संबंध में कहा गया है मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन के बारे में कोई जानकारी सत्ता पक्ष के लोगों को मालूम होती तो उनके नेता यह भाषण न करते कि किसान भाइयों चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में गुड़ बोवों। जहां के नेता गुड़ बुवा रहें है खेतों में, उन्हें क्या जानकारी है खेती के बारे में। उनको क्या मालुम है कि कैसे गन्ना पैदा होता है? कैसे चीनी पैदा होती है। गेहूं की बात करते है कहते है कि हमने गेहूं की पैदावार बढ़ा दी। गेहूं आपकी वजह से नहीं पैदा हुआ है। गेहूं अगर पैदा हुआ है तो किसानों की वजह से पैदा हुआ है उन्होंने अपने साधन जुटाये है। अभी हमारे कृषि मंत्री बोल रहे थे कि उन्होंने 3 फरवरी से खादों में लघु सीमान्त किसानों को जो छूट मिलती थी, उसको बन्द कर दिया है। अब न नाइट्रोजन खाद मिलेगी, न फास्फेट खाद मिलेगी।

विद्युत की बात कही गयी है। विद्युत के रेट आपने बढ़ाये जो मध्यम किसान थे उनके आपने 56 फीसदी बढ़ाये है। कहते है कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति है उनके ऊपर लगाया है। आपने जो यह बढ़ाया है 67 से 82 यह जो मझोले किसान है, उनके ऊपर जाता है। जो छोटे-छोटे कारखाने चलते है उनके ऊपर बढ़ा है, बड़े व्यापारियों के ऊपर नहीं बढ़ाया गया है। आपने डीजल के दाम बढ़ाये, पेट्रोल

के दाम बढ़ाये, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाये है किसी को आपने बख्शा नहीं है। विद्युत की हालत यह है कि मुश्किल से किसानों को गांवों में 3-4 घंटे बिजली मिलती है। माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम 10 घंटे बिजली देंगे । लेकिन 10 घंटे तो क्या 3-4 घंटे भी बिजली मिलनी मुश्किल हो गई है ।

अब मैं उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा कारखाने बन्द हैं । आप कारखानों को खोलने की बात नहीं करते हैं और कम्प्यूटर लगाने की बात करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । 5 बजे अनुपूरक अनुदान पेश किया जायेगा।

श्री राज किशोर सिंह–

ये सपना देखने लगे कि यंत्र-मानव काम करेगा लेकिन कारखाने जो बंद हैं, जो बीमार हैं उनको खोलने का कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राज किशोर जी, आप समाप्त करें। अब अनुपूरक अनुदान पेश होगा। एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री राज किशोर सिंह–

वृक्षारोपण के बारे में मुझे यह कहना है कि जो रिजर्व फारेस्ट हैं वहां वृक्षारोपण नहीं हो रहा है लेकिन उसके नाम पर धन कमाया जा रहा है । गांव के दरोगा गांवों में हरे-हरे वृक्षों को कटवा रहे हैं और इससे लाखों रुपया कमा रहे हैं । इसी तरह से सुरक्षित जंगलों में अरबों रुपया कमाया जा रहा है । यह है आपके वृक्षारोपण का अभियान ।

इसी तरह से नसबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । सुल्तानपुर में एक हरिजन विधवा महिला की जबरदस्ती नसबन्दी की गई । इसी तरह से प्रदेश में अनेकों घटनायें हैं । आज लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और जो लगे हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष –

अब आप बैठें ।

## वित्तीय वर्ष 1985-86 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1985-86 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जाय ।

(अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां बांटी गईं।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अंतर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री सूर्य प्रताप शाही तथा डा0 दिनेश जौहरी की सूचना जो देवरिया में सुन्दर नामक युवक को गायब करने के सम्बन्ध में हैं, स्वीकार की गई हैं । बाकी सब सूचनाएं अस्वीकृत की गई ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगें ।

(इसके बाद सदन सायं 5 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
11 फरवरी, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर।)

मार्च, अप्रैल, 1980 से मार्च, 1985 तक जीर्णोद्धार, पुनःनिर्माण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु अस्थायी खण्ड नं0 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों की सूची व उनका वर्षवार आवंटन :—

| मार्ग का नाम | वर्षवार आवंटन (लाख रुपयों में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1—बस्ती मेंहदावल मार्ग का पुनः निर्माण .. | 0.85 | 0.80 | 4.00 | .. | .. |
| 2—बांसी तलपुरवा मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार .. | 1.35 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.50 |
| 3—मेंहदावल बांसी वाटर बाउन्ड मार्ग का सतह लेपन .. | 0.35 | 1.80 | 0.60 | 0.50 | .. |
| 4—रुधौली डुमरियागंज वाटर बाउन्ड मार्ग का सतह लेपन .. | 5.15 | 2.50 | 0.80 | 1.50 | 1.70 |
| 5—बांसी डूमरियागंज क्षतिग्रस्त मार्ग का आधुनीकीकरण .. | 0.30 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | .. |
| 6—खेसरहा के खेसरहा ग्राम तक कंकड़ तथा वाटर बाउन्ड मार्ग का आधुनीकीकरण .. | .. | .. | 0.90 | 0.50 | 0.90 |
| 7—नन्दौर बखिरा कंकड़ तथा वाटर बाउन्ड का आधुनीकीकरण .. | .. | .. | .. | 1.00 | 0.90 |
| 8—बस्ती महसों मठुली कंकड़ तथा वाटर बाउन्ड मार्ग का आधुनीकीकरण .. | .. | .. | .. | 0.25 | .. |
| 9—विश्वनाथ मठुली कंकड़ तथा वाटर बाउन्ड मार्ग का आधुनीकीकरण .. | .. | .. | .. | 1.75 | .. |
| 10—लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग के किलोमीटर 58, 59 व 60 को चौड़ा करना एवं सुदृढ़ीकरण .. | .. | .. | .. | .. | 8.00 |
| योग .. | 8.00 | 6.15 | 7.50 | 7.50 | 12.00 |

## नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर।)

अभियुक्त जुबेर खां पुत्र हसन रजा सा0 व थाना रौनाही, जनपद फैजाबाद का अपराधिक इतिहास

| क्रमांक | मु0अ0सं0 | धारा | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | सन् 1952 | 379 भा0द0वि0 | चालान |
| 2 | एनसी आर/152 | 352/504/506 भा0दं0वि0। | .. |
| 3 | ,, ,, | 379 भा0द0वि0 | 4 साल आर0 10 |
| 4 | सन् 1953 एन0सी0आर0/299। | 352/506 भा0द0वि0 | .. |
| 5 | 55 57 | 457 भा0द0वि0 | .. |
| 6 | एन0सी0आर0 108/59 | 427 भा0द0वि0 | .. |
| 7 | एन0सी0आर0 115 59 | 323 भा0द0वि0 | .. |
| 8 | सन् 1959 | धारा 151/107, 116 सी0आर0पी0सी0। | .. |
| 9 | 1960 | 109 सी0आर0पी0सी0 | 1 वर्ष आर0 फर्स्ट |
| 10 | 156/60 | 457/411 भा0द0वि0 | .. |
| 11 | 220/60 | 457/411 भा0द0वि0 | .. |
| 12 | 57/61 | 147/148/364/365 भा0द0वि0 | 5 वर्ष आर0 फर्स्ट |
| 13 | एन0सी0आर0 19/71 | 424/427 भा0द0वि0 | .. |
| 14 | एन0सी0आर0 169/73 | 504/506 भा0द0वि0 | 5 वर्ष आर0 फर्स्ट |
| 15 | एन0सी0आर0 392/73 | 506 भा0द0वि0 | .. |
| 16 | 399/73 | 302/381 भा0द0वि0 | जिला सहारनपुर |
| 17 | 1976 | मीसा में बन्द | .. |
| 18 | 1980 | 506 भा0द0वि0 | .. |
| 19 | 1983 | 411 भा0द0वि0 | मुजफ्फरनगर एएसजे |
| 20 | एन0सी0आर0 125/85 | 504/506 भा0द0वि0 | .. |
| 21 | 1985 | 151/107/116 सी0आर0पी0सी0(3) | चालान न्यायालय |
| 22 | एन0सी0आर0 3 85 | 323 504/506 भा0द0वि0। | .. |
| 23 | 1985 | 107/116 सी0आर0पी0सी0(3) | चालान न्यायालय |
| 24 | एन0सी0आर0 14/85 | 352/504/506 भा0द0वि0। | .. |
| 25 | एन0सी0आर0 207/83 | 323/504/506 भा0द0वि0। | .. |
| 26 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0। | चालान न्यायालय |

## अ पराधियों का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त अच्छन पुत्र साले खां सा0 व थाना रौनाही, फैजाबाद का अपराधिक इतिहास

| क्रमांक | मु0अ0अं0 | धारा | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 92बी/85 | 395/397/436 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |
| 2 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | |

अभियुक्त सरफराज पुत्र जुबेर खां सा0 व थाना रौनाही, फैजाबाद

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 92ए/85 | 395/397/436 | .. |
| 2 | 92बी/85 | 395/397/436 | .. |
| 3 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |

अभियुक्त मुख्तार पुत्र हसन रजा सा0 उपरोक्त

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 92ए/85 | 395/397/436 भा0द0वि0 | .. |
| 2 | 92सी/85 | 395/397/436 | चालान न्यायालय |
| 3 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |

अभियुक्त रियाज पुत्र तकी खां सा0 उपरोक्त

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 92बी/85 | 395/397/436 भा0द0वि0 | .. |
| 2 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |

अभियुक्त मुस्सन खां पुत्र इब्राहीम खां सा0 देहा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 92बी/85 | 395/397/436 भा0द0वि0 | .. |
| 2 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |

अभियुक्त लब्बन पुत्र मुख्तार सा0 उपरोक्त

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |

अभियुक्त अल्लन पुत्र अहमद सा0 उपरोक्त

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |

इरशाद पुत्र बरकत सा0 उपरोक्त

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 173/85 | 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 | चालान न्यायालय |

अभियुक्त झिन्कू पुत्र अमीन सा0 उपरोक्त

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 173/85 | 147/148/149/307/302 | चालान न्यायालय |

## नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

वर्ष 1984 में लल्लन उर्फ रमेश, लल्लन उर्फ अशोक तथा राम किशुन के विरुद्ध कोई हस्ताक्षेपीय अथवा अहस्तक्षेपीय सूचना थाना स्थानीय में दर्ज नहीं है। वर्ष 1985 में मात्र अभियुक्त लल्लन उर्फ रमेश के विरुद्ध निम्न सूचनाएं दर्ज हुई हैं—

(1) अहस्तक्षेपीय अपराध सं0 55/85 धारा 427/504/506/323 मा0दं0वि0।
(2) अहस्तक्षेपीय अपराध सं0 96/85 धारा 504/506 मा0दं0वि0।
(3) अहस्तक्षेपीय अपराध सं0 160/85 धारा 323 मा0दं0वि0।
(4) हस्तक्षेपीय अपराध सं0 68/85 धारा 382 मा0दं0वि0।
(5) हस्तक्षेपीय अपराध सं0 70/85 धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0।
(6) हस्तक्षेपीय अ0सं0 120/85 धारा 394 मा0दं0वि0।
(7) हस्तक्षेपीय अ0सं0 125/85 धारा 151/107/116 सी आर0पी0सी0।
(8) हस्तक्षेपीय अ0सं0 171/85 धारा 151/107/116 सी आर0पी0सी0।

क्रमांक 1, 2, 3 पर अंकित अहस्तक्षेपीय अपराध की विवेचना नियमानुसार दण्ड अधिकारिता मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर की गयी। आरोप सिद्ध होने पर क्रमांक 1, 3 पर अंकित अहस्तक्षेपीय अपराध में आरोप पत्र दि0 9–11–85 को प्रेषित किया जा चुका है क्रमांक 2 पर अंकित अहस्तक्षेपीय अपराध का मुकदमा अभी विवेचनाधीन है। शीघ्र विवेचना समाप्त होगी।

क्रमांक 4 पर अंकित अपराध में आरोप पत्र अतिरिक्त अभियुक्त लल्लन उर्फ अशोक दि0 26–7–85 को प्रेषित किया जा चुका है। क्रमांक 6 पर अंकित हस्तक्षेपीय अपराध की विवेचना करने पर आरोप नहीं सिद्ध हुआ अतः अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 7–9–85 को प्रेषित की जा चुकी है।

क्रमांक 1, 2 व 3 पर अंकित अहस्तक्षेपीय अपराध की सूचना के आधार पर अभियुक्त लल्लन उर्फ रमेश के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही मु0अ0सं0 70/85 धारा 107/116 सी0 आर0पी0सी0 दि0 14–6–85 की जा चुकी है। इस पर गौर रखने के परिणामस्वरूप दि0 19–9–85 व 22–12–85 को अभियुक्त लल्लन उर्फ रमेश अन्तर्गत धारा 151/107/116 सी0आर0पी0सी0 में गिरफ्तार हुआ है जिनके कि अभियोग क्रमांक–7 व 8 पर अंकित हैं। क्रमांक 7 पर अंकित अपराध सं0 125/85 धारा 151 107 116 सी0आर0पी0सी0 में चालानी रिपोर्ट दि0 19–9–85 व 22–12–85 को क्रमशः भेजी जा चुकी है।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारक समिति, उ0प्र0 लखनऊ की मुख्य मांगें तथा शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण।

| मांगें | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|
| 1--सत्र 1984-85 तक उत्तीर्ण तथा बेकार बैठे लगभग 300 छात्रों के लिए कन्डेंस कोर्स शीघ्र ही चलाया जाय। जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 2, प्रथम सत्र 3 अप्रैल, 1984 द्वारा विधान सभा प्रश्नोत्तर में कहा गया है। | शासनादेश, दिनांक 11-1-85 द्वारा कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों के लिए राजकीय पालीटेक्निक कानपुर में 60 की प्रवेश क्षमता से एक वर्ष का कन्डेंस कोर्स प्रारम्भ करने के आदेश निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर को दिए गए हैं। पहला बैच दिनांक 6-4-85 को प्रवेशित किया जा चुका है जो 5 अप्रैल, 1986 तक अध्ययनरत रहेगा। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 4-10-85 द्वारा दूसरे बैच को कन्डेंस कोर्स का प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर को निदेश दिए जा चुके हैं। |
| 2--कन्डेंस कोर्स के छात्रों को नियम 52 के अन्तर्गत डिप्लोमा दिया जाय और कन्डेंस कोर्स शब्द न लगाया जाय। | प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा समिति की सितम्बर, 85 में हुई बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उक्त क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्तीर्ण छात्रों को छात्रों की मांग के अनुसार परिषद के नियम 52 के अन्तर्गत उनके मूल डिप्लोमा पर ही पृष्ठांकित करने का निर्णय लिया जा चुका है। |
| 3--कन्डेंस कोर्स के छात्रों को उनके कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रमाणपत्र (कण्डेंस कोर्स) के अन्तर के बराबर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाय। | शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सामान्य रूप से छूट प्रदान करने की शासन की नीति नहीं वरन् गुणावगुण के आधार पर ही कार्मिक विभाग के परामर्श से व्यक्तिगत मामलों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है। |
| 4--कण्डेंस कोर्स के छात्रों के साथ कोई भेदभाव न किया जाय तथा उनको विभिन्न विभागों में आरक्षण प्रदान किया जाय ताकि उनकी नियुक्तियों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। | 'भारत का संविधान' के अन्तर्गत आरक्षण देने की जो नीति निर्धारित है उसी के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया गया है। उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को निर्धारित नीति के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। राज्य सरकार की नीति जन कल्याणकारी है अतः किसी के साथ भेदभाव करने का प्रश्न नहीं उठता है। |

| मांगे | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|
| 5—कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को उन सभी विभागों में आरक्षण प्रदान किया जाय अथवा उन सभी उचित पदों पर अर्ह माना जाय जिसमें कृषि अभियन्त्रणस्नातक सेवारत हैं। | कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को आरक्षण देने का प्रश्न ह उसके सम्बन्ध में मद (4) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। जहां तक कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को प्रदेश के अन्य विभागों में कृषि अभियन्त्रण स्नातक के समक्ष मानने एवं उन्हें उचित पदों पर अर्ह माने जाने का प्रश्न है, यह मामला प्रदेश के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है जो अपने-अपने विभागों के सम्बन्ध में विद्यमान सेवा नियमावली के परिपेक्ष्य में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। |

वीर बहादुर सिंह,
मुख्य मन्त्री।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0–115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर।)

थानों व चौकियों की सूची जो अपने भवन में स्थित नहीं हैं।

थानों का नाम

1––विशारत गंज
2––शेरगढ़
3––सीबीगंज
4––फतेहगंज पश्चिमी

चौकियों के नाम

1––इज्जतनगर
2––सेंथल
3––क्यूलडिया
4––फरीदपुर
5––देवरनियां
6––आवास विकास
7––कांकरटोला
8––जगतपुर
9––रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय
10––बल्लिया
11––धौराटांडा
12––मड़िनाथ
13––रिछा
14––कुआं डांडा
15––बेतलब सन्तपुर
16––आंवला
17––बड़ा गांव
18––नकटिया
19––फतेहगंज पश्चिमी
20––बहेड़ी
21––चुरेलीडाम
22––सिरसा
23––परसाखेड़ा
24––किला
25––मलूकपुर
26––बाकरगंज
27––अशरफ खां की छावनी
28––कार्यालय नगर महापालिका
29––मठ

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर।)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ (मुख्यालय) पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण।

| नाम | निगम में पदनाम | प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1—डा0 विजय कृष्ण सक्सेना, आई0ए0एस0 | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | 17-6-85 |
| 2—श्री सुशील मोहन, आई0ए0एस0 | संयुक्त प्रबन्ध निदेशक | 2-2-85 |
| 3—श्री राम आसरे प्रसाद | उप प्रबन्ध निदेशक | 14-1-85 |
| 4—श्री पी0एन0 गिरि | मुख्य गन्ना विकास सलाहकार | 10-7-85 |
| 5—श्री हरिशंकर श्रीवास्तव | मुख्य गन्ना विकास एवं विपणन अधिकारी। | 10-2-82 |
| 6—श्री रवीन्द्र मोहन जौहरी | सहायक अभियन्ता | 14-7-81 |
| 7—श्री जे0पी0 मिश्रा | सम्पर्क अधिकारी | 13-1-81 |
| 8—श्री गोपाल सिंह | निजी सचिव | 1-3-79 |
| 9—श्री लक्ष्मण | ड्राइवर | 12-6-80 |

## नत्थी 'ड'

(देखिए पीछे पृष्ठ 110 पर ।)

### श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में

### प्राप्त संशोधन जो उपस्थित किए हुए माने गए

1 श्री कल्यान सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

**किन्तु खेद है** कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित का उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश में व्याप्त भय, आतंक, असुरक्षा, पूर्णतया ध्वस्त कानून व्यवस्था को ठीक करने के कदम,

2—प्रशासन के हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के उपाय,

3—सुरसा के मुह की तरह बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु प्रभावी योजना,

4—किसानों, मजदूरों, अध्यापकों, छात्रों, वकीलों तथा व्यवसाइयों में शासन की गलत नीतियों के कारण उत्पन्न असन्तोष तथा क्षोभ को दूर करने के लिए उनकी मांगों की स्वीकृति,

5—बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा बेरोजगारी का जीवन निर्वाह भत्ता देना।

6—उत्पादन और रोजगार परक शिक्षा नीति,

7—महिलाओं के सम्मान और अस्मत की सुरक्षा की गारन्टी,

8—सर्वसामान्य जनता को सस्ते दामों पर जीवन के दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था,

9—पुलिस की निरंकुशता और पुलिस द्वारा निर्दोष तथा निरपराध नागरिकों की हत्या और हिन्सा पर नियंत्रण करने की कार्यवाही,

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 10—अतरौली जिला अलीगढ़, गाजीपुर, बलिया, फतेहपुर आदि स्थानों पर पुलिस द्वारा नृशंस गोली काण्डों से निर्दोष नागरिकों की हत्या के संगीन अपराध में दोषी अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने, |
| | | 11—किसानों के लिए खाद, बीज, बिजली, कीट-नाशक औषधियों तथा कृषि उपकरणों के दाम कम करने, |
| | | 12—किसानों के कृषि-उत्पादनों का प्रोत्साहक एवं लाभप्रद मूल्य प्रदान करने, |
| | | 13—कृषि एवं उद्योगों के लिए आवश्यकतानुसार भरपूर मात्रा में बिजली की सप्लाई, |
| | | 14—कृषि को उद्योग मानकर उद्योगों को मिलने वाली सुविधायें किसानों को प्रदान करने, |
| | | 15—शतप्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई का पूरा प्रबन्ध, |
| | | 16—प्रत्येक गांव को पक्के सम्पर्क मार्गों द्वारा मुख्य सड़कों से जोड़ने की योजना, |
| | | 17—सम्पूर्ण प्रदेश में फसलों एवं पशुओं के बीमा की योजना, |
| | | 18—बिक्री कर की समाप्ति, |
| | | 19—गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा-सुविधा और पेयजल व्यवस्था, |
| | | 20—मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने, |
| | | 21—बलात अथवा प्रलोभन द्वारा किये जा रहे धर्मान्तरण को रोकने । |
| श्री राम चन्द्र बक्श सिंह,<br>श्री कौशिक रमाशंकर, | | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :— |
| श्री अकबर हुसैन बाबर<br>श्री मित्रसेन तथा<br>श्री राज किशोर सिंह | | 1—प्रदेश में निर्बल वर्गों पर विशेषकर हरिजन समुदाय पर सामंती हमलों को रोकने के लिए तथा हरिजन भूमिहीनों के बीच भूमि वितरण तथा खेत मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने के बारे में, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 2—बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के संबंध में कोई निश्चित योजना का प्रस्तुत करना, |
| | | 3—किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने के बारे में, |
| | | 4—बेरोजगारी समाप्त करने तथा बेरोजगारों को काम देने अथवा बेरोजगारी का भत्ता दिलाने के बारे में, |
| | | 5—लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल कराने के संबंध में, |
| | | 6—भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के संबंध में, |
| | | 7—शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में, |
| | | 9—उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा बनाने के संबंध के बारे में, |
| | | 9—उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा बनाने के संबंध में, |
| | | 10—प्रदेश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं, |
| | | 11—प्रदेश के बुनकरों की हालत सुधारने और उनके द्वारा उत्पादित माल की समुचित व्यवस्था तथा भुगतान और उनको सस्ता सूत दिलाने के बारे में, |
| | | 12—बीड़ी मजदूरों की हालत में सुधार लाने तथा आवास दिलाने एवं उनको उचित मजदूरी दिलाने के बारे में, |
| | | 13—किसानों को बिजली आपूर्ति में हो रही कठिनाइयों और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा दर वृद्धि के बारे में, |
| | | 14—प्रदेश में बढ़ते हुए पुलिस जुल्म, अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने के बारे में । |
| | | 15—दोष पूर्ण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को उपभोक्ताओं के हित में ठीक करने के बारे में। |
| | | 16—बाढ़, सूखा से प्रतिवर्ष लाखों प्रभावित कृषकों तथा करोड़ों की क्षति रोकने के संबंध में कोई सुनिश्चित योजना के बारे में । |
| 3 | श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरि शंकर तिवारी तथा डा0 अच्युतानन्द तिवारी | प्रस्ताव के अन्त में निम्न को जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— |
| | | 1—प्रदेश में कानून व्यवस्था से सम्बन्धित उत्तरदायित्व निभाने में शासन की असफलता, |
| | | 2—वर्तमान शासन द्वारा गेट बन्दी, नसबन्दी एवं नजर बन्दी की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 3—इस शासन में जन प्रतिनिधियों की मर्यादा को जबर्दस्त ठेस पहुंचाने के संबंध में, |
| | | 4—महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद चरम सीमा पर पहुंचने के सम्बन्ध में, |
| | | 5—शासन के विद्वेषात्मक रवैया से प्रदेश के विकास कार्य ठप्प पड़ जाने के बारे में, |
| | | 6—गोरखपुर जिले के चिल्लूपार एवं लक्ष्मीपुर निर्वाचन क्षेत्रों की जनता के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार किये जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 7—प्रदेश के किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्गीय लोगों, राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों का जीवन दूभर बना देने के सम्बन्ध में। |
| 4 | श्री शारदा नन्द अंचल | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख नहीं किया:— |
| | | 1—बलिया जनपद अभाव ग्रस्त एवं शासन की ओर से उपेक्षित जनपद है जहां सर्वांगीण दृष्टि से पिछड़ापन है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बलिया जनपद असमानता का शिकार है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में दूसरी आजादी की लड़ाई 1977 में भी अगुवाई करने वाले बलिया जनपद के गांवों में आजादी की किरण नहीं पहुंच सकी जहां आज भी उभांव थाना क्षेत्र में सेना के जवान श्री सुभाष मल्लाह को चारपाई काण्ड का शिकार होना पड़ा तो भीमपुरा थाना क्षेत्र में सवर्णों के अत्याचार का शिकार कानून का विद्यार्थी असहती भारद्वाज हो रहा है, गड़वार थाना क्षेत्र में जैतपुरा में हरिजनों का सामूहिक नरसंहार और बूढ़े बच्चे तथा महिलाओं पर अत्याचार नगरा थाना क्षेत्र में तियरा हैदरपुर में 60 हरिजन परिवारों को उजाड़ा जाना, इन्दरौली-भबकौली में हरिजनों का उत्पीड़न, उभांव थाना क्षेत्र में 22 व 23 दिसम्बर, 85 को अकारण पुराना रजिस्टर उलट कर घरों से बुलाकर बूढ़े और निरपराध लोगों की थाने में थानेदार द्वारा निर्मम पिटाई जैसी घटनायें लोकतंत्र की मर्यादायें घटा रही है। |
| | | 2—बलिया जनपद में पुलिस का अवांछनीय व्यवहार आम नागरिकों के लिए समस्या बना हुआ है, जहां बिजली कर्मचारी की थानेदार द्वारा हत्या जो हरिजन (चमार) |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | होने के नाते दबाकर, सेना के जवान की हत्या थानेदार द्वारा करने के मामले को दबाकर कचहरी में कर्मचारियों और वकीलों को योजनाबद्ध तरीके से लड़ाकर, माहवारी लेकर पुलिस द्वारा अपराधियों का संरक्षण और जिला पुलिस के सरगना पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने थानेदारों की गल्तियों पर परदा डालने या उनका पक्ष कर जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता की बातों को महत्व न देने से प्रशासनिक भरोसा संदिग्ध हो चुका है। इसका समाधान अपेक्षित है। |
| | | 3–बलिया जनपद की गरीबी, बेकारी, पिछड़ापन और गैर बराबरी को देखते हुए, जनपद में शिक्षा का विकास, कृषि की उन्नति, महंगाई पर अंकुश व किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य, सस्ते दर पर खाद व बीज की व्यवस्था, कुटीर, सिंचाई का समुचित साधन, पुलिस अत्याचार की समाप्ति भागलपुर-तुतीपार घाघरा पर पक्का पुल, मांझी पक्का पुल, दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर पर चौकिया मोड़ के सामने ओवर ब्रिज निर्माण, तालों का जल-निकास, सड़कों का निर्माण, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का भवन निर्माण आदि आवश्यक एवं अपेक्षित है ताकि उपेक्षित बलिया जनपद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। |
| 5 | श्री कुशलपाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री मुस्तमन्द अली खां तथा श्री सरदार सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :– |
| | | 1–प्रदेश में बढ़ते हुए पुलिस जुल्म एवं पुलिस प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन के सम्बन्ध में । |
| | | वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में। |
| | | 3–अतरौली (अलीगढ़) गाजीपुर, जौनपुर, उरई एवं मथुरा में पुलिस ज्यादतियों की न्यायिक जांच के सम्बन्ध में। |
| | | 4–प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा गेहूं एवं गन्ने का मूल्य क्रमशः 200/- व 33/- रु0 प्रति कुन्तल निश्चित करने या केन्द्र से संस्तुति करने के संबंध में। |
| | | 5–सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी तथा चुस्त बनाकर सस्ती दर पर उपभोक्ता वस्तुओं को सुदूर ग्रामीण अंचलों में सुलभ कराने के सम्बन्ध में। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 6–किसानों के लिए खाद, बीज, बिजली, पानी एवं कीटनाशक दवाइयों, बस भाड़ा कम करने के सम्बन्ध में। |
| | | 7–स्थानीय निकाय एवं सहकारी संस्थाओं के चुनाव अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 8–बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में। |
| | | 9–मथुरा जनपद में सरकारी देयों की वसूली में किसानों के साथ हो रही प्रताड़ना सम्बन्धी कार्यवाहियों को रोकने के सम्बन्ध में। |
| | | 10–मथुरा जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने, खारी पानी की समस्या को दूर कर पीने एवं सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में। |
| | | 11–कोसी कला (मथुरा) या बाजना (मथुरा) में पेट्रो केमिकल फर्टीलाइजर व अन्य पेट्रोलियम से सम्बन्धित कारखाने खोलने के सम्बन्ध में। |
| | | 12–जनपद के जल प्लावित, सूखा, ओला आदि दैवी आपदाओं से पीड़ित इलाकों में राहत कार्य कराने के सम्बन्ध में। |
| | | 13–माट तहसील के अन्तर्गत एक चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में। |
| | | 14–जनपद की जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने हेतु सम्बन्धित अदालतों को तहसील में जिला मुख्यालय से स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में। |
| | | 15–दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर प्राथमिक विद्यालयों की जीर्ण-शीर्ण इमारतों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में। |
| | | 16–मथुरा जनपद के शहरी एवं देहाती इलाकों में व्याप्त जल-भराव की विकराल समस्या को हल करने के सम्बन्ध में। |
| | | 17–माट ब्रांच गंगा नहर मथुरा की सिंचन क्षमता दूनी करने के सम्बन्ध में। |
| | | 18–मथुरा शहर व अन्य धार्मिक स्थलों की सफाई, पेयजल, विद्युत एवं कानूनी व्यवस्था को सुचारु करने के सम्बन्ध में। |
| | | 19–मथुरा जनपद में प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 20—यमुना नदी, पोतरा कुण्ड, क्षीर सागर, मानसी गंगा के प्रदूषणों को रोकने व धार्मिक स्थलों, मंदिरों के जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में। |
| | | 21—शेरगढ़, वृन्दावन फरह में यमुना नदी पर पुल बनवाने के संबंध में। |
| | | 22—गोकुल बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 23—भक्त प्रवर एवं हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक महाकवि रसखान की समाधि स्थल को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में। |
| | | 24—मथुरा जनपद में साड़ी उद्योग को और विकसित करने एवं प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 6 | श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— |
| | | **किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—** |
| | | 1—उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसमें पुलिस जुल्म, हरिजन उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी है। |
| | | 2—बस्ती जनपद में आजादी के पूर्व लगे चीनी उद्योग को शासन की ओर से पूंजीपतियों की मिली साजिश से समाप्त किया गया है और उसे बंद किया जा रहा है, उसे रोके जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 3—बस्ती जनपद में पुलिस द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 86 को किसान और मजदूरों पर लाठीचार्ज व गोली चलवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 4—बस्ती जनपद में बढ़नी चौकी के इन्चार्ज द्वारा एक नौजवान को मार डालने के बाद उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 5—तत्कालीन थानाध्यक्ष, महुली, जनपद बस्ती के विरुद्ध राजनैतिक कार्यकर्ताओं, आम जनता का उत्पीड़न करने का आरोप कई बार लगाया गया और उसके प्रमाण भी दिये गये लेकिन पुलिस अधीक्षक का मोह उस उदण्डीय और जन विरोधी थानेदार के ऊपर होने के नाते कुछ कार्यवाही न हो सकने के सम्बन्ध में। |

| क्रम सं० | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 6—डुमरियागंज तहसील में राजकीय डिग्री कालेज तथा राप्ती नदी के सिंगार जोत घाट पर तथा कुआनो नदी के चन्ददीप घाट पर पक्का पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में। |
| | | 7—किसानों को दी जाने वाली अनुदान पर खाद के वितरण में घोर भ्रष्टाचार डुमरियागंज तहसील तथा पूरे जनपद में किया गया है, इसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 8—जनता शासन में जिन सड़कों पर मिट्टी का काम हुआ था उनके ऊपर खड़ंजा लगाकर पक्का करने के सम्बन्ध में। |
| | | 9—बस्ती जनपद के लाखों बेरोजगार नवजवान जो भूखे मर रहे हैं उन्हें रोजी देने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में। |
| | | 10—बस्ती जनपद के लगभग 500 प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन हैं उनके लिये भवन बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 11—डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत मुंसिफ अदालत की स्थापना का औचित्य पाने के बावजूद भी अदालत की स्थापना न करने के सम्बन्ध में। |
| | | 12—डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत चकबन्दी चल रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर स्तर पर रिश्वत से आम जनता कराह रही है और जनता में चकबन्दी के प्रति गम और गुस्सा है। यदि तत्काल जांच करके सुधार न किया गया तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इस विषय में जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 13—उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के सम्बन्ध में। |
| | | 14—ग्राम बनगाई, नानकार व सुकरौली को बचाने के लिए रिंग बांध बांधने के लिए जो डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा तीन लाख रुपया तथा राउत डीला असनहरा, गापिया बन्धा जो सड़क का काम करेगी, बनाने के लिए दो लाख रुपया स्वीकृत हुआ है उसे तत्काल बनवाने के सम्बन्ध में। |
| | | 15—प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बिल्कुल पंगु हो गई है, लड़कों को बैठने के लिए टाट, मास्टर के लिए कुर्सी और मेज किसी भी प्राइमरी स्कूल में बस्ती जनपद के किसी भी स्कूल में नहीं है इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 16–किसी भी गांव को सुचारु रूप से मिट्टी का तेल, चीनी बस्ती जनपद में नहीं मिल पा रहा है, वितरण व्यवस्था पंगु है, चोर बाजारी चरम सीमा पर है, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस विषय में आवश्यक व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | '17–बढ़नी चापा, नावडीह, इलाके में राजकीय मत्स्य-ताल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 7 | श्री सत्य पाल सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। |
| | | 1–वर्तमान महंगाई की मार के समय उर्वरकों पेट्रोलियम पदार्थों, विद्युत, गेहूं, चावल की मूल्य वृद्धि समाप्त करने की केन्द्र से सिफारिश किये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 2–बेरोजगारी जो सुरसा के समान बढ़ रही है उसे समाप्त कराने या कम करने के सम्बन्ध में, |
| | | 3–किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में विशेष कर गेहूं, धान, गन्ना की लागत मूल्य न देकर अलाभकारी कीमतें दी जा रही हैं और किसानों को बुरी तरह लूटे जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 4–मण्डल कमीशन की संस्तुतियों को सरकार द्वारा लागू न किये जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 5–ग्रामीण अंचलों की प्रगति अवरुद्ध हो रही है और सरकार द्वारा ग्रामों की उपेक्षा के सम्बन्ध में, |
| | | 6–पुलिस आतंक एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने के सम्बन्ध में, |
| | | 7–दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कराके समान शिक्षा व्यवस्था लागू कराने के सम्बन्ध में, |
| | | 8–प्रदेश में बिगड़ती हुई विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में तथा विद्युत चोरी को मिटाने के सम्बन्ध में, |
| | | 9–नौकरशाही का बढ़ता हुआ शासन पर प्रकोप को समाप्त कराने के सम्बन्ध में, |
| | | 10–सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे के सम्बन्ध में, |
| | | 11–रास्ता रोको आन्दोलन के दौरान पुलिस व प्रशासन द्वारा ढाये गये जुल्म व अत्याचार के सम्बन्ध में, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 12–प्रदेश में पुलिस द्वारा कानून हाथ में लेकर निरीह लोगों की हत्यायें करने एवं अनेकों प्रकार के जुल्म ढाये जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 13–जनपद शाहजहांपुर में बहगुल, दिउहा व कोला-घाट पर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में, |
| | | 14–जनपद शाहजहांपुर में छोटे लाल हरिजन की थाना कटरा व हरपाल सिंह चौकी मदनापुर थाना तिलहर द्वारा निर्मम पिटाई करके हत्या कर देने के सम्बन्ध में, |
| | | 15–शाहजहांपुर जनपद का तिलहर चीनी मिल के मुख्य लेखाकार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा इन्हीं आधारों पर किये गये स्थानान्तरण के उपरान्त इसको रिलीव न किये जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 16–रास्ताजाम आन्दोलन के दौरान आन्दोलनकारियों की पुलिस द्वारा थानों में पिटाई, हवालातों में बन्द करना, हथकड़ी लगाने की धमकी देना तथा पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में, |
| | | 17–जनपद शाहजहांपुर की तिलहर, जलालाबाद व सदर तहसीलों में आई बाढ़ के दौरान सहायता प्रदान कराने में विफलता के संबंध में, |
| | | 18–नगर पालिका शाहजहांपुर पर विद्युत विभाग का 18 लाख रुपया कर्ज होने की स्थिति में 20 फरवरी, 86 को विद्युत काट देने के नोटिस से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति के सम्बन्ध में, |
| | | 19–विधायकों को आवंटित आवासों को लखनऊ में कब्जा न दिलाये जाने के संबंध में, |
| | | 20–जनपद मुख्यालयों में जनप्रतिनिधियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 21–तहसील तिलहर में सड़कों की दुर्व्यवस्था तथा उनकी मरम्मत न कराये जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 22–कन्या जू0 हा0 स्कूल कटरा जिला शाहजहांपुर को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में, |
| | | 23–बढ़ती हुई आबादी को रोकने तथा परिवार नियोजन के नाम पर प्रदेश में किये जा रहे अत्याचारों के संबंध में, |
| | | 24–शाहजहांपुर जिला अस्पताल के सुधार तथा मरीजों को मुफ्त दवाइयां दिलवाने तथा अस्पताल का दूसरा भवन बनवाने के संबंध में । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 8 | श्री बेनी प्रसाद वर्मा | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :–<br>1–प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो गए है निरंकुश तानाशाही से भी अधिक आतंकवादी पुलिस राज्य स्थापित हो गया है।<br>2–किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य तो दिया ही नहीं गया है और सरकार धान, गन्ना, गेहूं की उत्पादन लागत मूल्य भी किसानों को देने में असफल रही है।<br>3–प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना मूल्य से उत्पन्न किसानों के असंतोष के कारण बन्द रही जिससे राष्ट्रीय उत्पादन को क्षति हुई ।<br>4–धान खरीद व्यवस्था सरकार की अत्यंत भ्रष्ट रही विचौलियों के माध्यम से भ्रष्ट तरीके से धान की कागजी खरीद की गयी ।<br>5–जालौन जनपद के कालपी में निहत्थे, शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक लोकदल कार्यकर्ताओं पर गोली चलाकर सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा।<br>6–गिरोहबन्द निवारण अध्यादेश, 1986 को लागू करके सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है । यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तथा जनहित विरोधक है।<br>7–बिजली की दरों में बढ़ौती प्रदेश के किसानों एवं गरीबों को और गरीब बनाएगी। बिजली दरों की बढ़ौती कृषि उत्पादन लागत को बढ़ाएगी। |
| 9 | श्री भोपाल सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–<br>1–उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों में हजारों की तादाद में अध्यापकों की कमी होते हुए भी नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा रहना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। छात्रों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक हटा देने के संबंध में।<br>2–प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना मूल्य से उत्पन्न किसानों के असंतोष के कारण बन्द रही जिससे राष्ट्रीय उत्पादन की क्षति हुई । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 3–बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी, प्रदेश के किसानों एवं गरीबों को और गरीब बनायेगी, बिजली दरों की बढ़ोत्तरी कृषि उत्पादन लागत को बढ़ायेगी। |
| | | 4–प्रदेश में बढ़ रही भीषण मंहगाई को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 5–जनपद उन्नाव के बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को फास्ट मीटर लगाकर, उनसे गलत वसूली करने, उपभोक्ताओं द्वारा उस मीटर की शिकायतें करने पर मीटर को खराब बताकर उसे उपभोक्ता के यहां से उतरवा लेना, उसकी जांच के लिए न भेजना, उपभोक्ताओं से खराब एवं फास्ट मीटर पर आये बिलों का भुगतान कराने की धमकी देकर (लाईन के तार उतरवाकर, कनेक्शन काटकर) वसूलने आदि पर रोक लगाने तथा ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में। |
| 11 | श्री राम पाल वर्मा | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का उल्लेख नहीं किया है:– |
| | | 1–प्रदेश के विकास की दिशा में शासन अक्षम साबित हुआ है, वर्तमान सरकार ने प्रदेश के भविष्य को गर्त में डालने तथा साधारण नागरिक का जीवन और हक की सुरक्षा। |
| | | 2–हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देने में शासन की विफलता। |
| | | 3–प्रदेश में बिजली व पानी की आपूर्ति की बिगड़ती स्थिति को शासन हल करने में असफल हुआ है तथा भविष्य के लिए कोई स्वच्छ नीति की घोषणा। |
| | | 4–प्रदेशीय शासन में व्याप्त नौकरशाही की मनमानी के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा । |
| | | 5–जनपद हरदोई के पिछड़ेपन को दूर करने तथा जिले में शिक्षा नीति को नये आयामों से न जोड़ना। |
| | | 6–जनपद हरदोई के गन्ना कृषकों का कई वर्षों का पुराना भुगतान किये जाने के संबंध में। |
| | | 7–जनपद हरदोई को टाउन एरिया बेनीगंज तथा भरावन क्षेत्र के समस्त विकास एवं किसानों के लिए सिंचाई सुविधा सड़क सम्पर्क मार्ग के निर्माण में उदासीनता तथा अतरौली-सिधौनी भटपुर घाट पर गोमती नदी पर पुल का निर्माण न कराना। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 8–कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में केन्द्र से संस्तुति तथा कृषि के उपयोग में आने वाले यंत्रों, खादों, कीटनाशक दवाओं, बीज व पानी का सस्ता व समुचित प्रबन्ध। |
| | | 9–प्रदेश में सूखा तथा बाढ़ की समस्याओं के निदान का सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है राहत सामग्री प्रशासनिक अधिकारियों की पूंजी बनकर रह जाती है, सरकारी बकायों की वसूली में बल प्रयोग और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने में शासन की विफलता। |
| | | 10–प्रदेशीय पुलिस प्रशासन को नये अध्यादेश के द्वारा जो निरंकुश शक्ति प्रदान की गई है उससे माफिया निवारण की जगह गरीब, निर्दोष, हरिजन, अल्पसंख्यक एवं राजनैतिक विरोधियों का निवारण पुलिस प्रशासन के द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 11–प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम पर जिला प्रशासन व अन्य स्तरों पर लूट खसोट कायम है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से हरिजनों को समुचित लाभ का न पहुंचाया जाना। |
| | | 12–आरक्षित रिक्तियों को पूर्ण न किया जाना तथा आरक्षितों की पदोन्नति सम्बन्धी शासन के आदेशों का अनुपालन न किया जाना और आरक्षण कोटे में आने वाले पदाधिकारियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार स्थानान्तरण से लेकर नियुक्ति तक किया जाना । |
| | | 13–शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की कोई घोषणा। |
| 11 | श्री हृदय नारायण दीक्षित | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :– |
| | | (1) विकेन्द्रीकरण के नाम पर मण्डलायुक्तों को कुछ अधिकार देना अपर्याप्त है कि जिला परिषदों, टाउन-एरिया, नगरपालिकाओं, सहकारी संस्थाओं को अपाहिज बनाकर सारे अधिकार सरकार द्वारा लिया जाना । |
| | | (2) उ0 प्र0 की प्राइमरी शिक्षा की दुर्गति के कारण नष्ट होती भावी पीढ़ी के शैक्षिक विकास के लिए प्राइमरी अध्यापकों के आन्दोलन की मांगें मानकर बढ़िया वातावरण बनाने के संकल्प का उल्लेख। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | (3) कानून व्यवस्था में चुस्ती लाने के दृष्टिकोण से पुलिस सिपाहियों के वेतन व काम की दशाओं में सुधार। |
| | | (4) खेती के काम आने वाली सामग्री, बीज, खाद, पानी, बिजली, कृषि यंत्रों व कीटनाशक दवाइयों के दाम कृषि में लागत मूल्य कम करने की दृष्टि से कम करने। |
| | | (5) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्याप्त धांधली व इस हेतु किसी विशेष जांच व्यवस्था का उल्लेख। |
| | | (6) अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के किसी त्वरित योजना का जिक्र। |
| | | (7) वन विभाग द्वारा उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड के कांधा-गुरुबख्श खेड़ा, शिव सिंह खेड़ा आदि ग्रामों के हजारों हरिजनों भूमिहीनों की जमीन पर किये जा रहे जबरिया कब्जे को हटवाने का आश्वासन। |
| | | (8) उ0प्र0 की सरकारी नौकरियों हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्रों में बेरोजगारों से लिए जाने वाले आवेदन-पत्र शुल्क की मुक्ति की घोषणा। |
| | | (9) माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा उन्नाव जिले के साधन सहकारी समिति पारा के गोदाम-निर्माण के न बनने के आदेश का उल्लंघन, साथ ही जिलाधिकारी उन्नाव के इसी आशय के आदेश का उल्लंघन । |
| | | (10) उन्नाव जिले के पुरवा तहसील के जल-भराव ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों की जिन्दगी बचाने के लिए महना, बसहा सकरार, परेता, भादिन आदि झीलों की जल निकासी योजना की घोषणा। |
| 12 | श्री सूर्य प्रताप शाही | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय– |

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:–

1–बाढ़ की विभीषिका और विनाशलीला का स्थायी हल ढूंढ़ने के संबंध में तथा बाढ़ के पानी को एकत्रित कर उसका उपयोग विद्युत उत्पादन और सिंचाई कार्य में लाने की योजना जिससे प्रदेश में अरबों रुपये के वार्षिक जन-धन के क्षति को रोका जा सके ।

2–वर्तमान मंत्रिमंडल से न तो प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन मिलेगा और न प्रदेश का समुचित विकास होगा।

3–सप्तम पंचवर्षीय योजना में जिला सेक्टर में धन का आवंटन गरीबी, पिछड़ेपन, भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर करने के संबंध में ।

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 4–राज्य के समन्वित विकास के लिए विद्युत आपूर्ति तथा सिंचन क्षमता में वृद्धि के लिए नियोजित योजना के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है । |
| | | 5–प्रदेश के किसानों को उनके उपज के लाभकारी मूल्य देने हेतु वर्ष 1986 में गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 200 प्रति क्विण्टल तथा आलू का 100/- रुपए प्रति क्विण्टल घोषित करने का उल्लेख नहीं है । |
| | | 6–कृषि उत्पादों तथा मिल द्वारा उत्पादित दैनिक उपयोग में लाये जाने वाले वस्तुओं के मूल्य में तालमेल स्थापित करने के संबंध में । |
| | | 7–गन्ना किसानों को उनके बकाए मूल्य के सूद सहित भुगतान करने तथा चालू वर्ष में 30 रुपए क्विण्टल मूल्य दिए जाने के संबंध में । |
| | | 8–प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था तथा बेलगाम पुलिस और नौकरशाही को नियंत्रित करने के सन्दर्भ में। |
| | | 9–प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू करने के बारे में तथा दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के बारे में । |
| | | 10–पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए उसके त्वरित विकास के लिए पूर्वांचल बिकास निगम की स्थापना करने और पूर्वांचल को सघन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु । |
| | | 11–रोजगार गारन्टी योजना को आरम्भ कर शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की ठोस योजना के बारे में तथा बेरोजगारी की अवस्था में भत्ता दिए जाने के संबंध में । |
| | | 12–महंगाई पर रोक लगाकर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य घटाने के संबंध में । |
| | | 13–जनतांत्रिक व्यवस्था को स्वच्छ एवं सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्षों से प्रतीक्षित जिला परिषदों के गठन तथा स्थानीय निकाय और सहकारी समितियों के निश्चित अवधि के भीतर चुनाव कराए जाने की घोषणा के संबंध में। |
| | | 14–सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आई हुई अपराधों की भयंकर बाढ़ को रोकने और दिल दहला देने वाले नरसंहारों, बलात्कारों, सरे आम बाजारों में होने वाली लूट-पाट, राहजनी और वीभत्स डकैती काण्डों से प्रदेश की जनता को छुटकारा दिलाकर गम्भीर रूप से व्याप्त अराजकता की स्थिति से प्रदेश को उबारने हेतु कोई तात्कालिक और प्रभावी कदम उठाए जाने की घोषणा । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

15—देवरिया जनपद के गरीबी पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कसया तथा पथरदेवा में भारी तथा बड़े उद्योगों के स्थापना का उल्लेख किया जाय।

16—पूर्वांचल में अशिक्षा के औसत को देखते हुए कुशीनगर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु ।

17—महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाणस्थली कुशीनगर में देश-विदेश से आए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटकगृह तथा उसके विकास की ठोस तथा समयबद्ध योजना की घोषणा के साथ कुशीनगर हवाई पट्टी पर नागरिक सेवा प्रारम्भ करने हेतु ।

18—पथरदेवा में ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए पेयजल टंकी निर्माण की योजना प्रारम्भ करने हेतु ।

19—बघौंय घाट के तथा आस-पास के गांवों को समुचित विकास करने के लिए विद्युत सबस्टेशन निर्माण करने तथा सहकारी क्षेत्र से चीनी मिल शीतगृह के निर्माण हेतु ।

20—महुअवा-बजराटार मार्ग को पिच करने तथा पकही बिशुनपुरा महुआपाट घाट मार्ग के अधूरे निर्माण को पूरा करने के सन्दर्भ में ।

21—पथरदेवा-बिशुनपुरा मार्ग तथा पथरदेवा बंजरिया मार्ग को पक्का कराए जाने तथा उस पर राजकीय बस चलाए जाने के संबंध में ।

22—पकही घाट पुल से टोल टैक्स समाप्त करने तथा नरायनपुर के निकट खनुआ नदी पर तिरमुहानी घाट में तथा छोटी सड़क पर नौतन हथियागढ़ में सेतु निर्माण हेतु।

23—हैतिमपुर तथा तरकुलवा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में ।

24—पथरदेवा में महाविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में ।

25—कुयवाडेन, सकतुई-हरपुर-मलसी ड्रेन तथा शामपुर-चकदेइया ड्रेन के निर्माण के संबंध में ।

26—बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा देवरिया जनपद में संचालित समस्त भवनहीन विद्यालयों के निर्माण तथा जर्जरित भवनों की मरम्मत हेतु ।

27—सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और संतोषप्रद वितरण के प्रस्तावित योजना के संबंध में ।

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 13 | डा0 दिनेश जौहरी | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:– 1–बरेली महानगर पालिका नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूर्णतया असमर्थ है नगर के 80 प्रतिशत विद्युत खम्भों पर या तो बल्ब व राड नहीं हैं या फ्यूज हैं। 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र में सीवर लाइन न पड़े होने के कारण गन्दगी का साम्राज्य है अनेक आवश्यक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था नहीं है मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं । 2-3 पार्कों को छोड़ कर सभी उजड़े पड़े हुए है । 2–बरेली जनपद में मेडिकल कालेज न होने के कारण इस क्षेत्र के रोगियों को भारी असुविधा होती है और उन्हें उपचार के लिए दिल्ली या लखनऊ भागना पड़ता है । नगर में केवल 300 शय्याओं का अस्पताल है जो जनसंख्या देखते हुए बहुत कम है । कम से कम 400 शय्याओं के आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल की आवश्यकता है । 3–मण्डल में प्राविधिक शिक्षा के प्रदान करने के लिए इन्जीनियरिंग कालेज तुरन्त खोले जाने की आवश्यकता है। 4–बरेली मण्डल के बढ़ते महत्व को देखते हुए यहां वायुदूत सेवा आरम्भ की जाने की बहुत ही आवश्यकता महसूस की जा रही है । 5–नगर क्षेत्र में स्थित फल बागान, नर्सरी व सब्जी उगाने वाले क्षेत्रों को नगर भूमि सीमा में अधिग्रहीत किए जाने के आदेशों के कारण इस कार्य में लगे असंख्य लोग बेरोजगार हो जावेंगे एवं नगर में सब्जी, फल, पेड़-पौधों की आपूर्ति को बहुत आघात लगेगा । अतः इस क्षेत्र को फल, सब्जी पट्टी घोषित किया जावे । 6–भोजीपुरा स्थित प्रौद्योगिक पट्टी में बिजली आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण इस क्षेत्र की 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयां घाटे में चल रही हैं और बन्द होती जा रही हैं अतः उन्हें पूरे समय बिजली दिलाई जावे । 7–बिक्री कर को समाप्त कर उत्पादन कर लगाया जावे जो कि सभी व्यापारियों एवं जनता के हित में है । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 8—बरेली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिससे हर नागरिक परेशान है । छोटे-छोटे निर्माण पर भारी जुर्माने लगा दिए जाते हैं और नागरिकों का शोषण होता है । कम से कम जुर्माने की सीमा 2000 पर समाप्त किया जाना चाहिए । |
| 14 | श्री सत्य प्रकाश विकल | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई घोषणाएं नहीं की है:— |
| | | 1—सरकार द्वारा विधान सभा के सत्र आहूत करने के लिए स्थापित नियमों की घोर अवहेलना तथा टालमटोल किये जाने के बारे में अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है। जबकि वर्ष में तीन सत्र तथा नब्बे दिन की बैठकें यथासम्भव बुलायी ही जायेंगी इसकी घोषणा की जानी चाहिये। |
| | | 2—प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बजाये सुधरने के और भी बदतर होती जा रही है। जहां एक ओर लूट, डकैती, कत्ल व अन्य आपराधिक घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर निरीह जनता पर पुलिस के जुल्म व उसकी निरंकुशता भी बढ़ती जा रही है। अतरौली में छात्रों तथा जनता पर ढाये गये पुलिस जुल्म तथा फतेहपुर स्टेशन पर गर्भवती महिला के साथ बलात्कार व हत्या पुलिस अमानुषिकता की ताजी कहानियां हैं। इस पर भी पुलिस प्रशासन को और व्यापक अधिकार दिये जाने की कोशिश की जा रही है। जबकि पुलिस को जनसेवा का विश्वसनीय उपकरण तथा कानून का सही मानों में रक्षक बनाये जाने के लिये सभी कदम उठाये जाने चाहिये। |
| | | 3—प्रदेश के स्थानीय निकायों यथा, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका तथा नगर महापालिकाओं के चुनाव करा दिये जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जबकि इन संस्थाओं के अनेक वर्षों से चुनाव न होने तथा इनमें व्याप्त भारी भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता तथा अकर्मण्यता के कारण पानी, सड़क, सफाई, सीवर आदि की मूलभूत आवश्यकताओं की दृष्टि से नागरिक जीवन अत्यधिक त्रस्त है। इन संस्थाओं के चुनाव अविलम्ब एवं एक निश्चित समय तक करा दिये जाने की स्पष्ट घोषणा नहीं की गयी है। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 4–बिक्रीकर का सरलीकरण करने के बजाय उसका दुष्करीकरण ही किया जा रहा है। सरकार द्वारा अंधा-धुंध बिक्रीकर की दरें तथा सरचार्ज बढ़ाने की नीति से यहां के उद्योग और व्यापार तो चौपट होकर पड़ोसी राज्यों में जा ही रहे हैं साथ ही सरकार को राजस्व की अपरिमित हानि के साथ बुरी तरह भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। अतएव प्रदेश के व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास की गति को तीव्र बनाने के लिये बिक्रीकर के वास्तविक सरलीकरण तथा अन्य प्रदेशों की तुलना में उसकी उचित दरों की घोषणा नहीं की गयी है। |
| | | 5–किसान को उसकी उपज के प्रोत्साहक एवं सही मूल्य दिये जाने तथा क्रय केन्द्रों पर प्रतिवर्ष होने वाली उसकी लूट तथा शोषण को रोके जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। |
| | | 6–भारी एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना तथा पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व के नगर आगरा की प्रगति और उसके विकास के लिये सरकार की उपेक्षा खेदजनक रही है। इसकी ठोस योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किये जाने की घोषणा नहीं की गयी है। |
| 15 | श्री देव कुमार यादव | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में– |
| | | (1) बुन्देलखण्ड के सर्वांगीण विकास हेतु विकास आयोग गठित करने का उल्लेख नहीं किया है। |
| | | (2) राज्य की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का उल्लेख नहीं किया है। |
| | | (3) राज्य में जल कर माफ करने का उल्लेख नहीं किया है । |
| | | (4) राज्य में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचारों तथा पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं किया है । |
| | | (5) राज्य के शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं किया है । |
| | | (6) राज्य कताई मिल बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचारों तथा श्रमिक उत्पीड़न पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं किया है । |
| | | (7) बांदा में यमुना नदी पर औगासी, मका तथा दंदौ घाटों पर तत्काल पीपों के पुलों का निर्माण कराने का उल्लेख नहीं किया है । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

(8) बांदा यमुना नदी पर लखनपुर, चरका तथा बरियारकिलां पर तथा बागै नदी पर भदावल और ममसी खुर्द में पम्प कैनाल बनवाने का उल्लेख नहीं किया है ।

(9) बांदा की कमासिन सड़क को पूरा कराके पक्का कराने का उल्लेख नहीं किया है ।

(10) बुन्देलखण्ड एवं बांदा जनपद में नहरों तथा राजकीय नलकूप लगाकर सिंचाई की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है ।

(11) बांदा जनपद की सिंचाई के प्रमुख स्रोत केन नहर जल विवाद को मध्य प्रदेश से निपटने का उल्लेख नहीं किया है ।

(12) प्रदेश में कृषि तथा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत लिए गए कर्जों की वसूलियों में किसानों तथा लाभार्थियों की जायदादों को नीलाम न करने का उल्लेख नहीं किया है ।

(13) बांदा जनपद में नवाब बांदा का स्मारक बनाने का उल्लेख नहीं किया है ।

(14) बुन्देलखण्ड के उद्योग शून्य जिलों बांदा, हमीरपुर, ललितपुर तथा जालौन का व्यापक औद्योगीकरण करने हेतु उल्लेख नहीं किया है ।

(15) बांदा जनपद में आवास विकास परिषद् निर्माण निगम, मण्डी परिषद्, ग्रामीण अभियन्त्रण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे भवनों के निर्माण में घपलों की जांच कराने का उल्लेख नहीं किया है ।

(16) बांदा के जसपुर ब्लाक में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये जा रहे भारी घपलों और घुटालों की उच्च-स्तरीय जांच कराने का उल्लेख नहीं किया है ।

(17) बांदा जनपद की बबेरु तहसील केन्द्र में राजकीय बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने तथा भवन विहीन प्राथमिक पाठशालाओं के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं किया है ।

(18) प्रदेश की बसों का किराया कम करने का उल्लेख नहीं किया है ।

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 16 | श्री दीप नारायण | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–<br>"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–<br>1–सदर तहसील जनपद-बस्ती के ग्राम सभा मडवा नगर तथा डिहोहा में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा तथा उन ग्राम समाजों के चकरोडों को तुरन्त नाप कर रास्ते को चौड़ा करा दिया जायगा तथा वह कार्य दिनांक 31-12-86 तक पूरा करके दोषी कृषकों जिन्होंने ग्राम समाज की भूमि तथा चकरोडों पर अनधिकृत अधिग्रहण किया है अवश्य दण्डित किया जायगा ।<br>2–किसान इण्टर कालेज, बस्ती के बगल से हरदिया चौराहा तक आने वाली कच्ची सड़क जो ग्राम गदहा खोर के दक्षिण, ग्राम सिसरौलिया के उत्तर ग्राम खोराबार (दोनों पुरवा) के मध्य से होकर बस्ती-बांसी सड़क में हरदिया चौराहे पर आकर मिलती है, को आगामी वित्तीय वर्ष में जरूर पीक रोड करा दिया जायगा ।" |
| 17 | श्री हरेन्द्र सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–<br>1–विकास खण्ड साहपुर में चीनी मिल लगाने के सम्बन्ध में ।<br>2–मुजफ्फर नगर जनपद में जबरिया नसबंदी रोकने के सम्बन्ध में ।<br>3–साहपुर इण्टर कालेज को उच्चीकृत कर डिग्री कालेज बनाने के सम्बन्ध में ।<br>4–ग्राम दुलहरा व शतरुद्दीन नगर विकास खण्ड साहपुर में नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में ।<br>5–सिसौली कस्बा में सब मण्डी बनाने के सम्बन्ध में ।<br>6–बुढ़ाना-खतौली मार्ग पर ग्राम अटेरना के पास एक सब विद्युत स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में ।<br>7–प्रशासन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में ।<br>8–ग्राम भौंरा कला पिसा में कन्या हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में ।<br>9–हिन्डन नदी एवं कृष्णा नदी में हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 10—ग्राम ससड में खरड जनपद मु0 नगर में सरकारी अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में । |
| | | 11—ग्राम बूढ़ का क्षेत्र नगर पालिका खतौली में मिलाने के सम्बन्ध में । |
| | | 12—ग्राम सौरों वि0 ख0 साहपुर को टाउन एरिया बनाने के संबंध में । |
| 18 | श्री सुखपाल पाण्डे | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय का उल्लेख नहीं किया है:— |
| | | 1—राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञस्थली मखक्षेत्र (मखौड़ा) तथा मनोरमा नदी के घाटों के जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं किया गया है । |
| | | 2—मनोरमा नदी पर मखक्षेत्र (मखौड़ा) में राज्य सेक्टर का पुल तथा सिकन्दरापुर से मसकनवा सड़क कुसमौर घाट पर मनोरमा नदी पर पक्के पुल का निर्माण बाधानाल से परशुरामपुर मनोरमा नदी पर पक्के पुल विक्रमजोत अमोली पुर रजवापुर करीमपा, गोपी नाथ पुर मार्ग पर रजवापुर में पक्के पुल का निर्माण बसेवा पाण्डेय से सेदुरिया घाट अमारी सड़क का निर्माण तथा सेदुरिया में पक्के पुल का निर्माण का सुझाव नहीं दिया गया । |
| | | 3—घाघरा के किनारे बने बन्धे निम्नांकित गांव घाघरा की गोद में चले गये:—ग्राम सहजौशप्रोदुखी, गोकुला, लोहखर्दिया, मटपुरा, शिवगढ़, पुरे केशव दास, बघुवापार केजामिश्र, पकड़ी नरसिंहपुर, खेमराजपुर, भौंसिया, कन्हईपुर बानेपुर पहिया माफी, कर्शियापुर विछिया आदि गांवों में लोगों के सुरक्षा के लिए रिंग बांध तथा ठोकर बनवाने का भी उल्लेख नहीं किया गया है और बन्धे पर पत्थर से पिच कराने, घाघरा की कटान रानीपुर, भौंसिया बधुवापार कशियापुर बानेपुर पफेपंक से दुबौलिया बाजार तक घाघरा के बने ठोकरों को स्थायी बनाने तथा बने ठोकरों के मरम्मत के लिए कोई वृहद् योजना का सुझाव नहीं दिया गया है। |
| | | 4—घाघरा के किनारे दर्जनों गांवों के किसानों को बाढ़ में गिरे मकान का तहसील द्वारा अब तक क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया गया और जो भुगतान कुछ गांवों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया उसमें किए गये भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं किया गया है । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 5–निम्नलिखित सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं :– 1-विशेशरगंज से समाँड़ा 2-विशेशरगंज से सदीपुर 3-विशेशरगंज से बानेपुर 4-बिशेशरगंज से महुआघाट, 5-जमौलिया से बंजरिया 6-छावनी से अमारी, 7-मुरादीपुर से श्रृंगीनारी 8-महुआघाट से अमारी, रजवापुर कोहराये नकटाघाट तक, 9-सिकन्दरपुर से मसकनबां, 10-श्रृंगीनारी से कोहराये, 11-छावनी से रामगढ़, अजनडीह तक, 12-विक्रमजोत से रजवापुर, गोपीनाथपुर सरनामगंज मण्डफे, 13-चौरी बाजार से नेवादा तक, 14-हरैया से महेवा कुआर बासगांव, बसेवा राय बसेवा पांडे तक, 15-मन्दिर से लेकर लालपुर धोसड़ बभनान मार्गों का निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया । |
| | | 6–अयोध्या से सिकन्दरपुर मसकनवां गौरा चौकी चन्द्रदीप घाट डुमरियागंज बढ़नी नेपाल के सीमा तक पक्की सड़क का, पुल का निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का उल्लेख नहीं किया गया । |
| | | 7–राजकीय चिकित्सालय दुबौलिया बाजार विशेशरगंज बाजार छावनी बाजार सिकन्दरपुर बाजार महिला चिकित्सालय बभनान तथा हरैया आयुर्वेदिक चिकित्सालय गौरा पाण्डेय तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय अमारी बाजार तथा जीतीफर बेलभरिया के भवन का निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया । |
| | | 8–विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार तक विद्युतीकरण के लिये खम्भे गड़ गये, वायरिंग 1978 में किया गया परन्तु अब तक उन गांवों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया उससे करोड़ों रुपये की क्षति हुई । |
| | | 9–बस्ती जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए कोई उद्योग धन्धा शिक्षित बेरोजगार तथा बेरोजगार नवयुवकों को कोई रोजगार देने की, कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया। |
| | | 10–पुलिस जुर्म भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी तहसीलों के लूट को रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। |
| | | 11–भ्रष्ट अधिकारियों की सेवा समाप्ति एवं दण्डित करने की योजना का उल्लेख नहीं किया गया। |
| | | 12–बस्ती जिले की डुमरियागंज कृषि डिग्री कालेज तथा पचवस में इन्द्रावन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डिग्री कालेज खोलने का उल्लेख नहीं किया गया। |

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

13–आचार्य नरेन्द्र देव ग्रामीण विकास पालीटेक्निक बभनान बस्ती में खोलने का उल्लेख नहीं किया गया।

14–विधान मण्डलों के हरिजन एवं पिछड़ी जाति एवं जनजाति के सदस्यों तथा राजपत्रित अधिकारियों का आरक्षण समाप्त करके गरीबों में आरक्षण की सुविधा की सिफारिश किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया।

15–जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में निर्माण एवं विकास का कार्य बाढ़ नियंत्रण विद्युतीकरण सड़कों का निर्माण अस्पतालों का निर्माण शिक्षा का प्रसार गुण्डा बदमाशों का नियंत्रण करके शान्ति व्यवस्था बस्ती जिले में बनाने की व्यवस्था की थी, उसे कायम रखने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

16–घाघरा के कटान से कटी जमीन पर बकाया लगान तथा पुराना कर्जा किसानों का माफ करने का उल्लेख नहीं किया गया।

17–मांझा क्षेत्र के किसान जिनका मकान घाघरा के कटान से कट के मकान जमीन नष्ट हो चुकी है उनको जमीन देकर बसाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया ।

18–बाढ़ विभाग द्वारा ही हरैया तहसील के बाढ़ पीड़ित एवं घाघरा के पेट में बसे क्षेत्र के गांव को ऊंचा करने की योजना का उल्लेख नहीं किया गया।

19–जिला विकास अधिकारी बस्ती के भ्रष्टाचार लूटपाट अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं किया गया।

20–चीनी मिल बाल्टरगंज तथा खलीलाबाद को चालू करने तथा दोषी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं किया गया।

21–अधिशासी अभियन्ता डी0 सी0 यू0 सा0 नि0 वि0 गोण्डा के भ्रष्टाचार लूटपाट सरकारी धन का अपहरण करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं किया गया।

22–किसानों के गन्ने का मूल्य जो चीनी मिलों पर बकाया है उसे भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

23–नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया तथा जिला परिषद् के चुनाव का कोई जिक्र नहीं किया गया।

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 24—प्रदेश के पिछड़े इलाकों तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को पिछड़ापन एवं बाढ़ दूर करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया। |
| | | 25—बस्ती जिले में बभनान को एक नई तहसील बनाने के लिए बस्ती तथा गोंण्डा का हिस्सा निकाल कर बभनान, जिला बस्ती में एक नई तहसील के निर्माण करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया। |
| | | 26—बभनान तथा हरैया जिला बस्ती को टाउन एरिया बनाने का कोई सुझाव नहीं दिया गया। |
| | | 27—हाई स्कूल तक छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा का कोई सुझाव नहीं दिया गया। |
| | | 28—बस्ती जनपद इस प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है गरीबी तथा पिछड़ेपन का बुरी तरह शिकार है अत: बस्ती जिले के बहुमुखी विकास तथा फैक्ट्री आदि की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। |
| | | 29—पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक पूर्वीय उत्तर प्रदेश प्राधिकरण बनाने का तथा पटेल आयोग के भांति बस्ती जिले के लिए एक आयोग के गठन का सुझाव नहीं दिया गया। |
| | | 30—गोरखपुर जिले में राजनैतिक गुण्डों ने पुलिस अधीक्षक नगर के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना का उल्लेख दैनिक आज अखबार में प्रकाशित हुआ। इसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। |
| | | 31—सिंचाई विभाग के भ्रष्ट किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया। हजारों भ्रष्ट अधिकारियों की पत्रावली वर्षों से शासन के निर्णय हेतु पड़ी है परन्तु उनके निस्तारण का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। |
| | | 32—स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार, शासन से लेकर निदेशालय एवं जिले तक गांवों में डाक्टरों के स्थानान्तरण, नियुक्ति पदोन्नति में खुले आम रिश्वत-खोरी का बोलबाला, भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री दलालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। |
| | | 33—हाई स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज में कार्य न करने, छात्रों को नकल करने के प्रोत्साहन देने वाले अध्यापक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 34–माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा शिक्षा निदेशालय में फैले भ्रष्टाचार तथा छात्रों की परीक्षा में भ्रष्ट ढंग से धन लेकर निदेशालय में धन के आधार पर विद्यालय को अनुदान सूची में लाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। |
| | | 35–दुबौलिया, महूघाट, अमारी, रजवापुर, कोहरायें, मखौड़ा, नकटाघाट पक्की सड़क राज्य सेक्टर का निर्माण कराने का उल्लेख नहीं किया । |
| | | 36–7 जनवरी, 1986 को खलीलाबाद वाल्टरगंज खलीलाबाद चीनी मिल के बंदी के कारण निहत्थे जनता पर लाठी चार्ज तथा श्री धनराज यादव विधायक पर प्राणघातक हमले व गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं किया गया । |
| | | 37–सदर तहसील जनपद-बस्ती के ग्राम सभा सड़वा नगर तथा डिहौहा में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा तथा उन ग्राम सभाओं के चकरोडों को तुरन्त नाप कर रास्ते को चौड़ा कराये जाने तथा यह कार्य दिनांक 31-12-86 तक पूरा करके दोषी कृषकों जिन्होंने ग्राम समाज की भूमि तथा चकरोडों पर अनधिकृत अधिग्रहण किया है अवश्य दण्डित किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। |
| | | 38–किसान इण्टर कालेज बस्ती के बगल से हरदिया चौराहा तक आने वाली कच्ची सड़क जो ग्राम गदहा खोर के दक्षिण, ग्राम सिसरौलिया के उत्तर ग्राम खोराखार (दोनों पुरवा) के मध्य से होकर बस्ती-बांसी सड़क में हरदिया चौराहे पर आकर मिलती है, को आगामी वित्तीय वर्ष में जरूर पीक रोड बनाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। |
| 19 | श्री रिछपाल सिंह बंसल | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:– |
| | | 1–विकास खण्ड लोनी जनपद गाजियाबाद में पालीटेक्निक खोलने के सम्बन्ध में। |
| | | 2–जनपद गाजियाबाद व मेरठ में जबरिया नसबन्दी रोकने के सम्बन्ध में। |
| | | 3–किसान राष्ट्रीय इन्टर कालेज चिरौड़ी गाजियाबाद को उच्चीकृत कर डिग्री कालेज बनाने के सम्बन्ध में। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 4–जनपद मेरठ में बागपत-मुरादनगर सम्पर्क मार्ग पर हिण्डन नदी पर ग्राम सुराना व सरफाबाद के बीच पुल बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 5–चिरौड़ी गांव में सब-मण्डी बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 6–प्रशासन पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में। |
| | | 7–ग्राम धारीपुर, जनपद गाजियाबाद में कन्या हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में। |
| | | 8–हिण्डन नदी व जमुना नदी में हो रहे जल-प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में। |
| | | 9–ग्राम चिरौड़ी जनपद गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में। |
| | | 10–शहीद नगर चिकम्बरपुर, सूर्यनगर, बृज बिहार सेक्टर-8, राजेन्द्र नगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत विकास करने के सम्बन्ध में। |
| | | 11–ग्राम ढिकौली को जनपद मेरठ में टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 12–कस्बा लोनी में विकास खण्ड लोनी की इमारत की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में। |
| | | 13–ग्राम जावली में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत पशुओं का अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में। |
| | | 14–चुनाव क्षेत्र खेकड़ा में जनपद मेरठ के अन्तर्गत हुई अति ओलावृष्टि से हुई क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में। |
| | | 15–वि0 खण्ड लोनी में प्राइमरी पाठशालाओं के मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 20 | श्री जगवीर सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:– |
| | | 1–अतरौली जिला अलीगढ़, गाजीपुर, जौनपुर काण्डों के न्यायिक जांच के सम्बन्ध में। |
| | | 2–खैर क्षेत्र में शुगर मिल लगाने के सम्बन्ध में। |
| | | 3–ओला वृष्टि व सूखाग्रस्त किसानों पर जबरिया वसूली के सम्बन्ध में। |
| | | 4–अलीगढ़ जिले में जबरिया नसबन्दी कराने के सम्बन्ध में। |
| | | 5–अलीगढ़ जिले में जमुना नदी के कटाव एवं खैर क्षेत्र में अवैध रूप से हरियाना पुलिस के प्रवेश के सम्बन्ध में। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 6–अपर आगरा कैनाल को हरियाना स्थानान्तरण न करने के सम्बन्ध में। |
| | | 7–अलीगढ़ जिला अस्पताल अव्यवस्था व फौजदारी के फर्जी डाक्टरी मुआयनों के सम्बन्ध में। |
| | | 8–अलीगढ़ जिले में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की मरम्मत एवं खैर व जटटारी में कन्या इन्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में। |
| | | 9–खैर क्षेत्र में अत्यधिक गेहूं की पैदावार होने के कारण गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| | | 10–खैर निर्वाचन क्षेत्र में मालव व सादीपुर पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में। |
| | | 11–मथुरा जिले के कोसीकलां में 132 के0 वी0 विद्युत गृह खोले जाने के सम्बन्ध में। |
| | | 12–अलीगढ़ जिले के पिसावां में मण्डी समिति व विद्युत गृह से सप्लाई देने के सम्बन्ध में। |
| | | 13–अलीगढ़ जिले के जटटारी कस्बे में नवीन मण्डी समिति बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 14–सादाबाद विद्युत गृह 132 के0 वी0 आगरा विद्युत गृह बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 15–मथुरा जिले के नोझील कस्बे में नवीन मण्डी समिति के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| | | 16–अलीगढ़ जिले में नाले के पुल के सम्बन्ध में नरवारी एवं मालव तथा पटवाये नाले पर जड़ाना एवं जलालपुर गांव के निकट पुल के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| | | 17–मांट ब्रांच नहर पर प्रेमपुर गांव पर पुल बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 18–सादाबाद टाउन एरिया को नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 19–मथुरा जिले के पैगांव, कांवर, बिसावर, मांट व नोझील को टा0 ए0 बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 20–संसद सदस्यों की भांति विधायकों को जिले में क्षेत्र का दौरा करने के लिए सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में । |
| | | 21–टप्पल ब्लाक टाउन एरिया के सम्बन्ध में। |
| | | 22–चण्डौस व पिसावा को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में। |
| | | 23–महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 21 | श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–<br>1–बुन्देलखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए एवं बुन्देलखण्ड की समस्याओं के निदान के लिए पृथक बुन्देलखण्ड राज्य घोषित करने,<br>2–बांदा जनपद में अतर्रा को नई तहसील बनाने,<br>3–बांदा जनपद की नरैनी तहसील मुख्यालय में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने,<br>4–बांदा जनपद दैनिक आपदाओं से पीड़ित है अतः समस्त प्रकार की वसूलियों को तुरन्त शासन स्तर से माफ करने,<br>5–बांदा जनपद में सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनपद में बह रही केन, रंज, बागै नदी के किनारों का विद्युतीकरण कराने,<br>6–बांदा जनपद के कालिंजर किले को पर्यटन स्थान घोषित करने,<br>7–बांदा जनपद का अतर्रानगर चारों ओर से आवागमन का केन्द्र होने पर भी राजकीय परिवहन निगम के बस डिपो बनाने,<br>8–बांदा जनपद नरैनी तहसील में बहरही छोटी-छोटी नदियां जैसे बान गंगा, कडैली, बरार आदि में चेक डैम बनाने,<br>9–बांदा जनपद में अतर्रा नगर के एलोपैथिक पुरुष एवं महिला अस्पताल का उच्चीकरण करने,<br>10–बांदा जनपद के मसौनी पम्प कैनाल के इसी वर्ष निर्माण कार्य शुरू करने,<br>11–बांदा जनपद के रासिन बांध का निर्माण तुरन्त कराने की सिफारिश,<br>12–बांदा जनपद में चागे नदी एवं रंज नदियों में नेदुवा बडछा तथा तरसूम्भ, करारी आदि गांवों के पास से लिफ्ट कैनाल बनाने का,<br>13–बांदा जनपद में कालीनगर, बदौसा तथा फतेहगंज एवं गिरवां क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये राजकीय नलकूप लगवाने,<br>14–बांदा जनपद के नरैनी तहसील में खाद्यान्न योजना से बनी कच्ची सड़कों को पक्का कराने, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 15–बांदा जनपद राजकीय अतर्रा आयुर्वेदिक कालेज के अस्पताल रोगियों की संख्या को देखते हुए शैय्यायें बढ़ाने, |
| | | 16–बांदा जनपद के अतर्रा आयुर्वेदिक राजकीय कालेज में ब्लड बैंक की स्थापना करने, |
| | | 17–बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में महिला डिग्री कालेज एवं कन्या इन्टर कालेज खोलने, |
| | | 18–बांदा जनपद अतर्रा नगर में कोई उद्योग सरकारी कारखाने जैसे दफ्ती का कारखाना आदि लगवाने, |
| | | 19–बांदा जनपद के नरैनी कस्बे में चीनी मिल लगवाने, |
| | | 20–बांदा जनपद के नरैनी तहसील की सड़क कालिंजर से खुजराहो रामगर होते हुए बीच में पड़ रही बागैनी में पुल बनवाने, |
| | | 21–बांदा जनपद की नरैनी तहसील में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना द्वारा, भूमि समतलीकरण, चेक डैम बन्धी बनवाना आदि की उक्त योजना को लागू करने, |
| | | 22–बांदा जनपद में नरैनी प्रदेश में सबसे बड़ा ब्लाक है अतः कुछ महुवा ब्लाक के गांव तथा कुछ नरैनी ब्लाक के गांवों को मिलाकर बदौसा नया ब्लाक बनाने, |
| | | 23–बांदा जनपद में पीने के पानी के संकट को देखते हुये, बदौसा, फतेहगंज तथा भरतकूप क्षेत्र में पानी की बड़ी टंकियों के निर्माण कराने, |
| | | 24–बांदा जनपद की सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखकर म0 प्र0 की अधिग्रहीत भूमि जो उ0 प्र0 ने कर रखी है उस पर ग्रेटर गंगऊ बहुउद्देशीय का निर्माण, |
| | | 25–बांदा जनपद के प्रा0 पाठशालायें जो बिना भवन की हैं, उनके भवन निर्माण, |
| | | 26–शासन के सार्वजनिक निर्माण अनु0–6 के एक प्रवर वर्ग सहायक व अनु सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी, जिसकी शिकायत कुछ विधायकों द्वारा 16-4-84 से 18-8-84 के मध्य ज्ञापन सहित मंत्री महोदय को की गयी है, के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाना। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 22 | श्री औसान सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–<br>1–जनपद इटावा के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र विधूना के विधूना सहार, विधूना इन्दरगढ़, विधूना, दिबियापुर, याकूबपुर सहावल बेला-महू अधूरे मार्गों का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक कराया जाय तथा पान्डो नदी पर कैकाबा, भदौरा व पुराह नदी पर भसौरा पुलों का यातायात सुविधा हेतु निर्माण कराया जाय ।<br>2–जनपद इटावा के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र एवं तहसील मुख्यालय विधूना में शीतगृह कन्या इण्टर कालेज, व डिग्री कालेज एवं मिनी शुगर मिल का निर्माण कराया जाय ।<br>3–जनपद इटावा के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र विधूना में सिंचाई सुविधा हेतु डगसुआपुर माइनर, कंचनपुरवा माइनर, उपरेमा माइनरों का नवनिर्माण एवं अशोकपुरी माइनर, वर्क माइनरों का अधूरा कार्य कराया जाय व जल भराव समस्या के स्थाई समाधान हेतु मास्टर प्लान तैयार कर नालों का नव निर्माण व सफाई तुरन्त कराई जाय ।<br>4–इटावा जनपद के सर्वाधिक पिछड़े एवं उपेक्षित क्षेत्र विधूना तहसील मुख्यालय पर 50 शैय्याओं का चिकित्सालय व बदिन, सबहद, असजना, मैसोल, देवरांव, गुनौली, शिवगंज ग्रामों में राजकीय चिकित्सालय (प्रा0 ह0 सेन्टर) स्थापित किया जाय ।<br>5–इटावा जनपद के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र विधूना के विद्युतीकरण का असन्तुलन समाप्त कर 80 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण अविलम्ब किया जाय । |
| 23 | श्री अवनीश कुमार सिंह | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–<br>1–जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में राम गंगा नदी से सितम्बर 85 में आई भीषण बाढ़ में हुये भारी नुकसान के फलस्वरूप ग्रामीणों को गृह अनुदान तथा बाढ़ में कटी भूमि का मुआवजा शीघ्र दिलाया जाये तथा कटे हुये ग्रामों को शीघ्र पुनर्स्थापित कराया जाये । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 2—जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के सीमान्त तथा लघु कृषकों को 50 प्रतिशत दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने में जो अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है, उसकी तुरन्त जांच कराई जाय । |
| | | 3—जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में चीनी मिल की स्थापना की जाय । |
| | | 4—जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में कम से कम दो गन्ना खरीद केन्द्र स्थापित किये जायें । |
| | | 5—जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र में अधिकांश सड़कें अधूरी पड़ी हैं । उनको शीघ्र पूरी कराया जाय । |
| | | 6—जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र में सरकारी नलकूपों की संख्या अत्यधिक कम है अतः वहां अधिक से अधिक नलकूप लगाये जायं । |
| | | 7—जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र के ग्राम बेया डांडी पर रामगंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया जाये । |
| | | 8—जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र के ग्राम झुकसा में एक राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल तथा कस्बा दातागंज में एक राजकीय इण्टर कलेज खोलवाया जाय । |
| | | 9—जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र के ग्राम समरेर तथा ग्राम हजरतपुर में महिला चिकित्सालय स्थापित किये जायें । |
| | | 10—जनपद बदायूं में पोलिटेक्निक विद्यालय में कार्य आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाये । |
| | | 11—जनपद बदायूं के कस्बा दातागंज में टाउन एरिया की अधूरी पड़ी पानी की टंकी को शीघ्र पूर्ण कराया जाये । |
| 24 | श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— |
| | | 1—अलीगढ़ जनपद के सिकन्द्राराऊ क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग नगला जलाल कपसिया, वाजिदपुर लम्बाई 15 कि0मी0 के निर्माण के संबंध में, |
| | | 2—ग्राम दमा, दमी, करहला, जूझारपुर, दरियापुर तहसील सिकन्द्राराऊ जनपद अलीगढ़ के जल प्लावन की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 3—जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड हसायन में तेलीय पानी के क्षेत्र में राजबहा महो के कुलावा नं0 13 से एक माइनर निकाल कर अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन के सम्बन्ध में, |
| | | 4—अलीगढ़ जनपद में रतभानपुर भैकुड़ी खरंजा लगे मार्ग को लेपन स्तर तक कार्य कराके पक्का कराने के सम्बन्ध में, |
| | | 5—केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अनुरूप आई0 आर0 डी0 योजना के लाभार्थियों को विचौलियों से बचाने के लिये परिसम्पत्ति क्रय कराने के स्थान पर, नगद धनराशि देने के सम्बन्ध में, |
| | | 6—जनपद अलीगढ़ में मुठभेड़ों के नाम पर की जा रही हत्याओं की उच्चस्तरीय जांच के सम्बन्ध में, |
| | | 7—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ के 15 सौ से अधिक आबादी के ग्रामों को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में, |
| | | 8—अलीगढ़ जनपद की सिकन्द्राराऊ तहसील पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में, |
| | | 9—अलीगढ़ जनपद के सिकन्द्राराऊ नगर में राज्य परिवहन का बस अड्डा निर्मित कराने के सम्बन्ध में, |
| | | 10—अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत प्राथमिक स्वा0 केन्द्र सिकन्द्राराऊ को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में, |
| | | 11—अलीगढ़ जनपद में सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के निराकरण के सम्बन्ध में, |
| | | 12—अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत हसायन महासिंहपुर मार्ग को पक्का कराने के संबंध में। |
| 25 | श्री रघुबर दयाल वर्मा | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया :— |
| | | 1—किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाना। |
| | | 2—स्थानीय निकायों के चुनाव अविलम्ब कराकर उनका विधिवत् गठन किया जाय ताकि नागरिकों को नगरों और कस्बों में व्याप्त गंदगी घोर पेयजल संकट आदि से छुटकारे के लिए स्थानीय निकायों को निर्वाचित लोगों के हाथ सुपुर्द किया जाय । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 3–शिक्षार्थी शिक्षा का जीवन का रिश्ता जुड़े जैसी रोजगार परक शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा पद्धति में बदलाव कर समान शिक्षा की नीति के अंतर्गत एक विद्यालय, एक पाठ्यक्रम और एक पद्धति का ही चलन हो तथा विभिन्न पद्धतियों जैसे पब्लिक स्कूल, मान्टेसरी, शिशु मंदिर, किन्डर गार्टेन जैसी पद्धतियां बंद हों । |
| | | 4–फिरोजाबाद को तुरन्त जिला बनाया जाने की घोषणा । |
| | | 5–फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग यमुना नदी पर शंकरपुर घाट पर पक्के पुल का निर्माण। |
| | | 6–जमुना चम्बल और उटंगन नदी घाटी के उपेक्षित सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र का उत्थान करने के लिये अलग से यमुना, चम्बल, उटंगन नदी घाटी बिकास प्राधिकरण की स्थापना। |
| | | 7–आखला बांध के बाद यमुना नदी, यमुना जी न रहकर दिल्ली, मथुरा की तेल रिफाइनरी आदि अनेक गन्दे नालों के पानी के त्वरित बहाव के कारण वृन्दावन से आगरा, आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से बटेश्वर नाथ तक यमुना जल न नहाने योग्य रहा और न पीने योग्य ही रहा, लाखों की जिन्दगी यमुना जल के प्रदूषण से बचाने हेतु ऐसे यमुना नदी के जल प्रदूषण को रोकने के लिये तत्काल जल प्रदूषण बोर्ड के सुपुर्द कर दिये जाने की केन्द्र से सिफारिश। |
| | | 8–फिरोजाबाद, फतेहाबाद, बाह, एतमादपुर तहसीलों में ग्रामीण अंचलों में खारे पानी के स्थान पर पेयजल के मीठे पानी की व्यवस्था। |
| | | 9–फिरोजाबाद की कांच एवं चूड़ी उद्योगों को आवंटित कोल वैगन वर्ष 1985, जिसकी पूर्ति 1986 के फरवरी तक आरम्भ नहीं हुयी है को आगे आने वाले 3 महीनों में वर्ष 1985 की पूरी सप्लाई फिरोजाबाद के उद्योग को की जाये और वर्ष 1986 की सप्लाई आरम्भ करने की केन्द्र सरकार से सिफारिश। ताकि फिरोजाबाद के कांच उद्योग कोयला को चोर बाजार से बचाया जा सके। |
| | | 10–फिरोजाबाद के मजदूरों के लिये मजदूर भवन, और पुस्तकालय की स्थापना। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 11–फिरोजाबाद में एक ही गंदा नाला सम्पूर्ण फिरोजाबाद नगर के गंदे पानी का होने के कारण जल भराव की समस्या रहती है, इस जल भराव की समस्या से बचने के लिये फिरोजाबाद बाई पास रोड पर डाक बंगला से नगला बरी, मिर्जा का नगला, नगला करन सिंह, हनुमान गढ़, अस्पताल होता हुआ बाई पास सड़क के सहारे-सहारे एक नाले का निर्माण पश्चिम की ओर टापा नाले में सी0 एल0 जैन कालेज के पास डाला जाये ताकि नगर को घोर गंदगी से बचाया जा सके। |
| | | 12–फिरोजाबाद क्षेत्र के ग्राम जलालपुर के मजरा गढ़ी छिपी, चन्दवार के मजरा गढ़ी, तिवारी आदि गांवों में पेयजल संकट को देखते हुये पेयजल कुओं का निर्माण कराया जाय । |
| 26 | श्री राम सरन दास | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय । |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– |
| | | 1–प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो गए हैं निरंकुश तानाशाही से भी अधिक आतंकवादी, पुलिस राज्य स्थापित हो गया है। |
| | | 2–किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य तो दिया ही नहीं गया। सरकार धान, गन्ना व गेहूं की उत्पादन लागत मूल्य भी किसानों को देने के संबंध में केन्द्र सरकार से संस्तुति करने में असफल रही है। |
| | | 3–प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना मूल्य से उत्पन्न किसानों के असंतोष के कारण बंद रहीं जिससे राष्ट्रीय उत्पादन को क्षति हुई। |
| | | 4–धान खरीद व्यवस्था सरकार की अत्यन्त भ्रष्ट रही विचौलियों के माध्यम से भ्रष्ट तरीके से धान की कागजी खरीद की गई। |
| | | 5–बिजली की दरों में बढ़ौती प्रदेश के किसानों एवं गरीबों को और गरीब बनाएगी। बिजली दरों की बढ़ोत्तरी कृषि उत्पादन लागत को बढ़ायेगी । |
| | | 6–जालौन जनपद के कालपी में निहत्थे शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक लोक कार्यकर्ताओं पर गोली चलाकर सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा। |
| | | 7–गिरोहबंद निवारण अध्यादेश, 1986 को लागू करके सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है । यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तथा जनहित विरोधी है। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 8–हरिद्वार जनपद सहारनपुर में असामाजिक ठेकेदारों द्वारा एक अभियंता के पूरे परिवार की हत्या करना। |
| | | 9–सरसावा जनपद सहारनपुर में अपहरण जैसे कांड करना। |
| 27 | श्री महेन्द्र सिंह भाटी | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है:– |
| | | 1–जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत क्षेत्र दादरी में सिचाई की व्यवस्था सुधारने के संबंध में। |
| | | 2–जनपद गाजियाबाद में थर्मलपावर कारपोरेशन का स्थानान्तरण प्राय: निश्चित है और दादरी क्षेत्र के लिए विचार हो रहा है, उसका तुरन्त स्थानान्तरण। |
| | | 3–जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत क्षेत्र दादरी में पालीटेक्निक के लिए भूमि और भवन देने के लिये तैयार है, लेकिन कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। |
| | | 4–बिजली की दरों की बढ़ौतरी प्रदेश के किसानों एवं गरीबों को और गरीब बनायेगी बिजली दरों की बढ़ोत्तरी कृषि उत्पादन लागत को बढ़ायेगी। |
| | | 5–सिंचाई विभाग उन्नाव द्वारा शारदा नहर पुरवा ब्रांच में ग्राम तौरा में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित भवन (कोठी) जो अधिकारियों की लापरवाही से तोड़ी गयी है। उसकी पुन: मरम्मत कराना। |
| | | 6–उन्नाव सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम तौरा (विकास खण्ड बिछिया) में कई वर्षों से लगातार ड्रेन की सफाई न होने के कारण बरसात के दिनों में ग्राम को "टापू" के रूप में बदलने तथा मकान गिरने वाले निवासियों को मुआवजा देने का उल्लेख। |
| 28 | श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं कीं:– |
| | | 1–यह कि गेहूं और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए सभी नलकूपों और सिचाई के अन्य साधनों को तत्काल सक्रिय कर दिया जायेगा। |
| | | 2–यह कि बांध, सड़क और अन्य सरकारी निर्माण हेतु अवाप्त की गई सभी जमीनों के मुआवजों का शीघ्र भुगतान किया जायेगा। |
| | | 3–यह कि प्रदेश की सम्पूर्ण आवादी को एक वर्ष के अन्दर पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 4—यह कि प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी तक एक वर्ष के अन्दर बिजली का विस्तार कर दिया जायेगा । |
| | | 5—यह कि बस्ती जिला के बांसी तहसील में स्थित चवरताल के पानी की निकासी के लिए फजिहतवा नाला की खोदाई कर ताल का पानी बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी में गिराया जायेगा। |
| | | 6—यह कि बांसी तहसील में स्थित कौवाताल में गिरने वाले नाले का मुंह बंद करके पुराने नाले की खोदाई करके सम्पूर्ण पानी को राप्ती नदी में गिराया जायेगा। |
| | | 7—यह कि उ0प्र0 में जहां नदियों में कटाव हो रहा है वहां वर्षा शुरू होने के पूर्व पक्के ठोकर लगाए जायेंगे। |
| | | 8—यह कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले सभी विद्यालयों के भवनों का वस्तुस्थिति के अनुसार निर्माण तथा मरम्मत करवाया जायेगा और उनके लिए आवश्यक साज-सज्जा की व्यवस्था की जायेगी। |
| | | 9—यह कि किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान इसी वर्ष में व्याज सहित किया जायेगा। |
| | | 10—यह कि बांसी और टीकुर में स्थित सरकारी चिकित्सालय को अपग्रेड करके 100 शैय्याओं का कर दिया जायेगा। |
| | | 11—यह कि प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय कन्या पाठशालाएं खोली जायेंगी। |
| | | 12—यह कि बांधों तथा सड़कों के निर्माण के कारण जिन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है उन क्षेत्रों से जल निकासी का प्रबंध किया जायेगा। |
| | | 13—यह कि बस्ती जिले को दो जिला बनाने संबंधी समिति की रिपोर्ट को शीघ्र लागू कर बस्ती को दो जिला बना दिया जायेगा। |
| | | 14—यह कि बस्ती जिले के उत्तराखंड की गरीबी को देखते हुए लोगों को रोजी देने हेतु बांसी उत्तरी जिलों का मुख्यालय बासी में बनाया जायेगा तहसील में कारखाने खोले जायेंगे। |
| | | 15—यह कि पुलिस आयोग की सिफारिशों को विशेष रूप से पुलिस कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के संबंध में शीघ्र लागू किया जायेगा। |
| | | 16—यह कि शीघ्र रोजगार गारण्टी योजना लागू की जायेगी। |
| | | 17—यह कि सभी प्रकार की फसलों और पशुओं के लिए बीमा योजना लागू किया जायेगा। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 18–यह कि बाढ़ से स्थायी रोक-थाम के लिए नदियों के उद्गम स्थल पर डैम बनाए जायेंगे। |
| | | 19–यह कि मछली पालन मछली निकालने, नौका संचालन जलपरिवहन बालू निकालने के कार्यों में निषाद वर्ग एवं उनकी सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी। |
| | | 20–यह कि कृषि के प्रयोग में आने वाले यंत्रों, खादों कीटनाशक दवाओं बीज, पानी, बिजली का मूल्य घटाया जायेगा। |
| | | 21–यह कि हरिजन एवं दुर्बल वर्ग के नाम आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जायेगा। |
| | | 22–यह कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण जिन ग्रामों के चारों ओर पानी का जमाव हो जाता है उन ग्रामों के चारों ओर मिट्टी का पटाव कराया जायेगा तथा उनके निकास के लिए प्रबंध किया जायेगा। |
| | | 23–यह कि प्रत्येक ग्राम के राजस्व को उसी ग्राम के प्राथमिक स्कूल के भवन एवं साज-सज्जा के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जायेगा। |
| | | 24–यह कि टोकरी में मैला उठाने तथा सिर पर ढोने की प्रथा को कानून द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा। |
| | | 25–यह कि ग्रामों तथा शहरों की पिछड़ी तथा मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए जायेंगे। |
| | | 26–यह कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में जिला न्यायालय की प्रस्तावित शाखा खोलकर अतिरिक्त न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित किया जायेगा। |
| | | 27–यह कि प्रदेश की नागर क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाई जायेगी तथा कालोनियों का विकास कराया जायेगा। |
| | | 28–यह कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायेंगे। |
| | | 29–यह कि बस्ती जिले की बाल्टरगंज तथा खलीलाबाद चीनी मिलों को तत्काल चलाया जाएगा।'' |
| 29 | श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– |
| | | ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:– |
| | | 1–प्रदेश के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिन्ता प्रकट करते हुए उसके उन्मूलन हेतु कोई कारगर कदम उठाने, |
| | | 2–अभी हाल में ही बिजली, खाद, राशन, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल तथा खाना बनाने की गैस आदि वस्तुओं के मूल्यों में की गई बेतहाशा वृद्धि से उपभोक्ताओं के सामने उत्पन्न संकट के समाधान हेतु राहत देने, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 3—विधि एवं व्यवस्था की स्थिति में निरन्तर गिरावट आने, पुलिस जुल्म बढ़ने, आम आदमी तथा महिलाओं की असुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार की भर्त्सना करने, |
| | | 4—खाद में दी जा रही छूट जो अब बन्द हो गई है उसे पुनः चालू करने, |
| | | 5—मण्डी समितियों के चुनाव तुरन्त कराने, |
| | | 6—गन्ना काश्तकारों को गन्ने का मूल्य 35 रुपए प्रति क्विंटल दिलाने, बकाया ब्याज सहित तत्काल दिलाकर चालू खरीद का नगद मूल्य दिलाने, आउटलेटरों पर ढुलाई का किराया न लिए जाने, |
| | | 7—नगर तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के चुनाव की तिथि निर्धारित करने के बाद भी उन्हें टालने पर दुख प्रकट करते हुए उन्हें तत्काल कराने, |
| | | 8—वृद्धों और निराश्रित विधवाओं की पेंशन में वृद्धि करने, |
| | | 9—सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों तथा माध्यमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए कुपोषण और बाल्य-काल में घर कर लेने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य परीक्षा और चिकित्सा का असरदार क्रियान्वयन करने, |
| | | 10—बिक्रीकर समाप्त करके उसके स्थान पर राजस्व प्राप्ति हेतु उत्पादन कर लगाने अथवा मूल स्रोत पर कर लगाने तथा फिलहाल बिक्रीकर की बढ़ी दरें जिसे वापस लेने के लिए प्रदेश के व्यापारी आन्दोलन कर रहे हैं, उसे तत्काल वापस लेने, |
| | | 11—विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों के वेतन एवं सेवा की शर्तों में सुधार के लिए अब तक घोषित वह अभिनिर्णय जो लागू नहीं किये जा सके हैं, उन्हें तत्काल लागू करने, |
| | | 12—एक निर्धारित अवधि में सरकार द्वारा काम न दे पाने से बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने, |
| | | 13—सीतापुर जिले के गाजरी क्षेत्र में एक चीनी मिल के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने, सीतापुर नगर में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए वाणिज्य तथा कृषि विषय पढ़ाने एवं कानून की कक्षायें खोलने, सीतापुर जिले नगर औद्योगीकरण के लिए विशेष योजना बनाने एवं नीमसार के चक्र तीर्थ की भांति मिश्रित के दधीच कुण्ड का जीर्णोद्धार कराने, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 14—सीतापुर जिले में मूंगफली की उपज तथा क्वालिटी में निरन्तर हो रही गिरावट की रोकथाम करके उसके विकास की रूपरेखा बनाने, |
| | | 15—सीतापुर नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम, सरायन नदी पर बांध, गद्दीपुर और हुसेनपुर घाट पर सेतु बनवाने तथा नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन बाई-पास पर रुके हुए काम को तुरन्त चालू कराने, सीतापुर में रहीमाबाद तथा अन्य लिफ्ट नहरें जो सिंचाई हेतु पानी नहीं दे पाती उसका असिंचित रकबा काट कर शारदा नहर के कमाण्ड में देने, |
| | | 16—उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा सीतापुर में निर्माण की जा रही कालोनी का निर्माण समय पर न हो पाने, घटिया स्तर का काम होने तथा पूर्व में जिन शर्तों पर पंजीकरण कराया गया था उनके खिलाफ अब अत्यधिक लागत लेने पर चिन्ता प्रकट करते हुए इसके मूल कारण भ्रष्टाचार की जांच कराकर पूर्व शर्तों तथा मूल्य पर ही आवासियों को आवंटित कराये जाने, की घोषणायें नहीं की हैं।" |
| 30 | श्री धनराज यादव | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जावे:— |
| | | "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— |
| | | 1—सरयू नहर परियोजना में राप्ती से बायीं ओर निकलने वाली फरेन्दा माइनर को भन देकर खुदाई का कार्य किया जायेगा । |
| | | 2—सन् 1985 के बजट सत्र में विधान सभा में राजस्व मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर की पूर्ति हेतु बस्ती में नगिढ़, आगरा में फिरोजाबाद, मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज एवं गोरखपुर में महराजगंज को जिले का पद देकर नगिढ़ के समीप उत्खनन में प्राप्त एवं प्रमाणित "कपिलवस्तु" जिसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है का गौरव बढ़ाया जाएगा। |
| | | 3—बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती एवं राप्ती एवं कुड़ा की बाढ़ से तबाह हो रहे क्षेत्र जिसमें संगलदीप, अमरिया रीवां, बैरवां, गायघाट , बगहिया, नटवा, छितवापार, उस्काबाजार, मोवलहा, घुघुलिहां, उस्काराजा एवं उसके पूरब के अन्य पचासों गांव को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित कराना सुनिश्चित किया जायेगा। |

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

4–विनियमित क्षेत्र में तेतरी एवं पिपरहवा में अनावश्यक रूप से सम्मिलित दूर के छोटे-छोटे गांव के विनियमित क्षेत्र से अलग किया जायेगा तथा विनियमित क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति हेतु गोरखपुर न भेजकर नौगढ़ में ही स्वीकृत किया जायेगा एवं एक रुपया प्रति वर्ग फुट विकास शुल्क माफ किया जायेगा ।

5–बस्ती जिले में टाउन एरिया तेतरी बाजार (नौगढ़) जहां कपिलवस्तु दर्शनार्थ जाने वाले हजारों पर्यटक आते रहते हैं, बहु प्रतीक्षित पीने का जल वितरण वाटर सप्लाई को प्राथमिकता देकर कार्यान्वित किया जायेगा ।

6–तेतरी-सोहांस-बृजमन गंज, को सा0 नि0 वि0 द्वारा पक्का (पिचरोड) कराकर उसमें पड़ने वाले जमुआर नाले पर पिठनीघाट-कूड़ा नदी पर सोहांसघाट एवं घोंघी नदी पर पुल बनवाया जायेगा ।

7–बस्ती जिले में नौगढ़ तहसील में कूड़ा घोंघी के बीच में लगभग 70 ग्राम सभाओं का लोटन एवं सोहरतगढ़ को अलग विकास खण्ड का दर्जा दिया जायेगा ।

8–बस्ती जिले में लोटन थाना जो पचासों वर्ष पूर्व से प्रथम श्रेणी का थाना रहा, कुछ वर्ष पहले पुलिस चौकी बना दिया गया, को पुनः पुलिस थाना का दर्जा दिया जायेगा ।

9–वर्डपुर (बस्ती) क्षेत्र वर्डपुर नं0 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 एवं 14 डिवीजन के राजस्व गांवों में अंग्रेजों ने विभाजित किया था जो अभी तक कायम है। इन 14 डिवीजनों में लगभग 300 छोटे गांव होंगे, अंग्रेजों द्वारा बनवाये गये 14 डिवीजनों को विभाजित कर जनसंख्या के अनुपात में लगभग 50 गांव बनाये जायेंगे।

10–सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा सचिव, कार्मिक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र संख्या-158/नो (84-85)/ नाजिर सदर, दिनांक 8-8-85 एवं तत्संबंधी स्मरण पत्रों जिसमें उन्होंने प्रतीक्षा सूची में रखे गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने के विषय में संस्तुति की है, के अनुसार शासन द्वारा विधान सभा के चालू सत्र के अंत तक शासनादेश जारी करके प्रतीक्षा सूची के कर्मचारियों को शीघ्र रेगुलर कर दिया जायेगा ।''

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 31 | श्री किशन लाल दिलेर | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— |

**जाय :—**

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण **में निम्नलिखित बातों का जिक्र नहीं किया :—**

1—जिला अलीगढ़ में किसानों से जबरिया वसूलयाबी रोकी जाय, रुकी धनराशि किश्तों द्वारा वसूल की जाय।

2—जिला अलीगढ़ में किरोसिन, डीजल, खाद, बिजली के दाम जो बढ़ाये गये हैं उनसे किसान परेशान हैं उन्हें घटा देने का।

3—अलीगढ़ की तहसील कोल ब्लाक धनीपुर में साधु आश्रम से बने 8.13 की0मी0 पनैठी से मड़राक स्टेशन 10 कि0 मी0 अलीगढ़ छावनी से शहबाजपुर 13 कि0मी0 ब्लाक लोधा ग्राम लोधा खैर रोड से गौंडा रोड वाया बाढौंन इगलास रोड अहमदपुर से मड़राक आगरा रोड वाया बाढौंन मार्गों पर सोलिंग कराने के सम्बन्ध में।

4—जिला अलीगढ़ तहसील कोल, ग्राम दाना, ब्लाक लोधा सोंपना डैम पर पुल/ब्लाक धनीपुर लहटोई नाला गुरीसखरनपुर पर पुल के संबंध में ।

5—अलीगढ़ नगर के आस-पास के 40 गांवों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है भूमि को बाजार भाव देने के बारे में ।

6—अलीगढ़ नगर के निकट बेगमबाग कालोनी, साकेत कालोनी बिहारी नगर कालोनी में विकास कार्य के संबंध में ।

7—अलीगढ़ नगर के बढ़ते विस्तार के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की कमी है जिसके कारण सफाई नहीं होती सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में ।

8—जिला अलीगढ़ में टाउन एरिया हरदुआगज, टाउन एरिया दलाली, में अस्पतालों की बाउन्डरी नहीं है उसे बनाने का।

9—जिला अलीगढ़ में टाउन एरिया हरदुआगंज में विद्युत के अभाव के कारण उसे नगर अलीगढ़ से कनेक्ट करने का।"

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 32 | श्री शतरुद्र प्रकाश | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–<br>"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है :–<br>**प्रदेश की सरकार जनहित में निष्पक्षतापूर्वक कार्य** नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अशिक्षा, प्रदूषण, पुलिस-अपराध, जुल्म **बढ़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जन-असंतोष व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है।"** |
| 33 | श्री राम सागर | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–<br>"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण **में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–**<br>**1–उ0 प्र0 में कानून व्यवस्था की हालत बहुत बदतर हो गयी है। तमाम सामूहिक हत्यायें हो रही हैं। जिसमें कमजोर पिछड़े हरिजन शिकार हो रहे हैं। पुलिस सुरक्षा के बजाय मनमाने ढंग से जनता को लूट रही है। पुलिस प्रशासन के नाम पर सारे प्रदेश में आतंक छाया हुआ है। पुलिस का सीधे इस्तेमाल मंत्रियों व बड़े लोगों की सुरक्षा और कमजोरों व उनके प्रतिद्वंदियों को दबाने में हो रहा है और कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है।**<br>**2–उ0 प्र0 की बाढ़ विभीषिका में जनपद बाराबंकी सबसे ज्यादा उस समय चपेट में आ गया जब जनपद की सीमा में बह रही घाघरा, गोमती कल्याणी, राठ, रारी आदि नदियों की बाढ़ के साथ जनपद का वह समतल क्षेत्र ब्लाक निन्तरा, कुर्सी और दरेवां तथा बंकी में सिंचाई अधिकारियों की लापरवाही से शारदा समान्तर नहरों को खारजे अति वृष्टि से साथ खोल दिये गये जिसके पानी ने देखते ही देखते तीनों ब्लाकों में जल मग्न कर दिया। तमाम जन धन की हानि हुई, राहत कार्य के नाम पर प्रभावितों को उतना नहीं मिल पाया जितना तफरी में खर्च हुआ। नहर को लापरवाही से खोले जाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्य-वाही न करके निर्दोष जिलाधिकारी को हटा कर न्याय प्रिय सर्वोच्च बड़े अधिकारियों में दहशत पैदा की गयी।** |

| *क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

3—जनपद बाराबंकी में बाढ़ की चपेट में आये लघु एवं सीमान्त किसानों को दी जाने वाली उर्वरक और बीज की सहायता रबी की बुआई के बाद पहुंची जिसके कारण बोने वाला बीज तो बाजारों में बिक रहा है और उर्वरक व्यापारियों के हाथ। वितरण अधिकारियों का रोना है कि तहसील वाले उन्हें लघु और सीमांत किसानों की सूची बना कर नहीं दे पाये इस कारण उर्वरक बीज का वितरण नहीं हो पा रहा है। यह उर्वरक और बीज किसानों को रबी की कटाई के समय तक मिल पायेगा उसमें भी आशंका है।

4—जनपद बाराबंकी में हरे अवैध फलदार वृक्षों की कटाई पुलिस की साजिश से इतनी ज्यादा हुई है जितने की वृक्षारोपण में वृक्ष नहीं लगाये गये ।

5—जनपद बाराबंकी में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में एकीकृत योजनाओं के अंतर्गत भूमि खरीद, दुकानों का निर्माण, हरिजनों के आवास, बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला असली कम कागजी ज्यादा है। लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के बजाय नीचे को जा रहे हैं।

6—तहसील रामसनेही घाट जो प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है उसमें कोई डिग्री कालेज नहीं है इसलिए डिग्री कालेज खोला जाय। इस तहसील में लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोई हाई स्कूल इण्टरमीडिएट तक भी कोई विद्यालय नहीं है । इसलिए तहसील मुख्यालय पर जो संस्थागत बालिकाओं का विद्यालय चल रहा है उसे मान्यता दे दी जाय ।

7—तहसील रामसनेहीघाट का दक्षिणी इलाका गोमती, रारी, नइया कल्याणी नदियों से घिरा लगभग पौने दो सौ गांवों का कि्ठइया, जरौली, घनौली, पहला, टाण्डा, लकड़िया, गजपतीपुर, मिल्हौर, हाजीपुर अशरफपुर, सरवन, टिकैता रसूलपुर, इमामगंज आदि का इलाका टापू के समान है इस क्षेत्र को जाने वाली सड़क पर रारी नदी के घटमापुर घाट और कल्यानी नदी के मवई घाट का पुल शीघ्र बनवाया जाय तथा पटखन पुरवा बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय साथ ही साथ रसूलपुर सरवन टिकता जरौली में एक एक जू0 हा0 स्कूल खोला जाय और इस घिरे सारे क्षेत्र में व्यापक सिंचाई की व्यवस्था की जाय ।

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 8—जनता की यातायात सुविधा के लिये हैदरगढ़ से भिटरिया, सिद्धौर से हैदरगढ़ बाराबंकी मार्गों पर बसों की समस्या है। यहां पर्याप्त रोडवेज की बसें चलायी जायें और भिटरिया चौराहे पर बसों का डिपो खोला जाय तथा नयी सड़क तिराहे व सिद्धौर पर एक बस स्टेशन खोला जाय। |
| | | 9—जनपद बाराबंकी के अधूरे मार्गों व उनके पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय। |
| | | 10—जनपद बाराबंकी में पेयजल अभावग्रस्त गांवों में से कुछ गांवों में पेयजल समस्या के निराकरण के लिये जल निगम की ओर से हैण्ड पम्प लगाये गये हैं किन्तु अधिकांश गांव अब तक बाकी पड़े हैं उनमें हैण्ड पम्प लगाये जायें। |
| | | 11—तहसील हैदरगढ़ व तहसील फतेहपुर तथा तहसील रामसनेही घाट के नहरी क्षेत्रों में सीपेज की समस्या अत्यन्त भयावह हो गयी है। बड़ी नहरों के किनारे के गांव के किसानों के खेतों में पिछले कई वर्षों से सीपेज के कारण कोई फसल नहीं हो रही है। नीचे का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। जिसके कारण पेड़ सूख रहे हैं, मकान ढह रहे हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए कोई व्यापक ठोस योजना बनाकर सीपेज समस्या से जूझते किसानों को उबारने के सम्बन्ध में। |
| | | 12—तहसील रामसनेही घाट के मुख्यालय तथा तहसील हैदरगढ़ के स्थान नयी सड़क तिराहा व सिद्धौर में एक-एक बैंक की शाखा की आवश्यकता के सम्बन्ध में। |
| 34 | श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— |
| | | 1—प्रदेश के बेरोजगार युवकों को राज्य सरकार दो वर्ष के अन्दर रोजगार उपलब्ध करायेगी अन्यथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। कानपुर महानगर को मार्च 86 में "ए" श्रेणी महानगर घोषित कर वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों को तदनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करायेगी, प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का भरपूर लाभ दिलाने के लिए बोनस योजना प्रारम्भ करेगी, आलू और गन्ना की फसलों को भी फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करेगी और खेती में काम आने वाली खाद, पानी, बीज तथा कीटनाशक दवाइयों पर 50 प्रतिशत छूट देकर खेती की सिंचाई के काम आने वाली बिजली का दाम उद्योगों को दी |

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | जाने वाली बिजली के समान निश्चित करेगी, बिक्री कर समाप्त करेगी, प्रदेश के समस्त एसे बालक बालिकाओं के जिनके माता पिता का देहांत उन बालक बालिकाओं की 12 वर्ष की अवस्था होने से पूर्व हो चुका है, पालन-पोषण, शिक्षा रहन-सहन की पूरी जिम्मेदारी तब तक निर्वाह करेगी जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते । प्रदेश के समस्त गृह विहीनों को भवन सुविधा प्रदान कर प्रदेश के रिक्शा चालकों, फर्रुखाबाद के छपाई मजदूरों एवं बुनकरों के लिये कल्याणकारी केन्द्रों की स्थापना तीन वर्ष के अन्दर करेगी ।<br>2—फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जावेगा । विश्रांत घाट पर आयुर्वेदिक विद्यालय फर्रुखाबाद जिला केन्द्र पर विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं को प्रारम्भ करने, फर्रुखाबाद में खाद कारखाना स्थापित करने, ब्लाक राजेपुर में अमृतपुर से शमशाबाद को जोड़ने के लिये सड़क निर्माण व गंगा नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाने, पंचायत क्षेत्र अमैयापुर को जोड़ने के लिये पुल निर्माण करने के संबंध में ।<br>3—फर्रुखाबाद को स्वयं कमिश्नरी बनाने या कानपुर कमिश्नरी निर्माण कर उसमें सम्मिलित करने, जनपद फर्रुखाबाद में गंगापार क्षेत्र की अलग तहसील निर्माण करने के सम्बन्ध में ।<br>4—प्रदेश की नगर पालिकाओं, महापालिकाओं के निर्वाचन की घोषणा। |
| 35 | श्री मनोहर लाल | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—<br>किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—<br>1—जनपद उन्नाव में शराब मिल व अन्य फैक्ट्री के गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था न करने के कारण प्रदूषण व महामारी फैलना ।<br>2—जनपद उन्नाव के औद्योगिक विकास के लिए 25 प्रतिशत कैपिटल सिबसिडी न होना ।<br>3—जनपद उन्नाव में (मूंगफली), आलू व अमरूद पर आधारित बड़े उद्योगों को स्थापित करना ।<br>4—उन्नाव जनपद में हरिजन आबादियों में पेयजल की व्यवस्था ।<br>5—जनपद उन्नाव में स्कूल भवनों के निर्माण की व्यवस्था । |

| क्र0 सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 6—उन्नाव शहर में टूटी फूटी सड़कों की ठीक से व्यवस्था करना । |
| | | 7—जनपद उन्नाव के अंतर्गत नगरपालिका शुक्लागंज, बांगरमऊ, सफीपुर व कुरसठ आदि में सड़क व नालियों की व्यवस्था । |
| | | 8—उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों में सैकड़ों की तादाद में अध्यापकों की कमी होते हुए भी नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा रहना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलबाड़ करना । नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना । |
| | | 9—सिंचाई विभाग उन्नाव द्वारा शारदा नहर पुरवा ब्रांच में तौरा में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित भवन (कोठी) जो अधिकारियों की लापरवाही से तोड़ी गयी है उसकी पुनः मरम्मत कराने के संबंध में । |
| 36 | श्री बदन सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— |

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

1—उ0 प्र0 के अंतर्गत खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र को रोकने के लिए कोई योजना उल्लेखित नहीं है ।

2—भूगर्भ जल की निरन्तर होने वाली कमी के कारण प्रदेश में पेय जल संकट को निवाणार्थ किसी योजना का उल्लेख नहीं है ।

3—उ0 प्र0 के सीमान्त जिलों से राजस्थान के राजनैतिक संरक्षण प्राप्त डकैतों के द्वारा होने वाले अपहरणों को रोकने का उल्लेख नहीं किया है।

4—राजस्थान सरकार व वहां के नागरिकों द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की सीमा में भूमि अतिक्रमणों को रोकने के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं है ।

5—प्रदेश में चकबन्दी की भांति ग्रामों में बने मकानों की चकबन्दी की भी व्यवस्था का उल्लेख नहीं है ।

6—जनपद आगरा ब्लाक फतेहपुर सीकरी में स्थित ग्राम सिरौली, डाबर, खेड़ाभोपुर मण्डी मिर्जाखां, जौताना आदि गांवों के शुष्क क्षेत्र को सिंचन करने हेतु उटंगन नदी से निकलने वाली किसी भी पलेवा चेनल का उल्लेख नहीं किया गया है ।

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

7—जनपद आगरा के ऐतिहासिक स्थान फतेहपुर सीकरी क्षेत्र समिति किरावली ब्लाक अकोला के गहर्राकलां, खेड़िया, नारौल, इकरामपुर, अछनेरा के मंगरौलजाट आदि गांवों में पेयजल की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है ।

8—उत्तर प्रदेश में वन विभाग में संरक्षक वन्यजीवों से आस पास में कृषि योग्य भूमि को बचाने की कोई योजना नहीं बतायी गयी ।

9—आगरा की कीठमझोल (सूरसरोवर) को अच्छादित करने वाली जलकुम्भी को निकालने की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

10—आगरा जनपद में स्थित वेस्ट्रन डिप्रेशन ड्रेन से कुप्रभावित होने वाले गड़ीमा सांधन नगरला गड़ीमा, भडोरी, मांगरौलजाट, हरदुआ आदि एक बड़े क्षेत्र को बचाने के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी है ।

11—आगरा जनपद की सीमा पर स्थित ग्राम ओलेण्डा मंगाली खुर्द सिठवार आदि गांवों की उटंगन नदी से कटने वाली जमीन को बचाने के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है ।

12—जिला योजना में मण्डल आयुक्तों द्वारा विकास कार्यों को नियंत्रण करने के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों की समितियों को इस नियंत्रण हेतु भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकृत न किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

13—प्रदेश में सिंचाई साधन बढ़ाने के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी है ।

14—आगरा जनपद की किरावली कारौल मार्ग पर चैकुंरा के घाट के खारी नदी के ऊपर पुल बनवाने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है ।

15—जनपद आगरा में होने वाले यमुना प्रदूषण को रोकने के लिये कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी है ।

16—आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति को मूलरूप से सुधारने के लिए कोई प्रभावी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है ।

17—प्रदेश में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विशेषज्ञ अभियंताओं की प्रतिभा का उपयोग न करने तथा अंधाधुन्ध राजकीय नलकूपों के छिद्रण करने से प्रदेश में राजकूपों की निरन्तर असफलता के निराकरण की कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं की है ।

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 18—जनपद आगरा में बिना प्लाण्ट लगाये उद्योग समूहों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का उल्लेख नहीं है । |
| 37 | श्री दिवाकर विक्रम सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— |

1—राज्यपाल महोदय ने जहां एक तरफ प्रदेश में औद्योगिक विकास की बात की है वहीं प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद बस्ती में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कोई उद्योग लगाने की बात अलग रही जनपद की दो चीनी मिलों को मिल मालिकों द्वारा साजिश में बन्द किये जाने पर उनको सरकार द्वारा अधिग्रहण करके किसानों एवं मिल मजदूरों की रक्षा हेतु चलाये जाने की कोई चर्चा नहीं की है।

2—वाल्टरगंज चीनी मिल बस्ती के किसानों के पिछले गन्ना मूल्य का बकाया तथा मिल मजदूरों के बकाये वेतन को भुगतान कराने की बात नहीं कही गयी है।

3—एक तरफ तो बुनकरों के विकास हेतु बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कही गयी हैं दूसरी तरफ बस्ती जनपद के विकास खण्ड सांथा, खेसरहा तथा रुधौली के बुनकरों से सघन हथकरघा विकास निगम द्वारा खरीदी जा रही सस्ती धोतियों के मूल्यों का भुगतान दो-दो महीने तक न किये जाने के कारण वहां के बुनकर परिवार भुखमरी के शिकार हो गये हैं और बुनकर गांव छोड़कर बाहर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन गरीब बुनकरों को प्रत्येक सप्ताह मूल्य का भुगतान दिलाने की कोई बात नहीं की है। साथ ही हथकरघा विकास निगम द्वारा इन गरीब बुनकरों को बाजार भाव से महंगा एवं घटिया किस्म के सूत दिये जाने की स्थिति में सुधार लाने की कोई बात नहीं कही गयी है।

4—ग्राम सांथा जनपद बस्ती के बुनकरों द्वारा वर्ष 1984 में ही उ0 प्र0 वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसके स्वीकृतोपरान्त अप्रैल, 1985 के अन्दर सभी बुनकरों ने एग्रीमेन्ट फार्म पर भी हस्ताक्षर कर दिया परन्तु उ0 प्र0 वित्त निगम में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के कारण आज तक गरीब बुनकरों को स्वीकृत ऋण के धन का भुगतान नहीं हुआ तथा राज्यपाल महोदय द्वारा भी अपने अभिभाषण में इन्हें तत्काल भुगतान कराने की कोई बात नहीं कही गयी है।

| क्र0 सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

5–एक तरफ तो राज्यपाल महोदय ने ग्रामीण विकास हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ बस्ती जनपद के पिछड़े ग्रामीण अंचल में निम्नलिखित सड़कों के निर्माण कराये जाने की कोई बात नहीं कही गयी है।

6–(अ) 1500 से अधिक आबादी के गांव बनतेतु विकास खण्ड सांथा को पक्की सड़क बांसी मेहदावल मार्ग से जोड़ना।

(ब) बांसी मेहदावल मार्ग पर स्थित ग्राम सुपौली से फूलबरिया होते हुए रुधौली बखिरा मार्ग पर स्थित राजघाट तक सुपौली राजघाट मार्ग का निर्माण।

(स) बस्ती मेहदावल मार्ग पर स्थित लोहरौली ठकुराई से सियाकटाई होते हुए सेमरिवां पिपरा मार्ग पर स्थित केसवा पुस्तक लोहरौली, ठकुराई, सियामटायी सेमरिया मार्ग का निर्माण।

(द) छठी पंचवर्षीय योजना को स्वीकृत प्लेन रोड समदा धर्म सिंहवा का निर्माण।

(य) रुधौली बखिराम मार्ग पर स्थित पिपरा प्रथम से पौरिया बाँडिहार होते हुए बांसी मेहदावल मार्ग पर स्थित ग्राम बेलौहा तक। पिपरा बाँडिहार बेलौहा मार्ग का निर्माण।

(र) पड़री घेसियारी मार्ग पर स्थित सिरशिया घाट के पुल का निर्माण।

(ल) सुरवार हनुमानगंज मार्ग पर स्थित रेउआ नाला के पुल का निर्माण।

(व) एक तरफ तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांगों की सेवा योजना में वृद्धि की बात कही गयी है परन्तु दूसरी तरफ सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर आज तक इन्हें नौकरियां नहीं मिल पायी यहां तक कि विकलांगों के 2 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण के स्थान पर अभी तक कुल 0.22 प्रतिशत ही नौकरियों में रखा गया है।

(श) एक तरफ तो सिंचाई साधनों में वृद्धि और सिंचित सिंचन क्षमता की बात की है वहीं दूसरी तरफ राजकीय नलकूपों और नहरों द्वारा प्रति इकाई किये जा रहे सिंचाई क्षेत्रफल में निरन्तर कमी होती जा रही है तथा सरजू नहर परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की कहीं चर्चा नहीं की गयी है।

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | (ष) जहां सरकारी संस्थाओं के योगदान की बात कहे हैं वहीं इन संस्थाओं के सही क्रियाकलाप हेतु प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव कराये जाने को कहीं नहीं कहे हैं जबकि सरकार इन कमेटियों के चुनाव की तिथियों की घोषणा करके बार-बार उन्हें टालती जा रही हैं और मनोनीति किये गये प्रशासक आंख मूंदकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। |
| 38 | श्री किरन पाल सिंह | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- |
| | | 1-जहां प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात कही है, जनपद बुलन्दशहर के अगौता के आस पास कोई उद्योग लगाने की बात नहीं कही है। |
| | | 2-बुलन्दशहर जनपद में एक गन्ना मिल जो जनता शासन द्वारा मंजूर कर दिया गया था उसको लगाने की बात नहीं कही गयी है। |
| | | 3-गन्ना मिल जनपद बुलन्दशहर में संख्या में कुल 2 हैं जिनमें से एक पन्नी जी सुगर मिल पूर्णरूप से बीमार है उसके स्थान पर नया गन्ना मिल लगाने की बात नहीं कही गयी है। |
| | | 4-जनपद स्थित कस्बा बीबीनगर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज को राजकीय डिग्री कालेज बनाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। |
| | | 5-अमर सिंह कृषि महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय में परिणत किये जाने की घोषणा नहीं की गयी है। |
| | | 6-गांव के गरीब किसान व मजदूरों से एक मुश्त जबरी सरकारी देय बसूली न किये जाने की बात नहीं की गयी है। |
| | | 7-बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। |
| | | 8-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु मेरठ के अन्तर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का आश्वासन नहीं दिया गया है। |
| | | 9-पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा नहीं की गयी है। |
| | | 10-शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 39 | श्री गौरी शंकर भइया | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— |

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

1—उ0 प्र0 में डिग्री स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी।

2—उ0 प्र0 में शिक्षित बेरोजगारों को गुजारा भत्ता दिया जायेगा।

3—उ0 प्र0 में अधिवक्ताओं को पेंशन की सुविधा दी जायेगी।

4—उ0प्र0 की विधवाओं को नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी जायेगी।

5—उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल में आर्थिक विषमता एवं पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष योजनाओं को चलाया जायेगा।

6—प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया जायेगा।

7—जनपद बलिया में पूर्वान्चल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

8—जनपद बलिया में 400 शैयायुक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु भूमि क्रय की जायेगी तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9—जनपद बलिया में भूमि की व्यवस्था करके शीघ्र ही स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा।

10—जनपद बलिया में स्टेशन, कचहरी रोड पर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जायेगा।

11—टाउन एरिया चितबड़ा गांव में छात्राओं के लिये राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना की जायेगी।

12—ब्लाक गड़वार में एक राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज की स्थापना की जायेगी।

13—ब्लाक सोहांव में नलकूप निगम द्वारा 40 ट्यूबवेलों की श्रृंखला स्थापित की जायेगी।

14—गांव सभा भरौली एवं ग्राम सभा सिंहाचवर में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु पानी की दो टंकियों का निर्माण किया जायेगा।

15—ब्लाक सोहांव में दाल मिल की स्थापना की जायेगी।

16—गड़वार एवं हनुमानगंज ब्लाक में 50 राजकीय नलकूप लगाये जायेंगे।

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 17–गड़वार ब्लाक की नहरों को पक्का किया जायेगा एवं नहरों की सर्विस रोड को पक्का करके यातायात हेतु खोल दिया जायेगा। |
| | | 18–जनपद बलिया के गंगा एवं घाघरा के किनारे के गांवों को कटान से बचाने हेतु योजना बनाकर उन पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। |
| | | 19–जनपद बलिया में ब्लड बैंक की स्थापना की जायेगी। |
| | | 20–फेफना में एक राजकीय कालीन उद्योग की स्थापना की जायेगी। |
| | | 21–उ0 प्र0 एवं बिहार सीमा पर बलिया जनपद के सामान के पास के गांवों एवं खेतों की सुरक्षा हेतु अलग से पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जायेगी। |
| | | 22–ग्राम सभा रसड़ा को टाउन एरिया घोषित किया जायेगा। |
| | | 23–जनपद के पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन कराया जायेगा तथा एक बड़ा उद्योग लगाकर स्थानीय लोगों को उसमें भर्ती किया जायेगा। |
| | | 24–दियारे के विकास हेतु अलग से योजनायें चलाई जायेंगी । |
| | | 25–निर्वाचन क्षेत्र कोपाचिट के प्रत्येक गांवों में पेयजल, विद्युतीकरण, लघु एवं कुटीर उद्योग, प्राइमरी पाठशालाओं के भवन एवं सम्पर्क मार्ग आदि से संबंधित समस्या के शीघ्र समाधान हेतु कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । |
| 40 | श्री शारदा प्रताप | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– |
| | | 1–जनपद लखनऊ में जिन सड़कों का निर्माण वर्ष 1977–80 के बीच में किया गया था उन्हें पक्का (पेण्टेड) तत्काल कर दिया जाय। |
| | | 2–जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के लतीफ नगर–रहीम नगर पड़ियाना सम्पर्क मार्ग जो कि उन्नाव व लखनऊ जनपद के गांवों को जोड़ता है सई नदी पर पुल तथा बंथरा खाड़देवे सम्पर्क पर नगवा नाले पर पुल इसी बजट सत्र में बनवा दिये जाने का प्राविधान किया जायगा । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 3—लखनऊ-कानपुर मार्ग से उन्नाव जनपद के मिर्जापुर-जैतीपुर सम्पर्क मार्ग जो कि अधूरा पड़ा है ग्राम नथईखेड़ा से बेंड़ियन टोला के उत्तर की तरफ से सा0 नि0 विभाग द्वारा तत्काल इसी वर्ष पूरा करा दिया जायगा । |
| | | 4—लखनऊ जनपद के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में बरवलिया पम्प नहर जो कि मीनापुर गांव में बनी है और बरवलिया गांव के नाम से है नाम बदल कर मीनापुर पम्प नहर कर दिया जाएगा तथा बरवलिया गांव के कृषकों को सिंचाई की सुविधा के लिए नलकूपों की व्यवस्था की जाएगी । |
| | | 5—लखनऊ जनपद विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के बन्द पड़े एवं कम पानी देने वाले राजकीय नलकूपों को ठीक कराने, उनकी गूल एवं नालियों को बनाने तथा जहां पर नलकूप की आवश्यकता हो वहां नलकूप लगाने की व्यवस्था इसी वर्ष कर दी जाएगी । |
| | | 6—लखनऊ जनपद में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नए नाले खुदवाने एवं पुराने नालों को चौड़ा कराने तथा पुल एवं पुलियों के निर्माण की तत्काल व्यवस्था इसी वर्ष कराई जायेगी । |
| | | 7—पूरे प्रदेश की नहरों की पटरियों को पक्का कराने का प्राविधान इसी बजट सत्र में कर दिया जाएगा । |
| | | 8—उन्नाव जनपद में बसहा नाला जो कि बरसात में तमाम गांवों को डुबो देता है जिससे जनजीवन एवं तमाम फसलें नष्ट हो जाती हैं की खुदाई तत्काल शुरू करा दी जाएगी । |
| | | 9—जनपद लखनऊ के अन्तर्गत तहसील लखनऊ में सदरौना तथा डेवरिया गांव बचाने के लिए ड्रेन की खुदाई तत्काल शुरू कर दी जायेगी । |
| | | 10—लखनऊ जनपद के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में जो महिला एवं पशु चिकित्सालय शासन द्वारा स्वीकृत हैं उनके तथा जिन चिकित्सालयों के भवन जर्जर हैं उनका निर्माण तत्काल इसी वर्ष प्रारम्भ कर दिया जाएगा । |
| | | 11—लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज तक तथा हरौनी में राजकीय इण्टर कालेज की व्यवस्था इसी वर्ष कर दी जाएगी । |
| | | 12—प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त कर समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी । |

| क्रम स0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 13–प्रदेश के समस्त जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालय के भवन निर्माण एवं उनके साज सज्जा जैसे टाट पट्टी, श्याम पट, मेज कुर्सी की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा और प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जायगा । |
| | | 14–गीता भवन तथा धमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम लक्ष्मण झूला पौढ़ी गढ़वाल के प्रबंधक तत्वों द्वारा श्रमिक कर्मचारियों का शोषण बंद कराकर इन संस्थाओं में श्रमिक कानूनों को तत्काल लागू कर दिया जाएगा । |
| | | 15–प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था जो निरर्थक सिद्ध हुई है । उसे तत्काल दुरुस्त किया जाएगा । |
| | | 16–विद्युत के दामों में की गयी बढ़ोत्तरी को समाप्त किया जाएगा । |
| | | 17–लखनऊ जनपद के नगर महापालिका सीमा से 5 किलो मीटर की दूरी तक लेसू द्वारा विद्युत सप्लाई की व्यवस्था इसी बजट सत्र में कर दी जाएगी । |
| | | 18–लखनऊ जनपद के 20 कि0 मी0 की दूरी पर बंथरा, चन्द्रावल, माती, मोहनलाल गंज, गोसाईंगंज, चिनहट, बेहटा, इटौंजा, काकोरी, इब्राहिम गंज तक सिटी बस सेवा इसी वर्ष चालू कर दी जाएगी । |
| | | 19–जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद, मोहन लाल गंज में जनहित में मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना इसी वर्ष कर दी जाएगी । |
| 41 | श्रीमती विजय लक्ष्मी | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– |

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :–

1–जनपद बलिया के तहसील बांसडीह में छात्रों एवं छात्राओं के स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

2–बांसडीह तहसील के केन्द्र पर महिला चिकित्सालय खोलने का,

3–टाउन एरिया बांसडीह में हरिजन एवं कमजोर आय के लोगों को आवास समस्या के समाधान हेतु आवास विकास की तरफ से मकान बनाकर आवंटित करने के संबंध में,

4–तुरहा एवं खटिक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का,

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 5–टाउन एरिया सहतवार बलिया में जल निगम द्वारा पानी टंकी बनाकर जल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, |
| | | 6–राजभर जाति को अनुसूचित जाति के सूची में सम्मिलित करने के संबंध में, |
| | | 7–सहतवार, चांदपुर-बिसौल मार्ग को पी0 डब्लू0 डी0 विभाग द्वारा बनाये जाने के संबंध में, |
| | | 8–जनपद बलिया के बांस डीह विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के संबंध में, |
| | | 9–जनपद बलिया के न्याय पंचायत में प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्थापित करने का, |
| | | 10–जनपद बलिया रेवती ब्लाक के दियारा वशिष्ठ नगर गोपाल नगर में पेयजल सम्पर्क मार्ग एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलने के संबंध में, |
| | | 11–जनपद बलिया में पूर्वान्चल विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में, |
| | | 12–सुरहा ताल के विकास एवं सुन्दरीकरण के संबंध में, |
| | | 13–जनपद बलिया में 400 शैयायुक्त अस्पताल बनाने के संबंध में, |
| | | 14–बांसडीह निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग, लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने, पेयजल की सुविधा देने तथा प्रायमरी पाठशाला के भवन बनाने के संबंध में, |
| | | 15–उ0 प्र0 में विधवाओं को नौकरी में 5 प्रतिशत की आरक्षण सुविधा देने का, |
| | | 16–आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्य को कम करने एवं सस्ते दर पर जीवनोपयोगी वस्तुयें ग्राम की जनता तक पहुंचाने के लिये उपायों के संबंध में । |
| 42 | श्री राम नरेश | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– |
| | | किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :– |
| | | 1–कृषि के उत्पादित वस्तुओं का लाभकारी मूल्य सरकार दिलाने में अक्षम साबित हुई। |
| | | 2–आवश्यक वस्तुओं के दामों में अभिवृद्धि ने उपभोक्ताओं की कमर तोड़ दी है। |
| | | 3–सरकार की वितरण प्रणाली निरर्थक सिद्ध हुई । |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 4–कानून व्यवस्था खराब हुई है । |
| | | 5–भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने की कोई योजना नहीं है । |
| | | 6–लोकायुक्त को पंगु बना दिया गया है । |
| | | 7–बेकारी की समस्या हल करने का कोई संकेत नहीं है । |
| | | 8–प्रदेश में चतुर्दिक गिरावट आयी है । |
| | | 9–प्राथमिक शिक्षा पर कोई विशेष योजना नहीं है । |
| 43 | कुंवर मानवेन्द्र सिंह | प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– |

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं कीं :–

1–सूखे से प्रभावित होने वाले बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पृथ्वी के गर्भ में दिये समस्त जल स्रोतों का नवीनतम हाइड्रोजिकालोजिकल, रिमोट सेन्सिंग, भू-भौतिकीय, नाभिकीय तकनीकी से पता लगाया जाना जिससे आगामी सूखे से निपटा जा सके ।

2–बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के पठारी 8 जनपदों हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजना सातवीं पंच-वर्षीय योजना में लाये जाने के संबंध में ।

3–प्रदेश के अत्यधिक गहरे जलस्तर वाले जनपदों में बाढ़ का अतिरिक्त जल अप्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर अवशोषित कराया जाये तथा जियोलोजिकल इन्जीनियरिंग का पूर्ण उपयोग किया जायेगा ।

4–मंहगाई पर रोक लगाकर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य घटाने के सम्बन्ध में ।

5–रोजगार गारन्टी योजना को आरम्भ कर शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की अन्य ठोस योजना के बारे में ।

6–बेरोजगारों को 300 रु0 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

7–बुन्देलखण्ड के विकास हेतु बुन्देलखण्ड को पर्वतीय क्षेत्र की भांति विशेष दर्जा दिये जाने के संबंध में ।

8–बुन्देलखण्ड के झांसी जनपद में इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने हेतु ।

9–झांसी जनपद के गुरसराय में कृषि डिग्री कालेज तथा राजकीय इंटर कालेज खोले जाने हेतु ।

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 10–झांसी के मोठ तहसील केन्द्र पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने हेतु । |
| | | 11–बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवन हीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु । |
| | | 12–झांसी जनपद को सीधे जालौन जनपद से जोड़ने हेतु बेतवा नदी के कोटरा घाट पर पुल निर्माण कराया जाये । |
| | | 13–झांसी जनपद को सीधे हमीरपुर जनपद से जोड़ने हेतु कचीर ग्राम से मझगवां ग्राम के बीच घसान नदी पर रिपटा निर्माण कराया जाये । |
| | | 14–यह कि झांसी जनपद की गरौठा तहसील केन्द्र पर एवं हमीरपुर जनपद की राठ तहसील केन्द्र पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय इसी वर्ष स्थापित कर दिये जायेंगे । |
| | | 15–यह कि झांसी जनपद के गुरसराय एवं समथर चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर 100 शैय्याओं का कर दिया जायेगा । |
| | | 16–यह कि पुलिस आयोग की सिफारिशों को विशेष रूप से पुलिस कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के संबंध में शीघ्र लागू किया जायेगा । |
| | | 17–यह कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील केन्द्र पर राजकीय कन्या इन्टर कालेज खोला जायेगा । |
| | | 18–सभी नगर पालिका एवं टाउन एरिया की पिछड़ी तथा मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाये जायेंगे । |
| | | 19–कृषि के प्रयोग में आने वाले यंत्रों, बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी एवं बिजली का मूल्य घटाने के उपाय किये जायेंगे । |
| | | 20–यह कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा । |
| | | 21–यह कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रदेश के सभी ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों द्वारा मुख्य मार्गों से जोड़ दिया जायेगा। |
| 44 | श्री काशी सिंह ऐरी | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का उल्लेख नहीं किया है :– 1–कि पर्वताय जनपदों में अब तक लगायी गयी धनराशि के खर्च और किये गये उपयोग का वास्तविक मूल्यांकन करने हेतु उच्च स्तरीय अर्थ-आयोग गठित करने की घोषणा के विषय में, |

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|

2–कि पर्वतीय जनपद (उत्तराखण्ड) से लगातार हो रहे पलायन के कारणों और उन कारणों के निदान हेतु उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय आयोग के गठन करने के विषय में,

3–कि उत्तराखण्ड के विकास के लिए वहां की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास कार्यक्रम बनाने तथा इस हेतु पृथक मानक निर्धारण के विषय में,

4–कि उत्तराखण्ड में रज्जुमार्ग (रोपवे) को यातायात हेतु व्यापक स्तर पर प्रयोग करने के विषय में,

5–उत्तराखण्ड की एक घाटी से दूसरी घाटी तथा एक जनपद/तहसील मुख्यालय को दूसरे जनपद/तहसील मुख्यालय तक न्यूनतम दूरी से मिलाने के लिए रज्जुमार्ग, गुहामार्ग (टनल), मोटरमार्ग के निर्माण की घोषणा के विषय में,

6–उत्तराखण्ड में विशेषकर सीमान्त जनपदों में फल व आलू तथा जड़ी बूटी के उत्पादन, विपणन तथा भंडारण हेतु वैज्ञानिक विधियों व शीत गृहों के निर्माण के विषय में,

7–उत्तराखण्ड में जंगली फल-फूल-कन्द (घिंघारू, बेड़ू, मेहल, काफल, च्यूरा, पागर, वन बादाम, गीठी, तरुड़ आदि) की उन्नतिशील किस्मों को बनाये जाने के लिए व्यापक शोध कार्य किये जाने के विषय में,

8–उत्तराखण्ड में भारतवर्ष के अन्य पर्वतीय प्रान्तों के फल-फूल, कन्दों तथा अन्य उपयोगी पेड़-पौधों को प्रसारित करने के विषय में,

9–उत्तराखण्ड के लिये मैदानी भागों की तरह फसल मूल्य निर्धारण व फसल बीमा की तरह, फल मूल्य निर्धारण व फल बीमा योजना चालू करने के विषय में,

10–जनपद पिथौरागढ़ में सिंचाई व पीने योग्य पानी की नियमित आपूर्ति का प्रमाण पत्र मासिक रूप से ग्राम प्रधानों से लिए जाने के विषय में,

11–यातायात व संचार के लिए भौगोलिक परिस्थितयों को देखते हुए जनपदीय चिकित्सा पुस्तकालय, पिथौरागढ़ में स्थापित करने के विषय में,

12–जनपद पिथौड़ागढ़ में हृदय व प्रसूत रोग की उच्च उपचार व निदान व्यवस्था के विषय में,

| क्र0सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 13—जनपद पिथौरागढ़ में चिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने के कारणों व नियुक्त चिकित्सकों को 3 आर्थो-पैडिक्स, गैंग्रीन आदि स्थानीय आवश्यकता के विषय में उच्च शिक्षा दिये जाने के विषय में । |
| | | 14—भूतपूर्व विधायक मा0 श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के मासी स्थान में 1 अगस्त, 1984 को चार सूत्रीय मांगों की पूर्ति किये जाने के लिये की गयी कार्य-वाही के विषय में, |
| | | 15—पहाड़ों में विशेषकर सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में पानी की प्रत्येक योजना असफल रही है जिसमें जनपद, तहसील व विकास खण्ड मुख्यालय प्रमुख हैं। |
| | | 16—स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत प्रवक्ताओं को स्थायी करने और रिक्त पदों को भरे जाने हेतु, |
| | | 17—जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी व धारचूला में दो-दो विकास खण्ड तथा तहसील डीडीहाट में एक विकास खण्ड अति शीघ्र बनाने हेतु, |
| | | 18—जनपद पिथौरागढ़ में सीमान्त तहसील मुनस्यारी व धारचूला व डीडीहाट में पूर्व स्वीकृत उन मोटर मार्गों के विषय में जिनको केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा रुके मोटर मार्गों को शीघ्र बनाये जाने के विषय में, |
| | | 19—सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाकर स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के विषय में, |
| | | 20—सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिये लगभग 350 प्रा0 स्कूल, 150 जू0हा0 स्कूल, 19 हाईस्कूल, 17 राजकीय इण्टर कालेज, 5 राजकीय कन्या पाठशालाओं की तुरन्त पूर्ति हेतु, |
| | | 21—अधिकांश प्राथमिक स्कूल, 50 जूनियर हाई-स्कूल, 47 हाईस्कूल व इण्टर कालेज, भवनहीन होने पर भी उन्हें तुरन्त बनाये जाने के विषय में, |
| | | 22—जनपद पिथौरागढ़ में स्नातकोत्तर स्तर पर भी विज्ञान विषयों के शोध कार्यों के लिये अधिकाधिक प्रबन्ध अति शीघ्र करने हेतु, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 23—उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में भौगोलिक, आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुये वहां के माध्यमिक शिक्षा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर पर सैन्य विज्ञान, काष्ठकला, पाषाण कला, फल विज्ञान, पशु विज्ञान, पर्यटन, पुस्तकालय विज्ञान, गृह-रज्जुमार्ग तकनीकी विकास कृषि विज्ञान पर्वतारोहण जैसे विषयों के अध्यापन व शोध हेतु पढ़ाई प्रारम्भ करने के विषय में, |
| | | 24—जनपद पिथौरागढ़ में नारायणनगर, बेरीनाग, लोहाघाट तथा जनपद अल्मोड़ा में स्याल्दे महाविद्यालय के भवन साज-सज्जा तथा पूरा कार्यालय व अध्यापकों को नियुक्त करने के लिये कोई कार्य निर्धारण का प्रविधान दिये जाने के विषय में, |
| | | 25—जनपद पिथौरागढ़ में सीमान्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये वहां शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन खेल-कूद आयोजन तथा क्रीड़ास्थल बनाये जाने के विषय में, |
| | | 26—जनपद पिथौरागढ़ में भौगोलिक व परिस्थिति को देखते हुए आयुर्वेदिक संस्थान तथा जड़ी बूटी विकास संस्था की अतिशीघ्र स्थापना करने हेतु, |
| | | 27—जनपद पिथौरागढ़ में सर्वाधिक पानी होने पर भी वहां लघुपन विद्युत संबंधी की कोई योजना द्रुतस्तर पर पूरी किये जाने के लिये तथा शेष जल संस्थानों का पूरा सर्वेक्षण अति शीघ्र करवाने के विषय में, |
| | | 28—उत्तराखण्ड में वैकल्पिक ऊर्जा संस्थानों को विकसित कराने के विषय में, |
| | | 29—पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं को घास-पानी-लकड़ी के बोझ से मुक्त करने के विषय में, |
| | | 30—पर्वतीय क्षेत्र में वनों को चारा, ईंधन, फल खाद्यान्न, रेशा खाद की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विकसित किये जाने हेतु, |
| | | 31—पर्वतीय विकास मंत्रालय को स्वायत्तता तथा प्रशासनिक अधिकार दिये जाने विषयक तथा पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना उत्तराखंड के भौगोलिक केन्द्र में किये जाने के विषय में, |
| | | 32—उत्तराखंड में कार्यरत सभी विभागों में पर्वतीय-संवर्ग अति शीघ्र बनाये जाने तथा कठोरता से लागू किये जाने के विषय में, |

| क्रम सं0 | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| | | 33—उत्तराखंड में अनुपजाऊ भूमि, भवन आद्योगीकरण का कार्य किये जाने के विषय में, |
| | | 34—जनपद पिथौरागढ़ की सीमान्त तहसीलों में ऊनी उद्योग के पारम्परिक शिल्प उद्योग को प्रोत्साहित व संवर्धित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर बहुआयामी ऊन उद्योग केन्द्र की स्थापना के विषय में, |
| | | 35—उत्तराखंड के प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय कार्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना तथा इन पुस्तकालयों में विधान मंडल कार्यवाहियों की प्रत्येक प्रति सुरक्षित कराने के विषय में, |
| | | 36—जनपद पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक विविधता को देखते हुये, इन संस्कृतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के विषय में, |
| | | 37—डीडीहाट तहसील मुख्यालय में पालीटेक्निक तथा धारचूला व थल बेरीनाग, कनालीछीना, मूनाकोट में आधुनिकतम विषयों का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु, |
| | | 38—जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग विकास खंड में तहसील व थल तथा छड़नदेव (कनालीछीना) में उप कोषागार की स्थापना किये जाने के विषय में। |